खण्ड-316, अंक-6
सोमवार, 1 वैशाख, शक संवत् 1897
(21 अप्रैल, 1975 ई0)

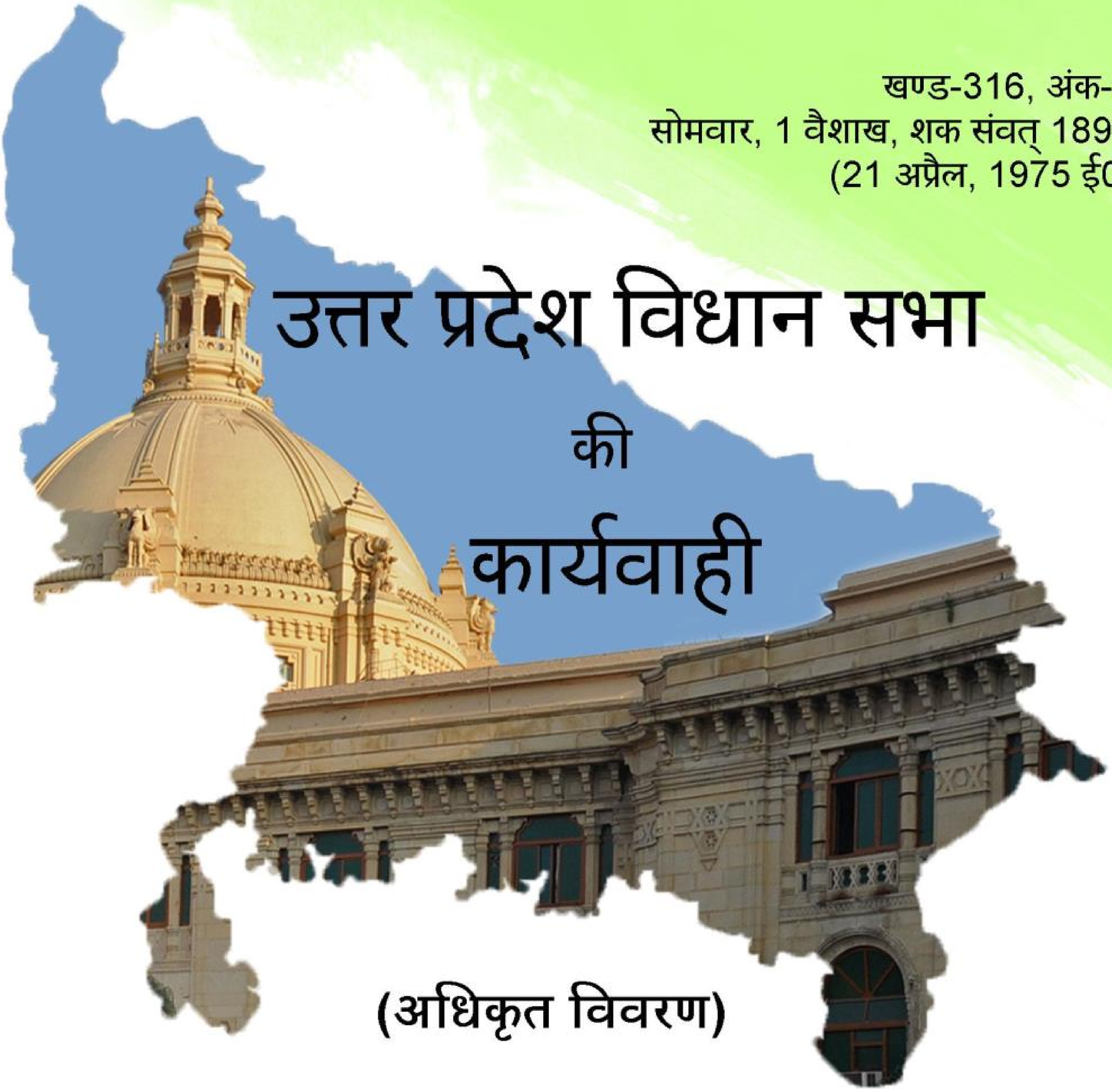

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 316 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1976

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

सुजाता काण्ड की जांच सी0 बी0 आई0 द्वारा कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 415–418

कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) .. 418–420

जायस, जिला रायबरेली के मुसलमानों को जशने विलायत-पैगम्बर इसलाम मनाने और जलूस निकालने पर सरकार द्वारा तथाकथित रोक लगाए जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य 420

मेरठ स्थित देवनागरी इन्टर कालेज परीक्षा केन्द्र पर एक अध्यापक पर गुण्डों द्वारा किए गए आक्रमण के सम्बन्ध में वक्तव्य .. 421–423

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में होने वाले चुनाव में सरकारी हस्तक्षेप के सम्बन्ध में जांच की मांग .. 423–425

संयुक्त प्रान्त बन्द्रीनाथ (स्वच्छता तथा सुधार) (निरसन) विधेयक, 1975 (पुरःस्थापित किया गया) 425

कार्य स्थगन-प्रस्तावों की सूचनाएं 426

1975-76 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या 18---सचिवालय, अनुदान संख्या 19---जिला प्रशासन, अनुदान संख्या 21---पुलिस, अनुदान संख्या 25---अन्य प्रशासनिक सेवायें तथा अनुदान संख्या 3---मन्त्रि-परिषद (जारी) .. 426–489

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं 489

तकमिल उत्तिब कालेज, लखनऊ के छात्रों के साथ वहां की प्रबन्ध समिति के सचिव द्वारा अभद्र व्यवहार किए जाने से छात्रों में उत्पन्न क्षोभ के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य .. 490–492

नत्थियां 493–497

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, 21 अप्रैल, 1975

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—317

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत सिंह सेठी श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील उर्फ श्री जिमी मियां, (एडवोकेट)
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां, 'नश्तर', श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
आगा जैदी, श्री
आबिद अली, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काली चरण यादव, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी प्रसाद, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णा राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद आर्य, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, चौधरी
चरण सिंह, डाक्टर
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री

जंग बहादुर, श्री
जंग बहादुर वर्मा, श्री
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जमुना प्रसाद बोस, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जुगल किशोर यादव, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया किशन पाण्डेय, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दीपनारायण बन महन्थ, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मपाल सिंह, डाक्टर
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्म सिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह श्री
नजीर अहमद, श्री
नजु राम, श्री
नन्द राम, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारेलाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु दयाल, श्री
प्रभु नारायण, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
प्रेम सुन्दर नारायण सिंह, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह, आर्य, श्री
बलवीर सिंह यादव, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह यादव, श्री
बाल कृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भूप सिंह केन, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री

भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्नी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर
मलखान सिंह सैनी, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मलतान सिंह यादव, चौधरी
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद खां, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मूल चन्द्र राजपूत, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिल गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रफीउल्ला, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राज बहादुर चन्द, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राधा चरण सिंह, ठाकुर
राम अधार, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
राम गरीब, कैप्टेन
राम चन्द्र बक्श सिंह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी लाल केन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सिंह, श्री
राम दयाल सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम बचन, श्री
राम मूर्ति, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति बिन्दु, एडवोकेट
रामरती देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पाण्डेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
राव मुश्ताक, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री

लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायण पांडेय, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शान्ति देवी यादव, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिव प्रसाद गुप्त, श्री
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

नोट--लघु उद्योग मन्त्री, श्री इस्तफा हुसैन एवं स्वायत्त शासन मन्त्री, श्री जगदीश शरण अग्रवाल भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, 21 अप्रैल, 1975

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की मांग

**1—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर), श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर), श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया), श्री हरिकेवल (जिला देवरिया), श्री जमुना प्रसाद बोस (जिला बांदा) तथा चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या भारी उद्योग मन्त्री को यह जानकारी है कि केन्द्रीय सरकार ने यह घोषणा की है कि राज्य सरकारें अपने-अपने प्रदेशों में चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करने में सक्षम हैं? यदि हां, तो प्रदेश सरकार विधान मन्डल के सदस्यों की प्रबल भावना का आदर करते हुए प्रदेश में चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के लिए क्या कदम उठाने जा रही है ?

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

जी नहीं।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि इस प्रश्न का कोई लिखित उत्तर किसी भी माननीय सदस्य को नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष—

अभी उत्तर तो आ जाने दें।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैं भारी उद्योग मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपकी यह सरकार केन्द्रीय सरकार के मातहत तो है नहीं। संविधान के मातहत है। केन्द्रीय सरकार की मातहती उत्तर प्रदेश सरकार नहीं करती और चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण का सम्बन्ध जहां तक है, वह बिलकुल आपके एक्सक्लुसिव जुरिस्डिक्शन में है और आपकी जब यह नीति है और अपने चुनाव घोषणा-पत्र में वोट लेने के लिए भी जब आपने वाअदा किया था, तो कौन सी दिक्कत है कि आप इसका राष्ट्रीयकरण नहीं कर रहे हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

अगर हमें इसका अधिकार होता तो 1972 में ही इनका टेक ओवर हो गया होता जब कि इस सदन में प्रस्ताव पारित किया था। हमें इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन ऐक्ट के सेक्शन (20) के अनुसार यह अधिकार नहीं है। इसको कई बार भारत सरकार मान चुकी है और इस सम्बन्ध में भार्गव कमीशन भी बैठा था। उसकी रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

मैं माननीय भारी उद्योग मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि इस सदन के आधे से अधिक माननीय सदस्यों ने सरकार को चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में लिखा है और क्या उत्तर प्रदेश की सरकार चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के सिद्धान्त से सहमत है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां, उत्तर प्रदेश की सरकार चीनी मिलों का टेक ओवर करना चाहती है। और यह भी सही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को जैसा कि माननीय सदस्य, देवरिया, श्री रामायण राय ने कहा—अधिकांश सदस्यों ने लिखा है और इस तरह का आवेदन किया है।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार के महान्यायवादी ने यह राय दी है कि प्रदेश की सरकारें सक्षम हैं, चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए और श्री वीरेन्द्र वर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठी थी, उसने भी यही संस्तुति की है तो महान्यायवादी की राय है कि प्रदेश की सरकारें राष्ट्रीयकरण करने के लिए सक्षम हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

ऐसी कई राय हैं जो भिन्न-भिन्न हैं और अलग-अलग समय पर आयीं, लेकिन भारत सरकार ने अभी तक इस बात को स्वीकार नहीं किया है कि इस पर पूर्ण अधिकार राज्य सरकार का होगा। यह मसला अहम है और यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। इनके टेक ओवर के प्रश्न पर हाई कोर्ट में बहस हो चुकी है और फैसला होने वाला है, ऐसा हमको कहा गया है। और सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा एक प्रश्न विचाराधीन है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उनका ध्यान अभी हाल ही में केन्द्रीय सरकार के कृषि मन्त्री, श्री जगजीवन राम के उस बयान की तरफ गया है जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार स्वयं सक्षम हैं, चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण करने के लिए और केन्द्रीय सरकार उसमें कोई बाधक नहीं है ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ? और अगर जानकारी नहीं है तो केन्द्रीय कृषि मन्त्री से सम्बन्ध स्थापित करके क्या मन्त्री जी इस सम्बन्ध में पूछतांछ करेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि कृषि मन्त्री, श्री जगजीवन राम ने ऐसा कोई वक्तव्य दिया है। हां, कृषि राज्य मन्त्री, श्री शाहनवाज खां का एक वक्तव्य कुछ समाचार-पत्रों में छपा था तो मैंने स्वयं उनको टेलीफोन किया और फिर एक पत्र भी लिखा था। उसका उत्तर आ गया है कि उन्होंने ऐसा नहीं लिखा। उन्होंने लिखा है कि जो मिलें भुगतान नहीं करती हों, केन्द्रीय सरकार की सहमति से उनका टेक ओवर हो सकता है, जैसा कि हम करते रहे हैं।

श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)—

मान्यवर, चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की चर्चा बहुत दिनों से हो रही है और इस सम्बन्ध में भार्गव कमेटी की रिपोर्ट भी पेश हुयी है। उसमें जितने मेम्बर हैं, उनमें से बहुतों ने राष्ट्रीयकरण का विरोध किया है। तो विरोध करने का कारण क्या है और राष्ट्रीयकरण की परिभाषा क्या है ? क्या इसकी रूपरेखा होगी और किस प्रकार से इसको लागू करेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री रामायण राय—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा है कि जहां तक नीति का प्रश्न है, पालिसी का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रीयकरण के पक्ष में है। तो इस नीति को केन्द्रीय सरकार से मनवाने के लिए राज्य सरकार ने अब तक क्या प्रयास किया है, क्या मन्त्री जी सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने एक कानूनी मसविदा बनाकर केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए भेजा है, जो वहां विचाराधीन है।

कानपुर शुगर वर्क्स, पडरौना तथा कठकुइयां पर गन्ने के मूल्य का बकाया

**2—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि फरवरी तथा मार्च, 1975 में कानपुर शुगर वर्क्स, पडरौना तथा कठिकुइयां के जिम्मे गन्ना किसानों का नब्बे लाख रुपया बकाया है ? फलस्वरूप किसानों के घर उपवास हो रहा है और उनमें घोर असन्तोष व्याप्त है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी नहीं, कानपुर शुगर वर्क्स, पडरौना तथा कठकुइयां पर माह फरवरी तथा मार्च, 1975 में गन्ना मूल्य बकाया की स्थिति निम्न प्रकार थी :—

नाम मिल	माह	गन्ना मूल्य बकाया (लाख रुपयों में)
पडरौना	फरवरी, 1975	13.47
	मार्च, 1975	42.74
कठकुइयां	फरवरी, 1975	10.57
	मार्च, 1975	23.08

उक्त दोनों चीनी मिलों की कैश क्रैडिट लिमिट समाप्त हो जाने के कारण उपरोक्त बकायों का नियमानुसार भुगतान सम्भव न हो सका और अब जबकि दोनों मिलें बन्द हो गयी हैं इस बकाये का भुगतान उनको चीनी की बिक्री में प्राप्त होने वाली धनराशि (मार्जिन मनी) से करवाये जाने का हर सम्भव प्रयास किया जायगा।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

श्रीमन्, यह जो उत्तर प्राप्त हुआ है उसके अनुसार पडरौना शुगर फैक्टरी पर फरवरी में 13 लाख 47 हजार रुपया और मार्च में 42 लाख 74 हजार रुपया बकाया था। तो जो यह धनराशि बतायी गयी है, मार्च में 42.74 लाख रुपया तो क्या उसमें फरवरी का 13.47 लाख रुपया शामिल है या फरवरी मार्च की धनराशि अलग-अलग है ? इसी प्रकार कठकुइयां मिल पर फरवरी, 1975 में 10 लाख 57 हजार तथा मार्च में 23 लाख 8 हजार रुपया बकाया बताया है। तो मार्च, में 23 लाख 8 हजार जो बताया गया है, उसमें क्या फरवरी के हिसाब को ले करके यह धनराशि है या अलग-अलग है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

ले करके है। मार्च की धनराशि जो है, वह फरवरी के बकाए को ले करके है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मान्यवर, एक बात यह लिख देते हैं कि 'जी नहीं।' इस बात का रवैया हो गया है। इन दोनों चीनी मिलों पर बकाए को मिलाकर 65 लाख 82 हजार रुपया केवल किसानों का शुद्ध गन्ने का बकाया है और जो कमीशन वगैरह है, उसको छोड़ दीजिए। तो शुद्ध 65 लाख 82 हजार रुपया बकाया है। तो क्या जब तक 89 लाख 99 हजार 999 रुपये ....

श्री अध्यक्ष—

ऐसे नहीं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मान्यवर, सुन लीजिये यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है ।

मान्यवर, 89 लाख 99 हजार 999 रुपये, 99 पैसे जब तक नहीं हो जायेंगे तो क्या मन्त्री जी तब तक 'जी नहीं' ही कहते रहेंगे ?

दूसरी चीज यह है जो कि उन्होंने कहा कि कैश क्रैडिट लिमिट समाप्त हो गयी है। तो इसके लिए जिम्मेदार गवर्नमेंट है या शुगर फैक्टरी है ? तीसरे उन्होंने कहा....

श्री अध्यक्ष—

एक-एक करके प्रश्न करें।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मान्यवर, कैश क्रेडिट लिमिट जो समाप्त हो गयी है तो उसकी जिम्मेदार फैक्टरी है या कौन है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन् जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है विद्वान सदस्य अपेक्षा करते हैं कि प्रश्न का उत्तर जो दिया जाय, वह इक्जेक्ट हो। वस्तुस्थिति के अनुरूप हो। तो 90 लाख, जैसा कि एक आंकड़ा उन्होंने दिया—हमारे लिए उचित मालूम होता है कि प्रश्न की परिभाषा के अनुसार इक्जेक्ट जवाब दें। हां या नहीं। यह परम्परा है प्रश्नों के उत्तर की।

चूंकि वह 65 लाख टोटल था इसलिए उसको 90 लाख बताना सम्भव नहीं था।

मान्यवर, दूसरा कैश क्रेडिट लिमिट के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक ने जो विभिन्न बैंकों को निर्देश दे रखे हैं, उसके अनुसार निर्णीत होता है। कैश क्रेडिट टैरिफ मूल्य पर निर्णीत होता है और वह हर महीने बदलते रहते हैं। टैरिफ वैल्यू खुले बाजार के चीनी के दामों और लैवी के दामों का औसत निकाल कर निर्णीत होता है। टैरिफ वैल्यू के आधार पर चीनी के बोरों पर एडवान्स बैंक देते हैं अब रिजर्व बैंक ने मुद्रा स्फीति का मुकाबला करने के लिए कैश क्रैडिट लिमिट बन्द कर रखी है। इसलिए कैश क्रैडिट लिमिट खत्म हो गयी है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मान्यवर, मार्जिन मनी की बात है तो वह कितनी है ? किसानों का कितना बकाया है ? आप मार्जिन मनी से मजदूरों का वेतन भी देते हैं, उससे स्टोर का सामान भी खरीदते हैं और रिपेयरिंग में खर्च करते हैं, तो किसानों को भुगतान के लिये कितना रह जाता है ? क्या उससे किसानों का पूरा भुगतान हो जाएगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां, यही प्रयास हो रहा है।

श्री रामायण राय—

मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि पडरौना और कठकुइयां मिलों पर जो बकाया है, वह केवल इसी सीजन का है या गत वर्ष का भी है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि किसानों की बकाया रकम सूद के साथ कब तक उनको दिलवाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, जहां तक पडरौना का सम्बन्ध है तो 1974 के पूर्व वर्ष का 4 हजार रुपया बकाया है। 1970-71 का है जिसमें हिसाब टेली नहीं कर रहा है। दूसरा कठकुइयां के सम्बन्ध में जो सूचना है वह 74-75 के पूर्व वर्ष में कोई बकाया नहीं है। जहां तक भुगतान का सम्बन्ध है तो पडरौना में क्लोजिंग बैलेन्स चीनी स्टाक का 1,16,099

बोरे है और कठकुइयां में 64,203 बोरे चीनी मिली। जैसे-जैसे चीनी स्टाक से उठती जाएगी न्यूनतम भुगतान के लिये सीधे सोसाइटी से भुगतान हो जाएगा। पडरौना चीनी मिल का 82.70 प्रतिशत जो चीनी का पैसा जमा होगा वह किसानों के बकाए के भुगतान के लिये हो जाएगा। कठकुइयां का 80.25 प्रतिशत जिलाधिकारी ने आदेश दे रखा है कि बैंकों को देना होगा भुगतान के लिए। तो अपेक्षा की जाती है कि जैसे-जैसे माहवारी बोरे रिलीज होंगे तो अधिक भुगतान बकाये का हो सकेगा। दूसरे प्रयास किया है कि कैश क्रेडिट लिमिट व्यवहारिक हो। रिजर्व बैंक से केन्द्र ने और हम ने कहा है कि व्यवहारिक दृष्टि से प्रोडक्शन को देखते हुये कैश क्रेडिट लिमिट को बढ़ाने पर विचार करें और रिजर्व बैंक आफ इंडिया इस पर विचार कर रहा है। यदि कैश क्रेडिट लिमिट बढ़ गयी तो भुगतान का प्रतिशत बढ़ जाएगा।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मान्यवर, मार्जिन मनी कितनी है और भुगतान कितना है, यह बतला दें ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, मार्जिन मनी का प्रतिशत नहीं है, लेकिन जो उपलब्ध है उससे उनका भुगतान हो जाएगा, ऐसी आशा है।

वाराणसी जिले के श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह पर गोली से हमला

**3—श्री ऊदल—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी शहर में तारीख 4, 5 अप्रैल, 1975 को सार्वजनिक कार्यकर्ता, श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह को गोली मारी गयी है जिससे वे घायलावस्था में अस्पताल में पड़े हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही न होने का क्या कारण है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

दिनांक 5 अप्रैल, 1975 को एक नामांकित तथा कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह को गोली चला कर घायल किए जाने की सूचना उसी दिन थाना कोतवाली, वाराणसी पर प्राप्त हुई। इस सूचना के आधार पर एक मुकदमा धारा 147/148/149/307/324 भा0 द0 वि0 का कायम किया गया जिसकी विवेचना हो रही है।

उक्त घटना से सम्बन्धित एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है तथा शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु धारा 82/83 जाब्ता फौजदारी की कार्यवाही की गई है।

घायल श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह का उपचार सर सुन्दर लाल अस्पताल में हो रहा है।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि बाकी कितने लोग इससे सम्बन्धित हैं और 82/83 के अलावा और क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

शेष 6 अपराधी और सम्बन्धित हैं। इस समय फिलहाल 82/83 की कार्यवाही की गई है और उनको गिरफ्तार करने का प्रयास जारी है।

श्री ऊदल—

इस बात को देखते हुए कि पिछले 2 वर्षों में बनारस शहर में और बनारस जिले में यानी पूरे देहाती क्षेत्र में अपराध की स्थिति बहुत भयावह है और आए दिन दिन-दहा गोली मार दी जाती है। तो क्या सरकार इन दो वर्षों में अपराधों के सिलसिले में आंकड़े मंगायेगी और उसकी जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराएगी ?

श्री काशीनाथ मिश्र—

यह स्थिति तो पूरे प्रदेश की है।

श्री ऊदल—

मान्यवर, मैं अब चार्ज लगाता हूं कि जब से श्री ओंकार सिंह, एस0 एस0 पी0 गए हैं तब से लेकर बनारस की स्थिति बहुत ही भयावह है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसकी जांच करें और सरकार इस बात के लिये क्या ठोस कदम उठा रही है कि शान्ति व्यवस्था स्थापित रहे ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

आप यह क्यों नहीं कहते कि जब से मुख्य मन्त्री जी आए हैं।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

पावर-लूम करघों पर उत्पादन कर में वृद्धि

*1—श्री हरीश चन्द्र खंडेलवाल (जिला पीलीभीत) (अनुपस्थित)—

क्या उद्योग मन्त्री को इसकी जानकारी है कि पावरलूम करघों पर 20 प्रतिशत उत्पादन कर लगा देने से प्रदेश के हजारों पावरलूम करघों का उत्पादन एवं कार्य ठप्प हो गया है ? जिससे मजदूर तथा कारीगर बेरोजगार हो गये हैं ? यदि हां, तो स्थिति के सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

सस्ते गल्ले की दूकानों के गेहूं और चावल से पेट की बीमारी

*2—श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर), श्री अवधेश कुमार (जिला गोरखपुर) तथा श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)—

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सस्ते गल्ले की दूकानों के माध्यम से जनता को मिलने वाला लाल गेहू तथा सेला चावल खाने से गैस पेचिस जैसे भयंकर बीमारियों से लोग ग्रस्त हो जाते हैं ? इस आशय की सूचना कानपुर की जनता द्वारा शासन को 1975 में मिली ? यदि हां, तो वास्तविकता क्या है तथा इसकी रोक-थाम के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है ?

खाद्य तथा रसद मन्त्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

सदन के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा नियम 56 के अन्तर्गत इस तरह की सूचना दी गई थी जिस पर मैं विस्तृत वक्तव्य दिनांक 2 अप्रैल, 1975 को दे चुकी हूं। एक समाचार-पत्र में भी इस आशय की सूचना प्रकाशित हुई थी। लाल गेहूं व सेला चावल खाकर पेट की बीमारियों के शिकार होने की बात सही नहीं है।

आजमगढ़ जिले में कछार, देवरा की असिंचित भूमि पर लगायी गयी लेवी

*3—श्री जफर आजमी (जिला आजमगढ़)—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में कछार, देवरा, असिंचित, तथा ऊसर बांगर की जमीनों पर 4 क्विटल 24 किलो के प्रति एकड़ के हिसाब से लेवी लगा कर किसानों को पर्चियां दी गयीं हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी —

जी नहीं, जनपद आजमगढ़ में कछार, देवरा की असिंचित तथा ऊसर बंजर जमीनों पर 4 कुन्तल 24 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को लेवी पर्चियां अभी तक नहीं दी गई।

श्री जफर आजमी—

मैं माननीया मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि मेरी सूचना को सही मानते हुए कि कछार देवारा क्षेत्र में जो पुर्जियां तकसीम हुई हैं वह पूरे जिले के आधार पर तकसीम हुई हैं और 4 क्विन्टल और 24 किलो उन पर भी लागू है ? तो क्या आप इसकी जांच करायेंगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

अध्यक्ष जी, आजमगढ़ जिले का जो एकरेज था वह निकाला गया और उसको प्रति एकड़ के हिसाब से 4.24 क्विन्टल रखा गया। यों एक्चुअली 'सोन' एरिया पर ही लगाया जाता है और उस दृष्टि से 12 क्विन्टल का आता था और जौ, चना को मिलाकर तो 10.48 आता है। लेकिन जब इसको प्रति एकड़ के हिसाब से रखा गया है तो सिंचित असिंचित सारी चीजों को ध्यान में रखा गया है। कलेक्टर को यह सौंपा गया है कि एक्चुअल पैदावार को देखते हुए वह निर्णय ले सकेगा।

श्री ऊदल

क्या यह सही है कि पिछले तीन साल का पूरे जिले का ऐवरेज निकाल कर यह लैवी प्रति एकड़ तय की गयी है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

गत तीन वर्षों के गेहूं, चना और जौ के उत्पादन को वेटेज ऐवरेज में शामिल किया गया, लेकिन गेहूं का जो एक्चुअल सोन एरिया है, उसी पर लगाया गया है। इसलिये किसानों को इन दो वेटेज से फायदा हो जाता है।

श्री जफर आजमी—

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि घोसी तहसील के पश्चिमी बेल्ट में सरजू का पूरा इलाका 30 मील का है, जिसकी पैदावार 30 कुंतल फी एकड़ है वहां ऐसा क्यों किया गया ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मंडलायुक्तों को ऐसे क्षेत्रों में जहां उत्पादन कम हुआ है, यह अधिकार दिया है कि जिलाधिकारी देखकर जहां गेहूं का उत्पादन कम हो, वहां लैवी की मात्रा में कमी कर सकते हैं।

श्री राजबहादुर चन्द (जिला बस्ती)—

सिद्धान्त की बात है। जिले में दो तरह की खेती है। एक सिंचित है और दूसरी असिंचित है। सिंचित में ज्यादा उत्पादन होता है और असिंचित में कम उत्पादन होता है।

अगर इन दोनों का ऐवरेज लेंगे तो ज्यादा पड़ेगा और असिंचित वाले को परेशानी होगी। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सिंचित और असिंचित दोनों का ऐवरेज लिया गया है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

जी नहीं। असिंचित में सिंचित से 30 प्रतिशत कम करके लगाया गया है।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी)--

इस प्रश्न से सम्बन्धित जो जमीन है उस पर लैवी की क्या दर लगायी गयी है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

जो हमारा स्लैब है वह पूरे जिले का इस प्रकार है। आंशिक रूप से सिंचित यानी सबसे नीचे वाला स्लैब में 6 केजी। जो पूर्णतः सिंचित है उसमें 4 केजी। इस स्लैब में सवा तीन एकड़ से सवा छः एकड़ तक है। इस प्रकार फिर सवा छः एकड़ से साढ़े बारह एकड़ का स्लैब है। यह सब प्रति एकड़ किलोग्राम में है। इतना रिअलिस्टिक यह बना दिया गया है कि किसानों को कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। साथ ही जिलाधिकारियों को पूरी छूट दी गयी है कि जहां कहीं समझते हैं कि किसी कारण से पैदावार कम हुई है तो वह उसमें अपना विवेक इस्तेमाल कर सकते हैं।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह--

विशेष जमीन के बारे में यह प्रश्न किया गया था और आपने पूरे जिले का हवाला दे दिया।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

जो लेवी आर्डर है पूरे जिले के हिसाब से बनाकर दिया जाता है। अब क्षेत्रीय अधिकारी देखेंगे। यहां पर मैं लेखपाल का काम करने के लिए तो बैठी नहीं।

श्री धीरेन्द्र सहाय (जिला पीलीभीत)--

जिलाधिकारी को विवेक इस्तेमाल करने की पावर दी है तो अब तक कितने केसेज में उन्होंने अपना विवेक इस्तेमाल किया है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

अभी तो यह आरम्भ ही हुआ है।

[21 अप्रैल, 1975 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न।]

बदायूं जिले को बनस्पति घी का आबंटन

*1--श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

क्या सरकार बायेतगी कि जनपद बदायूं में वनस्पति घी का कोटा दिनांक 1 अप्रैल, 1973 से अब तक प्रति मास सरकार द्वारा कितना आवंटित किया गया और कितना वास्तव में जनपद बदायूं में पहुंचा ? यदि आबंटन से पहुंचने वाले वनस्पति घी की मात्रा कम रही है तो उसके क्या कारण हैं और उस कमी को पूरा करने के लिये सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

18-3-1974 से पूर्व सरकार द्वारा वनस्पति घी का जिलेवार मासिक आबंटन नहीं किया जाता था। 18-3-74 को शासन ने प्रदेश में स्थित वनस्पति मिलों द्वारा वनस्पति

घी की जिलेवार सम्पूर्ति की जाने वाली मासिक मात्रा निर्धारित की। यह व्यवस्था जनवरी, 75 तक (जब भारत सरकार ने वनस्पति घी पर मूल्य नियंत्रण समाप्त किया) चली। इस व्यवस्था के अन्तर्गत बदायूं जनपद के लिये प्रतिमास 100 टन वनस्पति घी का आवंटन था।

1-4-73 से जनवरी, 75 तक बदायूं जनपद में वास्तव में पहुंची मात्रा संलग्न तालिका में प्रस्तुत है।

आबंटित मात्रा से कम सम्पूर्ति होने का कारण वनस्पति मिलों के उत्पादन में कमी तथा प्रदेश के बाहर की मिलों द्वारा इस प्रदेश में वनस्पति घी की सम्पूर्ति न करना था।

वनस्पति मिलें भारत सरकार के नियंत्रण में हैं। अतः भारत सरकार का ध्यान इस समस्या की ओर बराबर आकृष्ट किया गया तथा प्रदेश की मिलों का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से टिन, प्लेट, कोयला, पावर तथा फरनेस आयल उपलब्ध कराने में यथासम्भव सहायता की गई।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 493 पर।)

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सूबे के बाहर की मिलों से इस जिले को कितना घी आवंटित किया गया था ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

जिले को उत्तर प्रदेश की ही मिलों से आवंटित किया गया था।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

क्या सरकार को यह भी मालूम है कि सूबे की मिलों से बातचीत करके यह एलाटमेंट किया गया था और यह भी तय हुआ था कि जिस मात्रा में एलाटमेंट हुआ है, उस मात्रा में नहीं देंगे तो आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी, तो किसी फैक्टरी के खिलाफ कार्यवाही की गयी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

बहुत से कारखाने उन दिनों तेल आदि की दिक्कत के कारण जितना डालडा पैदा करना चाहिये था, नहीं पैदा कर रहे थे। और भी दिक्कतें थीं। कुछ दिनों तक कुछ मिलें बन्द भी रहीं। इन कारणों से सभी सूबों में यह दिक्कत आई थी। उस समय वह यह चाहते थे कि भारत सरकार या तो कीमत बढ़ा दें या कंट्रोल खोल दे। जब तक इस पर निर्णय नहीं लिया गया था, तब तक ये बातें चलती रहीं थीं और कुछ अनिश्चित सी स्थिति रही। माननीय सदस्य के कहने के मुताबिक कारखाने के मालिकों को बुलाकर हमने एक निर्णय लिया था और हर एक जिले के लिए एलाटमेंट करके यह व्यवस्था की गयी थी। लेकिन बीच में यह एक ऐसी स्थिति पैदा हो गयी जिस पर पूरी तरह से हमारा कंट्रोल नहीं था। रा-मेटीरियल की दिक्कत भी मिलों के सामने आ गयी थी।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

18 महीने तक जो एलाटमेंट किया गया वह 20 प्रतिशत ही रहा तो मिलों को जो रा-मेटीरियल दिया गया वह सप्लाई के रेशियो से दिया गया था या कम दिया गया था ?

श्री काशीनाथ मिश्र--

डालडा उत्तर प्रदेश में, मार्केट में इफरात से मिल रहा है। पहले की बातें पूछने से क्या फायदा है ?

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

क्या काशीनाथ मिश्र मंत्री हो गये हैं जो उत्तर दे रहे हैं ?

श्री काशी नाथ मिश्र--

यह जवाब नहीं है ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

जिस हिसाब से रा-मेटीरियल दिया गया था उसी हिसाब से एलाटमेंट किया गया था लेकिन प्रोडक्शन कम होने के कारण मिलें कम भेज रहीं थीं ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

मेरा सवाल यह था कि जिस हिसाब से एलाटमेंट किया गया था मिलों को उसी हिसाब से उनको रा मेटीरियल दिया गया था तो फिर क्या कारण है कि रा मेटीरियल उतना देने के बाद भी प्रोडक्शन कम हुआ और प्राप्ति भी कम हुई ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

मिलों को रा-मेटीरियल सरकार की ओर से देने की बात नहीं होती है । वह स्वयं बाजार से खरीदती है । टीन आदि की व्यवस्था कराने की हमने कोशिश की लेकिन खरीदने का काम उनका ही होता है ।

जिला परिषद् के माध्यम से लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु तथाकथित योजना

*2--श्री मुहम्मद असरार अहमद--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या प्रदेशीय सरकार ने ऐसी कोई योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत ब्लाक स्तर पर जिला परिषद् के माध्यम से लघु उद्योग धंधों के सम्बन्ध में कार्य करने वालों को प्रोत्साहन मिलें ? यदि हां, तो इसका पूरा विवरण क्या है और कब से कार्यान्वित होगी ?

लघु उद्योग मंत्री (श्री इस्तफा हुसैन)--

जी नहीं ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

जिला परिषद् के द्वारा लघु उद्योग लगाने में सरकार को क्या आपत्ति है ? क्या सरकार उनके द्वारा लघु उद्योग लगाने की स्कीम पर विचार कर रही है ?

श्री इस्तफा हुसैन--

आपत्ति का प्रश्न नहीं उठता । न कोई योजना पर विचार हो रहा है और न कोई ऐसी योजना बनाई ही गयी है ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करने के लिये तैयार हैं कि जिला परिषद् द्वारा लघु उद्योग को बढावा देने के लिये प्रत्येक जिले में कोई स्कीम बना रहे हैं ? इस सम्बन्ध में वे क्या सदन को कोई आश्वासन देंगे ?

श्री इस्तफा हुसैन--

अभी कोई स्कीम नहीं बनायी है । यदि कोई सुझाव इसके विकास के वास्ते आवेगा तो अवश्य उस पर विचार कर सकते हैं ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

जिला परिषदों में गांवों के प्रतिनिधि होते हैं और गांवों में ही लघु उद्योगों को बढ़ावा देना है, तो क्या जिला परिषदों के द्वारा आप लघु उद्योगों को बढ़ाने के लिये तैयार हैं औ उस सम्बन्ध में कोई आश्वासन देंगे ? यह मैंने पूछा है ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मान्यवर, हर जिले में इन्डस्ट्रीज आफिसर हैं। इसलिये कोई सवाल ही नहीं उठता।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

मैं जानना चाहूंगा कि जिला परिषदों द्वारा सरकार कोई स्कीम बनाने के लिये तैयार है.....

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

मान्यवर, कोई सवाल नहीं उठता है तो काशीनाथ मिश्र बार-बार क्यों उठते हैं?

श्री इस्तफा हुसैन--

श्रीमन्, इसमें दो बातें हैं, ब्लाक स्तर और जिला परिषदों के द्वारा, दोनों के सामन्जस्य से जो योजना सामने आवेगी तो उस पर विचार करेंगे।

*3--श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

[15वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 5 पर स्थानान्तरित।]

खादी ग्रामोद्योग के माचिस उद्योग में भ्रष्टाचार

*4--श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

क्या उद्योग मंत्री को इसकी जानकारी है कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के माचिस उद्योग में भीषण भ्रष्टाचार होने तथा मेरठ डिपो से जुलाई, 1974 में पोटास तथा फासफोरस भारी संख्या में ब्लैक से बेचने की शिकायत मिली? यदि हां, तो वस्तुस्थिति क्या है तथा उस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

श्री इस्तफा हुसैन--

शासन को नहीं वरन् खादी बोर्ड को एक शिकायत जुलाई, 1974 में प्रप्त हुई थी जिसमें बोर्ड द्वारा कानपुर की एक संस्था को उचित मात्रा में पोटास क्लोरेट आवंटित न किये जाने एवं उक्त संस्था के नाम 25 किलो रेड फासफोरस का फर्जी बिल दिखाये जाने का उल्लेख है।

बोर्ड द्वारा जांच के उपरान्त यह ज्ञात हुआ है कि मेरठ डिपो से 25 किलो रेड फासफोरस विकास केन्द्र कानपुर को दिनांक 14-3-74 को भेजा गया है जिसकी प्रविष्टि उक्त संस्था के रेकार्ड में दर्ज नहीं है। बोर्ड द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, इस सबन्ध में ज्यादा सवाल नहीं पूछूंगा क्योंकि खादी बोर्ड तो वैसे ही सड़ रहा है। एक चीज आप यह बतायें कि जब यह सवाल हुआ तब आपको यह गलती मालूम हुई या पहले से आपको इसकी जानकारी थी? जब आपको जानकारी हुई तब से आपने किसी की खिलाफ क्या कदम उठाया-जिसने बेचा होगा, रिसीट किया होगा, इन्द्राज नहीं किया होगा आदि। यदि नहीं, तो क्यों?

श्री इस्तफा हुसैन--

श्रीमन्, जांच हुई और जिसके परिणाम स्वरूप यह पता चला कि मेरठ डिपो से 25 किलो रेड फासफोरस बेचा गया। इस विकास केन्द्र ने जिस संस्था को 25 किलो की मात्रा में फासफोरस बेचा जाना कहा जाता है, उसने अपना रिकार्ड नहीं दिखाया। उसके लिये प्रयास हो रहा है। तब यह पता लगेगा कि किसकी जिम्मेदारी है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, मंत्री जी ने सुना नहीं, मेरे प्रश्न का एक अंश और भी था। मैंने यह पूछा था कि जब मैंने सवाल किया तब आपको इसकी जानकारी प्राप्त हुई या पहले से आपको इसकी जानकारी थी ? यदि पहले से ही जानकारी आपको थी, तो उस वक्त ही क्यों नहीं कदम उठाये गये ?

श्री इस्तफा हुसैन--

सबसे पहले जानकारी 25 जुलाई, 1974 को श्री देवीचरण सचान, विकास अधिकारी, मैंचेज हैं, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के, उनके जरिये प्राप्त हुई।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)--

मान्यवर, यह केवल मेरठ का सवाल नहीं है, पूरे खादी एवं ग्रामोद्योग का सवाल है, सब जगह इस तरह की गडबडियां हैं। तो क्या मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि पूरे ग्रामोद्योग की वर्किंग की जांच करवायेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

खादी बोर्ड के जो कुछ भी कुकर्म हैं या गड़बड़ियां हैं, उनकी जांच के लिए सरकार ने कोई कमेटी या ऐसी कोई समिति बैठाई है, उसको यह काम भी सुपुर्द कर देंगे ?

श्री इस्तफा हुसैन--

खादी बोर्ड की जांच के वास्ते जो हाई पावर कमेटी बनाई है, उसको यह काम भी सौंप दिया है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, दिल्ली स्थित यू० पी० स्टाल में आग लगने की घटना

*5--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (अनुपस्थित)--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत 2 फरवरी, 1975 को एशिया' 1972 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले, दिल्ली स्थित यू 0 पी 0 स्टाल में आग लगने के क्या कारण थे एवं कितने की क्षति का अनुमान है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

आग लगने के कारणों तथा उससे हुई क्षति के बारे में जांच हो रही है।

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के लेदर विभाग के टेक्निकल असिस्टेन्ट का अवशेष वेतन

*6--डाक्टर जितेन्द्रकुमार अग्रवाल (जिला सुल्तानपुर) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, कानपुर के अन्तर्गत कितने टेक्निकल असिस्टेन्ट लेबर विभाग ऐसे हैं जिन्हें अप्रैल, 1968 से समय-समय पर बढ़ा वेतन एवं महंगाई भत्ता अब तक नहीं दिया गया है ? इसका कारण क्या है तथा क्या सरकार उन्हें बढ़े वेतन एवं महंगाई भत्ते का अवशेष भुगतान करने एवं उनके वेतन क्रम सही रूप में निर्धारित कराने की शीघ्र व्यवस्था करेगी ?

श्री इस्तफा हुसैन--

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के लेदर अनुभाग का केवल एक ही टेक्निकल असिस्टेन्ट ऐसा है जिसको बढ़े हुये वेतन एवं भत्तों का भुगतान अभी तक नहीं हो सका है क्योंकि इस अवधि में उन्हें दक्षता रोक पार करने के आदेश जारी नहीं हो पाये थे। अब आदेश जारी कर दिये गये हैं और उनके बकाया देयों का भुगतान शीघ्र ही कर दिया जायेगा।

*7—श्री त्रिवेणी सहाय तथा श्री दशरथ सिंह—

[माननीय सदस्य द्वारा वापस लिया गया ।]

बरेली जिले की पूर्ति तथा रीजनल फूड कन्ट्रोलर कार्यालय में गबन

*8—श्री राम मूर्ति (जिला बरेली) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को पता है कि बरेली जिले की पूर्ति तथा आर० एफ० सी० कार्यालय में लाखों रुपये के अनाज वितरण का घुटाला अभी पिछले 1–2 मास के बीच में हुआ और बोगस बाऊचरों द्वारा कई लाख रुपये का चावल, गेहूं व अन्य खाद्यान्न सरकारी गोदामों से निकाल लिया गया ? क्या यह सही है कि 1969 में भी इसी तरह बोगस बाऊचरों द्वारा काफी अनाज बरेली के सरकारी गोदामों से निकाल लिया गया था और जिसकी जांच गुप्तचर विभाग को दी गई थी ? यदि हां, तो सरकार ने घोटाला करने वालों को अब तक क्या सजा दी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

माह नवम्बर, दिसम्बर, 1974 और जनवरी, 1975 में 8 जाली ट्रेजरी चालानों द्वारा 23,443.75 रुपये के मूल्य का 155 कुन्टल चावल बरेली के सरकारी गोदामों से सरकारी कोष में बगैर पैसा जमा किये हुये, निर्गत होने के मामले पकड़े गये हैं। मामले में विभागीय कार्यवाही की जा रही है, पुलिस में भी इसकी रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी है। यह भी सही है कि वर्ष 1969 में भी जाली ट्रेजरी चालानों पर गल्ला निर्गत हो गया था और मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा की जा रही है। एक व्यक्ति के विरुद्ध धारा 468/471/420 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय भेज जाने की सूचना शासन को मिली है, इस गबन से सम्बन्धित अन्य मामलों में जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जारी है ।

*9–10—श्री भगवती सिंह विशारद तथा श्री सन्त सिंह यूसुफ—

[7 वें गुरुवर में तारांकित प्रश्न संख्या 68–69 पर स्थानान्तरित ।]

*11—श्रीमोतीलाल देहलवी, श्री झामलाल अहिरवार तथा श्री सोहन लाल—

[9वें सोमवार के लिये स्थगित ।]

फतेहपुर पत्रकार संघ को एलाट की गई सस्ते गल्ले की दुकान

*12—श्री प्रेम दत्त (जिला फतेहपुर)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि फतेहपुर पत्रकार संघ को कोई शक्कर व गल्ले की सरकारी दुकान एलाट की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उनको शक्कर व गल्ला इधर पिछले कई महीनों से नहीं दिया जा रहा है ? इसका क्या कारण है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी हां, माह दिसम्बर, 1974 से इस दुकान को शक्कर व गल्ला नहीं दिया जा रहा है और उससे सम्बद्ध कार्डों को दो अन्य दुकानों से लगा दिया गया है। इस दुकान को गल्ला व शक्कर देना इसलिए बन्द करना पड़ा कि कथित संघ के पदाधिकारियों में मतभेद और आपसी झगड़ा चल रहा है ।

श्री प्रेम दत्त—

क्या माननीया खाद्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि पत्रकार संघ में कोई चुनाव हुआ और जिसमें आपके अधिकारी वहां पर गये और उस चुनाव के बाद वहां पर श्री बिजय शुक्ल अध्यक्ष निर्वाचित हुए ? यदि हां, तो क्या उनको माननीय मंत्री जी दुकान देने पर विचार करेंगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

अभी पूरी तरह जब तक यह निर्धारित न हो जाय कि वास्तविक कौन अधिकृत व्यक्ति है, तब तक कठिनाई है, इस पर निर्णय लेना ।

श्री प्रेम दत्त—

क्या माननीया खाद्य मंत्री जी बतायेंगी कि जो वहां पर चुनाव की कार्यवाही हुई है, उसको वह मंगा कर शीघ्र निर्णय लेने की कृपा करेंगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मान्यवर, पत्रकारों को इसमें, दुकान के संबंध में पड़ना ही नहीं चाहिये ।

बभनौली, जिला देवरिया में गन्ना बीज सम्बर्धन प्रक्षेत्र के लिये आवंटित भूमि

*13—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री हरिकेवल (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री को इस बात की जानकारी है कि बभनौली, जिला देवरिया में गन्ना रिसर्च सेन्टर बनाने के लिए हजारों खेतिहर मजदूर उजाड़े जा रहे हैं ? जिसके विरोध में लोग सत्याग्रह भी चला रहे हैं ? यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री तुरन्त हस्तक्षेप कर समस्या का समाधान निकालने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

यह सही नहीं है कि बभनौली, जिला देवरिया में गन्ना रिसर्च सेन्टर बनाने के लिये हजारों मजदूर उजाड़े जा रहे है। वरन वस्तु स्थिति यह है कि ग्राम टड़वा जिला देवरिया में सेवरही शुगर फैक्ट्री की सीलिंग से प्राप्त जमीन में से 287.81 एकड़ भूमि गन्ना बीज संबर्धन प्रक्षेत्र के लिये आवंटित की गई है। चूंकि उक्त भूमि 30-4-74 को 82 पट्टेदारों को केवल एक वर्ष के लिये अस्थाई रूप में दी जा चुकी थी, अतः उक्त अस्थाई पट्टे की अवधि समाप्त होने पर ही अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बनाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि यह जो भूमि जिसका पट्टा दिया गया है, उसपर इन खेतिहरों का कब्जा हो गया था और जबरदस्ती उनको वहां से निकाला जा रहा है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां, जिनका अवैधानिक कब्जा है, उनको हटाया जा रहा है ।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह भी सही है कि टड़वा की जो जमीन है, वह सीलिंग से निकली है, और इस जमीन को हरिजनों को दिया गया था और उसको अभी हाल ही में परगना-अधिकारी, जिला गन्ना अधिकारी और पी० ए० सी० ने वहां पर ट्रैक्टर से खड़ी फसल को उलटवा दिया है और उन हरिजनों को मारा पीटा गया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जहां तक मेरी जानकारी है कोई बल प्रयोग नहीं किया गया ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उन हरिजनों को बसाने की भी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 13 श्री गोविन्द सिंह नेगी द्वारा पूछा गया ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी हां। जिलाधिकारी से कहा जा रहा है कि जहां ऊसर या बंजर भूमि हो वहां पर उन स्थायी पट्टे वालों को बसाया जाये। जिससे यह जमीन मिल सके।

श्री ऊदल--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस फार्म से यह जमीन निकली है, उसके मिल के मालिक की और भी जमीन क्या निकली है क्या इसकी जांच माननीय मंत्री जी करायेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मुझे ऐसी कोई सूचना नहीं है। माननीय सदस्य लिखकर दे देंगे तो अवश्य जांच करा ली जायेगी।

श्री ऊदल--

मैं लिखकर दे दूंगा।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पडरौना में विशुनपुर विकास खंड में और कोई जमीन उपलब्ध नहीं है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

शिवरही को इसलिये छांटा गया है क्यों कि यह बिहार से भी नजदीक पड़ता है। यहां पर रिसर्च सेन्टर खोलने से दोनों प्रदेशों को लाभ पहुंचेगा। इसलिये इसको छांटा गया है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या वहां पर अभी तक सत्याग्रह चल रहा है, यदि हां तो क्या कोई समझौता निकाला गया ह ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मेरी जानकारी से सत्याग्रह नहीं चल रहा लेकिन यह अवश्य है कि भूमि के सिलसिले में उन लोगों से परामर्श की गयी और की जायेगी।

श्री काशी नाथ मिश्र--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूंकि जो जमीन सीलिंग से निकली वह हरिजनों को दी गयी तो वहां पर हरिजनों को हटाकर रिसर्च सेन्टर खोलने का क्या औचित्य है ? और दूसरी जमीन जो उपलब्ध है, उस पर क्यों नहीं खोला जाता है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

और जगह पर जो जमीन उपलब्ध वह अलग-अलग टुकड़ों में है, प्रयास यह हो रहा उन पट्टे वालों को अलग-अलग बसा दिया जाये।

श्री ऊदल--

माननीय मंत्री जी गलत बयानी कर रहे हैं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

माननीय मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं।

देवरिया जिले की चीनी मिलों की रिकवरी में कथित गिरावट

*14—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि इस वर्ष चालू सीजन 1974–75 में देवरिया जनपद की 14 चीनी मिलों में रिकवरी के डाउन होने से चीनी उद्योग को दस करोड़ रुपयों की क्षति हुयी है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी नहीं ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

जो प्रश्न था वह यह था ' क्या गन्ना विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि इस वर्ष चालू सीजन 1974–75 में देवरिया जनपद की 14 चीनी मिलों में रिकवरी के डाउन होने से चीनी उद्योग को दस करोड़ रुपयों की क्षति हुई है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है । तो मैं पूछना चाहता हूं कि रिकवरी जितनी पिछले साल थी क्या उतनी ही हुई है या उससे कम या ज्यादा हुई है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, देवरिया में जो 14 चीनी मिलें हैं, इनमें से 8 मिलों में पर्ता पिछले वर्ष से अधिक है और 6 में कम है ।

	1974–75	1973–74
गौरी बाजार	9.47	9.33
कप्तानगंज	8.89	8.20
खड्डा	8.69	8.222
लक्ष्मीगंज	8.66	8.20
रामकोला (पंजाब)	9.41	9.08
रामकोला (खेतान)	8.93	8.70
सेबरहा	8.58	8.59
भटनी	9.61	9.42
जिनमें कम है उसमें	1974–75	1973–74
प्रताबपुर	8.74	9.14
बैतालपुर	8.63	9.00
देवरिया	9.06	9.23

श्री अध्यक्ष—

यह तो लम्बी सूची होगी कुल मिलाकर औसत बता दें ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

कुल मिला कर स्थिति 1974–75 में बृद्धि जो है वह 0.08 प्रतिशत है । 1974–75में 8.87 प्रतिशत और 1973–74 में 8.79 प्रतिशत ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

यह जो रिकवरी डाउन हुई उसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—

आपने पूछा था कि 14 चीनी मिलों में रिकवरी के डाउन होने से चीनी उद्योग को दस करोड़ की क्षति हुई है तो उसका उत्तर उन्होंने दिया 'जी नहीं ' ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

जिसमें डाउन हुई है उनमें कितनी क्षति हुई है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जिसमें रिकवरी कम हुई है उसका उल्लेख मैंने किया है कि 6 में डाऊन हुई है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

आपने दोनों का पढ़ा जिनका डाऊन हुआ उनमें कितनी क्षति हुई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मिलों में कम हुआ यह मैंने बताया।

सरदार कुलतार सिंह (जिला सहारनपुर)--

प्रतापपुर में डाउन है इसका क्या कारण है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

इसके भिन्न-भिन्न कारण हैं, एक तो गन्ने के रेक्ट्यून का अधिक होना, कहीं वाटर लागिंग होना, तो अलग-अलग स्थितियां होती हैं।

गोरखपुर जिले में मुन्डन संस्कार, तिलक और शादी के लिए दिये गये चीनी के परमिट

*15--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)--

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि जनपद गोरखपुर में जनवरी व फरवरी, 1975 में मुंडन, तिलक और शादी के लिये दिये गये चीनी के परमिट्स के सम्बन्ध में क्या सरकार को इस प्रकार की शिकायत प्राप्त हुयी है कि बिना किसी उत्सव के यह चीनी अलग-अलग नामों पर परमिट बना कर काले बाजार में बेच दी गयी है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

जनपद गोरखपुर में प्रश्नगत अवधि में केवल विवाह के अवसरों पर जांच करने के पश्चात् चीनी के विशेष परमिट दिये गये। तिलक एवं मूंडन के अवसरों पर चीनी के विशेष परमिट नहीं दिए गए। इस सम्बन्ध में कोई शिकायत शासन को प्राप्त नहीं हुई।

कानपुर जिले के सरदार दीदार सिंह को दिए गए ऋण का वसूल न होना

*16--चौधरी रामपाल सिंह यादव (अनुपस्थित)--

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले के झींझक कस्बे के सरदार दीदार सिंह जिसने 1958 में कर्ज लिया था 10 वर्ष तक उससे वसूल नहीं किया गया और अब उक्त दीदार सिंह वहां से भाग गया और उस पर बाकी रकम जमानतदारों ने मय सामान्य व्याज के जमा कर दी है और दन्डात्मक व्याज माफ करने का प्रार्थना-पत्र, अगस्त, 1974 में दिया है ? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्री दीदार सिंह ने केवल एक किस्त दिनांक 16-12-75 को जमा की थी। दिनांक 27-7-61 तक उन्हें चार नोटिस दी गई थी।

दिनांक 25-9-67 को जब ऋणी के विरुद्ध वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया तब ऋणी कानपुर से भाग गया। ऋणी की चल सम्पत्ति कुर्क व नीलाम करके 110 रु0

वसूल किया गया था परन्तु उसे हवालात में बंद करने पर भी कोई अतिरिक्त वसूली नहीं हो सकी और दिनांक 14-9-71 को न्यायालय ने उन्हें दिवालिया घोषित कर दिया। इसी कारण अब जामिनों से वसूली की जा रही है। जामिनों ने कुल बकाया रु0 12,255.34 पै0 के विरुद्ध केवल 1,500 रु0 जमा किया है।

ऋण को दोनों जामिनों श्री सोने लाल तथा श्री घसीटे ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 18-7-74 में दण्ड ब्याज माफ करने की प्रार्थना की है। इस पर नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा।

*17--डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल--

[9वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 64 पर स्थानान्तरित।]

*18--श्री सत्यवीर सिंह--

[9वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 37 पर स्थानान्तरित।]

बाराबंकी जिले के ग्राम महमूदाबाद के निवासियों को चीनी न मिलने के सम्बन्ध में शिकायत

*19--श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)--

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि दिनांक 4 मार्च, 1975 को जिलाधीश, बाराबंकी को ग्राम महमूदाबाद, विकास खंड दरियाबाद, जिला बाराबंकी के निवासियों द्वारा हस्ताक्षरित कोई शिकायती-पत्र दिया गया है? जिसमें बताया गया है कि उक्त गांव के लोगों को एक वर्ष से मिट्टी का तेल, शक्कर व मोटा कपड़ा नहीं दिया गया है? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

जी हां, परंतु प्रश्नगत शिकायती-पत्र में मिट्टी के तेल व मोटे कपड़े का कोई उल्लेख नहीं है। ग्राम महमूदाबाद के मूल कोटेदार की दुकान निलम्बित हो जाने के कारण तथा गाजीपुर न्याय पंचायत के दुकानदार की दुकान निलम्बित हो जाने के फलस्वरूप चीनी का वितरण न हो सका। माह जनवरी व फरवरी, 75 का कोटा न्याय पंचायत मियांगंज की दुकान से सम्बद्ध किया गया। इनके विरुद्ध भी शिकायतें चल रही हैं। इस विक्रेता ने होली पर दोनों पंचायतों की चीनी एक साथ बांटने में असमर्थता प्रकट की। वैकल्पिक व्यवस्था न करने के कारण संबंधित कर्मचारियों से लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ग्राम महमूदाबाद से सम्बन्धित जो अदालत पंचायत है, उसका कोटा कब निलम्बित किया गया और तब से क्या अबतक सप्लाई आफिस से उसे चीनी सप्लाई ही नहीं हुई या उसने उठाई? यदि उठाई, तो वह कहां गई?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

मई और जून में ग्रामीण क्षेत्र में जो चीनी का कोटा था, वह शादी-व्याह और गेंहू खरीद योजना के लिये सुरक्षित रखा गया था और जब ये दुकान निलम्बित की गई, जो अप्रैल, 1974 के बाद निलम्बित हुई थीं, जिनपर अनियमितता के कारण डी0आई0आर0 के अन्तर्गत अभियोग दर्ज किया गया था, चीनी का कोटा रोक दिया गया था। मई में उक्त दुकान के विरुद्ध मिट्टी के तेल की अनियमितता के कारण डी0 आई0 आर0 के अन्तर्गत मामला दर्ज कराया गया, चीनी का कोटा भी रोका गया। मामला पुलिस के विवेचन में है।

श्री ऊदल--

क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी कि जब दुकानें निलम्बित हो जाती हैं, तो उन्हें दुकानों से सम्बद्ध लोगों को राशन का सामान नहीं मिलता है और जब दुकाने निलम्बित

की जाती हैं, तो उन दुकानों के अन्तर्गत रहने वाले लोगों को राशन न मिलने से उन्हें बड़ी परेशानी होती है, अतः उनको किसी बगल की दुकान से लगा दिया जाया करे ? क्या ऐसे आदेश आप सभी जिलाधीशों को देने की कृपा करेंगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

यह आदेश हैं, जब यह दुकान निलम्बित की गई, तो अगस्त में इस दुकान के नजदीक न्याय पंचायत, गाजीपुर के फुटकर विक्रेता के साथ उन्हें सम्बद्ध किया गया। किन्तु इसके खिलाफ भी शिकायत आई और सितम्बर में जब यह भी निलम्बित हो गई तो उसके कोई विकल्प की व्यवस्था नहीं हो पाई। इस लिये दिसम्बर महीने में चीनी नहीं वितरित हो सकी है। जनवरी, फरवरी में उसको फिर से कोटा न्याय पंचायत, मियांगंज की दुकान से सम्बद्ध किया गया किन्तु उसके खिलाफ भी शिकायतें चल रही थीं। इस तरह से बार-बार शिकायतें चलने के कारण न्याय पंचायत में लोगों ने कोटा उठाने में असमर्थता प्रकट की। इसीलिये ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकी है। यों हमारे आदेश हैं। ऐसी व्यवस्था जो नहीं हो पाई है, उसके लिये स्पष्टीकरण भी मांगा गया है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

एक साल से इस न्याय पंचायत के लोगों को शक्कर नहीं मिल रही है और मंत्री जी कहती हैं कि तीन महीने में जांच की कार्यवाही करने के आदेश दे दिए हैं और जो वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी, उन लोगों ने भी इस अदालत क्षेत्र में शक्कर नहीं बांटी, तो क्या ये दुकानें निलम्बित हुई पड़ी रहेंगी या कभी निरस्त भी होंगी।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

उनके ऊपर जल्दी कार्यवाही समाप्त करके ठीक व्यवस्था करनी चाहिये। मैं समझती हूं कि इसमें काफी देर की गई है जिला स्तर पर कार्यवाही शीघ्र कर देनी चाहिये। निलम्बित होने के साथ यदि कैंसिल होने का मामला बनता हो तो कैंसिल कर देना चाहिये। माननीय सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की है उसकी मैं व्यवस्था करूंगी।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, इस दुकान को गाजीपुर न्याय पंचायत से अटैच किया गया था। क्या यही एक दुकान है या और भी दुकानों को निरस्त कर दिया गया है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

यह तो महमूदाबाद ग्राम पंचायत की बात पूछी थी। किस तरह से दूसरी दुकानों के साथ सम्बद्ध किया गया। फिर मैंने कहा कि दूसरी शिकायत थी तो उसको निलम्बित किया गया और फिर तीसरी शिकायत आई।

शाहजहांपुर के जिलाधीश द्वारा जमीन के बैनामे पर शरह स्टाम्प के सम्बन्ध में जारी किये गये तथाकथित आदेश

*20--श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या शाहजहांपुर के जिलाधीश ने दिनांक 21 जनवरी, 1975 को कोई ऐसा आदेश दिया है जिससे तिलहर तहसील में शरह स्टैम्प बैनामा पर वर्ष 1974 के मुकाबले पर दुगनी और कहीं-कहीं किसी जमीन पर तिगुनी कर दी गयी है ? यदि हां, तो जिलाधीश का यह आदेश किस आधार पर दिया गया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी नहीं। शाहजहांपुर के जिलाधीश ने जनवरी 21, 1975 को कोई ऐसा आदेश नहीं दिया है, जिसके द्वारा तहसील तिलहर की जमीनों के बैनामों पर शरह स्टाम्प, वर्ष 1974 की अपेक्षा, दुगना अथवा तिगुना कर दिया गया है। ऐसी दशा में दूसरा प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

वाराणसी जिले की ज्ञानपुर तहसील के अन्तर्गत न्याय पंचायत स्तर पर हरिजनों को आवंटित सस्ते गल्ले की दुकानें

*21--श्री गिरिजा शंकर पाठक (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)--

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी की तहसील ज्ञानपुर में कौन-कौनसी राजकीय सस्ते गल्ले की दुकानें न्याय पंचायत स्तर पर किसी कारण से हाल में रिक्त थीं इन्हें किन-किन व्यक्तियों को एलाट किया गया तथा इनमें हरिजनों को कितनी दुकानें दी गयीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

जनपद वाराणसी की ज्ञानपुर तहसील में न्याय पंचायत स्तर पर 19 दुकानें रिक्त थीं। इनमें से अब तक तीन दुकाने सर्वश्री छटंकी राम, मोहन लाल तथा संत लाल को आवंटित की गई हैं। इनमें से श्री छटंकी राम हरिजन हैं।

*22--श्री सत्य प्रकाश--

[25-3-75 को वक्तव्य हो जाने के कारण निरस्त।]

बिक्रीकर लागू होने की न्यूनतम बिक्री-कर सीमा में वृद्धि की मांगें

*23--श्री इन्द्र पाल सिंह (जिला अलीगढ़)--

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार बिक्री-कर लागू करने के लिये न्यूनतम बिक्री की सीमा 12 हजार रुपया प्रति वर्ष से बढ़ कर 50 हजार रुपया प्रतिवर्ष करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो नई व्यवस्था कब से लागू होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

(क) जी नहीं। व्यपारी की कर देयता के प्रसंग में कर योग्य विक्रय धन की न्यूनतम सीमा को बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करके शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि कर योग्य विक्रय धन की वर्तमान सीमा 12 हजार रुपया को बढ़ाकर 25 हजार रुपया निर्धारित करदी जाय। इस निर्णय से सदन को बजट भाषण तथा तृतीय सोमवार दिनांक 24 मार्च, 1975 को सर्वश्री त्रिवेणी सहाय, दशरथ सिंह तथा भगवती सिंह विशारद द्वारा पूछे गए प्रश्न संख्या 5 के उत्तर में अवगत कराया जा चुका है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राजस्व की दृष्टि से कर योग्य बिक्रय-धन की न्यूनतम सीमा 50 हजार रुपया प्रति वर्ष करना उपयुक्त नहीं।

श्री इन्द्रपाल सिंह--

मान्यवर, 25 हजार की जो मियाद निर्धारित की गई है तो 70 रुपये रोज की बिक्री आती है और पानवाले, चाय वाले तथा फल, सब्जी वाले 100/200 रुपये रोज की बिक्री कर लेते हैं। अगर वे टैक्स नहीं दें तो चोरी कहलायेगी। पंजाब और हरियाणा सरकार ने इस लिमिट को 50 हजार कर दिया है, तो क्या मंत्री जी अपने यहां भी 25 हजार से इस लिमिट को बढ़ाकर 50 हजार करेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, माननीय सदस्य देखेंगे कि इसमें जो प्रश्न है 12 हजार, 25 हजार का तो वह तभी सार्थक होता है जब बहुसूत्री कार्य प्रणाली होती है। हमने बजट भाषण में कहा है कि हमारे यहां बहुसूत्री कर प्रणाली नहीं रहेगी। केवल एक सूत्री कर प्रणाली रहेगी तो इसका प्रभाव पड़ेगा। इस लिमिट से ऐसा ही व्यापार होगा जो कच्चे माल के सम्बन्ध में रिआयती दर की सुविधा प्राप्त किये बिना माल खरीदते हों या उपभोक्ता स्तर पर व्यापार करते हों। इसलिये बिलकुल नगण्य व्यापारियों की संख्या होती है। इसलिये एक सूत्री कर प्रणाली की वजह से जो प्रश्न उठाया है, वह सार्थक नहीं रह जाता है।

श्री इन्द्रपाल सिंह--

मान्यवर, सिंगल प्वाइन्ट टैक्स तो उन व्यापारियों पर होता है जो बड़े 2 दूकानदार हैं। लेकिन आप विचार करें कि पानवाले, चायवाले तथा सब्जीवाले इसी में आते हैं। उनकी दो जगह नहीं होती रही हैं। इसलिये जिनकी मिसाल दी है चने, मोमफली वालों की मैंने मिसाल दी है। इसलिए क्या मेरे इस निवेदन पर आप फिर से विचार करेंगे? ऐसे छोटे-छोटे दुकानदार जो अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं, तो क्या इस पर आप पुनर्विचार करेंगे?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

अगर यहां पर बहुसूत्री प्रणाली लागू होती तब यह बात उठती। जो आप खोन्चे वालों और छोटे-छोटे दूकानदारों का जिक्र कर रहे हैं, उन पर तो लास्ट प्वाइन्ट सेल पर टैक्स का प्रश्न ही नहीं उठता है।

अतारांकित प्रश्न

डबल रोटी व बिस्कुट के मूल्य के निर्धारण की मांग

1--श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बेकरी उद्योग को मैदा सरकार द्वारा सस्ती दर पर प्रदान किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार इससे बनने वाली डबल रोटी व बिस्कुट के मूल्यों का भी निर्धारण करने पर विचार कर ही है? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में सरकार डबल रोटी पर मूल्य लिखने व वजन लिखने के आदेश देगी?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

सरकार द्वारा बेकरी उद्योग को मैदा नियंत्रित दर पर उपलब्धता के आधार पर दिया जा रहा है। शासन द्वारा इस मैदे से बनने वाली डबलरोटी व बिस्कुट के मूल्यों को निर्धारित करना अव्यवहारिक पाया गया। अतः डबलरोटी पर वजन व मूल्य लिखने के बारे में आदेश देने का प्रश्न नहीं उठता है।

2--श्री सत्य प्रकाश तथा श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

[25-3-75 को वक्तव्य हो जाने के कारण निरस्त।]

पीलीभीत और नैनीताल जिलों के निबन्धन विभाग के कर्मचारियों की नियुक्तियों के सम्बन्ध में वित्त मन्त्री का आदेश

3--श्री मोहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 13 जनवरी, 1975 को वित्त मंत्री जी द्वारा कोई आदेश जनपद पीलीभीत के (निबंधन विभाग) किसी कर्मचारी की सेवायें समाप्

न करने तथा किसी अन्य अभ्यर्थी को नैनीताल से पीलीभीत जनपद में न भेजने के सम्बन्ध में हुआ था। यदि हां, तो उपरोक्त आदेश पीलीभीत जनपद के निबन्धन विभाग में किस तिथि में पहुंचा ? उपरोक्त विषय में क्या वर्तमान आबकारी मंत्री तथा विधायक श्री मुहम्मद असरार अहमद द्वारा दिनांक 8 जनवरी, 1975 तथा 13 जनवरी, 1975; 5 फरवरी, 1975 को पत्र वित्त मंत्री को लिखे गये थे ? उस पर सरकार ने अब तक क्या निर्णय लिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जी हां। परन्तु सम्पूर्ण स्थिति का परीक्षण करने पर यह निर्णय हुआ कि उक्त आदेशों का कार्यान्वयन नियमानुकूल नहीं होगा।

शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि नैनीताल से आने वाले कर्मचारी की नियुक्ति के पूर्वादेशों को संशोधित न किया जाय तथा पीलीभीत में कार्यरत कर्मचारी को नव-सृजित पद पर नियुक्त किया जाय।

वर्तमान आबकारी मंत्री का 8-1-1975 का एक पत्र तथा विधायक श्री असरार अहमद के 13-1-1975 व 4-2-1975 के दो पत्र इस सम्बन्ध में प्राप्त हुये थे। विचारोपरान्त इन पत्रों में निहित प्रस्ताव स्वीकार करना संभव न हो सका। वित्त मंत्री द्वारा श्री मुहम्मद असरार अहमद को 25-2-1975 को पत्रोत्तर भी दे दिया गया था, जिसमें उन्हें शासन के निर्णय से अवगत करा दिया गया था।

4--श्री रघुनाथ--

[9वें सोमवार के लिये स्थगित।]

बबीना कन्टूनमेंट, जिला झांसी में गेहूं तथा चावल के वितरण की मांग

5--श्री भगवत दयाल (जिला झांसी)--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि बबीना कैन्टूनमेंट, जिला झांसी, जो कि राशनिंग एरिया घोषित है, में नागरिकों को गेंहू तथा चावल क्यों नहीं दिया जा रहा है ? क्या इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा आवश्यक आदेश अविलम्ब दिये जाने की कृपा की जायेगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

बबीना कन्टूनमेन्ट, जिला झांसी राशनिंग क्षेत्र घोषित नहीं है। इस समय झांसी नगर में ही सरकारी खाद्यान्नों की वितरण व्यवस्था है।

गन्ना विकास समिति घुघली, गोरखपुर के संचालक मन्डल का चुनाव

6--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री हरिकेवल, श्री रणधीर सिंह (जिला कानपुर) तथा श्री जमुना प्रसाद बोस--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना विकास समिति, घुघली, जनपद गोरखपुर के संचालक मन्डल का चुनाव क्षेत्र परिसीमन केआधार पर ही नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्षेत्र का परिसीमन हुये कई महीने बीत जाने पर भी चुनाव कराने की कोई घोषणा न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

प्रश्नगत समिति के क्षेत्र का परिसीमन कार्य सम्पन्न होने की सूचना दिनांक 4-4-75 को जारी कर दी गयी है तथा प्रबन्ध कमेटी के गठन हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

जिला नियोजन अधिकारी, इटावा द्वारा घरेलू उद्योग धंधों सहकारी समिति के विरुद्ध जांच

7---श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)---

विधान सभा के वर्ष 1975 के प्रथम सत्र के पहले सोमवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या लघु उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि समिति के विरुद्ध जिला नियोजन अधिकारी, इटावा द्वारा जो जांच की जा रही है कब तक पूरी हो जायेगी ? और क्या वह सरकार उस जांच रपट की एक प्रति सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री इस्तफा हुसैन---

जिला नियोजन अधिकारी इटावा ने सूचित किया है कि जांच इस माह के अंत तक पूर्ण हो जायेगी। अतः जांच रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रखने का अभी प्रश्न नहीं उठता।

फैजाबाद डिवीजन में चावल की लेवी की वसूली का लक्ष्य

8---श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा), श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा), श्री राम पाल सिंह (जिला मुरादाबाद), श्री रामपति (जिला गोंडा) तथा श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी (जिला गोंडा)---

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि फैजाबाद डिवीजन में चावल की लेवी के सम्बन्धमें राज्य सरकार ने 1 लाख 49 हजार क्विन्टल वसूल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है ? यदि हां, तो अब तक डिवीजन के अन्तर्गत जिलों में जिलेवार कितना चावल एकत्रित किया गया। गत वर्ष इन जिलों में कितना चावल वसूल किया गया था ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

जी हां।

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 494 पर।)

भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा अन्तरिक्ष में सरल प्रक्षेपण पर बधाई का प्रस्ताव

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन भारतीय वैज्ञानिकों को अन्तरिक्ष में "आर्य भट्ट" नामक उपग्रह के सफल प्रयत्न पर हार्दिक बधाई देता है। अध्यक्ष महोदय, इस काम को हमारे देश के वैज्ञानिकों ने एक लम्बे अर्से से, 1961 से शुरू किया था उसका एक हिस्सा पूरा हुआ है। अभी और काम बाकी है। उसके सिलसिले में भी कार्य हो रहा है। हमें आशा है कि हमारे वैज्ञानिकों को और भी सफलता मिलेगी जल्दी से और उसका समाचार मालूम होगा। हमें प्रसन्नता है कि हमारे मित्र राष्ट्र रूस के सहयोग से यह परीक्षण कुशलता पूर्वक सम्पन्न हो सका है। एक बार फिर मैं उन वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)---

अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता सदन ने जो प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं लेकिन केवल 2 बातें कहना चाहता हूं। एक तो यह कि बधाई कब्लजुल वक्त है। हमारे इस उपग्रह को छोड़ने के लिए राकेट की तैयारी भी जबरदस्त करनी पड़ती है और जब तक वह तैयारी न हो जाय कोई उपग्रह वगैरह का छोड़ना बहुत बड़ा अर्थ नहीं रखता है। इसलिए जब तक हमारे साइंटिस्ट रौकेट के सिटस्म को भी खुद न निकाल लें तब तक मैं समझता

[चौधरी चरण सिंह]

हूं कि गर्व का मौका नहीं है। दूसरे मुझे यह अन्देशा है कि हमारी डिपन्डेन्स बहुत ज्यादा यू० एस० एस० आर० के ऊपर होती जाती है। इतनें बड़े काम को हम रूस के बिना नहीं कर पाये। मुझे डर है कि कहीं हमारी डिपन्डेन्स और न बढ़ जाय ? हालांकि यह कल्लअज वक्त है फिर भी मैं नेता सदन के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

माननीय नेता सदन ने अपने यहां के वैज्ञानिकों के प्रति, उनकी उपलब्धियों के प्रति, अपनी जो प्रसन्नता व्यक्त की है, उसमें से अपने को सम्बद्ध करता हूं। हां, सारा कुछ पढ़ने के बाद मुझे भी ऐसा लगता है कि अच्छा हो कि हमारा देश इस काम में आत्म निर्भर बने। आज के इस वैज्ञानिक दौर में अगर हमारे वैज्ञानिक ऐसी चीजों की खोज करें जिसमें हमें दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े, अपने ही बल पर खड़े हों, तो ज्यादा अच्छा हो। फिर भी परमात्मा से प्रार्थना है कि वे इस कार्य में भी सफल हों।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, माननीय नेता सदन ने जो प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ माननीय चौधरी चरण सिंह साहब की बात सुनकर कि वैज्ञानिक सहयोग को भी वे शंका की दृष्टि से देखते हैं। वैज्ञानिक युग में बिना एक दूसरे के सहयोग के यह दुनिया चलने वाली नहीं है। किसी के भी सहयोग के बिना नहीं चल सकती है। इस लिये मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ यह सुनकर जब चौधरी चरण सिंह साहब ने यह कहा कि हमारी निर्भरता अधिकाधिक इस पर होती जा रही है। आज के युग में, ऐसे भी लोग हैं जो वैज्ञानिक सहयोग को भी पसन्द नहीं करते हैं।

हमारे वैज्ञानिकों को जो उपलब्धियां हुई हैं, जैसा कि माननीय नेता सदन ने कहा है, मैं भी उसका स्वागत करता हूं और वैज्ञानिकों को अपने दल और अपनी ओर से बधाई देता हूं।

श्री नियाज हसन खां (जिला प्रतापगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय नेता सदन लाये हैं, मैं उसका स्वागत करता हूं। हमारे साइंटिस्ट्स की जो कामयाबी है वह काबिले मुबारकबाद है और हम उम्मेद करते हैं कि एक दिन वह आयेगा कि जब हम अपने पैरों के ऊपर पूरे बल से खड़े हो कर इस पर कामयाबी हासिल करेंगे।

चौधरी चरण सिंह—

चूंकि मेरा जिक्र कर दिया गया, इसलिये मुझे कुछ कहना जरूरी हो गया।....

श्री अध्यक्ष—

अब जरूरी नहीं है।

माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य दलों के नेताओं ने जो प्रसन्नता व्यक्त की है और अन्तर्राष्ट्रीय जगत में परम विजय की सोपान प्रस्तुत हुई है हमारे राष्ट्रीय भविष्य में, यह बहुत शुभ है और हम सब प्रसन्न हैं। जो प्रस्ताव आपके समक्ष है, मैं समझता हूं कि सर्व सम्मति से आप सब अपनी प्रसन्नता का प्रकटीकरण करेंगे।

(कोई आपत्ति नहीं की गयी।)

सीमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन 1973-74†

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश सीमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन 1973–74 तथा लेखा विवरण को, लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन सहित, कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 609–ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश लोक धन (देयों की वसूली) संशोधन विधेयक, 1975 में किया गया आनुषांगिक संशोधन

अनुसचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, में आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश लोक धन (देयों की वसूली) (संशोधन) विधेयक, 1975 में किए गये आनुषांगिक संशोधन का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 495 पर)

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिकि धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) विधेयक, 1974

अनुसचिव, विधान सभा—

आपकी आज्ञा से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) विधेयक, 1974 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 30 दिसम्बर, 1974 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 27 फरवरी, 1975 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति 25 मार्च, 1975 को प्राप्त हो गई है और वह सन् 1975 का उत्तर प्रदेश का 11 वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश भूमिहीन कृषि- श्रमिक ऋण अनुतोष विधेयक, 1974

अनुसचिव, विधान सभा—

आपकी आज्ञा से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमिहीन कृषि श्रमिक ऋण अनुतोष विधेयक, 1974 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 30 दिसम्बर, 1974 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 27 फरवरी, 1975 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 26 मार्च, 1975 को प्राप्त हो गई है और वह सन् 1975 का उत्तर प्रदेश का 12 वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1975

अनु सचिव, विधान सभा—

आपकी आज्ञा से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1975 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 18 मार्च, 1975 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 21 मार्च, 1975 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 29 मार्च, 1975 को प्राप्त हो गई है और वह सन् 1975 का उत्तर प्रदेश का 13 वां अधिनियम बन गया।

---

†छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1975

अनु सचिव, विधान सभा—

आपकी आज्ञा से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1975 पर,जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 18 मार्च, 1975 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 25 मार्च, 1975 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 31 मार्च, 1975 को प्राप्त हो गई है और वह सन् 1975 का उत्तर प्रदेश का 14 वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) (संशोधन) विधेयक, 1975

अनुसचिव, विधान सभा—

आपकी आज्ञा से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) (संशोधन) विधेयक, 1975 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 24 मार्च, 1975 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 25 मार्च, 1975 के उपवेशन में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 31 मार्च, 1975 को प्राप्त हो गई है और वह सन् 1975 का उत्तर प्रदेश का 15 वां अधिनियम बन गया।

भारतीय विद्युत् (उत्तर प्रदेश संशोधन तथा वधीकरण) विधेयक, 1975

अनुसचिव, विधान सभा—

आपकी आज्ञा से मैं घोषणा करता हूं कि भारतीय विद्युत् (उत्तर प्रदेश संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, 1975 पर,जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 27 फरवरी, 1975 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 12 मार्च, 1975 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 31 मार्च, 1975 को प्राप्त हो गई है और वह सन् 1975 का उत्तर प्रदेश का 16वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश लोक धन (देयों की वसूली) (संशोधन) विधेयक, 1975

अनुसचिव, विधान सभा—

आपकी आज्ञा से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक धन (देयों की वसूली) (संशोधन) विधेयक, 1975 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 12 मार्च, 1975 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 18 मार्च, 1975 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 31 मार्च, 1975 को प्राप्त हो गई है और वह सन् 1975 का उत्तर प्रदेश का 17 वां अधिनियम बन गया।

आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1975

अनुसचिव,विधान सभा—

आपकी आज्ञा से मैं घोषणा करता हूं कि आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1975 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 28 फरवरी, 1975 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 14 मार्च, 1975 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 31मार्च, 1975 को प्राप्त हो गई है और वह सन् 1975 का उत्तर प्रदेश का 18 वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) विधेयक, 1974

अनुसचिव, विधान सभा—

आपकी आज्ञा से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) विधेयक, 1974 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 7 अगस्त, 1974 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक 22 मार्च, 1975 के उपवेशन में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 31 मार्च, 1975 को प्राप्त हो गई है और वह सन् 1975 का उत्तर प्रदेश का 19वां अधिनियम बन गया।

मुख्य मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय श्री मधुकर दिघे तथा माननीय श्री सत्य प्रकाश मालवीय ने सूचना दी है कि 19 अप्रैल के "जनमोर्चा" समाचार-पत्र में यह प्रकाशित हुआ है कि माननीय मुख्य मंत्री ने श्री बरुआ से कहा कि, "विधायक चोरों को जमानत पर छुड़ाने, डकैतों को पैरोल पर छुड़ाने के लिये अनुचित दबाव डालते हैं। हरदम कोटा परमिट मांगते रहते हैं। जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक वगैरह का स्थानान्तरण अपने आप घोषित कर देतेहैं और फिर कहते हैं कि अब मेरी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। जिस विधायक का काम नहीं हुआ, असंतुष्ट हो जाता है और विरोधी बन जाता है।"

"माननीय सूचना देने वाले सदस्यों का कहना है कि माननीय मुख्य मंत्री ने सदस्यों पर उक्त आरोप लगा कर सदन का अवमान किया है और विशेषाधिकार भंग किया है। जिन शब्दों पर माननीय सदस्यों द्वारा दी गयी सूचना में आपत्ति की गयी है, वे समाचार-पत्र में इन शब्दों के साथ प्रारम्भ किये गये हैं कि,. . . . . "यह भी पता चला है कि उन्होंने श्री बरुआ से कहा कि. . ." इससे यह स्पष्ट है कि समाचार देनेवाले भी समाचार की सत्यता पर निश्चित नहीं हैं। साथ ही, इसी प्रकार का एक प्रश्न जब 18 मार्च, 1959 को डा0 लोहिया के विरुद्ध अखबार में छपे उनके भाषण के सम्बन्ध में इस सदन में उठाया गया था, तो तत्कालीन अध्यक्ष ने यह निर्णय दिया था कि,. . . . . "यह अखबार में छपे हुये लोहिया जी के भाषण के सम्बन्ध में है। जिन्होंने उस प्रश्न को सुना होगा, उनका बयान भी अगर उनके साथ होगा तब मैं उसके ऊपर विचार करूंगा। मैं सिर्फ अखबार में छपी खबर के ऊपर कोई प्रश्न उठाने की आज्ञा देने के लिये तैयार नहीं हूं। . . . . . '

उक्त निर्णय तथा समाचार पत्र में शब्द "यह भी पता चला है कि" के प्रयोग से समाचार पत्र की सत्यता में सुनिश्चितता न होने के कारण मैं इस प्रश्न को उठाने की इजाजत नहीं देता हूं।

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

मान्यवर, सारी की सारी सूचना जो इस अखबार में छपी है, गलत है। मैंने इनके पास अपना प्रतिवाद भी भेजा है, पता नहीं वह उन्होंने छापा है या नहीं। मैं तो इस जनमोर्चा अखबार को पढ़ता भी नहीं। जो कुछ उसमें छपा है वह शत-प्रतिशत असत्य है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने कह दिया, मैं इसको उठाने की इजाजत नहीं देता हूं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

माननीय मुख्य मंत्री जी अगर ऐसा कहते हैं तो अपने ही सदस्यों केलिये तो कहते हैं, इसमें हमें एतराज क्या है।

श्री डी० पी० वरुण के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट हो जाने पर भी उनके सचिव के पद पर बने रहने के सम्बन्ध में नियम 300 के अतर्गत औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य, श्री काशीनाथ मिश्र ने श्री डी0पी0 वरुण, सचिव, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के विरुद्ध सदन के अवमान का प्रश्न विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट हो जान के कारण शासन के इतने बड़े ओहदे पर बने रहनेके सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न उठानेकी सूचना दी है। औचित्य का प्रश्न नियम 300 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के किसी नियम या भारत के संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के सम्बन्ध में उठाया जा सकता है। श्री वरुण का मामला सदन के अवमान के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द हो जाने से वे शासन के इतने बड़े अधिकारी बने रहें या न बने रहे इससे इस सदन की कार्यवाही से संबंधित नियमावली के नियमों या संविधान के उपबन्धों के निर्वचन का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। यह एक शासकीय विषय है, और इस पर शासन द्वारा ही निर्णय लिया जा सकता है। अतएव यह औचित्य का प्रश्न नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता और मैं इसे उठाने की इजाजत नहीं देता।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

आपने जो व्यवस्था दी वह ठीक है, मुझे तो केवल एक बात कहना है. . . . . (व्यवधान) यह सदन सर्वोपरि है। श्री वरुण का व्यक्तित्व इस सदन के व्यक्तित्व से बड़ा नहीं है। आपने स्वतः उसके मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजा है। ऐसी अवस्था में ऐसे अधिकारी को इस सरकारी पद से हटाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

मैंने निर्णय दे दिया है।

श्री दंगली प्रसाद वरुण के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट हो जाने के कारण उनको निलम्बित करने के सम्बन्ध में में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

अब एक और माननीय सदस्य, श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने नियम 301 के अन्तर्गत सूचना देकर यह प्रश्न सदन में उठाने की अनुज्ञा मांगी है कि श्री दंगली प्रसाद वरुण, सचिव, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग, जिनके विरुद्ध एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न माननीय अध्यक्ष ने विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया है, के आचरण से सरकार के लिये संकट की स्थिति पैदा होने तथा सरकार की प्रतिष्ठा की हानि होने के कारण, उनका तत्काल निलम्बन आवश्यक है। विशेषाधिकार का प्रश्न प्राग्दर्शन में स्वीकार होने का तात्पर्य यह नहीं है कि कोई व्यक्ति सिद्ध दोष है। साथ ही, यदि श्री वरुण के किसी आचरण से सरकार के लिये संकट की स्थिति पैदा हो गयी है या सरकार की प्रतिष्ठा की हानि हुई है तो यह सरकार के लिये कार्यवाही का विषय है। स्वयं माननीय सदस्य ने भी अपनी सूचना में यह कहा है कि "सामान्य स्थिति में यह मामला सरकार के विवेक पर छोड़ा जा सकता था"। अतएव, मेरी राय में नियम 301 के अन्तर्गत इस प्रश्न को उठाने की इजाजत देना उचित नहीं है और न नियमित ही होगा।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)---

आपने उनका एक मामला सदन के अवमान का विशेषाधिकार समिति को भेजा भी है। वरुण साहब ने पर्चा यहां लाबी में बैठकर बंटवाया। उनका तो तुरन्त निलम्बन कर दिया जाना चाहिये। चूंकि सदन के अवमान का प्रश्न है, इसलिये मैं चाहूंगा कि यहीं इस पर विचार होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---

विशेषाधिकार के ऐसे कई मामले कभी एस0 पी0 के खिलाफ कभी डी0 आई0 जी0 के खिलाफ आये, उन्होंने अपनी गवाहियां भी दीं, मगर ऐसी परम्परा नहीं है कि यहां विचार हो, ऐसे मामलों पर। सरकार उसको देखे।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव---

आप सरकार के पास भेज तो दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

उसकी प्रति तो भेजी जाती है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

ऐसे षड्यंत्रकारी को सरकार में रखने का क्या प्रयोजन है ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)---

सरकार में ऐसे वरुण और कुबेर भरे पड़े हैं।

(हंसी)

एस० डी०एम०, सदर तथा उप-पुलिस अधीक्षक, श्री सी० एन० पाण्डेय, जिला गोरखपुर के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष---

माननीय सदस्य श्री अब्दुल रऊफ लारी, श्री मुहम्मद असरार अहमद तथा श्री शारदा प्रसाद रावत ने दिनांक 17-4-75 को जिला गोरखपुर के एस0 डी0 एम0 सदर, श्री अब्दुल हुई अन्सारी व उप पुलिस अधीक्षक श्री सी0 एन0 पांडेय के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न इस आधार पर दिया था कि उनके द्वारा विधान सभा में भक्सा ग्राम के सम्बन्ध में प्रश्न तथा उस पर चर्चा के सन्दर्भ में उक्त दोनों व्यक्तियों ने यह कह कर कि "अब यह फसल विधान सभा में प्रश्न करने व विधायक द्वारा आकर कटवाने पर ही कटेगी"। सदन का अवमान किया है।

दिनांक 18 अप्रैल, 1975 को इस सम्बन्ध में मैंने यह कहा था कि माननीय सदस्यों ने कोई आधार या तथ्य नहीं दिये हैं। माननीय सदस्यों ने भी यह कहा था कि माननीय सदस्यों ने कोई आधार या तथ्य नहीं दिये हैं। माननीय सदस्यों से मैंने यह भी कहा था कि यदि वे इस सम्बन्ध में कोई आधार देंगे तो इस सम्बन्ध में मैं अपना निर्णय दूंगा।

दिनांक 19 अप्रैल, 1975 को उक्त सदस्यों ने अपनी विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना को दोहराते हुए उसके साथ 4 व्यक्तियों के नाम दिये हैं, उनके सामने उक्त शब्द कहे गये बताये गये हैं।

[श्री अध्यक्ष]

जिन शब्दों पर आपत्ति की गयी है, उनसे किसी सदस्य को धमकी देना या उसके कार्य में बाधा पहुंचाना इंगित नहीं होता है। दूसरे कोई शब्द नहीं कहे गये प्रतीत होते, जिनसे यह कहा जा सके कि सदन की गरिमा को ठेस पहुंची है। सदस्यों को विशेषाधिकार, कौल और शकधर की पुस्तक "संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार" के पृष्ठ 187 के अनुसार, इसलिये दिये जाते हैं कि वे "संसद में बिना किसी बाधा या रोक के अपने कर्त्तव्यों का पालन कर सकें।" "उक्त शब्दों से ऐसी कोई बाधा या रोक नहीं मानी जा सकती। इसके साथ ही, यह भी उल्लेखनीय है कि आज के युग में हाउस आफ कामन्स तथा लोक सभा में भी इस बात को स्वीकार किया गया है कि प्रत्येक मान हानिकारक बात के सम्बन्ध में, जो सभा के विशेषाधिकार भंग या अवमान की परिभाषा में आती भी हो, सभा द्वारा उस पर ध्यान देना या—कार्यवाही करना सभा की गरिमा के अनुकूल नहीं माना जाता। इसी आधार पर लोक सभा में तथा हाउस आफ कामन्स में उपर्युक्त शब्दों से भी अधिक कड़े एवं अपमानजनक शब्दों के प्रयोग के सम्बन्ध में भी विशेषाधिकार के प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी गयी है। ऐसे उदाहरणों का उल्लेख उक्त पुस्तक के पृष्ठ 247 पर दिया हुआ है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

हाउस आफ कामन्स के जो मेम्बर हैं और इंगलैंड की जो जनता है वह बहुत लिटरेट है और वह काफी आगे पहुंच चुकी है। आज यहां बहुगुणा सरकर नहीं है बल्कि नौकराशाही की सरकार है। अगर गांव में इस तरह की कोई बात हो और उसके लिये कुछ कहा जाय तो यह कहना कि सदन में सवाल के जरिये आप काम करालें, फिर हम क्या कर सकते हैं?

(व्यवधान)

इसी तरह से अगर हम आपसे यह कहें कि आप यहां बैठ कर हमको डाटेंगे तो हम आपको डांटने नहीं देंगे, तो आपका अवमान होगा कि नहीं। तो सदस्यों के लिये एक तरह से इस तरह की बात कही गयी और हजारों रुपये की सम्पत्ति उन्होंने रोक रखी है, बरबाद कर दिया है और फिर भी कहते हैं कि सदन में सवालों के जरिये आप अपना काम करा लें। इस पर भी आप कहते हैं कि यह सदस्यों का अवमान नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

यह मैंने कहां कहा। अभी तो मैंने इस पर निर्णय दिया नहीं है। केवल तथ्य आपके सामने रखा है और सब बतला दिया है। एक सूरत तो यह है कि इसको मैं भेज दूं मुख्य मंत्री जी के पास उचित कार्यवाही के लिये या इस पर वे स्पष्टीकरण मांग लें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मैं सब के लिये तो नहीं कहता लेकिन ऐसे आफिसर जरूर हैं कि जब कोई प्रश्न उनके सम्बन्ध में आता है तो इस पर वे नाराज हो जाते हैं और एक बदले की भावना उनके अन्दर रहती है। ठीक से वे बात नहीं करते, ठीक से सुनते नहीं। अगर कोई दूसरी समस्या उनके पास भेजी जाय जिसका समाधान वे कर सकते हैं उसे नहीं करते, इसलिये कि उनके खिलाफ कोई प्रश्न कर दिया गया। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस पर आप ध्यान दें। सब नहीं हैं लेकिन कुछ ऐसे आफिसर्स हैं जो नाराज हो जाते हैं और बदले की भावना में बैठे रहते हैं।

श्री अध्यक्ष—

ऐसा है कि इसको मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेज दूंगा इस अपेक्षा के साथ कि इस सम्बन्ध में स्थिति की जानकारी करके सदन को अवगत करा देंगे।

सुजाता काण्ड की जांच सी० बी० आई० द्वारा कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष---

माननीय नेता विरोधी दल, चौधरी चरण सिंह, माननीय नेता जनसंघ दल, श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी तथा माननीय सदस्य श्री राम मूर्ति ने नियम 301 के अधीन सुजाता काण्ड के विषय में यह सुझाव सदन की जानकारी में लाने की सूचना दी ।

तो इसमें ऐसा है कि एक तो बयान कल सुजाता काण्ड पर आने वाला है । तो अगर आप अब इसको उठायें तो यहां मुख्य मंत्री जी हैं, हो सकता है कि कोई रास्ता निकल जाय, शायद । नहीं तो मुझे निर्णय करना पड़ेगा ।

(नेता विरोधी दल के बोलने के लिये खड़े होने पर ।)

बहुत कुछ आप कह चुके हैं ।

*चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)---

अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत थोड़ा कहूंगा ।

अध्यक्ष महोदय, एक सुजाता कांड के नाम से, एक काण्ड जाना आता है । मुझको दुख है कि इसमें एक लड़की का नाम आता है । उसके नाम से यह काण्ड हो गया । उसका नाम लेना, हमारे लिये या किसी के लिये, सभी के लिये अच्छा नहीं है । लेकिन सच्चाई है, एक स्कैंडल है । तो इसके सिलसिले में मेरे माननीय सदन के 2 साथियों ने जो अपनी-अपनी पार्टियों के नेता हैं, माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी और राममूर्ति जी यह चाहते हैं कि गवर्नमेंट से कि इस मामले की तहकीकात सी० बी० आई० के सुपुर्द कर दी जाय । क्योंकि मैं समझता हूं और यह तसलीम भी किया गया है कि इसमें बड़े बड़े अफसरान शामिल हैं । शामिल न हों लेकिन फिर भी उनके नाम खुलकर लिये जाते हैं । यह तो तहकीकात के बाद ही मालूम होगा। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गलत या सही बड़े बड़े पालाटिकल वर्कर्स, लीडर्स, पालीटीशियंस के नाम भी लिये जाते हैं । ऐसी बात हो सकती है कि यह बिलकुल ही गलत हो लेकिन आज हमारी पलिब्क लाइफ कीमारेलिटी इतनी लो हो गयी है कि वह नाम लिये जाते हैं और कुछ लोग उसका यकीन करते हैं । हाई कोर्ट के जज का भी नाम लिया जाता है । जो मुकामी अफसरान हैं उनके भी नाम लिये जाते हैं । हो सकता है कि वह न हों । लेकिन जो हमारी पब्लिक लाइफ में, एडमिनिस्ट्रेशन में जो बड़े बड़े स्थानों पर लोग हैं उनके नाम इसमें लिये जाते हैं । अभी मैं दिल्ली से आया तो जो अखबार आता है उसमें कुछ और नाम आये हैं, मेरे बच्चों ने दिया । इसमें एक काण्ड और निकला हुआ है । जो हलवासिया के नाम से इमारत है उसमें एक ओर कमरा है । जैसे गणेशमिश्रा का था वैसे ही कोई अग्रवाल साहब हैं । अग्रवाल साहब के कमरे में भी यह दुष्कर्म होते थे, ऐसे एलीगेशंस हैं । दूसरा यह है कि कानपुर में भी अभी कोई इसी प्रकार की सूचना मिली है । यह सब अखबार में छपा है ।

तो मालूम यह होता है कि बड़े पैमाने पर बड़े शहरों में हमारे यहां की तरह से सेक्स स्कैंडिल्स होते हैं और वह बढ़ते जा रहे हैं । मैं इसमें मुख्य मंत्री महोदय, को कोई दोष नहीं देना चाहता । लेकिन ऐसा लगता कि शायद यह स्कैंडिल्स पहले से शुरू हैं मेरा इतना ख्याल जरूर कि अब वह बढ़ते जा रहे हैं । और स्कैंडिल नेट ने अपने जाल में बहुत बड़े बड़े लोगों को फांस लिया । तो मेरे साथी, चंद मित्रों ने दस्तखत किये हैं, उनका विचार यह है कि यहां की जो मुकामी पुलिस है और सी० आई० डी० है, उनके लिये यह इम्बैरेसमेंट

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[चौधरी चरण सिंह]

की बात है । जो सिविल पुलिस है मुझे उसकी नाकाबिलियत पर शिकायत है। उन्होंने अपनी डियूटी की है, जो कर्त्तव्य पालन किया है उस सिलसिले में। मुझे करेक्ट डेट तो नहीं मालूम है लेकिन 15 मार्च को यह अखबारों में छपा है। और उसके एक हफ्ते तक वहां की पुलिस, हजरतगंज पुलिस स्टेशन जिनके चार्ज में यह है, ज्यूरिसडिक्शन में आता है, ने कोई कार्यवाही नहीं की। ऐसा हमने पढ़ा है। इस पर सी0 आई0 डी0 को सुपुर्द किया गया। सी0 आई0 डी0 के जो सुपरिन्टेडेन्ट पुलिस हैं वह निहायत योग्य और चरित्रवान हैं। मैं उनको पहले से जनता हूं, वह पालीटिकल सफरर रह चुके हैं। वह ईमानदारी से काम करेंगे इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मनुष्य-मनुष्य है। जब इतने बड़े-बड़े आदमी इसमें इन्वाल्वड हों तो उनको इम्बैरेसमेंट होगा, सी0 आई0 डी0 के सुपरिटेन्डेन्ट पुलिस को। मैंने यह भी सुना है कि बयान, किसी एक आदमी का, इस लड़की के बाप का किसी मैजिस्ट्रेट के सामने हुआ है। नहीं मालूम कि क्या नाम है, जिनकी इम्पारशियलटी के मुतालिक शक किया जा सकता है क्योंकि ऐसा है कि मैजिस्ट्रेट भी इस काण्ड की लपेट में आते हैं।

मैंने पिछली दफा जब भाषण में कुछ व्यक्तियों के नाम लिये थे तो मुख्य मंत्री जी ने कहा कि नाम लेते हैं। लेकिन जब आवश्यक हो जाता है तो व्यक्तियों के नाम लेने पड़ते हैं। मैं जब कहता हूं कि किसी मैजिस्ट्रेट के सामने बयान हुये। तो उनका नाम लेना जरूरी हो जाता है आपके कुछ आफिसरों के नाम लेने पड़ सकते हैं। लेकिन जो न लेने की बात करते हैं तो वह बदला लेते हैं और मैं इस पर खतरा लेता हूं जब तक कि मैं यहां का मेम्बर हूं। जब किसी मैजिस्ट्रेट के सामने बयान हुआ तो उसकी शुबहा होती है, तो वह निराधार है। मैंने जैसा कहा कि मुख्य मंत्री जी से मुझे अभी तक कोई शिकायत नहीं है। शिकायत यही है कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा है कि पुलिस ने 7 दिन तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की ? मैं मुख्य मंत्री जी से बयान के समय पूछूंगा कि उन्होंने कार्यवाही क्यों नहीं किया ? यदि नहीं किया तो उस पर उनसे कोई जवाब तलब किया गया है। मैंने सुना है कि मुख्य मंत्री जी के पास रिपोर्ट आ गयी है। इसलिये यदि सी0 बी0 आई0 की जांच के लिये दे दें तो मैं समझता हूं कि उनकी भी परेशानी बच जायेगी और जो आफिसर ईमानदारी से करना चाहते हैं उनकी भी परेशानी बच जायेगी क्योंकि सी0 बी0 आई0 के लोग इसके ऊपर होंगे। सी0 बी0 आई0 बहुत अच्छी है, यह देश के लिये खुशकिस्मती की बात है।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मान्यवर, मैं इस पर थोड़ा ही कहना चाहता हूं। वैसे तो नेता विरोधी दल ने हमारे भाव भी व्यक्त कर दिये हैं लेकिन मैं कुछ और उसमें जोड़ना चाहता हूं। मेरी राय भी यही है कि सी0 बी0 आई0 से जांच करायी जाय। उसके कई कारण हैं—सुजाता को गोली लगने के बाद जो रहस्योद्घाटन हुआ उसमें सचमुच बहुत बड़े-बड़े आफिसर आये जैसे आई0 ए0 एस0, पी0 सी0 एस0 पुलिस के, शिक्षा विद्, प्रोफेसर, मंत्री और जजेज। इन सबके नाम आये जो समाज के प्रभावकारी व्यक्ति हैं। मुझे दुख है कि मंत्री का नाम भी इसमें आया। चौधरी साहब ने जो कहा कि चाहे यह सच हो या गलत हो लेकिन इतने बड़े-बड़े लोगों का नाम लिया गया यह उभरता हुआ सवाल आया। पुलिस ने 4-5 दिन तक कोई कार्यवाही नहीं किया। उस कमरे को सील नहीं किया गया, चीजें बरामद नहीं की गयी। और जगह छापा नहीं मारा गया, जब लड़कियों ने कहा तब मालूम हुआ उनको। डी0 एम0 और कमिश्नर के पास शिकायती पत्र मौजूद थे—ऐसा खबर में निकला है। उसकी जांच अभी तक क्यों नहीं किया ? मालूम नहीं कौन ऐसा दबाव पड़ रहा है। सरकार के नाक के नीचे लोग ऐसा सैक्स का सौदा करें। मैं बहुगुणा जी को नहीं कहता हूं बल्कि सरकार का नाम लेता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हूं जब यह कहता हूं। केन्द्र में, सरकार की नाक के नीचे ऐसी दुर्घटनायें हों और उसका सी0 आई0 डी0 को पता नहीं। मुझे तो इतना क्रोध आता है कि सारी सी0 आई0 डी0, इसके लिये दंडित की जाय। जो जिस विभाग का हैड है और उसके नीचे लोग काम करते है और कोई काम गलत हो जाय तो उसकी जिम्मेदारी होती है और अगर मेरे नीचे आदमी काम करते हैं तो 'आई मे बी हेल्ड रेस्पान्सिबिल'।

दूसरी बात यह है कि मुझे एक घटना याद आई, हालांकि मामला छोटा है लेकिन उदाहरण के लिये दे रहा हूं कि एक मर्तबा मेरा मुकदमा हाई कोर्ट में लगा उस समय मैं स्वयं जाता था। प्रातः काल जब मैं घूमने निकला तो दो हाई कोर्ट के जजेज निकले, वह दोनों मेरे जानकार थे। गंगा जी पर उनसे मुलाकात हो गई। बातचीत के दौरान उन्होंने पूछा कि कैसे आए, तो मैंने कहा कि आज मेरा हाई कोर्ट में मुकदमा है। वह मुस्कराए। बाद में उन्होंने लिखवाकर भिजवा दिया कि चूंकि श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी मेरे परिचित हैं, इसलिए यह केस ट्रान्सफर कर दिया जाय। हालांकि यह अच्छा ही हुआ कि जिसके यहां यह केस जाएगा वह इतना ही समझेगा ही कि मैं उनका जानकार हूं। इसलिए मैंने कहा कि यह तो मानव प्रकृति है। आपने सी0 आई0 डी0 को जो मामला दिया हुआ है वह भी हाड़-मांस वाले हैं, बहुत सम्भव है कि वह लोग ऊंचे-ऊंचे लोगों के प्रभाव में आ जायं, और अगर न आ गये होते तो आज तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई और पूरी जांच मुकम्मल क्यों नहीं हुई। यह सारी चीजें पब्लिक के नैतिक बल को गिरा रही हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि जो आज पब्लिक का मन उद्वेलित हो रहा है, पब्लिक के मन में जो शंका है, उसको दूर करने के लिए हमारी सरकार बड़ा ही कड़ा कदम उठाएगी और किसी के पक्ष का समर्थन करते हुए सी0आई0डी0 के द्वारा इसकी जांच करवाएगी और जो सही कल्प्रिट है वह सामने लावेगी। सरकार का कुछ नैतिक स्तर है और उसे पूरा करने के लिए, उस स्टैन्डर्ड को मेन्टेन करने के लिए, वह उन बाल-बच्चों के गार्जियन्स की जिनकी आंखें उनकी ओर लगी हुई हैं, यह प्रयास करेगी। मैंने पहले भी सुजाता को अपनी पुत्री के समान कहा है, लेकिन वह लोग जो गुनाह हैं और साफ-साफ बचे जा रहे हैं, उनको दन्ड मिलना अवश्य चाहिए। मैं विरोध पक्ष का एक अंग हूं और मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इसकी जांच निश्चित रूप वे सी0 बी0 आई0 से करायें ताकि सबको यह कहने का मौका न मिले कि भई फलां को फलां आदमी जानता था, इसलिए यह केस दब गया। आज प्रदेश में इस तरह की हवा चल रही है और मामला कोल्ड स्टोरेज में दबा हुआ है। लगता है आज कि हलवासिया कोर्ट ही से सारा एडमिनिस्ट्रेशन संचालित होता है। इसलिए मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि इन सबकी जांच सी0 बी0 आई0 द्वारा करायें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, एक बात मैं भी कहना चाहता हूं .....

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल और नेता जनसंघ ने अपनी बात कह दी है। इसमें तीसरे सदस्य का नाम श्री राम मूर्ति जी है। वह हैं नहीं। अब मैं किसी को समय नहीं दे पाऊंगा।

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) —

माननीय नेता विरोधी दल और माननीय नेता जनसंघ ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना और बुराई का जो जिक्र अभी उन्होंने किया, मुझे उसमें उनकी भावना से कोई विरोध नहीं है। दो ही बात कह सकता हूं। एक तो यह कि वह सूचना सही नहीं है कि गोली लगने के कई दिन तक जो नागरिक पुलिस है, जिसको सिविल पुलिस कहते हैं, उसमें कोई कार्यवाही नहीं की।

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

सी0 आई0 डी0 को यह केस देने के कारण थे जिनकी वजह से मैंने आदेश दिए। उसका मुख्य कारण था अखबारों में रोजमर्रा एक न एक कहानी नया रूप लेकर पब्लिश हो रही थी।

चौधरी चरण सिंह--

यह काण्ड होने के कितने दिन बाद सी0 आई0 डी0 को दिया और उस बीच में पुलिस ने क्या कार्यवाही की ? माननीय त्रिपाठी जी ने कहा कि कमरे को सील नहीं किया।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा ---

मान्यवर, मुझे नहीं मालूम था कि यह केस आज यहां उठेगा इसलिए तारीखों के बारे में निश्चित नहीं कह सकता। लेकिन एक हफ्ते में यह केस सी0 आई0 डी0 को दे दिया गया। देने का कारण यह जरूर था कि अखबारों में जो बातें निकल रही थीं और पुलिस जो बातें बतलाती थी उनमें बहुत फर्क मालूम होता था। हमको लगा कि अखबार की जो सूचना है उनके संवाददाताओं के अपने सूत्र होते हैं इसलिए इस मामले में गहराई से जाने की जरूरत है। जो साधारण जनता है उसका भी सी0 आई0 डी0 पर भरोसा है और माननीय त्रिपाठी जी ने कहा कि वह स्वयं भी ऐसे व्यक्तियों को जानते हैं जिनमें उनका विश्वास है और उनको यह दिया गया लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि उचित होगा यदि यह सी0 बी0 आई0 को दिया जाय। सी0 बी0 आई0 को दिए जाने के सम्बन्ध में सदन की इस भावना को देखते हुए गृह मन्त्री को आज ही पत्र लिख दूंगा। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि यह मामला सी0 बी0 आई0 को दिया जाय, चौधरी साहब जानते हैं कि सी0 बी0 आई0 को मुझे तीन पत्र मुफ्जफ्फरनगर वाले केस में लिखने पड़े। उन्होंने बार-बार इन्कार किया कि हमारे पास इतना स्टाफ नहीं है और आखिर में मुझे स्वयं दिल्ली जाकर प्रार्थना करनी पड़ी कि इसमें कुछ पेंच है। चौधरी साहब को याद होगा कि पुलिस अफसर और फौजी अफसर का आपस का गोलाबारी का मामला था। मैं यह नहीं कहता कि किसका दोष था। यह बात सच है कि सी0आई0डी0 की अंतरिम रिपोर्ट में न किसी जज का नाम है और न किसी विधायक का नाम है। या किसी मन्त्री का नाम है, लेकिन चूंकि इसमें दुर्भाग्यवश एक ऐसे स्थान की चर्चा है, जो 15 साल से नाम किसी के था और किराया कोई और दे रहा था, और चूंकि आम जनता में भ्रम इस सम्बन्ध में फैलने की पूरी गुन्जाइश है, जिसको चाहे कितनी सफाई से करे, भ्रम दूर नहीं हो सकता, इसलिए प्रदेशीय सरकार के हाथ से केन्द्रीय सरकार को यह मामला चला जाय, तो सी0 बी0 आई0 पर सबका विश्वास होगा इसलिए सच क्या है, झूठ क्या यही काफी नहीं। आम जनता की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, और उस मर्यादा जिसके लिए यह सरकार कायल है, का ध्यान रखते हुये जैसा मैंने निवेदन किया, केन्द्रीय सरकार के गृह मन्त्री को इस सदन के माननीय विरोधी पक्ष का जो भाव है, उसको नजर रखते हुए और जो कुछ इधर के कुछ माननीय सदस्यों ने तरह-तरह की बातें एक अधिकारी के सम्बन्ध में कहीं, उस सबको देखते हुए हम समझ रहे हैं, इस केस को, जो कुछ भी आपकी बहस हो सकती है, उस बहस को करते हुए, सी0 बी0 आई0 को निर्दिष्ट करने के लिए केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना कर दें।

कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

मैं नियम 225 के अन्तर्गत विधान सभा के 21 अप्रैल, 1975 से 28 अप्रैल, 1975 तक के कार्य-क्रम के सम्बन्ध में कार्य-मन्त्रणा समिति की सर्वसम्मति की सिफारिश आपके समक्ष रखता हूं और चूंकि यह सिफारिश कार्य-सूची में है इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

कार्य-मन्त्रणा समिति की सिफारिश के अनुसार 1975-76 के आय-व्ययक की मांगों पर विवाद तथा मतदान के लिए विधान सभा का 21 अप्रैल, 1975 से 28 अप्रैल, 1975 तक का संशोधित कार्य-क्रम :—

18 सचिवालय ..	मुख्य मन्त्री,
19 जिला प्रशासन ..	21 अप्रैल (7 बजे सायं तक) और
21 पुलिस ..	22 अप्रैल (3 बजे अपराह्न तक)
25 अन्य प्रशासनिक सेवायें	
3 मन्त्री परिषद् ..	
22 कारागार ..	खेलकूद तथा कारागार मन्त्री (विवाद नहीं होगा)
31 चिकित्सा ..	
32 परिवार नियोजन ..	स्वास्थ्य मन्त्री
33 सार्वजनिक स्वास्थ्य ..	22 अप्रैल (3 बजे अपराह्न से 7 बजे सायं तक)
69 चिकित्सा, परिवार नियोजन तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	
44 कृषि ..	
46 भूमि तथा जल संरक्षण	कृषि मन्त्री
47 क्षेत्र विकास ..	23 अप्रैल और 25 अप्रैल (2 बजे अपराह्न तक)
76 कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	
92 ऋण और अग्रिम-कृषि	
56 विद्युत् विकास	मुख्य मंत्री
94 ऋण और अग्रिम-विद्युत	25 अप्रैल (2 बजे अपराह्न से 6 बजे सायं तक)
36 सूचना तथा प्रचार ..	
29 कला एवं संस्कृति ..	मुख्य मन्त्री
30 वैज्ञानिक सेवायें एवं शोध	28 अप्रैल, (ढाई बजे अपराह्न तक)
42 विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्र	
40 अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवायें	
73 विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूजीगत परिव्यय	
11 बिक्री -कर ..	
6 वृत्ति, व्यापार, आजीविका तथा सेवायोजन पर कर	वित्त मन्त्री
8 स्टाम्प एवं पंजीकरण ..	28 अप्रैल (ढाई बजे अपराह्न से 6 बजे सायं तक)
14 अल्प बचतों की प्रोन्नति	
20 कोषागार तथा लेखा प्रशासन	
26 अधिवर्ष भत्ते तथा पेन्शनें	(विवाद नहीं होगा)
27 प्रकीर्ण सामान्य सेवायें ..	
97 ऋण और अग्रिम -वित	
1 राज्य विधान मन्डल ..	
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1975 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण	(28 अप्रैल, 6 बजे सायं)

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)---

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा की गयी सर्व-सम्मति से जो सिफारिश है, उसको स्वीकार किया जाय।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)---

मान्यवर, एक महत्वपूर्ण विषय है।

श्री अध्यक्ष---

अब नहीं।

प्रश्न यह है कि विधान सभा के 21 अप्रैल, 1975 से 28 अप्रैल, 1975 तक के कार्यक्रम के सम्बन्ध में कार्य-मन्त्रणा समिति की सर्व-सम्मति से सिफारिश स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गोपीनाथ कामेश्वरपुरी (जिला बस्ती)---

मान्यवर, उस में 21 जुलाई से 28 जुलाई, लिखा है, जिसको ठीक कर लिया जाय।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)---

मान्यवर, कार्य-सूची में 21 जुलाई से 28 जुलाई लिखा है।

श्री अध्यक्ष---

वह ठीक हो जाएगा।

जायस, जिला राय बरेली के मुसलमानों को जश्ने विलायत-पैगम्बर इसलाम मनाने और जलूस निकालने पर सरकार द्वारा तथाकथित रोक लगाए जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)---

नसीराबाद, जिला राय बरेली में मुसलमानों के शिया एवं सुन्नी सम्प्रदाय के लोग निवास करते हैं।

सुन्नी सम्प्रदाय के लोग दिनांक 26 मार्च, 1975 को कस्बा जायस में मदहेसाहबा का जलूस निकालना चाहते थे जो शिया सम्प्रदाय नहीं चाहता था। कस्बा जायस में यह जलूस प्रथम बार निकालने का प्रयत्न किया जा रहा था। शान्ति व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिला प्रशासन ने दिनांक 21 मार्च, 1975 को धारा 144 जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत आदेश जारी किया जिसके द्वारा थाना नसीराबाद के अन्तर्गत आने वाले समस्त क्षेत्र में दिनांक 21 मार्च, 1975 से जलूस निकालने पर रोक लगा दी गयी थी। किन्तु पैगम्बर के जन्म दिवस उत्सव मनाए जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया था।

दिनांक 29 मार्च, 1975 को मुख्य डाकखाना राय बरेली के निकट सुन्नी सम्प्रदाय के व्यक्तियों द्वारा क्रमिक भूख हड़ताल आरम्भ की गई। इस भूख हड़ताल में 16 व्यक्तियों ने भाग लिया और यह दिनांक 1 अप्रैल, 1975 तक चली।

दिनांक 1 अप्रैल, 1975 को शासन तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों के प्रयत्न के फलस्वरूप दोनों सम्प्रदायों में सुलह हो गयी और भूख हड़ताल समाप्त हो गई।

उपरोक्त सुलह के फलस्वरूप शिया तथा सुन्नी दोनों सम्प्रदायों के जलूस शान्ति-पूर्ण ढंग से दिनांक 6 अप्रैल, 1975 को निकाले गए जिसमें करीब 5,000 जनता ने भाग लिया। जायस कस्बे में अब पूर्ण शान्ति है एवं कोई भी तनाव किसी सम्प्रनाय में नहीं है।

मेरठ स्थित देवनागरी-इन्टर कालेज परीक्षा केन्द्र पर एक अध्यापक पर गुण्डों द्वारा किए गए आक्रमण के सम्बन्ध में वक्तव्य

माध्यमिक शिक्षा मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

माननीय सदस्य श्री मोहन लाल कपूर ने नियम 51 के अन्तर्गत प्रस्तुत सूचना में यह उल्लेख किया है कि बोर्ड की देवनागरी इन्टर कालेज, मेरठ परीक्षा केन्द्र पर दिनांक 5 अप्रैल, 1975 को कुछ गुन्डों ने परीक्षा भवन में जबरन घुस कर परीक्षार्थियों को नकल कराने का प्रयास किया तथा एक कक्ष निरीक्षक श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा रोके जाने पर उन्हें मारा-पीटा। इस घटना से अध्यापकों में भय एवं आतंक व्याप्त हो गया है तथा उन्होंने परीक्षा में निरीक्षण का कार्य न करने का फैसला लिया है।

2—स्थानीय अधिकारियों से उक्त घटना के सम्बन्ध में प्राप्त सूचना के अनुसार देवनागरी इन्टर कालेज, मेरठ वर्ष 1975 की माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल एवं इन्टरमीडिएट परीक्षाओं का केन्द्र है। इस परीक्षा केन्द्र पर 1119 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं जिनमें से लगभग 500 परीक्षार्थी व्यक्तिगत हैं। दिनांक 5 अप्रैल, 1975 को कुछ असामाजिक तत्वों ने बाहर से परीक्षार्थियों को नकल करवाने हेतु प्रयास किया। परन्तु परीक्षा संचालन हेतु नियुक्त कक्ष निरीक्षकों ने इस का विरोध किया और अनुचित साधन की सामग्री परीक्षा कक्षों के अन्दर नहीं पहुंचने दी। एक बाहरी युवक जिसका नाम महेन्द्र था बाहर से भागकर आया और परीक्षा हाल में प्रवेश करने में सफल हो गया। यह युवक एक परीक्षार्थी को अनुचित साधन का एक कागज बल पूर्वक देने लगा परन्तु कक्ष निरीक्षक श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता ने साहसपूर्वक उसे पकड़ लिया और अनुचित साधन का कागज नहीं देने दिया। इस घटना के दौरान बाहरी युवक महेन्द्र तथा अध्यापक श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता के बीच हाथापाई हुई जिसके कारण श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता के बांये हाथ की एक अंगुली की हड्डी चार जगह से टूट गई। इसके बावजूद भी श्री राजेन्द्र कुमार ने उस युवक को पकड़ कर विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं केन्द्र व्यवस्थापक को सौंप दिया और केन्द्र व्यवस्थापक ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बाद में अध्यापक एवं केन्द्र व्यवस्थापक ने उस युवक को क्षमा कर दिया तथा बिना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराये ही उसे छोड़ दिया।

3—केन्द्र व्यवस्थापक एवं अध्यापक ने दोषी युवक को छोड़ अवश्य दिया परन्तु उन्होंने परीक्षा समाप्त होते ही परीक्षा केन्द्र पर तैनात समस्त कक्ष निरीक्षकों की एक आवश्यक बैठक की और एक प्रस्ताव पारित किया जिसके द्वारा उन्होंने वर्तमान परिस्थितियों में दिनांक 7 अप्रैल, 1975 से परीक्षा में कक्ष निरीक्षक तथा केन्द्र व्यवस्थापक का कार्य करने हेतु इन्कार कर दिया। सूचना पाते ही जिला विद्यालय निरीक्षक, मेरठ तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मेरठ परीक्षा केन्द्र पहुंचे और उन्होंने केन्द्र व्यवस्थापक तथा कक्ष निरीक्षकों से बातचीत की। दोनों अधिकारियों ने केन्द्र व्यवस्थापक एवं कक्ष निरीक्षकों को आश्वासन दिया कि जिला प्रशासन द्वारा उनकी सुरक्षा का पूर्ण प्रबन्ध कराया जाएगा, अत: वे अपना प्रस्ताव वापिस ले लें और परीक्षा का संचालन यथावत् करते रहें। पहले तो अध्यापकों ने परीक्षा निरीक्षण का कार्य करने से इन्कार कर दिया परन्तु बाद में जिला विद्यालय निरीक्षक, मेरठ ने माध्यमिक शिक्षक संघ, मेरठ के पदाधिकारियों से बातचीत की और उनकी मध्यस्थता से डी0 एन0 इन्टर कालेज, मेरठ के अध्यापकों की एक आवश्यक बैठक रविवार, दिनांक 6 अप्रैल, 1975 को बुलाई। बैठक में सिटी मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक ने भी भाग लिया। बैठक लगातार दो घन्टे तक चली और उसमें यह निर्णय लिया गया कि अध्यापक एवं केन्द्र व्यवस्थापक परीक्षा का संचालन स्वयं करेंगे बशर्ते कि जिला प्रशासन उन की सुरक्षा का पूर्ण प्रबन्ध करें। सिटी मैजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक ने जिला प्रशासन की ओर से उन्हें यह आश्वासन दिया कि उनकी सुरक्षा का पूर्ण प्रबन्ध किया जाएगा।

[श्री अम्मार रिजवी]

4—दिनांक 7 अप्रैल, 1975 को जिला विद्यालय निरीक्षक स्वयं परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित रहे। जिला प्रशासन द्वारा अध्यापकों की सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था कर दी गई थी, अध्यापकों ने स्वयं ही परीक्षा का संचालन किया और केन्द्र पर परीक्षा सुचारु रूप से चल रही है।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, रिपोर्ट से पता चलता है कि मामला कितना गम्भीर है और अध्यापक को कितनी चोट लगी। पुलिस का प्रबन्ध स्कूल में रहता है और देवनागरी कालेज इस तरह का कालेज है जिसमें एक दरवाजा पक्का है और सब तरफ से चहारदीवारी है। वह लड़का न जाने कैसे बिल्डिंग में ही नहीं कक्ष में भी घुस गया। जब पकड़ा गया तो उसने बताया कि उसे दरोगा द्वारा भेजा गया था। इस तरह से पुलिस गुन्डों के साथ मिल गयी है तो पुलिस के खिलाफ क्या सरकार ने कोई कार्यवाही की, जांच करने के उपरान्त ?

श्री अम्मार रिजवी—

जो नौजवान दाखिल हुआ था उसकी वही उम्र थी जो इम्तिहान दे रहे थे। पुलिस वालों ने पहचान लिया कि वह लड़का बाहर का है और विद्यार्थी नहीं है। वहां फिर उपद्रव हुआ और जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा एक अध्यापक की उंगली टूट गयी और उसने बहादुरी का काम किया कि अनुचित साधन का उसने इस्तेमाल नहीं होने दिया। शिक्षा मन्त्री के कोष से उसे 500 रुपये दिए गए हैं और गृह सचिव को लिखा गया है कि पूरी इन्क्वायरी की जाय कि पुलिस का वह आदमी है या नहीं और जांच होने के बाद पूरी बात बतलाई जा सकेगी।

श्री मोहन लाल कपूर—

प्रान्त में अनेक स्थानों पर इस तरह की घटनायें हुई जैसे गोंडा, मथुरा, फैजाबाद तथा अन्य जगहों पर और इन घटनाओं ने हिंसात्मक रूप ग्रहण किया। बाहरी तत्व आए और नकल कराई गयी। तो क्या सरकार विधायकों की एक ऐसी कमेटी बनाएगी जिसमें इस प्रवृत्ति की जांच की जा सके जिसके अन्तर्गत जबरदस्ती नकल की गयी, निरीक्षकों को मारा गया, अध्यापकों को छुरे से मारा गया और क्या सरकार इसको रोकने के लिए कोई व्यवस्था भी करेगी ?

श्री अध्यक्ष—

कमेटी से तो क्या होगा ? हां व्यवस्था होना आवश्यक है।

श्री मोहम्मद शकील अहमद (जिला लखनऊ)—

जो छात्र पकड़ा गया था वह क्या किसी राजनीतिक पार्टी से सम्बन्ध रखता था ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी इजाजत नहीं देता। पार्टियों में बहुत से लोग रहते हैं।

श्री मोहन लाल कपूर—

क्या विभाग की तरफ से कोई व्यवस्था होगी ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ?

श्री अम्मार रिजवी—

जो बात सामने आती है उसकी तुरन्त जांच कराई जाती है और जैसा माननीय सदस्य ने कहा है इसको जरूर देखेंगे।

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

अध्यक्ष महोदय, परीक्षाओं तथा विद्यार्थियों के सारे प्रश्न पर काफी उलझनें पैदा हो रही हैं। माननीय सदस्य श्री मोहन लाल जी का यह सुझाव कि विधायकों की एक कमेटी हो जो इस पर विचार विमर्श करे मुझे उसूलन इस पर कोई आपत्ति नहीं है और उस पर विचार करके हम निर्णय ले लेंगे। लेकिन यह बात सच है कि विद्यार्थी को सही रास्ते पर चलाने के लिए हम सब को अपना प्रयास करना पड़ेगा। खास कर जितने भी राजनीतिक दल हैं चाहे वह कांग्रेस हो अथवा दूसरा दल हो सब मिल कर प्रयास करेंगे तो उसका वातावरण बनेगा। इस पर भी हम विचार कर रहे हैं कि यह जो इम्तिहान की प्रणाली है यह दोषपूर्ण है। तोता रटन से लड़का पास होता है। आज की दुनिया में अकेले तोता रटन से काम नहीं चलता। केन्द्रीय सरकार से हमने इस सिलसिले में बातचीत भी की है क्योंकि एकांगी फैसला उत्तर प्रदेश सरकार ले लें तो अखिल भारतीय कम्पीटीशन्स जो हैं उनमें हमारे लड़के मुश्किल में पड़ जायंगे। इसलिये प्रश्न यह है कि क्या इस इम्तिहान की प्रणाली में सुधार हो सकता है या नहीं? इसमें कई तरह के सुझाव हैं। सभी माननीय सदस्यों से तथा सारे प्रदेश के शिक्षाविदों से मेरी प्रार्थना है कि वे हमें इस सम्बन्ध में सलाह दें और सुझाव बनाकर भेजें कि किस प्रकार शिक्षा के मामलें में क्या-क्या परिष्कृत रूप हो सकता है। इसको हम जरूर देखेंगे। कई कमेटियों ने इस सम्बन्ध में सुझाव दिए भी हैं। ऐसी बात नहीं है कि कोई सुझाव न मिले हों लेकिन अब तक हमारी पूर्ववर्ती मन्त्रि-परिषदों ने या शिक्षाविदों ने किसी खास तरफ इस बारे में जाने का फैसला नहीं लिया है। मैं इसे स्वीकार करता हूं यह परमावश्यक विषय है हमारे भविष्य के सम्बन्ध में और मैं इस सुझाव को अपनी मन्त्रि-परिषद् में रखकर देखूंगा कि हम इसे क्या रूप दे सकते हैं जहां तक इस सदन और दूसरे सदन के माननीय सदस्यों, जिनकी शिक्षा में रुचि या दिलचस्पी हो, इस प्रश्न पर विचार करने की बात है, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले अखबारों में यह निकला था कि परीक्षाओं में किताबों को ले जाने की इजाजत दे दी जाएगी और औब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न दिए जायेंगे। तो इस बारे में भी मुख्य मन्त्री जी बता दें।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, मैंने यह नहीं कहा था कि हम किताबें देंगे। मैंने कहा था कि औब्जेक्टिव टेस्ट हो सकता है लेकिन यदि हम परीक्षार्थी को 20 किताबें दे दें और उसने पढ़ा ही न हो तो वह कुछ भी नहीं निकाल पायेगा। इसलिए केन्द्रीय सरकार को हमने यह सुझाव दिया है—नूरुल हसन साहब को पत्र लिखा है कि आप विचार करें कि परीक्षाओं का क्या रूप हो सकता है? इस सिलसिले में लिखा है कि औब्जेक्टिव टैस्ट कुछ इस तरह के हों जिसमें लड़कों को किताबों के सिलसिले में परचों, नकल या चोरी करने की जरूरत इन विषयों में न हो जैसे गणित, ज्यूमिट्री या एलजबरा आदि हैं जिसको साल्व करके परीक्षार्थी दे देगा। तो इस परीक्षा प्रणाली का क्या रूप हो, इस विषय में हमें अखिल भारतीय स्तर पर विचार करना होगा। यदि हम सूबाई स्तर पर विचार करते हैं तो अखिल भारतीय कम्पीटिशन में हमारे लड़के बहुत कठिनाई में आ जायेंगे।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में होने वाले चुनाव में सरकारी हस्तक्षेप के सम्बन्ध में जांच की मांग

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मेरा विषय केवल एक है और इसे आज टाला नहीं जा सकता है। इसलिए तुरन्त आपकी नोटिस में ला रहा हूं। कल ही इसकी आवश्यकता पड़ेगी। मान्यवर,

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

माननीय कोहली जी एक पत्र की फोटो स्टेट कापी लाये हैं जिसमें एक मन्त्री ने राकेश त्रिपाठी को पत्र लिखा है कि पूरी तैयारी के साथ इलेक्शन लड़ो और तुम्हारे चुनाव खर्च के लिए 10 हजार रुपये भेज रहा हूं .....

श्री अध्यक्ष—

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पहले आप नियमित सूचना दें। मेरे पास आपकी कोई लिखित सूचना नहीं है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, मैंने अभी दोषारोपण नहीं किया। कल ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय का इलेक्शन हो रहा है और हमारे कोहली जी एक पत्र की फोटो स्टेट कापी लाए हैं। इसको आप देख लें। कल इलेक्शन हो जाएगा .....

श्री अध्यक्ष—

मैंने समझा ही नहीं। आपने किस बारे में कहा है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

अगर आपने जानबूझ कर नहीं समझा है तो उसके लिए मैं क्या कहूं। मान्यवर, कल स्वामी प्रसाद सिंह जी ने राकेश त्रिपाठी को जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक चिट्ठी लिखी कि तुम इलेक्शन लड़ो। तुम्हारे चुनाव खर्च के लिए 10 हजार रुपये भेज रहा हूं। आप पूरी तैयारी करें और आवश्यकता हो तो मुख्य मन्त्री जी से भी टेलीफोन पर बात कर लेना। तुम गुप्तचर विभाग के एस0 एस0 पी0 श्री राय से पुनः सम्पर्क कर लेना हमारी शुभकामनायें तुम्हारे साथ है। तुम भारी बहुमत से जीत कर कांग्रेस के हाथ मजबूत करो और उत्तर प्रदेश में हो रहे जे0 पी0 आन्दोलन का मुंहतोड़ जवाब देने में सफल होंगे. . . .तो मान्यवर, मुख्य मन्त्री जी को इस पर ध्यान देना चाहिए कि उनके मन्त्री ने यह लिखा है। हमारे मित्रों ने हस्ताक्षर मिलाने की कोशिश की लेकिन वह इसकी खुद जांच करें।

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

यद्यपि इसकी ग्राह्यता के बारे में आपको निर्णय करना है। लेकिन औचित्य की दृष्टि से मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की किसी भी यूनिवर्सिटी में और खासकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में मैं स्पष्टतया कहना चाहता हूं कि किसी भी मन्त्रि-परिषद के सदस्य ने और न प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मेरे साथ इस सम्बन्ध में सम्पर्क किया और न कोई मेरा इससे प्रतलब है (व्यवधान)।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

राजस्व मन्त्री जी के उसमें हस्ताक्षर हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

यह बात कहां तक सत्य है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा —

मेरा निवेदन सुन लें। मैं इस बात के लिए तैयार हूं कि इस पत्र को हम गहराई से जांच कर लेंगे। हैन्ड राईटिंग एक्सपर्ट से भी पूछ लेंगे। अगर किसी मन्त्री का पत्र होगा तो वह मन्त्रि-परिषद पद पर रहने लायक नहीं है। (व्यवधान) जो कागज आप लाए हैं या जो आपके पास हों वह मुझे दें।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)

तो क्या स्वामी प्रसाद जी को निकाल देंगे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा --

आपकी हमदर्दी के लिए धन्यवाद ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

क्या आप इस बात की जांच करायेंगे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा --

ओरिजिनल अगर आप भेज देंगे और मेरी राय में स्पीकर साहब के जरिये से मेरे पास भेजें ताकि बाद में आप यह न कहें कि कौन सा कागज भेजा था और कौन सा नहीं और मुख्य मन्त्री ने वह कागज गायब कर दिया। तो, मान्यवर, वह आपके दस्तखत से आए कि यही कागज है ।

श्री अध्यक्ष--

मैं भी यही कहूंगा। अब कार्यसूची 10 पर आते हैं।

संयुक्त प्रान्त बद्रीनाथ (स्वच्छता तथा सुधार) (निरसन) विधेयक, 1975

श्रम मन्त्री (श्री राजमंगल पाण्डेय)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि संयुक्त प्रान्त बन्द्री नाथ (स्वच्छता तथा सुधार) (निरसन) विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

एक सदस्य--

अध्यक्ष महोदय, वह प्रेस वालों को इस पत्र को दे रहे हैं; क्या यह उचित है ?

श्री अध्यक्ष--

यह बिलकुल अनुचित है। मैं इसकी बिलकुल इजाजत नहीं दूंगा अगर ऐसी बात है तो इसको खारिज करता हूं। यह जो प्रश्न है आना नहीं चाहिये अखबार वालों से भी यही कहूंगा। आप इसको मुझ को विश्वास में लेकर उठायें तभी मैं इजाजत दूंगा। अगर आप इस ढंग से देना चाहेंगे तो मैं अखबार वालों से कहूंगा कि वह नोटिस में न लें।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

मान्यवर; आप कैसे विश्वास कर रहे हैं कि वही पत्र है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संयुक्त प्रान्त बद्रीनाथ (स्वच्छता तथा सुधार) (निरसन) विधेयक; 1975 को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राजमंगल पाण्डेय--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से संयुक्त प्रान्त बद्रीनाथ (स्वच्छता तथा सुधार) (निरसन) विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 496-497 पर)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 में आज 3 कार्य-स्थगन की सूचनायें प्राप्त हुई हैं। पहला है कुछ समाचार-पत्रों को जेल की सीमा के भीतर जाने से महानिरीक्षक, जेल के परिपत्र द्वारा प्रतिबन्ध। तो इसके लिए आप अल्पसूचित प्रश्न करें।

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)—

अब कहां आएगा?

श्री अध्यक्ष—

लेकिन यह कार्य-स्थगन का विषय नहीं है। तो दूसरा है कानपुर नगर स्थित राजेन्द्र पार्क, थाना छावनी में कुछ लोगों द्वारा अनधिकृत रूप से झोपड़ियां बना लिया जाना एवं उनमें अनैतिक कार्य। यह मैं कार्यवाही के लिए शासन को भेज रहा हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, यह एक गम्भीर मामला है वहां पर पचासों झोपड़ियां हैं, और वहां पर स्कूटर और मोटर साईकिल लेजाकर लोग मेला इकट्ठा करते हैं और उसमें गांजा, शराब आदि का प्रयोग होता है और अनैतिक काम होता है।

श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)—

मान्यवर, मेरे उसका क्या हुआ? भारत के संविधान में हर एक व्यक्ति को बोलने का अधिकार है .....

श्री अध्यक्ष—

यह 56 का विषय नहीं है .....

51 में आपको देना चाहिए, यह 56 का विषय नहीं है।

(व्यवधान)

यह 51 का विषय है, 56 का विषय नहीं है। यह कार्य-स्थगन का विषय नहीं है। जिसमें आपने इसे दिया है, उसमें हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं। आप (श्री मुलायम सिंह) लोग बैठें।

(व्यवधान)

(श्री मुलायम सिंह और श्री बाबू लाल वर्मा बोलने का प्रयास करते रहे) हो सकता है यह वैसा ही काण्ड हो, जैसा चौधरी साहब ने उठाया है। लेकिन वैसे ही आप उठाइये।

1975-76 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या—18 सचिवालय, अनुदान संख्या 19— जिला प्रशासन, अनुदान संख्या 21— पुलिस, अनुदान संख्या 25—अन्य प्रशासनिक सेवायें तथा अनुदान संख्या 3—मन्त्रि परिषद्

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 18—सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,47,12,100 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश के प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 19––जिला प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,20,71,300 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 21––पुलिस के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 46,13,57,600 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 25––अन्य प्रशासनिक सेवायें के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,40,33,300 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 3––मन्त्रि-परिषद् के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 24,34,300 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन किसी भी शासन के लिए और किसी भी देश, जनता और प्रदेश के लिये एक प्रमुख विषय है। सच पूछिए तो समाज किस गति से, किस ओर जाना चाहता है, इसका एक माने में सामान्य प्रशासन थर्मामीटर है। हमारा यह विश्वास है कि आज के बदलते हुये जमाने में जब समाज की पुरानी मान्यतायें अनेक कारणों के टूट रही हैं। आधुनिक सभ्यता और सामाजिक दवाब उन्हें निरस्त कर रहे हैं या कमजोर कर रहे हैं और कई मानों में हमारे जीवन में अनेक भागों में और अनेक हिस्सों में राष्ट्रीय संकल्प दृढता के साथ प्रवेश करे तो इस स्थिति में सामान्य प्रशासन केवल मात्र न्याय और प्रशासन का ही नहीं बल्कि समाज के बदलने का प्रमुख अस्त्र है। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतनाओं से सामान्य प्रशासन को अवगत करना होगा जिनके द्वारा हमारे देश में प्रजातन्त्र, सेक्यूलरिज्म और सर्वधर्म भाव और सबको समान स्तर देने की कल्पना साकार हो सके।

बहुत से लोगों का मत है कि शासन को किसी भी नीति के साथ सम्बन्द्ध नहीं होना चाहिये नीति का कार्यान्वयन करना चाहिये क्योंकि सरकार आयेंगी और जायेंगी, नीतियां बदलेंगी, इसलिए नीति के साथ सम्बद्ध होने की जो चर्चा प्रशासन के यन्त्र से की जाती है तो चर्चा आती है कि सरकार ब्यूरोक्रसी को कमिटेड करती जारी है। मेरी मान्यता है कि जब गरीब और अमीर के बीच, शोषित और शोषक के बीच में, दबे हुये लोगों और शोषक वर्ग के बीच में जब संघर्ष होगा तो प्रशासन खामोश नहीं रह सकता है। हमारी मान्यताओं को देखते हुए ही हमारे सामान्य प्रशासन को अपना मार्ग दृढ़ता के साथ निश्चित करना होगा। हमारी जो ब्युरोक्रसी है, हमारा शासन यन्त्र है उसको मैं परिवर्तन का यन्त्र मानता हूं और मेरा विश्वास है कि हमारा संविधान भी यह आशा रखता है कि स्पष्ट है कि कोई भी प्रशासन जो हमारे संविधान के निर्देशों से अवगत नहीं है, वह अपना काम पूरा करने में सफल नहीं हो सकता है और न वह उन भावनाओं और इच्छाओं

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

के साथ अपने को सम्बद्ध कर सकता है जो जनता की आकांक्षा में समय-समय पर उठते हुये दिखाई देते हैं।

यह जरूरी है कि हमारी सीमायें और हमारे साधन सीमित हैं। उदाहरण के लिए पुलिस के महकमे को ले लीजिये। निरन्तर हर वर्ष और पिछले दस वर्ष का देखा जाय तो जितने काम पुलिस प्रशासन को करने पड़ रहे हैं। वह पहले नहीं करने पड़ते थे, और जितने आज करने पड़ रहे हैं उससे और आगे बढ़ने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। लेकिन हमारे साधन सीमित हैं और हम पुलिस को उस मात्रा में नहीं बढ़ा सकते जितनी आवश्यकता है। इम्तहान कराने हैं तो पुलिस चाहिये, अगर काला बाजार रोकना है तो पुलिस चाहिये, अगर कही मार-पीट हो तब तो पुलिस चाहिये ही यानी ला एन्ड आर्डर से लेकर पुलिस का कार्य क्षेत्र बढ़ता चला जा रहा है और आर्थिक क्षेत्र में, समाज के बदलते हुए स्वरूप में हम चाहते हैं कि हरिजनों का उन्नयन हो और पुराने बोझ उतरें उनका जैसे एक एकड़ तक का, उनके ऊपर जो कर्ज था वह सरकार ने निर्णय लिया कि छोड़ा जाय। अब हम जानते हैं कि जब हमने वह निर्णय लिया तो तरह-तरह से अन्याय की, अत्याचार की शुरुआत जगह-जगह होने लगी। अब वह काम का बोझ इस माननीय सदन के निर्णय के कारण एक और काम पुलिस के हाथ में आया जो पहले उनका काम नहीं था। वस्तु स्थिति यह है कि जैसे जैसे समाज परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे पुलिस की कार्यदक्षता उसके साथ अगर नहीं बढ़ती और उसका काम का बोझ उसके मुताबिक बढ़ाने घटाने की चेष्टा नहीं की जाती, तो स्पष्ट है कि वह काम पूरा होने वाला नहीं है।

हमारे पुलिस ट्रेनिंग कालेज, पी0 टी0 सी0 मुरादाबाद में जो शिक्षा दी जाती है, जो हमारा थानेदार बनने के लिए, या जो हमारा डिप्टी एस0पी0 बनने के लिए, या जो हमारा एस0 पी0 बनने के लिये आज जो ट्रेनिंग का प्राविधान है, उस प्राविधान को बदलते हुए समाज में क्या बोझ पुलिस पर आने वाला है, उससे पूरा अवगत नहीं कराया जाता है तो कठिनाई पैदा हो सकती है। इन्डियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो, या प्राविंशियल सिविल सर्विस हो, इसलिए साधारणतया इसमें एक जमाने से हम गुजर रहे हैं, जो संक्रमण काल है, ट्रांजिशनल फेज हमारे जीवन का है, इस ट्रांजिशनल फेज में कठिनाइयां हमारे रास्ते में पैदा होंगी, मुश्किलें जगह-जगह हमारे सामने आयेंगी, लेकिन हमें निर्णय करना है कि हम इसमें आगे बढ़ें। मान्यवर, हमारे प्रदेश में, हमारे प्रदेश की पुलिस की संख्या और जो उसका सारा आधार है, उस आधार पर पुनर्विचार करने की बड़ी आवश्यकता होते हुये भी धन की कमी के कारण हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हजारों के लगभग थाने उत्तर प्रदेश में हैं। दूर-दूर बने हुये थाने अपने हेडक्वार्टर के साथ लगभग 485 के करीब सम्बन्धित हैं। टेलीफोन या वायरलेस से शेष थाने, वह आज भी आदमी के जरिये ही भेज कर डाक सम्पर्क स्थापित कर पाते हैं। आधुनिक युग में जब क्राइम में, जब दुष्टता के करने वाले तरह-तरह की चोटी की दुष्टता करने लगे हैं। यहां तक कि इस सदन में भी अशोभनीय चर्चा हुई। जब इस तरह के रूप क्राइम के होते जायं और क्राइम हल्के हल्के साइन्स बनता जाय तो निश्चय है कि पुलिस उसका बराबर-बराबर सामना नहीं कर सकती, फिर भी जितने डाकुओं के गिरोह इस पिछले सालों में मारे गये हैं, उन मारे गये डाकुओं के गिरोह के सम्बन्ध में हम पुलिस की प्रशंसा भी करते हैं। लेकिन यह भी बात अपनी जगह पर है कि पुलिस के इस फंसाव के कारण जो उसका उत्तर दायित्व बढ़ा है और जो विकास उभड़ रहा है उसके कारण पुलिस का उनमें फंसाव होने के कारण न्याय और व्यवस्था के मुकाबले में और पहले के मुकाबले में अधिक सतर्कता बरतने पर भी बहुत अधिक सफलता मिली है ऐसा मेरा कहना नहीं है, लेकिन इस ओर चेष्टा जरूर की गयी है।

प्रशासन से भ्रष्टाचार को निकालने के लिये हम नियमानुसार कार्य करते हैं। हमारे निकाले हुए लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं चाहे वे चपरासी हों और चाहे

आई0 ए0 एस0 अफसर हों। जिन नियमों और कानूनों के द्वारा हमको कार्य करना पड़ता है वह एक स्वयं श्रंखलाबद्ध कड़ियां हैं। अगर उसमें से एक भी कड़ी टूट जाती है तो सारा फैसला हिल जाता है। 55-58 के बीच रिटायरमेंट करने के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी हर मुकहमे में बनायी गयी है और उसके द्वारा काफी लोगों को बाहर किया गया है। अच्छे और चरित्रवान अधिकारियों को जरूर हमने संबल दिया है और जो बुरे लोग हैं और खराब लोग हैं उन्हें यथायोग्य दन्डित किया गया है। इस उत्तर प्रदेश में स्वच्छ प्रशासन कायम हो और प्रजातान्त्रिक एवं समाजवादी विचार धारा को आगे बढ़ने का मौका मिले। मेरी आशा है कि माननीय सदस्य अपने परामर्श से इस सदन में मुझे इस दिशा में आगे बढ़ने में सहायता देंगे। इन शब्दों के साथ मैं इन मांगों को स्वीकृत्यर्थ प्रस्तुत कर रहा हूं।

*चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 18--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 19--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 25--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 25 सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 3--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

अगर ऐसा मान लिया जाय तो फिर विरोध पक्ष की जरूरत नहीं और न किसी इलेक्शन की ही जरूरत है। डैमोक्रेसी में तो यह है कि सदन में वाद-विवाद होता है, विचार विनिमय होता है और नीतियों की बात को छोड़कर कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन में जो गलतियां हैं, वे बताई जाती हैं तो उनको दुरस्त करने के लिये रूलिंग पार्टी या गवर्नमेंट कदम उठाती है और नीतियों में भी अगर विरोधी पार्टी कोई सुझाव देती है तो उन सुझावों को भी मानना चाहिए। धीरे-धीरे विरोधी दल के अन्य दोस्तों का यह खयाल होने लगा है कि सवाल करें तो 10-5 सवालों का ही नम्बर आ पाता है, फिर बाकी सब बेकार हो जाते हैं, फिर दुबारा लाइए फिर देर लग जाती है। इस सदन के माननीय सदस्यों का सब से बड़ा अधिकार प्रश्नों का है। सदन के 425 मेम्बर्स हैं, सबसे बड़ा प्रदेश है। इसकी वजह से यह सबसे बड़ा सदन है लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन चौपट हमारा रहा है। प्रश्नों के द्वारा सरकार की नोटिस में जो शिकायतें लाई जाती हैं, उनका नम्बर ही नहीं आता है और जिनका नम्बर आता है उनके जवाब सरकार ऐसा देती है, जैसे कि वह अपने डिपार्टमेंट के वकील हों। ब्यूरोक्रेसी की हिमायत कुछ ऐसी समझते हैं जैसे कोई शिकायत या गलती नोटिस में आती है तो वह मन्त्री के खिलाफ बात हो, उसको डिफेन्ड करने को कोशिश करते हैं, तो फिर बेकार है।

मन्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मन्त्री जी को एक सुझाव दूंगा कि जितने प्रश्न, पिछले साल में नहीं, इसी सत्र में, बजट सेशन में, अब तक हुए हैं, उनकी पत्रावलियां

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[चौधरी चरण सिंह]

मंगा कर देखें कि मिनिस्ट्रों ने क्या-क्या आर्डर्स दिए हैं। जो गलतियां नोटिस में लाई गई, क्या उनका समाधान करने की कोई कोशिश की गई या नहीं ? अगर नहीं की गई तो वे व्यक्ति मिनिस्टर्स के पद पर रखने लायक नहीं हैं। दूसरे यह भी देखा जाय कि जो उत्तर सेक्रेटेरियट से आते हैं, उनमें मिनिस्टर्स ने कोई क्वेरीज की ? क्या उन्होंने पता लगाया कि जवाब संतोषजनक है ? उसी वक्त मालूम हो जायगा कि आया उस वक्त कोई आर्डर दिए गए हैं या जब सदन में पेश हो चुके हैं और उन पर अनुपूरक प्रश्न दर प्रश्न हो चुके हैं, फिर आर्डर दिए हैं। मेरा विश्वास है कि बहुत ही कम ऐसे केसेज हुए होंगे ? किस्सा कटा, सवाल हुआ, वला टली। यह है हमारी फीलिंग वरना शासन में अब तक बहुत सुधार हो गया होता। इसी प्रकार से और बहुत सी बातों में अनरिअलिस्टिक एटमासफियर हो गया है, इसलिए डैमोक्रेसी नहीं चलती है। जब गवर्नमेंट रैस्पान्ड नहीं करेगी, कहेगी कि हमारी तो मैजारिटी है, तो फिर कैसा डिस्कशन ? इसीलिए डैमोक्रेसी के फेल होने का एक कारण यह भी है और जहां भी फेल हुई है, यही कारण रहा है। एक सबसे बड़ा कारण करप्शन आफ दि रूलिंग पार्टी और उनका मौरेल स्टेन्डर्ड का गिरना भी है। जहां पर ये बातें हों, वहां पर डैमोक्रेसी कभी कामयाब नहीं हो सकती है। यहां पर दोनों हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन और इनएफिशिएन्सी।

अध्यक्ष महोदय, जो कुछ बातें मैं आज कहूंगा, उनका कोई असर तो पड़ने वाला नहीं लेकिन इत्तिफाक से विरोध पक्ष में जो सब से बड़ा दल है, उसका नुमाइन्दा होने के नाते, अपने कर्तव्य के पालन के लिए मैंने यह कट मोशन पेश किया है। डैमोक्रेसी में रूलिंग पार्टी या मिनिस्टर्स अपने आपको पब्लिक इन्टरेस्ट का ट्रस्टी समझते हैं, जनहित के---ट्रस्टी का हिन्दी लफ्ज तो मुझे याद नहीं आ रहा है .....

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा --

ट्रस्टी ठीक है।

चौधरी चरण सिंह--

मिनिस्टर आफ एजूकेशन, प्रिन्सिपल रह चुके हैं, वह बतायें। लेकिन वह सुन नहीं रहे हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा --

इस हाउस के प्रिन्सिपल तो आप हैं। (हंसी)

चौधरी चरण सिंह--

तो अपने आपको ट्रस्टी समझ कर चलना है। लेकिन नहीं, वह अपने आपको इस स्टेट का, मैं बात नहीं कहता केन्द्र की, लेकिन कम से कम माननीय मुख्य मन्त्री जी और उनके पीछे बैठने वाले यह समझते हैं कि चूंकि हम चुन कर आ गए, इसलिए प्रोपराइटर आफ दि स्टेट हैं और हमेशा रहना चाहिए और हमारे मरने के बाद हमारे बच्चों को जानी चाहिये। यह आइडिया हो गया है, आई ऐम दि स्टेट। दि कांग्रेस इज दि स्टेट। लुई 14 ने कहा था, "आई ऐम दि स्टेट'। तो स्टेट बैठी हुई है उस तरफ। तो जब स्टेट के साथ अपने आपको आइडेन्टी फाई कर लेंगे तो कैसी डेमोक्रेसी। फिर तो गवर्नमेंट या रूलिंग पार्टी है। उसके जो मेम्बरान और वोटर्स हैं, जिन्होंने उनको चुन कर भेजा है वह मालिक हैं और जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया, जो उनके खिलाफ चुन कर आये, दे आर सेकेन्ड ग्रेड सिटीजन्स। और आज तो उन्होंने एक बात कह दी कि ही वान्ट्स ए कमिटेड ब्योरोक्रेसी। कांस्टीटयूशन में लिखा है कि आल सिटीजन्स विल बी इक्वल इन दि आई आफ ला। लेकिन वह कांस्टीट्यूशन में लिख गये, उस जनरेशन के लीडर्स। वह प्रेरित थे बड़े-बड़े ऊंचे

आदर्शों से और करीब-करीब एक आइडियल कांस्टीट्युशन बना दिया। लेकिन हमारे उधर के दोस्तों ने पाया कि उन आइडिल्स पर चलने से कोई लाभ नहीं। जानवेफर ने एक किताब लिखी है, मैंने पढ़ी नहीं, लेकिन उसका कोटेशन बड़ा मशहूर है, दे आर मोर देन इक्वल। तो यह हवा हो गयी है। और आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो बात मैं कहने जा रहा था इत्तफाक से बहुगुणा साहब ने खुद ही कह दी। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का ख्याल यह है कि गवर्नमेंन्ट के बदलने के नीतियां बदलती हैं एडमिनिस्ट्रेशन में कोई अन्तर नहीं पड़ना चाहिए। उन बदकिस्मत लोगों में मैं भी हूं। मेरा ख्याल यह है कि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट बदलेगी तो केवल नीतियां बदलेंगी और एडमिनिस्ट्रेशन उन नीतियों पर अमल करेगा और उन नीतियों पर अमल करते हुये यह नहीं देखेगा कि कांग्रेस मैन कौन है और नान-कांग्रेसमैन कौन है। अगर आपका मतलब कमिटेड से यह है कि कुछ नीतियां ही बदलेंगी तो वह कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का सवाल रहा नहीं। और आपने क्या मिसाल दी कि हमने कानून बनाया, हरिजनों का हमने कर्जा माफ कर दिया। कर्जे ख्वाह नाराज होंगे। इस तरह कुछ टेन्शन होगा। उस टेन्शन से उन गरीब लोगों पर अन्याय होगा लिहाजा उस वक्त पुलिस बीच में आती है, उनका कमिटेड आउटलुक होना चाहिए। आप जब एक कानून बना देते हैं फिर यह नहीं देखना चाहिए कि यह हरिजन है या नान हरिजन, कांग्रेसवाला है या गैर कांग्रेस वाला। कानून आप बनाइए, नीतियां आप बनाएं, लेकिन उन नीतियों पर अमल करते वक्त ब्यूरोक्रेसी सब को एक दृष्टि से देखेगी। और अगर आप समझते हैं कि नहीं, दृष्टि में अन्तर हो जायगा, तो वह गलत है। वही कमिटेड डैमोक्रेसी है, वही डिक्टेटर-शिप है, वही आपकी आटोक्रेसी है। दुनियां में कहीं भी इस तरह की बात हो तो मुझे बता दें। जो आप यह उसूल ले डाऊन कर रहे हैं यह गलत है और बड़े खतरनाक हैं। उसका जो आप जस्टीफिकेशन देते हैं, उसका मैं विरोध करता हूं। आप डैमोक्रेसी का मर्डर कर रहे हैं। अगर आप इस तरह का दृष्टिकोण अपने कर्मचारियों को देना चाहते हैं तो इसका मतलब तो यह हुआ कि देयर इज ओन डेमोक्रैसी। क्योंकि आप पावर में हैं इसलिए डी0 एम0 का फर्ज हो जाता है कि वह जिला परिषद् के अध्यक्ष पद के लिए आपके कैन्डीडेट को जिताए। आपके सरकारी कर्मचारियों का भी यह फर्ज हो गया कि वे रूलिंग पार्टी के केन्डीडेट्स को, जो भी खड़े हों, जितायें।

अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से तीन योग्य से योग्य जजों को सुपरसीड करके एक जूनियर जज की नियुक्ति हुई उसके कारण आपने जुडिशियरी को भी कमिटेड बना दिया। उसको भी आपने कम्युनिस्टिक आइडिया से कमीटेड बना दिया। अब वह जजमेंट फ्री करने में स्वतन्त्र कैसे होगा? लोगों का विश्वास जुडिशियरी में कैसे रहेगा? जब जुडिशियरी की इन्डिपेन्डेन्ट में नहीं होगी तो शान्ति नहीं होगी जनता, सुखी नहीं होगी और प्रजातन्त्र चल नहीं सकता। जब एडमिनिस्ट्रेशन कमीटेड है तो हम बहस क्या करें? हम तो आज यहां यही बताना चाहते हैं कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन में क्या गलितयां हैं, मगर उससे क्या फायदा है? मैं फिर, अध्यक्ष महोदय, जितना बल मेरी आवाज में हो सकता है उस के साथ इसका विरोध करता हूं जो कुछ आपने अभी कहा है।

अध्यक्ष महोदय, इसका नतीजा क्या हो रहा है? जब आपने तय कर लिया कि हर चीज कमीटेड होगी, तो इलेक्शन भी कभी फेयर नहीं हो सकते, यह बात किसी से छिपी नहीं है। सूचना विभाग आपके हाथ में है जो आपकी पब्लीसिटी करेगा। मैंने पिछली बार का सरकूलर पढ़ कर यहां सुनाया था जो सूचना विभाग द्वारा निकला था। एक और पोस्टर निकला था जिसमें चीफ मिनिस्टर तथा कांग्रेस पार्टी के लोगों को बधाई दी गयी थी। वे फिर जल्दी ही हटा दिये गए थे क्योंकि उसमें बहुत गलत बातें थीं। उसका नतीजा क्या हो रहा है? मैं उन्नाव की एक मिसाल देना चाहता हूं। उन्नाव के एक

[चौधरी चरण सिंह]

एम0 एल0 ए0 कांग्रेस के थे। पहले वे कानपुर के एक इन्टरमीडिएट कालेज में क्लर्क थे। उनको एम0 एल0 ए0 बनाया। स्टेट मिनिस्टर फार होम, फिर स्टेट मिनिस्टर फार कोआपरेशन। इस बार हमारे कैन्डीडेट से वे हार गये। अब उनसे तथा उनके समर्थकों से बदला लिया जा रहा है। श्री श्रीपाल सिंह व तीन एम0 एल0 ए0 जो चुन कर आए हैं वे सीनियर हैं। राजेन्द्र सिंह जो यहां बैठे हैं, उनके सगे भाई की जान को खतरा है। मैंने कहा कि उनको शैडो दे दिया जाय। उसमें महीनों लग गए और अन्त में आर्डर यह हुआ कि अपने खर्च से ले सकते हो। माननीय गोपीनाथ दीक्षित जो शहर में रहते हैं, उनके मकान पर आर्म्ड गार्ड रहता है। गांव के मकान में आर्म्ड गार्ड रहता है। सारा एडमिनिस्ट्रेशन उनकी पीठ के पीछे है। अब एक आदमी के पीछे तो दो-दो गार्ड्स रहें, हर तरह से सुरक्षा रहे, दूसरी तरफ जिसको वाकई में खतरा है, उसके लिए कुछ नहीं। अन्त में यह तय हुआ कि अपने खर्च से तुम रख सकते हो।

अब मैं पहले की बात को छोड़ देता हूं। किस तरह से बी0 एल0 डी0 के वर्कर्स या श्री गोपीनाथ दीक्षित के पोलिटिकल आपोनेंट्स के साथ वर्ताव हुआ, वह मेरे दोस्त साथियों ने लिख कर दिया है। उसे मैं जबानी नहीं कह सकता। उसका डिटेल नोट मैं पढ़ देता हूं। मेरे इधर के दोस्त और उधर के दोस्त ध्यान से सुन लें। लेकिन इससे यह न समझ लें कि यह कांग्रेस मैन के हक में हो रहा है या मुखालिफ पार्टी के हक में नहीं हो रहा है, और इसलिए यह चिन्ता का विषय नहीं है। जहां भी इस तरह से होगा यह अन्याय होगा और इस तरह से आज या कल इसका इफेक्ट सारी सोसाइटी पर पड़ेगा और इससे सबकी बदनामी होगी। इस तरह की बदनामी अगर एक जिले से दूसरे जिले में और सारे सूबे में होने लगे तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलेगा, केआस होगा और डिक्टेटरशिप की सम्भावना हो जाएगी। मान्यवर, आपको ताज्जुब होगा इसे सुन कर जो मैं आपको पढ़ कर सुना रहा हूं। मेरे तीन साथियों ने लिख कर दिया है ---

"माननीय चौधरी साहब,

आपका ध्यान उन्नाव जनपद में पं0 उमाशंकर दीक्षित केन्द्रीय मन्त्री व उनके भतीजे श्री गोपीनाथ दीक्षित, भूतपूर्व गृह राज्य मन्त्री के दवाब में सामान्य प्रशासन की हालत पर आकर्षित करना चाहता हूं। मनचाहे अधिकारियों की उन्नाव जनपद में नियुक्ति करा के गोपीनाथ दीक्षित अपने विधान सभा के चुनाव की हार का बदला मनचाहे ढंग से ले रहे हैं। सामान्य जनता का व राजनीतिक लोगों का जीवन गोपीनाथ की वजह से खतरे में है। संक्षेप में नीचे विवरण दिया जा रहा है ---

(1) गत चुनाव में करीब 2 माह पूर्व उन्नाव जनपद में श्री राम अरुण एस0 पी0 व श्री आर0 आर0 शाह, जिलाधीश थे। श्री गोपीनाथ जी उस समय गृह राज्य मन्त्री थे। वह उक्त दोनों अधिकारियों से अपने चुनाव में नाजायज फायदा उठाना चाहते थे, जिसके लिए वह दोनों अधिकारी तैयार नहीं थे। चुनाव आयोग के इस आदेश के बावजूद भी कि चुनाव के दो माह पूर्व जिले स्तर के किसी अधिकारी का स्थानान्तरण नहीं होगा। फिर भी श्री अरुण और श्री शाह का स्थानान्तरण किया गया। जिनका कार्य-काल पूरा नहीं हो पाया था। श्री गोपीनाथ जी श्री नृपेन्द्र मिश्र को उन्नाव का जिलाधीश बना कर लाये। श्री नृपेन्द्र मिश्र, दीक्षित जी के विभाग में सहकारिता, पी0 सी0 एफ0 में चेयरमैन थे। जो, आज दीक्षित जी के कहने पर खुले रूप से राजनीति से प्रेरित होकर दीक्षित जी का कहना मानते हैं और उनके इशारे पर कार्य कर रहे हैं।

2---श्री श्रीराम अरुण, एस0 पी0, उन्नाव जो 6 महीने हुआ था आये हुए, का स्थानान्तरण किया गया और उनके स्थान पर श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल को आसाम से लाकर उन्नाव में एस0 पी0 बनाया गया। श्री अग्रवाल की मां या मौसी जुहारी देवी इन्टर कालेज

कानपुर में प्रिंसिपल थीं। और उसी समय गोपीनाथ दीक्षित उसी कालेज में एक साधारण लिपिक थे।

(व्यवधान)

श्री प्रेम दत्त (जिला फतेहपुर)--

[* * *]

चौधरी चरण सिंह--

पहली बात है, उनको जवाब देने के बारे में कि मैंने एक लफ्ज भी नहीं सुना है। जिस तरह से वह बोले, मैं समझा ही नहीं। मैं शिकायत करता हूं। मैंने प्रोटेस्ट किया कि आप मेरी बातों को नोट कर लें और बाद में कहें। कायदा यह है कि अगर बीच में कोई सदस्य खड़ा होता है और स्पीकर उनकी बात सुनना चाहते हैं तो वह बैठ जाता है, बोलने वाला। मैं अगर बैठता हूं तो वह सवाल करते। मैं नही बैठा, सवाल आगे नहीं होना चाहिए था और स्पीकर मना कर देते। मैंने आपसे अपील की और यट यू केप्ट क्वाइट, मुझको आपसे शिकायत है, क्योंकि इस तरह से डिबेट नहीं चल सकता है।

श्री अध्यक्ष--

जो माननीय सदस्य ने सवाल किए हैं, वह सवाल नहीं लिखे जायेंगे। वह रिकार्ड पर नहीं आयेंगे।

चौधरी चरण सिंह--

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मेरे दोस्तों से, मेरे साथियों से कोई गलती हो गयी है तो आप बाद में बतायें मैं जो कड़े से कड़ा डिस्पिलनरी ऐक्शन है उसको लूंगा। मैं बड़ी खुशी से लूंगा। मैं अर्ज कर रहा हूं कि आप नोट करें और बाद में मुझसे कहें।

अध्यक्ष महोदय, आगे लिखा है कि "श्री अग्रवाल, दीक्षित जी के घर पर गुप्त बैठकें करके राजनैतिक विरोधियों को दीक्षित जी परेशान करने की योजना बनाते हैं और अपने समर्थकों को खुले आम जरायम पेशा करने की खुली छूट दिलाते हैं।"

नं0 4--श्री गोपीनाथ दीक्षित भूतपूर्व गृह राज्य मन्त्री एवं श्री उमाशंकर, केन्द्रीय मन्त्री, ग्राम उगू के निवासी हैं।

मैं भी इस गांव में एक बार जा चुका हूं। आगे है--श्री गोपीनाथ जी को ग्राम उगू की राजनीति में बराबर पराजय का सामना करना पड़ा है। कुछ वर्ष पूर्व गोपीनाथ ने प्रधानों के चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा किया। दूसरी तरफ से वाणी दत्त खड़े हुए जिनके समर्थन में रामेश्वर पहलवान व भुनई थे। वाणी दत्त चुनाव जीते परन्तु वाणी दत्त को गोली मरवा दी गयी, परन्तु वह बच गये।

यही नहीं वाणी दत्त को गांव छोड़कर भी भागना पड़ा है।

"आगे है" जिसमें अधिकारियों की सांठ-गांठ से आज तक उक्त केस में गोपीनाथ जी ने कुछ नहीं होने दिया।

आज तक इसमें किसी पर कोई कार्यवाही नहीं हुयी है। इन्वेस्टीगेशन हुआ होगा तो फाइनल रिपोर्ट भी लग गयी होगी।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

किस सन् का बतला दें।

[* * *] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

चौधरी चरण सिंह—

इसमें लिखा नहीं है। मैं बतला दूंगा।

(कुछ ही क्षण के उपरान्त)

यह सन् 1972 का है।

नं0 5—अध्यक्ष महोदय, आगे कहा है 'अभी हाल में एक कत्ल हुआ, जिसमें 4 मुलजिम नामजद किये गये। रिपोर्ट में भुनई और रामेश्वर का नाम नहीं था।

अध्यक्ष महोदय, यह उसी गांव की बात है। यह वाणी दत्त के समर्थक हैं।

'परन्तु गोपीनाथ जी ने अधिकारियों से (पुलिस अधीक्षक) से मिल कर अपनी हार का बदला लेने के लिए बाद में उन दोनों व्यक्तियों को केस में फंसा दिया। दोनों व्यक्ति कोर्ट में हाजिर हुए। गोपीनाथ जी ने एस0पी0 से मिल कर भुनई की एक दुकान व ट्रान्सपोर्ट की दुकान को तुड़वा कर फेंकवा दिया।'

दूकान भी तुड़वा दिया, एक रात में उखड़ गयी। इस हद तक कर दिया। मैंने इसका जिक्र भी किया था। दुकान को उखाड़ दिया यह जमाने हैं मोनार्की के।

फिर है 'जिसकी सूचनायें भुनई ने मुख्य मन्त्री जी को दी हैं। भुनई का लाखों रुपये का सामान बरबाद किया गया।'

पूछा जाय कि कौन सा कानून था। कौन से जुडिशियल अफसर, ला कोर्ट का हुक्म था कि इस दुकान को ढहा दो।

आगे है 'भुनई ने एस0पी0 महोदय के खिलाफ एक इस्तगासा धारा 147, 158, 120-बी, 395 आई0पी0सी0 में दायर किया। भुनई की जान इस समय खतरे में है और उनके मारने के कई असफल प्रयास किये गए हैं। वह अपना गांव छोड़कर कानपुर चले गये हैं। इसी तरह से रामेश्वर व वाणीदत्त भी अपना ग्राम छोड़ कर कानपुर चले गये हैं।'

नं0 6—ग्राम उगू में गोपी नाथ जी के घर पर व उनके समर्थकों के घर पर गारद लगी हुई थी और गारद की मौजूदगी में ही एक व्यक्ति रमजानी चिकवा का कत्ल किया गया। मुलजिमानों को पकड़ कर हथकड़ी डाल कर लाया जा रहा था तो सफीपुर में आम जनता के सामने श्री गोपीनाथ ने एस0पी0 से कह कर उनकी हथकड़ियां खुलवा दी। और उक्त केस में थाना फतेहपुर चौरासी के थानाध्यक्ष, एस0एन0 पान्डे से फाइनल रिपोर्ट लगवाने के लिए कप्तान साहब ने कहा, उसने इंकार किया तो उसका स्थानान्तरण तुरन्त किया गया। श्री एस0एन पान्डे ने अपना चार्ज देते समय जनरल डायरी में यह लिखा है कि श्री गोपीनाथ व कप्तान साहब मुझसे फाइनल रिपोर्ट लगवाना चाहते थे मैंने इन्कार किया। इसीलिये मेरा स्थानान्तरण किया जा रहा है।

उक्त केस में श्री गोपीनाथ ने और एस0पी0 महोदय ने श्री पांडे, डी0 वाई0 एस0पी0 के द्वारा फाइनल रिपोर्ट लगवा दी गयी। उक्त केस में किसी गवाह के बयान नहीं लिये गये। मृतक के पिता फकीरे ने एक प्रार्थना पत्र इसी सम्बन्ध में डी0 आई0 जी0 महोदय को दिया था। डी0 आई0 जी0 महोदय ने इस पर अपनी असमर्थता जाहिर की जब कि श्री राघवेन्द्र सिंह, शिव पाल सिंह, सुन्दर लाल विधायक गण डी0 आई0 जी0 महोदय से मिले थे। डी0 आई0 जी0 महोदय ने यह कहा था कि उन्नाव के मामले के बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता।

यह चूंकि कांग्रेस का मामला है, इसलिये यदि माननीय मुख्य मन्त्री जी उनसे पूछेंगे तो पता नहीं डी0 आई0 जी0 क्या कहेंगे? वैसे वह यही कहेंगे कि मैंने नहीं किया। यदि एस0एन0 पांडे के कैरेक्टर के होंगे तो वह कहेंगे कि इसलिये किया।

नं0 7---ग्राम उगू से मिले जसरा के प्रधान श्री देवी सहाय जो भारतीय लोक दल के थे और गोपीनाथ के विरोधी थे, को दिनांक 9 अप्रैल, 1975 को प्रात: 8 बजे बस स्टेन्ड पर मार दिया गया।

नं0 8---पं0 उमा शंकर दीक्षित का जन्म दिवस उनके ग्राम उगू में मनाया गया। जिसमें रात में एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें जिले के कुछ अधिकारी और कप्तान साहब तथा तमाम पुलिस गयी थी। गोपीनाथ का एक कट्टर विरोधी जो कवि सम्मेलन देखने गया था, को गोली से मार दिया गया। उसमें भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

तो मेरा कहना है कि वहां तमाम पुलिस क्यों गई? गार्ड उनको मिला हुआ था। तो इसकी क्या जरूरत थी। लेकिन जश्न मनाया जा रहा था। और कट्टर विरोधी को गोली से मार दिया गया। उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

नं0 9---श्री गोपीनाथ दीक्षित अपने चुनाव हार जाने से बौखला कर राजनीतिक लोगों को अपने समर्थकों द्वारा व पुलिस के द्वारा मरवाने का व बदनाम करने का षड्यन्त्र बनाया करते हैं। श्री जीवन लाल तिवारी एस0आई0 को इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये बांगर मऊ थाने का इन्चार्ज बनाया गया। बांगर मऊ स्कूल कांड में श्री गोपीनाथ दीक्षित के बंगले पर एक मीटिंग हुई जिसमें श्री एस0पी0, प्रिंसिपल व जीवन लाल तिवारी थानाध्यक्ष, बांगरमऊ मौजूद थे। वहीं वह षड्यन्त्र रचा गया कि स्कूल में झगड़ा कराकर श्री राघवेन्द्र सिंह को बदनाम किया जाय। चूंकि स्कूल के सभी विद्यार्थियों ने और अध्यापकों ने श्री राघवेन्द्र सिंह के चुनाव में मदद की थी और गोपीनाथ जी का विरोध किया था। श्री गोपीनाथ और प्रिंसपल ने तथा जीवन लाल तिवारी ने उक्त घटना जिसमें दो बच्चों की जानें गयीं, और तमाम दुकानदारों की दुकानें जलायी गयीं। कुछ अराजक तत्वों द्वारा करवाई। उक्त घटना के एक दिन पहले कस्बा बांगरमऊ से आर्म्ड पुलिस व पी0 ए0 सी0 हटा ली गयी थी और थाने के सभी स्टाफ को कस्बे से बाहर भेज दिया गया था। जब यह कान्ड हो रहा था, तब जीवन लाल तिवारी आये और जीवन लाल तिवारी के आदेश से गोली चली जिसमें एक विद्यार्थी की मृत्यु हो गयी। जिसकी न तो डाक्टरी करायी गयी और न उसकी लाश उसके घर वालों को दी गयी।

अब 10वां---पैराग्राफ सुनिये। ग्राम आसायस की एक औरत के साथ श्री जीवन लाल तिवारी एस0ओ0 ने बलात्कार किया जिसकी सूचना मुख्य मन्त्री को दी गयी थी। जिसमें डी0आई0 जी0 साहब जांच करने के लिए गये थे। परन्तु आज तक उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी यह पता नहीं है। श्री जीवन लाल तिवारी---एस0 ओ0 उक्त औरत को जान से मरवा कर कहीं गायब करने की कोशिश में हैं। इसी समय श्री तिवारी का दो बार स्थानान्तरण किया गया परन्तु श्री गोपीनाथ दीक्षित व एस0पी0 महोदय ने रुकवा दिया। इसलिये कि अभी उनके मनचाहे कार्य पूरे नहीं हो पाए थे।

11वां---अभी हाल में श्री राघवेन्द्र सिंह (विधायक) की जमीन पर श्री गोपीनाथ दीक्षित व उनके साथी श्री लक्ष्मी नरायन निवासी ग्राम माढ़ापुर ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया जिसमें 145 का मुकदमा चला और दीक्षित जी ने अधिकारियों पर दवाब डाल कर मुकदमा अपने हक में करा लिया। और उसी दिन एस0 डी0 एम0 खान मौके पर जाकर कब्जा दिलाने गये। एस0 डी0 एम0 खान की मौजूदगी में श्री जीवन लाल तिवारी एस0 ओ0 ने जीप से कस्बा सफीपुर से मजदूर ला कर मकान बनवा लिया।

मैं पूछता हूं कि क्यों? उसका टाइटिल तो सिविल कोर्ट तय करता। आपतो पजेशन दिलाने गये थे, लेकिन पजेशन दिलाने में मकान भी बनवा दिया गया।

[चौधरी चरण सिंह]

अब आगे सुनिये:—

12—बांगरमऊ थाने में जहां से श्री गोपीनाथ दीक्षित जी भारी बहुमत से पराजित हुये हैं, श्री दीक्षित जनता से बदला लेने की भावना से पुलिस को पूरी छूट दिलवा रखी है। आये दिन गांव-गांव में डकैतियां और कत्ल हो रहे हैं, जिनकी रिपोर्ट थानों में दर्ज नहीं की जाती हैं।

13—श्री दीक्षित के समधी श्री कृष्ण नारायन अवस्थी के लड़के दिनेश चन्द्र अवस्थी ने बी0 डी0 ओ0 मियांगंज को जूतों से मारा था। जिसकी रिपोर्ट हुई परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी। श्री दिनेश चन्द्र के साथियों का मियांगंज में बहुत बड़ा आतंक है और उनका बहुत बड़ा गिरोह है....

लगता है कोई रायल ब्लड है, रायल ब्लड न सही तो कम से कम उस फेमली से वास्ता रखते हैं.....

मियांगंज पी0 डब्ल्यू0 डी0 गोदाम से ट्रकों द्वारा तमाम सरियां जो लाखों की थीं चुरा ली गयीं मगर आज तक जांच न हो पायी। इसी तरीके से मियांगंज में ही पावर हाउस से कई बन्डल वायर ट्रकों से लादकर डकैतों द्वारा उठा लिये गये, जिसकी रिपोर्ट हुई मगर राजनीतिक दवाब के कारण पुलिस डकैतों के खोजने में असफल रही वैसे गांव जवार के लोग तथा पुलिस भी अच्छी तरह से जानती है कि इन डकैतियों में किसका हाथ है? मियांगंज ब्लाक के श्री शिवमोहन सिंह कनिष्ठ लिपिक बैंक से दस हजार रुपये सरकारी था ले जा रहे थे मियांगंज चौराहे पर छीन लिया गया। मगर हुआ कुछ नहीं।

14—ग्राम सिकन्दरपुर में एक परिवार के 7 व्यक्तियों की हत्या कर दी गयी। आप सोचें कि एक ही दिन में कर दी गयी। अब क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी को यह ख्याल है कि ला एन्ड आर्डर की पोजीशन क्या है.....परन्तु पुलिस की निष्क्रियता के कारण एक भी मुलजिम अभी तक नहीं पकड़ा जा सका। करीब 3-4 महीने हो चुके हैं। और शायद वह कोट करदेंगे स्टेटिस्टिक्स हत्याओं के स्टेटिस्टिक्स कोट कीजिये। और तो बदले जाते हैं। हत्याओं के नहीं बदले जाते। हत्यायें बढ़ रही हैं। जुर्म बढ़ रहे हैं। दो हत्यायें एक दिन में एक गांव में हो गयीं। परन्तु पुलिस की निष्क्रयता के कारण एक भी मुलजिम नहीं पकड़ा जा सका, करीब तीन चार महीने हो चुके।

15—श्री कमल किशोर मिश्रा ए0 डी0 एम0 पी0 उन्नाव जो जिला परिषद् अध्यक्ष, श्री भूपेन्द्र नाथ शुक्ला के रिश्तेदार हैं और गोपीनाथ दीक्षित के विशेष कृपापात्र है, के विरुद्ध भ्रष्टाचार और जातिवादी भावना को लेकर श्री शिव पाल सिंह ने कई पत्र मुख्य मन्त्री तथा ए0 पी0 सी0 को भेजे थे जिन पर जांच चल रही है। मिश्र तथा पुलिस अधीक्षक ने मिल कर हरिजन अधिकारी श्री शौकत अली के द्वारा एक झूठी रिपोर्ट धारा 332 और 353 व 323 में 1½ घन्टा जी0 डी0 कोतवाली उन्नाव में रोक कर करायी गई जिससे श्री शिवपाल सिंह को दबाया जा सके। शिवपाल सिंह मुझसे मिले और मुझे सारी बात जबानी भी सुना चुके हैं। शिवपाल सिंह ने हरिजन अधिकारी के अभद्र व्यवहार के सम्बन्ध में तुरन्त ही जिलाधिकारी ए0 डी0 एम0 प्लानिंग को सूचित किया और शहर कोतवाली, उन्नाव में रिपोर्ट दर्ज करायी थी। वह बेहूदा तरीके से पेश आया तो उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवा दी।

16—श्री गोपीनाथ जी उन्नाव में एक ही जात विशेष के अधिकारियों को जो उनकी राय से कार्य करें, को लाये हैं जिनकी लिस्ट साथ में संलग्न है। 23 डिपार्टमेंट हैं और 19 या 20 में एक ही बिरादरी के लोग हैं। मैं किसी बिरादरी का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन करीब-करीब सभी जिलों में यही हाल है। इस लिस्ट में सिवाय श्री शिव कुमार निगम, श्री हीरा लाल, श्री के0 बी0 इजरायली, श्री जमाल अशरफ और श्री रमेशचन्द्र अग्रवाल को छोड़कर सभी ब्राहमण हैं। अगर आप सिविल लिस्ट को उठाकर देखें तो सारे एडमिनिस्ट्रेशन में यही हाल है। मैं नहीं कहता कि आप इसके लिये जिम्मेदार हैं। जो

चल रही है पुरानी चीज चल रही है बहुत पुरानी नहीं है। स्वराज्य के बाद यह टेन्डेन्सी बढ़ी है। खूब खुलकर जोर है कास्टींज्म पर। मैं कभी बोला नहीं इस पर। आज भी नहीं बोलना चाहता। लेकिन आप सोचें कि इसके नतीजे खराब निकलने वाले हैं। मद्रास में ब्राह्मण और नान ब्राह्मण मूवमेंट चला। वहां एक ब्राह्मण चुनकर नहीं आता। यही महराष्ट्र में हुआ। वहां अन्याय हो रहा है ब्राह्मणों के साथ, मैं एडमिट करता हू। लेकिन यह रिएक्शन है। क्या हम कभी इससे सबक भी सीखेंगे या नहीं। स्वराज्य होते ही हम पालिटिक्स में कास्ट को ले आये। अब एडमिनिस्ट्रेशन में भी है। मैंने एक बहुत योग्य डी0 आई0 जी0, उनका नाम था चतुर्वेदी उनको डायरेक्टर बनाया विजीलेंज का। जूनियर थे, 1970 में प्रमोशन किया। मैंने आई0 जी0 को बुलाया। उन्हे 1/2 अफसरों के नाम बतलाया। उन्होंने कहा जिनका नाम बता रहा हूं, वे ईमानदार हैं। मैंने कहा चतुर्वेदी की बाबत क्या है। उन्होंने कहा उसका 7 साल का तजुर्बा है सी0 बी0 आई0 का, लेकिन जूनियर है। कुछ हो जायेगी। बात ठीक हो सकती थी, लेकिन पब्लिक इन्टेरेस्ट में मैंने उसको बनाया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? एक प्रचार हुआ फलां बिरादरी के खिलाफ। अब देखता हूं कि जिनके खिलाफ मैंने कार्यवाही की थी, लगभग सभी रिइंस्टेट हो गये। अब उन अफसरों ने तय किया है कि चरण सिंह के बिरादरी के जो छोटे अफसर हैं, उन सबको नहीं बनायेंगे। बड़े से बड़े अफसरों का यही हाल है। मैं जानता हूं उस चीज को। मैं प्रायवेट रूप से कहता हूं मुझको रिटायर हो जाना चाहिये पब्लिक लाइफ से क्योंकि एक बिरादरी के साथ अन्याय हो रहा है। प्रमोशन होंगे तो, ट्रान्सफर होंगे तो, अप्वाइन्टमेंट्स होंगे तो. . . . . बस मालूम हो जाय कि यह फलां बिरादरी का है। एक नहीं, बल्कि दो बिरादरी के लोगों का नहीं होगा। यही नहीं डिवीजनल लेविल के जो अफसर हैं, सबका ट्रान्सफर हो गया, सब सेकण्ड अफसर हो गये। बस मालूम होने की जरूरत है कि किस बिरादरी के हैं। एक साहब ने बतलाया, मुझसे मिलने आये। आगरा डिवीजन के आदमी थे। यहां आये। डी0 आई0 जी0 से मिलने गये। कैरेक्टर रोल ए–1 था। उन्होंने कहा कि कैरेक्टर रोल अच्छा है। पूछा कि कौन बिरादरी के हैं। वह अपने नाम के बाद शास्त्री लिखते थे। जब बिरादरी का नाम सामने आया तो सेकण्ड अफसर बना दिया गया। जबकि वह नाक के बाल थे, पहले चीफ मिनिस्टर के।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा––

कौन से चीफ मिनिस्टर?

चौधरी चरण सिंह––

आप नहीं, कमलापति जी। अभी भूतपूर्व नहीं हुये, आप।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा––

आपकी श्रेणी में, चौधरी साहब, आने का सौभाग्य मुझको कहां प्राप्त होगा?

चौधरी चरण सिंह––

तो मान्यवर, मैंने 23 नामों में से 4 के पढ़ दिये। बात केवल एक बिरादरी के लिये है। मालूम होता है, दुनियां की सारी इन्टेलेक्ट एक बिरादरी के पास है। यह बड़े से बड़े अफसरों का हाल है। मैं उनको दोष नहीं दूंगा। यह तो पालीटिशियन्स की बात है। क्योंकि जब वे गलत करते हैं, तो उनको इनकरेज किया जाता है। इसके पूर्व जब पुलिस प्रशासन की बात आयी थी, तो मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि डी0 आई0 जी0 के द्वारा जांच की जायेगी और जांच के बाद अवगत कराया जायेगा, लेकिन मुझको नहीं बतलाया गया, क्या हुआ।

[चौधरी चरण सिंह]

अध्यक्ष महोदय, किस तरह से डिसक्रिमिनेशन हो रहा है, इसकी मैंने एक मिसाल दी। यह डिस्क्रिमिनेशन रोजाना, हर जगह, हर जिले में हो रहा है। मैं एक/दो मिसाल रखना चाहता हूं। अभी धीरेन्द्र सहाय जी ने 3 इनसीडेंस अपनी कलम से लिखकर दिये हैं। पीलीभीत के मामले हैं। कांग्रेस मैन के लिये ला नहीं है। एक मामला है जिसमें अशोक शर्मा भूतपूर्व संयुक्त मंत्री, उ0 प्र0 समाजवादी युवजन के पिता को, यूथ कांग्रेस के लड़कों ने, जो उनके घर के सामने रहते हैं, उनकी लड़की को गंदे रिमार्क देने से मना करने पर, उनके चबूतरे पर बुरी तरह मारा। खोपड़ी तोड़ दी लेकिन धीरेन्द्र सहाय के बार-बार कहने पर भी कोई गिरफ्तारी या कार्यवाही नहीं की गयी क्योंकि यूथ कांग्रेस से जिसका सम्बन्ध है, उसको छूट है। धीरेन्द्र सहाय जी को शायद मालूम नहीं है कि यह कमिटेड ब्यूरोक्रेसी है, कैसे कार्यवाही कर सकती है?

दूसरा केस है यूथ कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री पी0 एन0 पांडेय जिनका कोई धन्धा नहीं है और जिनको पीलीभीत का गनेश मिश्रा कहा जा सकता है उन्होंने गरीब किसानों को धोखा दे कर सहकारी विभाग के नाम से फर्जी रसीद काट कर हजारों रुपया हड़प करने की काफी शिकायत है और उनके खिलाफ श्री राम चन्द्र गंगवार द्वारा 420 की रपट भी कोतवाली में दर्ज करा दी गयी है। यूथ कांग्रेस के जोनल अध्यक्ष श्री मिश्रा को जब जनता के लोग मजबूर करके डी0 आई0 जी0, के0 डी0 शर्मा के पास ले गये तो डी0 आई0 जी0 ने मिश्रा से पूछा क्या आपने इस सम्बन्ध में कांग्रेस के बड़े नेताओं से बातचीत करली है। मैंने ही कार्यवाही की और मेरे ही कान खींचे गये तो क्या होगा? एक मिश्रा बेईमानी के खिलाफ चला गया उसका स्थान कांग्रेस में कहां है? उसे भारतीय लोक दल में आ जाना चाहिये था, मिश्रा का कांग्रेस में कोई स्थान नहीं है। अब मुझे मालूम हुआ है कि आई0 जी0 ने डी0 आई0 जी0 से कहा और यह हिदायत दी है कि यूथ कांग्रेस के लोगों के साथ कोई कार्यवाही न की जाय। ऐसे रिटेन आर्डर्स नहीं हुए होंगे, इशारा मात्र होगा। अनरिटेन पालिसी ऐसी होती है, यह धीरेन्द्र सहाय जी को शायद मालूम नहीं है।

तीसरा केस है। श्री शिव कुमार शर्मा पुराने कांग्रेसी हैं जो अध्यक्ष जिला परिषद् हैं, उनके खिलाफ 409 आई0 पी0 सी0 के अन्तर्गत रपट 15 जनवरी, 74 को एक श्री सिंह जी प्रभारी अधिकारी, नगर पालिका हैं, ने लिखाई। मैं इस लड़के को 20 साल से जानता हूं। 55 में उसे देखा था। कानूनगो के इम्तिहान में वह गया था और उस समय मैं पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी था तब वह मेरे पास आया था। लैंड रिफार्म कमिश्नर श्री जे0 निगम उसकी बहुत तारीफ करते थे लेकिन आज तक वह तहसीलदार नहीं हो सका हालांकि फस्ट क्लास आफिसर है और अब उसके ट्रान्सफर की कोशिश हो रही है। शायद उसका ट्रान्सफर हो गया होगा क्योंकि जिला परिषद् के अध्यक्ष के खिलाफ उसने गबन की 409 के अन्तर्गत रपट लिखा दी थी।

आपकी न्यूज एजेन्सियां हैं—एक पी0 टी0 आई0 और दूसरी यू0 एन0 आई। दोनों अच्छा काम कर रही हैं। एक का कुछ रंग है और दूसरी बेरंग है। पिछले साल पी0 टी0 आई0 को दो हजार या 18 सौ गवर्नमेंट से मिलते थे। क्यों कि यह एजेन्सी गवर्नमेंट के इन्टरेस्ट की है इसलिये आपने उसको 1 हजार रुपया बढ़ा दिया। दूसरी ने दरख्वास्त दी थी कि हमें परेशानी है, डियरनेस बढ़ गया है, लिहाजा हमारा भी बढ़ाया जाय, आपने 250 रु0 बढ़ाये। इसके माने क्या हुये? पी0 टी0 आई0 के लोग बैठे होंगे, वे नाराज हो जायेंगे। यह सब क्यों हो रहा है? इसमें भी पोलिटिक्स है, इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन है। बात यह है जो हमको सपोर्ट करेगा, उसको हम पैसा देंगे क्यों कि हम पैसे के मालिक हैं। इसलिये जज भी वही मुकर्रर करेंगे जो हमारा होगा। यह बात भी दिल्ली से चली है।

एक बात यह है कि जो गवर्नमेंट होती है, वह किस ढंग से चलेगी यह चीफ मिनिस्टर के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, अधिकतर। जैसे वह चाहेंगे, वैसे ही चलेगी। इत्तफाक

से बहुगुणा जी शायद कम्युनिस्ट थ्योरी में विश्वास करते हैं। इनको साधन हासिल करना है, साध्य से कोई मतलब नहीं है। क्या इस तरह से गवर्नमेंट चल सकती है? नहीं चल सकती है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके सामने 5/7 मिसालें देना चाहता हूं और आपके जरिये माननीय मुख्य मंत्री जी से माफी चाहता हूं। यह कहने के लिये कि आपका एक-एक ढंग काम करने का जो है इटविल फैल्टर डाउन टू दि लोयेस्ट रैंक आफ ब्यूरोक्रेसी। सारे समाज पर, सारे लड़कों पर, सारे दुकानदारों पर, सारे राज्य कर्मचारियों पर, सारे किसानों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? दो-तीन बातें तो मैंने बतला दीं। उन्हींके आधार पर मैं आगे की बात भी कहूंगा। एक डिप्टी सेक्रेटरी को आप लाये। पहले वह इलाहाबाद में था, फिर वह दिल्ली चला गया और दिल्ली से आप उसे ले आये। आपका कहना है कि मुझको नहीं मालूम है कि उनके खिलाफ कोई केस चल रहा है, या उनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है। यह आपको मालूम होना चाहिये और मेरा ख्याल है कि आपको मालूम था। फिर उनके खिलाफ कोई केस चल रहा है। खड़े होकर कोई कागज पेश कर देते लेकिन नहीं। आप यहां पहले रह चुके थे। वह अफसर 6 महीने तक इलाहाबाद में रहा, वहां से दिल्ली ट्रांसफर हुआ और आप उसे यहां ले आये। जब मैं यहां पर था तो राधेश्याम शर्मा, 7 अक्टूबर को मेरे साथ इलाहाबाद गये और डी0 एम0, ए0 डी0 ए0 सरकिट हाउस में मुझसे मिलने आये थे कि जिसके खिलाफ ऐक्शन लेना है वे तो दिल्ली चले गये हैं। ऐसे आदमी को आपने सेक्रेटरी बना रखा है। यह सब चीजें क्या जाहिर करती हैं?

दूसरा धर्मयुग में आपका इन्टरव्यू आता है। हम को चरण सिंह ने भी नहीं बताया। आप गलत बात जानबूझ कर पेश करते हैं। अगर कोई छोटा आदमी कहे तो कोई बात नहीं जिला परिषद् का सदस्य या म्युनिसिपल बोर्ड का सदस्य कहे तो बात कही जा सकती है, लेकिन आपके वे शब्द नहीं होने चाहिये। आप प्रदेश के सबसे बड़े आदमी हैं खुशकिस्मती है। लेकिन आप तरकीबों और तिकड़मों से चलाना चाहते हैं। मैं कहूंगा आपको सही काम करना चाहिये चाहे आप 6 महीने रहें चाहे 3 महीने रहें जिससे आपको लोग हमेशा याद करेंगे, लेकिन अगर गलत बयानी सेऔर तिकड़मों से 6 साल भी रहोगे तो 'पीपुल बिल' कंडम।

अब दूसरी बात आप जानते हैं कि डिप्टी स्पीकर का इलैक्शन आपने जिस तरह से कराया, मैं माफी चाहता हूं मैं कहना नहीं चाहता था। लेकिन जब फैसला न हो तो आप इस तरह से कहेंगे कि वह अपोजिशन के थे। क्यों नहीं जो हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के दो सदस्य हैं उनको नहीं सोचा। तो यह आपको शोभा नहीं देता है जो आपने इसके बाबत सफाई दी, उससे 'नोबाडी विल बी कविंस्ड'। मैं समझता हूं कि आपके जो एक-एक एक्शन हैं वह एडमिनिस्ट्रेशन में उससे लड़के और प्राईवेट सिटिजन का मोरल एफैक्ट करता है कि आप किस तरह से काम करते हैं किस आदर्श को आप सामने रखते हैं 'चीफ मिनिस्टर इज दि बिगेस्ट मैन इन दि स्टेट एण्ड दीज आर युवर स्टेंडर्ड्स'।

अब अध्यक्ष महोदय, पी0 एम0 की बात कहता हूं। कितना समय हो गया इनोगरेशन करके और फाउंडेशन स्टोन ले किये हुए वह रखे के रखे पड़े हैं। हम तो यह समझ रहे थे कि यह सब काम इंदिरा जी ने जो किये हैं इसमें थोड़ा सा मश्विरा त्रिपाठी जी और बहुगुणा जी से किया होगा। तो खाली नारों से या लोगों से यह कह कर कि तुम्हारे इलाके में ऐसा होने वाला है चुनाव के दिनों में यह सब कहने से देश में डेमोक्रेसी मजबूत होने वाली नहीं है। तो मैं अपने नौजवान मुख्य मंत्री से कहूंगा कि वह अपने ऊपर के लीडरों से कहें इस तरह से बात ज्यादा दिनों तक छुपेगी नहीं। आप देखें प्राइम मिनिस्टर क्या कह रही हैं। 12 तारीख

[चौधरी चरण सिंह]

को रायबरेली में, वह अंग्रेजी में है मैं पढ़ देता हूं प्रेस वालों से इन्टरव्यू में वह कहती हैं जब उनसे पूछा :

taking opposition allegation that all developmental work had stopped in Uttar Pradesh, she said the State was making steady progress.

आज किसको नहीं मालूम कि सारा काम रुक गया है और आप कह रही हैं नहीं। प्राईम मिनिस्टर हैं, ऊंची पोजीशन पर हैं और फिर महिला हैं। आगे है—

"Some of the factories and project of which she laid down foundation stones on the eve of the Assembly elections were idle because of shortage of funds. She said she had clearly asked the Chief Minister before laying down the foundation stones of various project 'if the Govt. will be able to bear their burden.' When the reply came in affirmation I laid-down the foundation stones."

लोगों को शिकायत है कि सारे मामले आज रुके हैं और हमारी बहन यह बोलें। तो ऐसी बात उनको नहीं कहनी चाहिये थी। अगर सारे काम नहीं रुके हैं तो बहुत से रुके पड़े हैं। तो जब उनसे पूछा गया कि साहब जिनकी आपने नोपनिंग सेरोमनी की वह सब रुके पड़े हैं तो उनका जवाब था कि मैंने यह चीफ मिनिस्टर से पूछ लिया था कि अगर आपके पास फण्ड हैं तब ही मैं बुनियाद रखूंगी। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि वह फंड कहां हैं जो आपने प्रधान मंत्री से कहा था प्राइम मिनिस्टर जो बात कहती हैं, उनकी सब बातों का मैं यकीन नहीं करता हूं। लेकिन आप तो पार्ट हैं उनके, मेकिंग सच स्टेटमेंट। आप कह कुछ नहीं सकते हैं, क्योंकि वह आपकी लीडर हैं। इसलिये मैं मानकर चलता हूं कि वह सही कह रही हैं और आपको भी ऐसा मानना ही पड़ेगा। तो आप बताइये कि आपने क्यों मश्विरा दिया था? लोगों को धोखा देने केलिये, वोट लेने के लिये। अध्यक्ष महोदय, अब आप देखें एप्वाएन्टमेंट आफ आर0 के0 पाटिल, तरह-तरह के करिश्में करेंगे आप, फिर कैसे कोई इन मुख्यमंत्री से जीतेगा।

जो हमारा लैण्ड रिफार्म लेजिस्लेचर बना, मैं मानता हूं वह ठीक है और वह मोस्टली रिव्यूलूशनरी है, जिसको कम्युनिस्ट पार्टी भी अपने यहां नहीं कर सकती है। उनको शिकमी का अधिकार, ट्रांसफर का, गांव समाज मैनुवल बना दिया आपने कि हरिजनों को जमीन दी जाए। सन् 59 में मेरा इस्तीफा हुआ, 60 में फिर मुझे गुप्ता जी ने मिनिस्टर बना दिया मैंने कहा रेवेन्यु डिपार्टमेंट मुझे दे दो और उसमें दो ही काम हैं, मैं चाहता हूं कि कंसालिडेशन में रिश्वत न चले, कोई कानून या ढांचा नहीं बना है, केवल उसको कंसालिडेट करना है कि गांव समाज की भूमि का प्रापर इन्तजाम हो जाए और डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। किन्तु उन्होंने उसको एक दूसरे मंत्री को दे दिया जिससे गांव समाज की सारी जमीन खुर्द-बुर्द हो गई। सन् 67 में एक कानून बनाया, लेकिन उसका भी क्या कुल 7-8 महीनें में रहा ही था। बड़े बड़े फार्मों की जमीनें निकालने के लिये जो आपने सीलिंग ऐक्ट बनाया वह डिफेक्टिव था, उसके मातहत जो जमीन मिलनी चाहिये थी, वह मिली नहीं और एक पुराने चीफ मिनिस्टर के पास बड़े बड़े फार्म वगैरह हैं। श्री मंगलदेव विशारद की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठी थी, उन्होंने रिपोर्ट दे दी कि इस फार्म की यह हालत है, किन्तु जमीन ली नहीं गई। वह रिपोर्ट यहां पेश हुई, उस पर पूरी तरह अमल होना चाहिये था तथा कोई रूल या सेक्शन गलत है तो उसे अमेन्ड करते। हरिजनों को जमीन नहीं मिली और जिनको अधिकार नहीं था उनको जमीन मिली तो यह गलती केवल ऐडमिनिस्ट्रेटिव अधिकार की थी। आपने श्री आर0 के0 पाटिल कमेटी बना दी, यह देखने के लिये कि हरिजनों को जमीन क्यों नहीं मिली और वह उनका प्रबन्ध करें। यह आर0 के0 पाटिल पहले आई0 सी0 एस0 अधिकारी थे, फिर

इस्तीफा दे दिया था और बाद में इनको भारत सरकार ने एक एग्रीकल्चर कमीशन का चेयरमैन बनाकर चायना भेजा था। इन्होंने कोआपरेटिव फार्मिंग वगैरह को रेकमेण्ड किया है। मैंने उनका नाम पहले सुना था, वह आदमी शरीफ थे आपने उनको मुकर्रर कर दिया, ताकि कहने का मौका मिल जाए–देखो हरिजनों तुम्हारे इस सूबे में कोई आदमी नहीं था, सो दूसरे सूबे का आदमी जो चीन गया था, उसको मुकर्रर कर दिया है। पता नहीं पाटिल साहब को कैसे मालूम हुआ कि त्रिपाठी जी–त्रिपाठी जी हैं या नहीं, सो रहे हैं–(व्यवधान) में और त्रिपाठी जी इसके मेम्बर हैं। उन्होंने इस पर मुझे पत्र लिखा, वह गवर्नमेंट हाउस में आकर ठहरे थे,––चरण सिंह जी मुझे खुशी है कि आप इस कमेटी के मेम्बर हैं, मैं आपसे बात करने आना चाहता हूं। मैंने उनको लिखा है, आपको बहुत-बहुत शुक्रिया, लेकिन माफ करना, आपकी कमेटी की जरूरत नहीं थी। उनकी मेरी मुलाकात हुई थी। मैं तो केवल यह कह रहा था कि श्री मंगलदेव विशारद ने इसलिये इस्तीफा दे दिया कि उनकी समिति की संस्तुति नहीं मानी जा रही है। अब दिया या नहीं, मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन ऐसा सुना है कि दे दिया है। अगर आपके किसी मिनिस्टर को या रेवेन्यू मिनिस्टर को जो गांवों की स्थिति को जानते हैं, उनको पता होना चाहिये कि इस कमीशन की क्या जरूरत थी। उसके इम्पलीमेंटेशन का था, कमीशन को कोई सवाल नहीं था। लेकिन आपका एटीट्यूड रहा कि बिठा दो कमीशन और कमीशन बिठा दिया गया। अब आपने हरिजनों का कर्जा माफ कर दिया। आप भले ही माफ कर दीजिये। उसका कोई दस्तावेज नहीं लिखा है बल्कि वह तो आपसी समझौते की बात है और वे लोग ईमानदारी के साथ निभा देते हैं। वे लोग कोर्ट में नहीं जाते हैं। अगर अच्छा आदमी है किसान तो वह बहुत कुछ सूद वगैरा माफ कर देता है। आपने कर्जा माफ कर दिया। किस लिये कि यह आपका एक पोलिटीकल स्टंट है। अब उनको प्राइवेट लोगों से कर्जा नहीं मिलेगा। अब सवाल यह है कि गवर्नमेंट से दिया जाये। अगर गवर्नमेंट उनको रुपया देगी तो जैसी आपकी मशीनरी है उस गरीब को मुश्किल से एक चौथाई मिल पायेगा। ऐसा आपका पाटिल कमेटी का स्टंट रहा।

आपकी बजट स्पीच को देखिये। इसमें आपने यह साबित कर दिया है कि प्रदेश तरक्की कर रहा है। मैं आपके ही आंकड़े बताऊंगा कि स्टेट पीछे हट रही है। "वर्ष 1960–61 में राज्य का आंतरिक उत्पादन (राज्य की आय) 1799 करोड़ रुपये का था। 1960–61 के मूल्यों के आधार पर 1968–69 में राज्य की कुल आय, 2167 करोड़ रुपये थी जो संशोधित अनुमानों के अनुसार वर्ष 1973–74 में बढ़ कर 2336 करोड़ रुपये हो गई। 1974–75 के संबंध में पूर्ण सूचना अभी उपलब्ध नहीं हो पाई है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। मेरी बात सुन कर जाइये।

श्री अध्यक्ष––

मेरे कमरे में लाउड स्पीकर लगा हुआ है।

(इस समय 2 बजकर 32 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष, कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा पीठासीन हुये।)

चौधरी चरण सिंह––

लेकिन अभी तक जो संकेत प्राप्त हुए हैं, उनके अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि 1960–61 के मूल्यों के आधार पर वर्ष 1974–75 के दौरान राज्य की आय में 1973–74 की अपेक्षा महत्वपूर्ण वृद्धि होने का अनुमान है। बिजली बिलकुल नहीं मिली है, इसलिये वृद्धि होने का अनुमान है। 1968–69

[चौधरी चरण सिंह]

के मुकाबले में प्रदेश की 1973–74 में आय बढ़ गई। 1972–73 के मुकाबले में बढ़ी या घटी यह नहीं बताया। यह क्यों छिपाया ? आपने जान-बूझ कर छिपाया। अब आपकी जो एक डायरी निकलती है मैं इसे ज्यादा पढ़ता पढ़ाता नहीं हूं। मैं यहां की नहीं पढ़ता हूं गवर्नमेन्ट आफ इंडिया की ज्यादा पढ़ता हूं। आप तो सिवाय गलत बयानी के और कुछ करेंगे ही नहीं। पृष्ठ 41 में टोटल एण्ड पर कैपिटा स्टेट इनकम आफ स्टेट आफ यू0पी0 1971–72 में 23, 54 करोड़ रुपये प्रति व्यक्ति 591 रु0। 1972–73 में 24, 51 करोड़ रु0 और प्रति व्यक्ति 652 रु0। 1973–74 में 115 करोड़ रु0 टोटल इन्कम घट गई। 1972–73 का इसमें आपने क्यों नहीं दिखाया। अगर मैं यह कहूं कि डिलीबरेटली टु डिसीव दि पीपुल। कोई इसका जबाब हो सकता है ? आंकड़े तो आपके पास मौजूद थे। 1972–73 के आंकड़े तो मौजूद थे लेकिन पूरी तरह अंधकार में रखा था। 115 करोड़ जिसका मतलब यह है कि 11 परसेंट, 11 रुपया फीगर्स घट गई है आमदनी, जब से आप रहे हैं 4 महीने और 8 महीने श्रीमान् त्रिपाठी जी साहब, उस साल घटी है। आप कहते हैं बड़ी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिकायत कर रहा हूं यह बात छोटी से छोटी है परन्तु छोटी से छोटी बात मिल कर बड़ी बात का संकेत करती हैं। इस गवर्नमेंट का कोई बसूल नहीं है। हमने हिस्ट्री ला में पास किया। यह हमारे माइंड पर इम्प्रेशन था, जब मैं 37 में एम0एल0ए0 हो कर आया, अब तक याद है मुझको बात। जो बात चीफ मिनिस्टर कहता है, उस पर जनता विश्वास करती है और तभी मुल्क चलते हैं। तो मुल्क क्यों न बरबाद हो। केवल यह बात काफी है, आपके लिए।

उपाध्यक्ष महोदय, एक और सुन लीजिए कि बी0एल0डी0 मेम्बर का डिफेक्शन। श्री खूब चन्द ने जनवरी में मेरे पास खत लिखा है कि क्योंकि आप जे0पी0 के मूवमेंट का समर्थन कर रहे हों, अगर्चे मैं आपकी पार्टी के टिकट पर चुन कर आया हूं, लिहाजा मैं आपकी पार्टी को छोड़ता हूं। अब बैठते होंगे उधर कहीं। अब जनवरी में आपने हमको खत लिख दिया। अब है झगड़ा कुछ कांग्रेस पार्टी में। आप जान गये, आपके घर का झगड़ा है। मुझे यह मालूम है कि उनके लड़के एग्रो के कुछ अधिकारी हैं। 80 हजार के गबन की शिकायत है। एम0एल0ए0 के लड़के के खिलाफ 80 हजार के गबन की शिकायत है, लिहाजा वह यहां कैसे बचें और एलेक्शन पेटीशन भी है उनके खिलाफ। त्रिपाठी जी मैं अर्ज करना चाहता हूं कि डिफेक्शन जनवरी में हो गया और एनाउन्समेंट अब किया गया। अब नजीर अहमद साहेब हैं, 3 महीने पहले हमारी पार्टी से उनका डिसमिसल हो गया, लेकिन एनाउन्समेंट डिफेक्शन का अब हुआ। मैं तो सुन रहा था। आप अपने साथी से कह दें कि आपकी शिकायत की थी। आप तो माशे अल्ला हैं ही। अध्यक्ष महोदय कायल हैं इन्टेलेक्चुअल के। अगर इस बात के कम इन्टेलेक्चुअल होते और पैमाने और अच्छे होते तो प्रदेश की अच्छी खिदमत होती। दिल आपका ठीक नहीं है तो देश का नाश हो जायेगा। दिल ठीक हो जायेगा और डिग्री नहीं है तो उससे देश ठीक होगा। पायनियर में लाया हूं। मैं उस रोज मौजूद नहीं था। किसी ने सवाल किया कि आपने एक्सटेंशन क्यों दे दिया आई0जी0 और चीफ0 सेक्रेटरी को। मैं उसको पढ़ता हूं—

Mr. Malviya asked: Are the reprecedents for the Chief Secretary and the I.G. of police being given extention of this kind ?

बहुगुणा जी ने उत्तर दिया—

Hundreds of such precedents—particularly at the centre. The Leader of Jansangh Mr. Tripathi asked, it is a fact that there is considerable dissatisfaction among the officers personnel of the states police force because of the extention given to the I.G.

तब बहुगुणा जी ने उत्तर दिया, वह मैं सुनाता हूं––

During the presidential rule in the state in the wake of P.A.C. revolt, the centre initiated a long list of reforms in the organisation of the states police force. And to carry them out it is not desirable to change horses in midstream so far as the leadership is concerned.

अब फिर परसनल बात आ गयी। क्या इनके रिटायर होने से पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन बिगड़ जाता। आपने डी0 आई0 जी0 और बना दिए। क्या चीज थी इन आफिसर्स में। आपने बयान दिया था कि नो एक्सटेन्शस। तो मेरे पास वह भी रखा है। एक्सटेन्शन दिया हायस्ट औफिसर, चीफ सैक्रेटरी और आई0 जी0 को। एक्सैप्शनल केस कोई हुआ होगा? अगर सेन्टर में भी कोई एक्सेप्शनल केस हुआ तो उन्होंने भी गल्ती की है। तो यह कोई रीजन नहीं हुआ है। अब चीफ सेक्रेटरी की बात आती है। अगर वे नाराज हो जायं तो सारा मामला ही चौपट हो जाय। इनके बारे में

Mr. Malviya asked if it was a fact that there were serious charges against Mr. Sanwal when he served as the Chairman of the State's Agro Industrial Corporation. The Chief Minister answered. No, it is not a fact.'

But I say, that it is a fact.

वर्ष 1970 में मैं जब चीफ मिनिस्टर था तो श्री शिवराजसिंह कृषि मंत्री थे। उस समय श्री सानवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर, एग्रो इन्डस्ट्रियल कार्पोरेशन के हैड थे तो उन्होंने पूछा था कि ये रहें या न रहें और दूसरा कौन इनके स्थान पर मुकर्रर किया जाय? तो मैंने कहा था कि कृषि के मिनिस्टर को स्वयं ही इस कार्पोरेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिये। उनकी राय थी कि एक अधिकारी खाली होंगे, उन्हें दूसरे काम पर लगाया जा सकेगा। कुछ दिन बाद श्री शिवराज सिंह मेरे पास आये और कहने लगे कि सानवाल साहब ने एग्रो इन्डस्ट्रियल कार्पोरेशन में बहुत सी मिस मैनेज किया। तो फिर मैंने कहा कि आप इन्क्वायरी करके नोट लिख दीजिये। उन्होंने एक लम्बा नोट लिख कर बड़ी डिटेल में दिया मैंने उस पर उनका जवाब तलब किया और उनसे पूछा कि व्हाट हैज ही टु से (उन्हें क्या कहना है)। उनका जो जवाब आया, वह अत्यन्त ही असंतोषनक था। कम से कम मुझे तो संतोष नहीं हुआ था। मैंने चीफ सेक्रेट्री को लिखा कि आई एम इन्क्लाइन्ड टु सस्पैन्ड दिस आफिसर। मेरे नोट ने चीफ सेक्रेट्री को एक मौका दिया था। मेरा इन्क्लीनेशन था कि मैं उनको सस्पेन्ड कर दूं। उस समय श्री अशोक कुमार मुस्तफी चीफ सैक्रेट्री के पद पर औफिशिएट कर रहे थे क्योंकि श्री मुसद्दी लाल एक डेलिगेट के मेम्बर की हैसियत से जापान गये हुए थे। मुस्तफी साहब ने कहा कि 10–5 दिन में चीफ सेक्रेट्री आने वाले हैं, मैं तो केवल औफिशिएट कर रहा हूं, आप उनके आने पर एक्शन ले लीजिए। मुझे कोई खास जल्दी तो नहीं थी, मुझे उनसे कोई एनीमिटी तो थी नहीं। कोई डिफाल्केशन वाली तो बात नहीं थी लेकिन इतना जबरदस्त मिसमैनेजमेंट में पोटिज्म, इर्रेग्यूलेरिटीज, और फाइनेन्शियल लोसेज थे। बेइमानी की तो कोई बात मुझे याद नहीं है और न ही एम्बैजलमेंट का कोई मामला था या करप्शन का लेकिन

Short of these, charges were serious enough to warrant his suspension.

मान लीजिए आप उन्हें सीरियस नहीं समझते थे तो आपको कहना चाहिये था कि चरण सिंह जी

[चौधरी चरण सिंह]

की यह राय थी लेकिन आप तो उन फैक्टस को ही डिनाई करते हैं। तो मेरा कहना है कि इस प्रकार से आपका एडमिनिस्ट्रेशन चलने वाला नहीं है।

गढ़वाल और नैनीताल में एक-एक यूनिवर्सिटी बनाने के बारे में मैंने कहा था कि यह सब इलाका हमारे एक जिले के बराबर है और इन इलाकों में यूनिवर्सिटी के कायम हो जाने से लिट्रेसी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो कुछ मौजूदा टीचर्स होते हैं, उनका प्रोमोशन हो जाता है, बिल्डिंग्स बन जाती है, कैम्पस हो जाता है, और एक वाइस चान्सलर नियुक्त हो जाता है, उसको कार वगैरह मिल जाती है। भक्तदर्शन जी डिप्टी मिनिस्टर एजुकेशन रह चुके हैं। सन 67 या 70 की बात है। वह मेरे पास आये और बोले कि एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिये गढ़वाल में। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि शिक्षा में वह बहुत पीछे है। मैंने कहा, मानलो शिक्षा में बहुत पीछे है तो यूनिवर्सिटी से कैसे शिक्षा बढ़ जायगी। मैंने कहा, शिक्षा में आपको मालूम है क्या परसेंटेज है? उन्होंने कहा नहीं। मैंने लिस्ट मंगा ली। गढ़वाल से कम शिक्षा का परसेंटेज है बदायूं का। जहां अबतक मुझे याद है, 17 या 19 परसेंट लिट्रेसी गढ़वाल की थी और 13 परसेंट बदायूं की। मैंने कहा, बाई योर स्टैंडर्ड बदायूं इज एन्टाइटिल टु ए यूनिवर्सिटी, नाट गढ़वाल। वह बहस ही करते चले गये। जब किसी का एक दृष्टिकोण हो जाय तो सुन कर थोड़े ही देता है। और यह एनाउन्समेंट कब हुआ? लास्ट वीक आफ दिसम्बर 1973 में ताकि टेहरी के लोगों के वोटमिले। यह स्टैन्डर्ड है। मुल्क इसी तरह से उठेगा? साल भर से वाइस चांसलर अपाइंटेड है। मैं नहीं जाना चाहता उनके नाम क्या-क्या हैं उन सब झगड़ों को छोड़िये।

यूनिवर्सिटी बनी नहीं अभी और वाइस-चांसलर एप्वान्ट हो गये। और फिर 5 लाख रुपया रख दिया पिछले साल, पंतनगर में उसका कैम्पस खुलेगा। तब मैंने कहा कि रुपया है नहीं, अब आपने यूनिवर्सिटी खोल ही दी है। आप अब एक कैम्पस खोलना चाहते हैं। तो क्या जवाब दिया? चरण सिंह गढ़वाल का सवाल उठा कर रीजनल बिटरनैस पैदा करना चाहते हैं ताकि आपस में कड़ुवाहट हो जाय और फिर ईस्ट और वेस्ट का झगड़ा उठा कर वेस्ट को अलग करना चाहते हैं ताकि वेस्ट के चीफ मिनिस्टर हो जांय। मुझे अफसोस होता है कि यह सूबा कैसा बदकिस्मत है कि इसतरह की बात कहने वाला यहां का चीफ मिनिस्टर हो सकता है। सूबे की तकसीम की बात मैंने कभी आज तक नहीं उठायी अपनी तरफ से अगर्चे मेरी राय है कि सूबे की तकसीम होनी चाहिये और ईस्ट वैस्ट ही नहीं, कम से कम चार हिस्से होनेचाहिये। पंडित जवाहर लाल नेहरू की तीन हिस्सों की राय थी। यह कांग्रेसमैनों की राय है। जब आपने मुझको गलियां दी, तब आप के एम0 एल0 सी0 ने कहा कि यह ठीक है, तकसीम होना चाहिये। यह जय प्रकाश नारायण की राय है, जिसको कोई वास्ता नहीं है, कि इसके तीन हिस्से होने चाहिये। और जब उत्तर प्रदेश के 3 या 4 हिस्से हो जायेंगे तब यह प्रान्त ज्यादा तेजी से तरक्की करेगा। यहां इतने आदमी हैं, लेकिन अगर उनसे कहा जाय तो 55 जिलों का नाम नहीं ले सकते। नहीं कर सकता कोई 55 जिलों का इन्तजाम और यह एक मोटी सी मुसल्लिमा बात है कि जितनी छोटी यूनिट होगी उतना बेटर एडमिनिस्ट्रेशन होगा। लेकिन आपके पोलिटिक्स परपजेज को सूट करता है जो कि जनसंख्या की दृष्टि से सातवां नम्बर है। दुनिया में इतनी बड़ी एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं है। मुल्क हैं 6—7 लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के लिये छोटे-छोटे हिस्सों में बंटे हुये हैं। और चाहे कोई कहे या न भी कहे तो यह चार्ज लगाया जाता है कि आप तकसीम चाहते हैं पूरब-पश्चिम का। बात ठीक है। और जब खर्च की बात कही जाती है तो हमारे पहाड़ के दोस्त नाराज हो जाते हैं। मेरी शुरू से यह राय रही और मैंने पंतजी तक से कहा कि ठीक है, पहाड़ गरीब है, सारा सूबा गरीब है, लेकिन पूर्व के जिले उससे कहीं ज्यादा गरीब हैं।

डाक्टर बलजीत सिंह, जो एकोनामिक्स के प्रोफेसर यूनीवर्सिटी में थे, मुझे दुख है कि वे अब नहीं रहे, उनकी रिपोर्ट से कुछ फैक्टस् आपके सामने रखना चाहता हूं कि कौन से जिले

आमदनी के लिहाज से सबसे आगे हैं और कौन से कितने पिछड़े हुये हैं। (व्यवधान) मेरे पास 5–6 कापियां थीं, मैंने साथियों को बांट दीं, सरकार की तरफ से सभी को यह मिलना चाहिये। (व्यवधान) इसमें हर जिलों की पर कैपिटा इनकम निकाली है। इसमें बताया है कि कितनी जमीन है, कितनी लिट्रेसी है, कितना उद्योग में आदमी लगा है, कितना ट्रान्सपोर्ट में है, वगैरह वगैरह। फर्स्ट टैन जिले जो लिये हैं वह मैं उनकी रिपोर्ट से बता रहा हूं, इनकी इनकम में जो इनकम बाहर से आती है वह शामिल नहीं है। देहरादून–499 रुपये, नैनीताल–442 रुपये, मेरठ–430 रुपये, मुजफ्फरनगर–398 रुपये, सहारनपुर–385 रुपये, कानपुर 380 रुपये, गढ़वाल और चमोली–376 रुपये। देहरादून को शामिल करके 8 जिले होते हैं, उसे निकाल कर 7 होते हैं। यह फर्स्ट टैन में आते हैं। दूसरे नम्बर पर जो आते हैं, उनमें ये हैं–बुलन्दशहर–354 रुपये, बिजनौर–336 रुपये, अलमोड़ा–पिथौरागढ़ 332 रुपये, आगरा 323 रुपये, दो रह जाते हैं उत्तरकाशी और चमोली। फिफ्थ टैन में जिनकी आमदनी 194 से कम है और सबसे कम बस्ती की 116 रुपये है वे जिले हैं–देवरिया, सुल्तानपुर, फैजाबाद, रायबरेली, गोंडा, बहराइच, बलिया, जौनपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़, तथा बस्ती। बस्ती की लोअस्ट आय है 116 रुपये। इस एकोनामिस्ट ने यह भी लिखा है कि अगर सूबे के टुकड़े नहीं होंगे तो इसका विकास ठीक तरह से नहीं हो सकेगा। तीसरी बात यह है कि जहां–जहां एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अच्छा है वहीं इनकम ज्यादा है। मैं यह नहीं कहता कि आप पहाड़ों पर खर्च न करें, बेशक करें, लेकिन खूब जब आप करें तो इस दृष्टि से करें कि आज उनसे भी ज्यादा गरीब हैं जिनका विकास करना है। फार आर्गूमेंट आप यही कहेंगे कि बिटरनेस क्रीएट करने के लिये यह सवाल उठाया जाता है, पूर्व और पश्चिम को अलग करने के लिये यह कहा जाता है, इसलिये मैं कहता हूं कि मैं चीफ मिनिस्टर हो जाऊं, मगर इस तरह की बात कहना आपको शोभा नहीं देता।

हेलिकाप्टर का स्टैंडर्ड हमारे चीफ मिनिस्टर का क्या है? चीफ मिनिस्टर साहब अपने को समझते हैं मुगल। इनका खर्चा मुगलों की तरह है। मुगलों से मेरा मतलब है, शाह, पुराने बादशाहों की तरह से उनके खर्चे का ढंग है। बिहार को छोड़ कर यह पुअरेस्ट स्टेट है जिसको आपने चौपट कर दिया तीन चार सालों में अपने तमाम गलत ढंग से खर्चे कर करके। हेलिकाप्टर का इस्तेमाल वे ऐसे करते हैं जैसे उनके घर की बाइसिकिल हो। इनको कोई दर्द नहीं होता है। हमने सुना है, पता नहीं कहां तक सही है। आपको जाना था मुरादाबाद तो आप एरोप्लेन से बरेली गये और वहां उससे उत्तर गये। हेलिकाप्टर को पहले ही भेज दिया था क्योंकि एरोप्लेन मुरादाबाद में नहीं उत्तर सकता था। हेलिकाप्टर तो जहां भी चाहें उत्तर सकता है, चाहे कहीं छत पर भी उतर जाय। इस तरह से पब्लिक का इतना पैसा खर्च करते हुए आपको जरा भी दर्द नहीं आया। मैं नपूपुर के बाइ-इलेक्शन में गया आजमगढ़ पिछले साल, तो मालूम हुआ कि कल बहुगुणा जी यहां हेलिकाप्टर से आये थे और उसकी वजह से बहुत से आदमी इकट्ठे हो गये थे। यह सब क्या है? आखिर आप बाइ-इलेक्शन में हेलिकाप्टर लेकर क्यों गये? यह कोई आफिशियल बिजनेस तो है नहीं, यह तो नान-आफिशियल चीज है, आपकी पार्टी का मामला है फिर आप हेलिकाप्टर लेकर क्यों गये वहां? क्या बात है? मुझे यह मालूम हुआ कि श्री मुंशीलाल एक एम0 एल0 ए0 स्वतंत्र पार्टी के थे। उनके यहां लड़की की शादी हुई, जहां आप हेलिकाप्टर लेकर गये। (शेम शेम की आवाज)। क्या मतलब है? शादी में जाने के लिये तो गवर्नमेंट हेलिकाप्टर है नहीं कि किसी एम0 एल0 ए0 की लड़की की शादी में हेलिकाप्टर लेकर जाय। यह आपका स्टैंडर्ड है। आप क्यों गये? कितना खर्चा हुआ? हेलिकाप्टर पर एरोप्लेन से ज्यादा खर्च होता है। जब आपके पास कार है तो क्या उसको बरेली नहीं ले जा सकते थे?

[चौधरी चरण सिंह]

इसी तरह से 30–31 मार्च को बस्ती में मेरा प्रोग्राम था। 31 की रात को ही आने वाला था। गोंडा जब मैं आया तो लोगों ने कहा कि रात का वक्त है, आगे जाना ठीक नहीं है। इसलिये मैं वहीं रुक गया। अगले दिन मुझे फैजाबाद आना था। जब सरयु नदी के पुल को पार करके मैं अयोध्या कस्बे में आया तो मुझे किनारे-किनारे बल्लियां ही बल्लियां दोनों तरफ लगी हुई दिखलायीं दीं। मेरे साथ ड्राइवर था और एक असिस्टेंट स्टेनो था जो बस्ती का ही था, मेरे साथ गया था और एक शैडो था। मैंने पूछा कि ये बल्लियां किस लिये गड़ रही हैं, तो उन लोगों ने बतलाया कि रामनवमी का मेला है। मैंने कहा कि क्या बात कर रहे हो? इन बल्लियों की क्या जरूरत थी मेले में? वहीं पर एक कांस्टेबिल दिख गया, उससे मैंने पूछा कि ये बल्लियां क्यों लग रही हैं तो उसने बतलाया कि चीफ मिनिस्टर साहब आने वाले हैं। आप जरा खयाल फरमाइये और बल्लियों की तारीफ यह थी कि जैसे इन्दिरा जी अपने बाप की नकल कर रही हैं, पंडित जी के आने पर बल्लियां लगती थीं ताकि लोगों की भीड़ ऐसी न हो कि कार को रोक लें कुछ जगह छूट जाती है, ताकि वहां आदमी खड़ा होकर देख सके। लेकिन सब जगह बल्लियां ही बल्लियां लगी हुयीं थीं। यह बल्लियां बिल्कुल नाली के पास लगीं हुयीं थीं जहां कि आदमी खड़ा ही नहीं हो सकता है। तो यह क्यों लगीं थीं मेरी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं फैजाबाद आया तो वहां भी यही हाल, पूरी सड़क खाली और कुछ पुलिस वाले बेचारे खड़े थे। फिर दूसरे कानेस्टेबिल से पूछा कि यह क्यों लगी हुयीं हैं? उसने कहा कि इसलिये कि कोई आदमी क्रास न हो जाय, जब चीफ मिनिस्टर की गाड़ी जाय। तो वहां सड़क पर बल्लियां ही बल्लियां थीं, क्यों? यह भी मालूम हुआ कि उस दिन नूरल हसन साहब भी पहुंचने वाले थे। चूंकि वर्ल्ड कप हाकी के सिलसिले में ईनाम बांटने थे। लेकिन इससे फायदा क्या? चाहे चीफ मिनिस्टर के लिये लगायीं गयीं या नूरूल हसन साहब के लिये। बल्लियां क्यों लगायीं गयीं। इसमें हजारों रुपया खर्च हुआ, अफसरों का समय खर्च हुआ। अखिर क्यों, परमात्मा के लिये बतायें कि क्यों लगवायीं गयीं। 'यू आर मियर सर्वेन्ट आफ दि पीपुल'। आप क्यों डरते हैं। डर किस बात का है। और भी चीफ मिनिस्टर्स रह चुके हैं। पंत जी रह चुके हैं, सम्पूर्णानन्द जी रह चुके हैं। लेकिन आपकी शान निराली है। आप जैसा कोई हुआ नहीं है, अब तक।

(आपस में बात-चीत की आवाजें)

अगर आप उनको, चीफ मिनिस्टर को मुबारक बाद देते हैं तो बदकिस्मती है इस स्टेट के 10 करोड़ आदमियों की।

एडमिनिस्ट्रेशन की बाबत 2–3 बातें कहना चाहता हूं। चीफ मिनिस्टर साहब ने जैसा मैंने कहा, एनाउन्समेंट किया था कि एक्सटेंशन नहीं देंगे। लेकिन फिर भी दिये गये हैं। 2–3 को दिये गये हैं। यह भी एनाउन्समेंट हुआ था कि ट्रांसफर कैंसिल नहीं होंगे। लेकिन मैंने सुना है कि आपके दफ्तर में लोग हैं, चाहे मिनिस्टर ने ट्रांसफर कर दिया है तो वह भी कैंसिल हो जाता है। ऐसा हमको एक साहब ने बतलाया अगर गलत हो तो बतायें। इलाहाबाद के एक सिविल सर्जन को आपने डाइरेक्टर मेडिकल एण्ड पब्लिक हेल्थ बनाया है।

(सदस्यों के आपस में बात-चीत करने की आवाजें।)

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय सदस्य शांति व्यवस्था बनाये रखें। बड़ी व्यक्तिगत बातें कह रहे हैं।

एक सदस्य---

गरमी बहुत है, इसलिये पंखे चल रहे हैं।

चौधरी चरण सिंह--

अध्यक्ष महोदय, एक सवाल था। सवाल यह है कि 'क्या क्रिमिनल अपील में निर्णय देते हुये 17 जनवरी, 1975 को श्री सत्य प्रकाश माल्वीय ने दिया सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सन् 1974 में एक उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के दो माननीय न्यायाधीशों ने भूतपूर्व सिविल सर्जन, इलाहाबाद (डा0 जी0 पी0 श्रीवास्तव) द्वारा लिखित इन्जरी रिपोर्ट के सम्बन्ध में उनके विरुद्ध स्टिक्चर लिखते हुये राज्य सरकार को भी लिखा कि तदनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावे ?

हाई कोर्ट की स्ट्रिक्चर है गवर्नमेंट को कि एक्शन लिया जाय। फिर आगे है ' और क्या उक्त स्ट्रिक्चर को हटाने के लिये उच्च न्यायालय के समक्ष अपील भी की गयी जो जुलाई, 1974 में खारिज कर दी गयी ? यदि हां, तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही किया?'

अध्यक्ष महोदय, इन स्ट्रिक्चर्स के बावजूद भी उनको डाइरेक्टर आफ मेडिकल एण्ड पब्लिक हेल्थ बना दिया गया। उन्होंने अपील की, इलाहबाद हाई कोर्ट में, लेकिन वह खारिज हो गयी। उन्होंने अपील हाईकोर्ट में गवर्नमेंट के खर्चे से की और वह भी खारिज हो गयी। स्ट्रिक्चर के खिलाफ अगर कोई अपील करता है तो वह प्राइवेट विजनेस हो जाता है। गवर्नमेंट का नहीं। लेकिन मुझको मालूम हुआ है कि गवर्नमेंट की तरफ से अपील की गयी। मैं जानना चाहुंगा कि ऐसी कोई मिसाल है। उसमें क्या लीगल रेमेम्बरेन्सर ने कहा है ? उसने कहा है कि अपने खर्च से करें। गवर्नमेंट के खर्चे से आप करते हैं। यह पब्लिक फन्ड है। प्रशासन के कुछ रूल हैं। लेकिन उनकी आप परवाह नहीं करते हैं। इस तरह रूल का ब्रीच करते हैं। गवर्नमेंन्ट जिस तरीके से चलती है, उसकी परम्पराओं को आप तोड़ते हैं।

अध्यक्ष महोदय, अब एक ठाकुरद्वारा में एक सेठ जी ने एक हरिजन की पिटाई की। वह क्रेशर पर गन्ना ले गया था उसके मालिक सेठ जी से कुछ झगड़ा हो गया। सब इन्सपेक्टर ने उसको गिरफ्तार कर लिया। इस तरह कांग्रेस वाले करवाते ह। कांग्रेस वालों ने कहा कि उसका ट्रान्सफर रुकना चाहिये और वह रुक गया। इस संबंध में कम्यूनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्सशिस्ट) ने हमारे पास पत्र लिखा है, जिसको मैं पढ़ रहा हूं--

महोदय, जैसा कि आपने समाचार पत्रों के माध्यम से ठाकुरद्वारा में कुछ समय से घटने वाली अप्रत्याशित घटनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त की होगी। मैं कुछ वास्तविकताओं की ओर आपका ध्यान इस आशय से आकृष्ट करना अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि आप अपनी निर्भीक तथा सशक्त वाणी द्वारा इस क्षेत्र की 99 प्रतिशत जनता की भावनाओं को विधानसभा में अभिव्यक्ति देंगे, और सरकार के विकृत चेहरे को बेनकाब कर एक ईमानदार, निर्भीक, जनप्रिय थाना इन्चार्ज को अन्याय का शिकार होने से बचाने में अपने प्रभाव का प्रयोग करेंगे।

12 जनवरी, 1975 को क्रेशर पर अपने पेमेन्ट की पर्चियां (भुनाने) कैश करवाने आये हरिजन श्री लखन सिंह की पर्चियां छीन कर रखलीं और क्रेशर मालिक लाला हरिराम व उसके लड़के सीताराम ने इस हरिजन किसान की लाठी-गन्नों से बेरहमी से पिटाई की। किसान ने अपनी रिपोर्ट थाना ठाकुर द्वारा में लिखा दी। रिपोर्ट लिखाई जाने के समय क्षेत्राधिकारी पुलिस भी थाने में उपस्थित थे इस किसान ने क्रेशरों पर गन्ना हड़ताल के सम्बन्ध में लाला जी की टिप्पणी पर कुछ ऐतराज करते हुये किसानों की मांग उचित बता दी थी।

[चौधरी चरण सिंह]

थानाध्यक्ष ने जांच पड़ताल के बाद मुलजिमान के वारंट लेकर उन्हें 5-3-75 को 4 बजे शाम गिरफ्तार कर मुरादाबाद कोतवाली भेज दिया। अदालत का समय नहीं था चूंकि साढ़े छः बज चुके थे लेकिन फिर भी डी0 वाई0 एस0पी0 और एस0डी0एम0 ने मुलजिमान को कोतवाली में बन्द नहीं होने दिया और मुलजिमो के साथ थाने से आये दोनों सिपाहियों को मजबूर किया कि वह मुलजिमों को इसी समय ए0 डी0 एम0 (जे) के घर पर ले चलें। ऐसा हुआ और मुलजिम रात को ही जमानत पर ठाकुरद्वारा आ गये।

मुलजिमों के ठाकुरद्वारा पहुंचने से पहले थानाध्यक्ष का स्थानान्तरण आदेश भी थाना आ गया।

चूंकि बड़े आदमियों को गिरफ्तार कैसे किया जा सकता है। हरिजनों को यदि पीटा गया तो क्या बात हो गयी। दोनों अधिकारियों ने उनकी जमानत की है और थानाध्यक्ष का ट्रान्सफर करवा दिया। मैंने सुना है कि श्री शिव स्वरूप सिंह जो एम0एल0 सी0 हैं और कभी हमारी पार्टी में थे और भी कुछ लोगों ने कहा तो ट्रान्सफर नहीं हुआ और तभी वह रुका, लेकिन अब उसका ट्रान्सफर हो गया। क्यों? मैं पूछता हूं ऐसा कैसे हुआ, यह मसला क्यों पैदा होता है? अब जब मैंने कहा है तो आप मालूम करेंगे और कार्यवाही करेंगे और यह कह देंगे कि एस0पी0 और डी0एस0पी0 ईमानदार हैं क्योंकि आप उनकी बातों पर यकीन करेंगे। ईमानदार आज काम करता है तो उसको सजा दी जाती है। यह है आपकी तसवीर किस तरह से आप एडमिनिस्ट्रेशन चलाना चाहते हैं।

गुण्डा ऐक्ट—आप लड़कों को गुण्डा ऐक्ट में गिरफ्तार करना चाहते हैं। हम अभी हाल में कुछ लोगों के साथ जेल गये थे तो वहां पर जो लड़के गुण्डा ऐक्ट में बन्द हुये थे, उनसे मिले थे। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि लड़कों को गुण्डा ऐक्ट के अन्दर बन्द किया गया हो।

अब आपके एक सेक्रेट्री हैं एक आई0ए0 एस0 एक डिपार्टमेंट के, वह डिपार्टमेंट व्यापार का काम करता है। वह व्यापारियों के यहां जाते हैं और दावतें खाते हैं। क्या इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा? जब मैंने कहा है तो मुझे नाम भी लेना पड़ेगा नहीं तो कैसे मालूम होगा कि कौन है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि किस प्रकार एक आफीसर की शिकायत की जाय बिना नाम लिये हुये? खैर, एक मैग्जीन है, उसमें उनका फोटो है कि वह मोहन मीकिन ब्रीवरीज में वह गये और एक मूर्ति पर वह माला पहना रहे हैं।

'Visit of Excise Secretary—Shri K N. Srivastava, I.A.S. a senior-most Secretary in Utter Pradesh Government paid a visit to Mohangram on 23rd December, 1974. हिन्दी में इसका तर्जुमा यह है कि श्री के0 एन0 श्रीवास्तव 23 दिसम्बर, 1974 को जोकि उत्तर प्रदेश सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, तशरीफ लाये।

Mr. Srivastava was received warmly by Major Kapil Mohan VSM, Managing Director, Mohan Meakin Breweries Limited and staff and workers of Mohan Meakin as well as Mount Shivalik Breweries Limited. Major Kapil Mohan, staff members and workers garlanded and presented bouquets to the Chief Guest. The workers enthusiastically shouted slogans of "Srivastava Sahib Zindabad" and Major Kapil Mohan Zindabad".

मैं समझता हूं इसका तर्जुमा करने की जरूरत नहीं है।

इन्ट्रोडक्शन के बाद क्या हुआ वह सुनिये. . . . . .

"After introduction, the Chief Guest was taken around both the units i.e. Mohan Meakin Breweries Ltd. and Mount Shivalik Breweries Limited, The Chief Guest was highly impressed to see both the units and praised the effort for the completion of a modern brewery project in a record period of one year.

यानि मुख्य अतिथि ने संतोष जाहिर किया कि इतनी जल्दी शराब का कारखाना बन गया। मैगजीन मेरे पास है, इसमें उनके फोटो छपे हुये हैं।

"A sumptuous lunch was given in honour of the Chief Guest. He was then taken to Chandigarh and Pinjore for site-seeing."

उसके बाद एक बड़ी शानदार दावत मुख्य अतिथि ने नोश फरमाई और फिर फैक्ट्री के खर्चे पर वह घूमने गये।

अब मैं क्या बताऊं। मैं इस अधिकारी को पहले से जानता हूं। यह रायबरेली में डिप्टी कमिश्नर थे। उसका काम मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं रेवेन्यू मिनिस्टर था उस समय। मैंने आजमगढ़ भेजा, वहां भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अब यह डेटेरियोरेशन हो गया है। मुझे यह नहीं मालूम कि यह अभी भी सेक्रेट्री हैं कि नहीं। लेकिन मैं पूछता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, जब कि आई0 ए0 एस0 के सर्विस के सम्बन्ध में कुछ दूसरे रूल्स बने हुये हैं, तो क्या मुख्य मंत्री जी उनका जवाब तलब करेंगे? अब रूल्स, क्या हैं? रूल्स यह हैं कि आई0 ए0 एस0 कर्मचारी के ऊपर आल इंडिया सर्विस रूल्स 1968 लागू होते हैं। इनके नियम 12 में प्राविधान है कि कोई भी कर्मचारी बिना सरकार की आज्ञा के ऐसे उत्सव में सम्मिलित नहीं होगा जो उसके सम्मान में आयोजित किया गया हो। इन्हीं नियमों के नियम 11 में यह प्राविधान है कि कर्मचारी बिना सरकार की आज्ञा से किसी भी व्यक्ति से : सगे रिश्तेदार, दोस्त छोड़कर, कोई भेंट स्वीकार नहीं करेगा। भेंट की परिभाषा में फ्री ट्रान्सपोर्ट, फ्री बोर्डिंग, फ्री लाजिंग आ जाता है। नियम 11 के उप नियम 4 में प्राविधान है कि कर्मचारी उस व्यक्ति से जिससे कि उसके आफिसियल डीलिंग हों, शानदार स्वागत स्वीकार नहीं करेगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

सुनने दो।

चौधरी चरण सिंह--

क्यों टोकते हो। उन पर असर कुछ होनेवाला नहीं है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

अपने दोस्तों से आपको खतरा है। आपकी बात नहीं सुनने देते।

चौधरी चरण सिंह--

इसी तरह केन्द्रीय सरकार के एम0 एच0 ए0, ओ0 एम0 नं0 एफ 25/34/64 एस्ट्स (ए) दिनांक 25-5-1965 में निर्देश दिये गये हैं कि कर्मचारी को व्यापारिक प्रतिष्ठान द्वारा उनके सम्मान में आयोजित भोज में शामिल नहीं होना चाहिये। इसके अलावा मैनुअल आफ गवर्नमेंट आर्डर के पैरा 95 में भी सरकार ने कई निर्देश दिये हैं कि कर्मचारीगण उपरोक्त

[चौधरी चरण सिंह]

नियमों का कड़ाई से पालन करें वरना यह नियमों का उल्लंघन समझा जायेगा। अगर मुख्य मंत्री जी को इसके सबूत लेना हो तो वह भी मिल जायगा। वह मैं यहां नहीं पढ़ रहा हूं। अगर आप इंटेरेस्टेड हों तो इन्होंने क्या लिखा है वह मैं आपके पास भेज दूंगा। पढ़ता इसलिये नहीं क्योंकि उसके आउट होने से खराबी हो सकती है। यह एक बात तो पकड़ी गयी, न मालूम कितना हो रहा होगा। एक साहब रिटायर हो गये। वह मैनपुरी और फरुखाबाद में गये थे इलेक्शन में तो वहां गेट बनायेगये थे। वह आई0 सी0 एस0 अफसर थे।

अब जो स्मगलिंग हो रही है नैपाल में तो उसकी बाबत कहना चाहता हूं। उसमें आपके आफिसर्स इंवाल्व है। अखबारों में वह निकला है। उसमें लिखा है कि आफिसर्स स्मगलर्स से मिलकर रुपया कमा रहे हैं। यह खबर इनफार्मेशन डिपार्टमेंट ने आपके पास भेजी होगी। अगर भेजी तो आपने क्या कार्यवाही की और अगर इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट ने यह खबर आपके पास नहीं भेजी तो क्यों नहीं भेजी? उसमें एक प्रामीनेंट कांग्रेसमैन का हाथ भी है। अब एक एस0 ओ0 सी0 हैं आजमगढ़ के। उनकी इतनी शिकायतें हैं कि दुनिया में शायद ही किसी अफसर के खिलाफ इतनी शिकायतें हों। जो कलक्टर है उसकी राय है कि उसका ट्रान्सफर होना चाहिये। वहां डिप्टी डायरेक्टर, कंसोलीडेशन पहुंचे तो उन्होंने कहा कि बेईमानी की है, रिश्वत ली है, ट्रान्सफर होना चाहिये। डायरेक्टर की राय है कि ट्रान्सफर होना चाहिये। सेक्रेटरी रेवन्यु की राय है कि ट्रान्सफर होना चाहिये। मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि ट्रान्सफर होना चाहिये। लेकिन दो बार ट्रान्सफर हुआ और ट्रान्सफर रोका गया और यह ट्रान्सफर 10,000 रुपये देकर रोका गया। मैं कहता हूं कि जब अफसरान कह रहे हैं कि वह भ्रष्ट अफसर है, तो आप कहते हैं कि हमने तहकीकात करली और कुछ नहीं पाया। यह बहुत बड़ी शिकायत की बात है। जिन्होंने तहकीकात की है, दे डिजर्व टु बी पनिश्ड। आपके एम0 एल0 ए0 जिम्मेदार हैं इसके पीछे। 3 एम0 एल0 एज0 ने ट्रान्सफर रोकवाया। एक एम0 एल0 ए0 तो शुरू से उस अफसर का सपोर्टर रहा है। आप इसको मालूम करें। परवाह न करें वोट की। अगर वोटों का मोह है, तो ऐडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलेगा। रामबचन जी कह चुके हैं। वह अफसर आज निडर घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? क्योंकि वह जिनको मिलाये हुये हैं, उनका मुख्य मंत्री जी से बहुत बड़ा ताल्लुक है। वह जो चाहे कर सकता है। मुख्य मंत्रीजी देखें कि किस तरह के लोगों को उन्होंने अपने निकट रख रखा है। इससे ऐडमिनिस्ट्रेशन ठप्प हो जायेगा। इतना स्कैन्डलस मामला है, इस एस0 ओ0 सी0, आजमगढ़ का कि कह नहीं सकता। इसी तरह से गोरखपुर का मामला है। वहां के एस0 ओ0 सी0 का मामला है। कलक्टर का ट्रान्सफर करें। अपने मिनिस्टर को हटायें। अगर करप्शन दूर करना है, तो कड़ाई करनी होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं साढ़े सात महीने कांग्रेस के साथियों के साथ यहां चीफ मिनिस्टर रहा था 17 फरवरी, 1970 से दूसरे अक्तूबर, 1970 तक। मेरे जमाने में 17 आदमी कम्पलसरीली रिटायर किये गये। रिटायर हो जाने के बाद उनमें 2 को फिर रख लिया गया। नाम मेरे पास मौजूद हैं। कहिये तो खोल दें। उनमें से एक को 12 सितम्बर, 1974 को रखा गया है, आपके यहां फिर से। क्यों? उनकी चरित्र पंजिका देखकर किया गया होगा। चीफ सेक्रेट्री और डिपार्टमेंटल सेक्रेट्री की कन्सेन्ट होगी।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

चौधरी साहब, नाम तो बताया नहीं आपने?

चौधरी चरण सिंह—

नाम जानना चाहते हैं, तो सुन लें। एक हैं डा0 श्रीमती लीला गुप्ता और दूसरे हैं, श्री बागची जिनकी डेट नहीं मालुम कब लिये गये लेकिन श्रीमती लीला गुप्ता के बारे में कहना है कि श्री मुलायम सिंह जी ने सवाल किया था और जो जवाब आया, उसमें लिखा

है कि डा0 गुप्ता का रिएप्वाइन्टमेंट हो गया 12 सितम्बर, 1974 से, जो मेरे सामने रिटायर हुयी थीं और श्री बागवी की पुनर्नियुक्ति हुई डेट मालुम नहीं। तो 49 आदमी मेरे जमाने में सस्पेंड हुये। उनमें से 38 बहाल हो गये। जो सस्पेंड हुये, उनके लिये डायरेक्टर विजीलेंस, श्री चतुर्वेदी की रिपोर्ट होगी। प्राइमाफेसी केस होगा और कहा गया होगा कि इनको सस्पेंड कर दिया जाय। डिपार्टमेंट ने किया होगा, बिला वजह तो नहीं किया होगा। उपाध्यक्ष महोदय, अब ये 38 आदमी मेरे दुश्मन हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

चौधरी साहब ये किसके जमाने के मामले हैं ?

चौधरी चरण सिंह--

ये आपके लीडर, पण्डित कमलापति जी के माने के मामले हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, 5 के खिलाफ विभागीय कार्यवाही चल रही है। इस तरह से आप इनएफिशियेंसी तथा करप्शन मिटायेंगे ? एक चीफ मिनिस्टर आया। कुछ कर जाता है और दूसरा उनको खंडन कर देता है। कुछ मान्यतायें होती हैं डेमोक्रेसी की। मेरे पास भी कुछ राज्य कर्मचारी आते हैं। कहते हैं कि आप विपक्ष में हैं, हमारी मदद कीजिये। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता। मैं उसी काम को कर सकता हूं जब मैं और मेरे साथियों को मौका मिल जाय तो उस समय में उसको कर सकूं। मैंने 5, 6 आदमियों को डिसमिस कर दिया था और हाई कोर्ट से उनकी अपील खारिज हो चुकी थी लेकिन त्रिपाठी जी ने उनको रख लिया। दुनिया में कहीं ऐसी मिसाल मिलेगी, संसार के रिकार्ड में ऐसी मिसाल होगी ? इस तरह से एड-मिनिस्ट्रेशन चलेगा ? नहीं चलेगा।

वर्तमान मुख्य मंत्री जी की बात सुनाना चाहता हूं। 25 अगस्त को यूनिवर्सिटी कर्मचारियों की स्ट्राइक हुई और 28 को अनकंडीशनल विथड्राल हो गया। 128 मांगें थी। 78 को मान लिया गया था और उनसे 80 लाख का खर्चा बढ़ गया था और जो अन्य मांग थी उनको मानने को मैं तैयार नहीं था क्योंकि 8 करोड़ के लास से यूनिवर्सिटी पहले ही चल रही थी और मैंने उनकी शेष मांगों को रिफ्यूज कर दिया। मैंने दो तीन तरकीबें बतलाई। तीन दिन के अन्दर अनकंडीशनल विथड्राल हो गया। उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। 19 सितम्बर को राज्य कर्मचारियों की हड़ताल हुई। भूतपूर्व मुख्य मंत्री और वर्तमान मुख्य मंत्री ने उनको उकसाया। (व्यवधान) पुराने पाप ही तो आपके सामने आयेंगे। उनका प्रोसेशन निकलता है। उन के प्रोसेशन को लीड किया गया। मीटिंग हुई तो त्रिपाठी जी ने प्रिसाइड किया और वर्तमान मुख्य मंत्री जी का भाषण हुआ जिसका आशय यह था कि चरण सिंह जालिम है, तुम्हारी मांगें जायज हैं। इस तरह से आपने आग लगाई और बदनाम करने के लिये, झगड़ा पैदा करने के लिये आपके भाषण हुए। तो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा ? फिर बहुगुणा जी दिल्ली चले गये कम्युनिकेशन मिनिस्टर सेंटर में हो गये। वहां जाकर उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी को स्ट्राइक नहीं करनी चाहिये।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

यह मैंने कभी नहीं कहा।

चौधरी चरण सिंह--

मैंने पूछा कि कम्युनिकेशन मिनिस्टर का क्या नाम है ? मालूम हुआ एच0 एन0 बहुगुणा। तो मैंने पूरा नाम जानने की कोशिश की यह मालूम करने के लिये कि यह वही

[चौधरी चरण सिंह]

बहुगुणा तो नहीं हैं ? तो क्या इस तरह से सरकार चलेगी ? जिन-जिन चीजों को मैंने किया उनको आपने खत्म किया और वैसा करके अब आप पछता रहे हैं और वैसा किया आपने कुछ चन्द वोटों के लिये जब कि आज उन चन्द वोटों की कोई परवा भी न करता। चन्द लोगों के ही वह वोट थे।

एक बात का और जिक्र कर दूं एक सिनेमा हाउस बना हुआ है आपके सचिवालय के पड़ोस में प्रतिभा चित्र मन्दिर। मेरे पास भी उसका मालिक आया था। बहुत ज्यादा जिद की तो मैंने कहा कि जिक्र कर दूंगा। मैंने कहा कि कुछ होने वाला नहीं है और मेरे से उठवा रहे हो तो कुछ भी नहीं होगा। उसमें हमारे पुराने एडवोकेट जनरल, कन्हैयालाल मिश्र की भी राय है। उन्होंने लीगल ओपीनियन भी दी है। पहले आपके जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने इसकी इजाजत दे दी थी। दियर वेयर नो रूल व्हिच वाज इन दि वे। नियम भी कोई बाधक नहीं था। अगर नियमों की खराबी थी तो आप वैसे नियम बनाते। लेकिन उन्होंने इजाजत दे दी थी। क्यों दी परमात्मा जाने या वह जानें और बहुत कुछ बहुगुणा जी भी जान सकते हैं अगर वे कोशिश करें। अब आप मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पुस्तकालय उसमें बना देंगे। वह मकान इसके लिये फिट नहीं है, न ही इसके लिये बना था। सूनी जमीन थी, उसने बना लिया और जब आपके भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने इजाजत दे दी तो आपको भी इजाजत देनी चाहिये थी लेकिन आपने नहीं दी। किसी भी मुल्क में वह चीफ मिनिस्टर जिन्होंने इतनी बड़ी भारी गलती की हो, उन से पूछा जाय कि क्यों इजाजत दी थी ? 30 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट उसमें है। 20/22 लाख गवर्नमेंट को मिला। 200 गज के अन्दर सिनेमागृह नहीं बन सकता, यह आपने कानून बनाया। रिट्रोस्पेक्टिव इफैक्ट से कानून लागू हो सकता है, यह डाउटफुल है। डिस्क्रिमिनेटरी इस सेन्स में कि वह 210 गज के अन्दर बना हुआ है। इस पर आप अपने एडवोकेट जनरल से राय भी ले लीजिये। आपका मकसद यह है कि यहां पर अनडिजाइरेबुल लोगों का जमघट न हुआ करे। लेकिन यह मसला हल करना है। उसने 30 लाख रुपया उसमें लगाया है मैंने सुना है कि आपके पी0 डब्लू0 डी0 के इंजीनियर ने रिपोर्ट दी है कि वह किसी गवर्नमेंट के दफ्तर या पुस्तकालय के काम नहीं आ सकता है। तो इस पर आप सोचें।

ला ऐन्ड आर्डर की प्रदेश में क्या स्थिति है ? इसमें कोई दो राय नहीं है कि हालत बिगड़ती जा रही है। आप हजार समझाने की कोशिश करें लेकिन वह हल हो नहीं सकती है। अभी एक ही दिन में 3 मर्डर हो गये। यदि आप मर्डर के बारे में 6 महीने के रिकर्ड रखें तो बहुत बड़ा पोथा हो जाय। यह मैं मानता हूं कि क्राइम होते हैं और अच्छी से अच्छे गवर्नमेंट उन्हें रोक नहीं सकती है लेकिन जिस ढंग से आज मर्डरों की संख्या बढ़ रही है, उस ढंग से पहले कभी नहीं बढ़ी थी। लखनऊ में ही 6 महीने में देखा, 50 मर्डर हो गये होंगे। आपने एस0पी0 को हटा दिया कि वे पुराने हैं और योग्य नहीं हैं और मैंने सुना है कि एक जूनियर आदमी को एस0 एस0 पी0 बना दिया। लखनऊ एक बड़ा शहर है। सीनियर मोस्ट औफिसर्स में लखनऊ का एस0 एस0 पी0 होना चाहिये था। लखनऊ में क्राइम की संख्या बढ़ी, कानपुर में बढ़ी। बदायूं में 17 अप्रैल को 3 मर्डर हुये। यहां पर चार मर्डर हुये हैं। पिछले पचास वर्षों में एक दिन में कभी इतने मर्डर नहीं हुये होंगे जितने अब हो रहे हैं।

फिर बदायूं की बात बतलाता हूं। आपने वहां एक एस0पी0 भेजा है मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन हमारे जंगल किशोर एम0एल0ए0 जी ने लिखा है मुझको। मैंने उनसे कहा आपकी कहानी को आपके सामने रख दूंगा और अगर उनमें दया हुई और एडमिनिस्ट्रेशन की चिन्ता हुई तो कुछ हो जायेगा। क्योंकि आपके जरिये से यहां पर होता है तो जब वह वहां पहुंचे उन्होंने प्रत्येक थानाध्यक्ष से क्या कहा, उनका नाम है मेहरबान सिंह। यह पहले डी0 वाई0एस0पी0 थे तब भी उनके खिलाफ शिकायतें थीं। भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में सी0 आई0 डी0 ने जांच की थी। जब वह एस0पी0, प्रतापगढ़ थे जब शिकायत थी, बांदा जब थे, जब

शिकायत थी और फिर वह बदायूं गये हैं। जब उनकी पुरानी शिकायतों का कोई नतीजा नहीं निकला तो यह अब खुल कर दोनों हाथों से कार्यवाही कर रहे हैं। तो आप सुन लें। जब वह बदायूं पहुंचे तो उन्होंने प्रत्येक थानाध्यक्ष से माहवारी रिश्वत तय की। जिन थानाध्यक्षों ने उसमें अनाकानी की उनको नुकसान पहुंचाया और इस संबंध में दो एस0 ओ0 को सस्पेंड कर दिया जिन्होंने कहा कि यह हमारे बस की बात नहीं है इसलिये उनको सस्पेंड कर दिया। उनके नाम है ओंकारसिंह और चरण सिंह। मेरा नाम है। इन दोनों की चरित्र पंजिका साफ है उनके पहले के एस0 पी0 ने इनको इंस्पेक्टर में स्लेक्सन के लिए नाम भेजे थे। इन दोनों के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है। तो 19 थानों में से 13 के थानाध्यक्ष को तबदील कर दिया गया है और जिनको उनके स्थान पर सब इंस्पेक्टर बनाया है उनमें अधिकतर बेईमान हैं उनके पिछले रिकार्ड गंदे हैं। तो ईमानदार थानाध्यक्ष, एस0 पी0 के इस रैवेये से भयभीत हैं जिसकी वजह से वे जिले से भागना चाहते हैं। कुछ एस0 ओज0 ने तो अपना तवादला करवा लिया है जिनमें नरेन्द्र सिंह, रामप्रकाश शर्मा, आर0 के0 शुक्ला, वी0, बी0 चौधरी और मेहन्द्र सिंह हैं। इससें यह भी लिखा है कि राजनीतिक लोगों के साथ अभद्र व्यवहार यह करते हैं। इसके अलावा एस0 ओ0, भारद्वाज ने विसौली में एक आदमी को पकड़ा जिसके पास पतली कारतूस वाली बंदूक थी। मैं नहीं जानता यह क्या चीज होती है या कैसी होती है लेकिन बंदूक को एस0 पी0 ने अपने पास रख लिया और वदमाश को देसी तमंचे के आरोप में बता दिया क्योंकि वह बंदूक अच्छी थी वह लेकर रख ली। तो इस संबंध में मुख्य मंत्री जी और गृह मंत्री को लिखा गया जिसमें बंदूक का भी जिक्र आया है। तो यह बातें कोहली द्वारा एस0 पी0 को मालूम हो गई। उसने उस बंदूक को विसौली थाने में इन काउन्टर में दिखा दिया इसी तरह से एक ड्राइवर रियासत अली को बुरी तरह से पीटा जिसके पीछे हाईडिल कर्मचारियों की हड़ताल हुई। इसमें कई बातें लिखी हैं इसमें आपके कोहली का जिक्र भी काफी है, उस पर मैं क्या कहूं छोड़ देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

चौधरी साहब आप कहां से पढ़ रहे हैं, यह क्या चीज पढ़ रहे हैं?

एक सदस्य—

आप क्या सो रहे थे?

चौधरी चरण सिंह—

यह एक एम0 एल0 ए0 का पत्र है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो सुझाव या शिकायत उनकी व्यक्तिगत है, यह आप क्या पढ़ रहे हैं?

चौधरी चरण सिंह—

मैंने यह अर्ज किया कि जुगुलकिशोर, एम0 एल0 ए0 जी की यह शिकायत है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो व्यक्तिगत है....

श्रीमती शान्ति देवी यादव (जिला बदायूं)—

यह उनका अकेले का नहीं है, वहां के आठों विधायकों ने लिख कर दिया है। उसमें कांग्रेस के भी दो एम0 एल0 एज0 शामिल हैं।

चौधरी चरण सिंह—

जुगुल किशोर ऐसे कोई आदमी नहीं हैं, वह एम0 एल0 ए0 हैं और यह उन्होंने उस हैसियत से दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

एम0 एल0 ए0 इनमें से आदमी होता है, यह आप यहां कैसे रखते हैं ?

चौधरी चरण सिंह—

उसको मैं यहां रख रहा हूं, ठीक रख रहा हूं, बाहर के भी किसी आदमी का मुझे रखने का अधिकार है ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह उनको शिकायत हो सकती है, लेकिन उसे आपको पत्र पढ़कर रखने का अधिकार नहीं है ।

चौधरी चरण सिंह—

वह एक एम0 एल0 ए0 मेरी पार्टी का है और मेरी पार्टी का न भी हो, दूसरी पार्टी का हो और यदि मुझसे कहता है कि मैं उसका जिक्र यहां करूं तो मैं करूंगा, यह मेरा अधिकार है ।

श्री उपाध्यक्ष—

जिक्र तो आप कर रहे हैं, लेकिन जो व्यक्तिगत पत्र पढ़ा है उस पर मेरा कहना है । उनकी शिकायत व्यक्तिगत हो सकती है और उनकी व्यक्तिगत शिकायत हो तो उनको अपनी जगह सही मानकर कैसे आप चल सकते हैं ?

चौधरी चरण सिंह—

मैंने जितनी बातें कहीं हैं, वे अपनी नालेज या इन्फार्मेशन के बेसिस पर कहीं हैं । नालेज में तो अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन इन्फार्मेशन में गुंजायश हो सकती है, हो सकता है वह गलत हो । यदि मैं कहूं कि मैं गारेन्टी ले सकता हूं, तो यह उचित नहीं कहूंगा और न कोई आदमी गारेन्टी ले सकता है । किन्तु जब मेरी पार्टी का आदमी कहता है तो मैं उसे सही समझता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

इस सदन की कुछ मान्यताएं हैं और उसके अनुरूप आपको चलना होगा ।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

नहीं, आपको सदन के अनुरूप चलना पड़ेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं सदन की व्यवस्था और मान्यताओं के आधार पर चल रहा हूं । आपको जो कुछ कहना है, कायदे से कहिए ।

श्री बांके लाल—

नहीं, आप बिलकुल कायदे से नहीं चला रहे हैं, आप तमीज सीखिए ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष––

बांकेलाल जी इस तरह से नहीं। आप इस तरह की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। आप शान्ति से बैठिए, नहीं तो आप इस सदन में नहीं बैठ सकेंगे।

(व्यवधान)

इस तरह की अव्यवस्थाएं आपकी गलत हैं, आप शिष्ट व्यवहार करें, नियम–कायदे से व्यवहार करें। आप अपनी बुद्धि का उपयोग करें। यह पहलवानी करने की जगह नहीं है। इस तरह से लड़ने की जरूरत नहीं है।

श्री बांके लाल––

आप हमसे मत टकराएं, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं। रुपयों के टुकड़े पर जीतने वालों को मैं अच्छी तरह जनाता हूं।

श्री उपाध्यक्ष––

माननीय सदस्य सदन छोड़ने की कृपा करें।

(व्यवधान–गोर व्यवधान, भारतीय लोक दल के अधिकांश सदस्य खड़े होकर बोलने लगे, चिल्लाने लगे।)

श्री उपाध्यक्ष––

वह पीठासीन अधिकारी का दायित्व है.....

(व्यवधान)

चौधरी चरण सिंह––

(श्री जयराज गौतम के भी अपने स्थान से चिल्ला कर बोलने पर) आपको गर्मी क्यों आ रही है। मैं खुद समझा दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर आपको बांकेलाल जी के शब्दों से तकलीफ हुई हो तो मैं माफी चाहता हूं अपनी ओर से क्योंकि मैं उनकी नुमाइंदगी करता हूं। लेकिन आपने जो एतराज किया और जिस पर उन्हें क्रोध आया।

श्री उपाध्यक्ष––

उनको क्रोध तो अपनी योग्यता प्रगट करने के लिये आता रहता है। बजाय बुद्धि के प्रयोग के उनका विश्वास फौजदारी करने पर है।

चौधरी चरण सिंह––

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इसी तरह का एक पत्र अध्यक्ष जी के सामने पढ़ा था। इस तरह के बहुत से पत्र मैंने यहां पढ़े हैं। लेकिन किसी ने एतराज नहीं किया है। अगर मैं गल्ती कर रहा था तो आप अपने सेक्रेटरी के जरिये मुझे बुलवा लेते तो मैं हाजिर हो जाता।

श्री उपाध्यक्ष––

मैं निवेदन करूंगा कि आप जो पत्र पढ़ रहे थे उसे मुझे जानने की आवश्यकता हुई कि आप किस का पत्र पढ़ रहे हैं। मुझे पूछना चाहिये या नहीं। मेरा खुद तजुर्बा है कि हमेशा हमेशा पीठासीन अधिकारियों की ओर से रूलिंग्स होती रही हैं कि व्यक्तिगत पत्र नहीं पढ़ा जायेगा।

चौधरी चरण सिंह—

मैं अर्ज कर रहा हूं कि मैंने पहले भी कह दिया था कि यह श्री जुगलकिशोर, एम0एल0ए0 का पत्र है। उनकी तरफ से पढ़ रहा हूं या नुमाइन्दगी कर रहा हूं या अपनी तरफ से पढ़ रहा हूं। इसमें क्या दिक्कत है? किसी ने भी एतराज नहीं किया। अगर रूल्स में इस प्रकार का है तो उसको बदलने की आवश्यकता है क्योंकि उधर से भी पढ़े जाते हैं।

बाराबंकी के डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस और एस0डी0एम0 की बहुत बड़ी शिकायतें हैं। एक एम0एल0ए0 के द्वारा दी हुई हैं। मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। मैं उसे छोड़ देता हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी के पास भेज दूंगा। एस0डी0एम0 ने रिपोर्ट लिखी, उसमें ऐक्शन हुआ लेकिन डी0 वाई0 एस0 पी0 ने बरी कर दिया। उनकी बड़ी शिकायत है। हम सोशलाइजेशन कायम कर रहे हैं। डी0 आई0 जी0 से भी शिकायत हुई। 1974 में सप्लाई विभाग की जांच हुई। श्री शर्मा ने रिपोर्ट लिखी जिसमें लाखों रुपये की सीमेंट, वनस्पति, चीनी आदि की गड़बड़ी की बात थी। उसमें कई लोग मुअत्तिल हुये। सप्लाई आफिसर रिटायर हुआ। लेकिन उन्होंने रुपये लेकर फाइनल रिपोर्ट लगा दी। सफदरजंग में तीन व्यक्तियों को पुलिस वालों ने शूट कर दिया। इसकी जांच शुरू हुई। उक्त अधिकारी पुलिस के पक्ष में रिपोर्ट देने जा रहे थे कि मृतकों के रिश्तेदारों ने जिलाधीश से शिकायत की। जांच रोक दी गई। यह मैं आपके पास भेज दूंगा। एटा की, आप देखिये कि एस0पी0 किस हद्द तक जा सकता है। वह डी0 आई0 जी0 की परवाह नहीं करता है और वह कहता है कि मैं अपने जिले का मालिक हूं।

मर्डर हुआ एक आदमी के लड़के का। वह मेरा पहले का जानने वाला है। मामला यह है कि उसके लड़के का मर्डर हुआ, सुपरिन्टेन्डेट पुलिस ने कुछ नहीं किया। वह डी0 आई0 जी0 के पास गया या डी0 आई0 जी0 को लिखा। डी0 आई0 जी0 ने मौके की पुलिस को लिखा। रूल्स यह है कि अगर कहीं कतल होगा, एस0पी0 खुद जायं। मैंने मालूम किया कि रूल्स के ऊपर कितनी कम्प्लायंस होती है। मालूम यह हुआ कि सुपरिन्टेन्डेन्ट के पास इतना वक्त नहीं है। अब आप देखेंगे कि डिप्टी एस0पी0 भी नहीं जा रहा है। मैं आपको सुझाव दूंगा कि जितनी मर्डर की रिपोर्ट है, डी0 आई0 जी0 वैन्ट टु दि स्पाट, आर नाट। जाता ही नहीं है, सब इन्स्पेक्टर भी मौके पर नहीं जाता है अगर मौके पर अफसर जाता है तो मौके पर अपने आप जुर्म खुल जाता है। कौन डी0 आई0 जी0 मौके पर गये? तो सुन लीजिए पुलिस ने न उसको गिरफ्तार किया और न मुकदमा कोई चलाया। 30 मार्च को कप्तान साहब भी मौके पर गये, उन्होंने मौके पर गवाहान को बुला कर मालूमात किया। उसके बाद एस0पी0 साहब ने कहा कि डी0 आई0 जी0 साहब के पास कौन गया था, तो मुख्य प्रार्थी ने कहा कि मैं ही गया था। साबिर हुसैन अपनी बात कहने गया था।

(इस समय 3 बजकर 55 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

इस पर एस0पी0 साहब बहुत बोले और एस0पी0 साहब ने कहा कि मालूम नहीं है जिले का मालिक मैं हूं। इसके बाद कप्तान साहब ने मुलजिमों से कहा कि तुम बेफिकरी से घूमो। उसके बाद मुलजिमानों ने कप्तान साहब के जिन्दाबाद के नारे लगाये। इसलिये मैंने आपको यह सजेशन दिया था कि जब एस0पी0 का यह ऐटीट्यूड है तो आप सी0 आई0 डी0 की जांच करवाइये। उसका सब्सटैंस सही मालूम होता है। एक तो नवजवान हैं, कोई पुष्कर साहब हैं। उसने कहा डी0 आई0 जी0 कौन होता है? डी0 आई0 जी0 लिख देगा करेक्टर रोल में बहुत कुछ करेगा तो। तो यह एस0पी0 साहब ने कहा कि डी0 आई0 जी0 कौन होता है? मैं हूं मालिक। वाराणसी के एस0पी0 के खिलाफ उन दिनों से फास्ट चल रही है, उसकी आप तहकीकात कीजिये। मुझे मालूम हुआ कि तहकीकात का आपने आर्डर दिया है। वह एस0पी0 है या डी0 वाई0 एस0पी0 है। आप आई0 जी0 को बुला कर पूछ लीजियेगा कि उस एस0 पी0 के कैसे कारनामें हैं।

अब एक बहुत दुखदाई बात अध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं—लड़कियों की नीलामी। माइनर लड़कियों को नीलाम किया जाता है। यह एक छोटी सी खबर है। आपकी इजाजत से इसे सुनाना चाहता हूं।

38 अवयस्क लड़कियां नीलाम होते समय बरामद खरीदार और दलाल भागने में सफल।

मेरठ, 17 अप्रैल। मेरठ पुलिस ने आज यहां एक मकान पर छापा मारकर देश के विभिन्न भागों से लाई गयी 38 अवयस्क लड़कियों को नीलाम होते समय बरामद किया।

पता चला है कि यह लड़कियां एक मकान के बड़े हाल में एकत्रित की गयी थीं और खरीदारों को जो कि देश के विभिन्न भागों से आये हुए थे नीलाम करने के उद्देश्य से दिखायी जा रही थीं कि सूचना मिलते ही पुलिस ने छापा मार दिया। परन्तु खरीदार एवं उनके बेचने वाले दलाल मकान के पीछे के दरवाजे से भागने में सफल हो गये। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिये जी तोड़ कोशिश कर रही है।

जो लड़कियां गिरफ्तार की गयी हैं उनमें महाराष्ट्र; कर्नाटक, तमिलनाड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कश्मीर एवं उत्तर प्रदेश के भागों से लाई हुई लड़कियां सम्मिलित हैं।

बाद में एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह लड़कियां देश के विभिन्न, राज्यों से अपहरण कर, खरीद कर एवं नौकरी दिलवाने के बहाने से लाई जाती थीं तथा दलालों द्वारा ऊंची रकम पर बेच दी जाती थीं जिनमें से अधिकतर वेश्यावृत्ति कराने के लिये दिल्ली के लोग खरीद लेते थे।

गिरफ्तार लड़कियों को नारी निकेतन भेज दिया गया है।

मैं कहता हूं कि पुलिस का कोई खास दोष नहीं है। पुलिस को मालूम हुआ और पुलिस वहां पर पहुंची और छापा मारा। उसने कोशिश की। शायद कामियाब भी हो जाये। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि आजाद मुल्क में लड़कियां और बेटियां नीलाम हों। यह क्यों हो रहा है? हम विचार करें कि हमारा कैसा एडमिनिस्ट्रेशन है। मैं पहले बांदे की बात कह चुका हूं। वहां पर बाहर से लड़कियां आयीं। उन्होंने यह समझा कि मेरठ में आसानी से नीलाम हो सकती हैं। तो मेरा आपसे मशविरा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी0, आई0 जी0 और आई0 जी0, सी0 आई0 डी0 को बुलायें। जितनी मदद आप लोकल पुलिस को दे सकते हैं दें और आगे के लिये कुछ किया जाये और अगर जरूरत है तो सेन्टर से मदद ली जाये। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इसको टेक अप कीजिए।

यूथ कांग्रेस की एक चीज पैदा हो गयी है।

(शासन पक्ष की ओर से आवाज आयी, पहले से है)

पहले तो नहीं थी। आप लोगों ने पैदा किया है। अब आप लोगों ने जो किया है उसके कारनामे देखें। देहरादून में एक कम्युनिस्ट मार्कसिस्ट वर्कर था। उससे झगड़ा हुआ यूथ कांग्रेस वालों से। दोनों तरफ से मारपीट हुई। एक दुकान जला दी गयी। मुझे मालूम हुआ कि वे एक आफीशियल गाड़ी में घूमते रहे। ब्रह्मदत्त जी एम0 एल0 सी0 हैं, उन्होंने मुझे तफसील से बताया और मेरे पास एक तार भी आया। लेकिन सारा काम यूथ कांग्रेस का है और आपके अफसरान कुछ ऐक्शन नहीं लेना चाहते हैं। आज आपने ईमानदारी के साथ कहा है कि आपको तो एक कमिटेड ब्युरोक्रेसी चाहिये

[चौधरी चरण सिंह]

सुल्तानपुर में यूथ कांग्रेस क्या कार्य कर रही है ? लारी साहब को बहुत मालूम है। वहां पर यूथ कांग्रेस का एक दूसरा ग्रुप है, क्या जूता उनमें चल रहा है और क्राइम्स की वहां पर क्या हालत है ?

अभी हाल में डाक्टर अम्बेदकर जयंती के सम्बन्ध में एक बयान हुआ है :

"युवा कांग्रेस की उच्छृंखलता की कड़ी निन्दा

लखनऊ, 16 अप्रैल—

अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ के अध्यक्ष, श्री प्रेम दास के0 पी0 ने गत 14 अप्रैल को डाक्टर अम्बेडकर जयंती की सभा में युवा कांग्रेस के कुछ लोगों द्वारा शराब पीकर गड़बड़ी व हुड़दंग करने की कड़ी निन्दा की है।

इन लोगों ने डाक्टर दाऊ जी गुप्त के अध्यक्षीय भाषण के समय अचानक मंच पर आकर उपद्रव शुरू कर दिया था, उपद्रवकारी नारेबाजी करते रहे एवं सभा के बाद पुनः मंच पर चढ़ गये थे। बाद में वे मुख्य-मंत्री, श्री बहुगुणा के बंगले की ओर प्रस्थान कर गये।"

तो वहां पर पुलिस कैसे पकड़ती ?

श्री प्रेम दास ने, जो स्वयं घटना स्थल पर उपस्थित थे, आगे कहा कि :

"इसके पूर्व गाजियाबाद में भी बाबा साहब की प्रतिमा पर युवा कांग्रेस वालों ने कालिख पोतने का शर्मनाक कार्य किया।"

(कांग्रेस पक्ष के एक माननीय सदस्य के कुछ कहने पर)

मुझे मालुम थोड़े ही है। यह तो अखबार में छपा है। जिनका बयान है वे प्रेसीडैन्ट हैं, जिम्मेदार आदमी हैं।

इसके अलावा एक सूचना और मैं निवेदन करना चाहता हूं जो यहां पर नियम 56 में कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में दिया जा रहा था। मैंने कहा कि मैं इसे स्वयं ही सरकार की नोटिस में लाये देता हूं।

15 अप्रैल को जसन्त्री देवी, पीलीभीत के मेले में वहां पर तैनात सिपाहियों ने शराब पी कर मेले में आई कुछ औरतों के साथ छेड़खानी की जिससे उत्तेजित होकर उन औरतों ने तथा जनता के लोगों ने उन पुलिस वालों की पिटाई की। रात्रि के लगभग 9 बजे बदला लेने की भावना से पुलिस वाले पी0 ए0 सी0 को लेकर मेले में आए और बुरी तरह, जो सामने पड़ा, उसको मारना शुरू कर दिया, यहां तक कि जो लोग सोए पड़े थे, उन तक को मारा। ला एन्ड आर्डर उनके हाथ में और किसी की यह हिम्मत ? कई औरतों और बच्चों के सख्त चोटें आईं। जनता में पुलिस के इस रवैया से काफी रोष है। जसन्त्री देवी का मेला जो कई दिन तक चलता है जिसमें दूसरे जिलों से काफी लोग आते हैं, पूर्णतः नष्ट हो गया। मेला उठ गया। यहां पर हजारों लोग मनौती पूरी होने पर देवी के दर्शन करने आते हैं, उनके मन में मेला खत्म हो जाने से काफी क्लेश है।

यह मैं पुलिस की गलती बता रहा हूं। इसका युवा कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है।

मान्यवर, मौजूदा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें इन्सपेक्टर और एस0 ओ0 लिन्च पिन्स होती हैं। अगर ये सही काम करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन ठीक चलता है ऊपर के अधिकारी अगर इनएफिशिएन्ट भी हों तो कोई असर नहीं पड़ता है लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एस0 ओज के अप्वाइन्टमेंन्ट में कोई रूल्स नहीं हैं। जब चाहा, जिस को चाहा एस0 ओ0 बना दिया और जब चाहा और जिसको चाहा, हटा दिया। एस0 ओ0 बड़े-बड़े थानों के, मुझको याद पड़ता है, मैंने ही तय किया था कि इन्सपेक्टर

ही होंगे। एस0 ओ0, लिन्च-पिन है। यह नहीं होना चाहिए कि जब जी में आया हटा दिया, बिरादरी के नाम पर हटा दिया, दो साल के आदमी को कर दिया और 8 साल के अच्छे रेकार्ड वाले को हटा दिया। तो मैंने यह तय कर दिया था कि बाकायदा रूल्स होने चाहिए और अगर किसी एस0 ओ0 को हटाना है तो बाकायदा डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। आपने देखा है कि एस0 एन0 पांडे ने मना किया तो उसको हटा दिया। यह उसने हिम्मत की कि डायरी में वह लिखता चला गया, जो उसको लिखने का अधिकार है कि मना कर दिया इसलिए ट्रान्सफर कर दिया। बम्बई और पंजाब में इस तरह के नियम हैं। जब मैंने पिछली दफा सुझाव दिया था तो आपने कोई विचार किया या नहीं ? अगर नहीं किया तो यहां के व्याख्यानों का कोई मतलब नहीं और अगर किया तो मुझे बतलाते कि हमने विचार किया, डिस्कशन किया लेकिन उसमें एक खराबी है। आखिर बताना चाहिए, इसमें आपकी नाक नहीं कटती, यह मैं इन्टाइटिल्ड हूं। मैं फिर दोहरा दूं कि एस0 ओ0 के अप्वाइन्टमेंट और रेमूवल के नियम होने चाहिए, एस0 पी0 की व्हिम पर नहीं होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत ज्यादा समय ले लिया--तीन घंटे, लेकिन जब तक मुख्य मन्त्री जी निष्पक्ष नहीं रहेंगे तब तक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलेगा और कांग्रेसमैन चूंकि कह रहे हैं इसलिये ट्रान्सफर हो या ट्रान्सफर रुके, इसलिये सजा दी जाय, यह है सब से बड़ी गलती जिसकी वजह से आपका एडमिनिस्ट्रेशन बिगड़ रहा है। इन शब्दों के साथ मैं माफी चाहता हूं आपसे भी और जो उपाध्यक्ष जी बैठे थे वह तो मुझसे नाराज ही हो गए हैं और मुख्य मन्त्री जी भी कि मैंने इतना समय लिया है। मैंने कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी है लेकिन जितना भी हो सकता था शिष्टाचार की सीमा के अन्दर रह कर।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आद्योपान्त नेता विरोधी दल को बड़े ध्यान से सुनता रहा। सब से पहला आरोप उनका इस सरकार के लिए यह था कि यह सरकार विरोधी पक्ष के साथ सेकेन्ड क्लास सिटीजन या घटिया किस्म के नागरिक जैसा व्यवहार करती है।

चौधरी चरण सिंह--

अध्यक्ष महोदय, मैं माफी चाहूंगा कि मुझे जाना पड़ेगा। मैं बहुत थक गया। तो मेरे माननीय मित्र को यह शिकायत नहीं होनी चाहिए कि मैं कोई बात सुनना नहीं चाहता लेकिन मेरी कोई फिजिकल लिमिट्स हैं। आपकी बातें मैंने अपने दोस्तों से कही हैं वह नोट करेंगे और कल अगर मुझे मौका मिला तो मैं उनका जवाब दूंगा।

श्री रामायण राय--

तो मान्यवर, नेता विरोधी दल को यह शिकायत है कि और इधर के बैठने वालों को लाबी में बैठ कर अक्सर यह शिकायत सुनता हूं मैं कि मौजूदा सरकार विरोधी दल के विधायकों के प्रभाव में आकर आदेश दिया करती है, हमारी सुनवाई नहीं होती है। विचित्र स्थिति है। और क्या यह सही नहीं है कि आज ही प्रातः काल विरोधी दल के नेता और जनसंघ के नेता ने एक आग्रह किया, एक मामला है सुजाता कांड का, उन्होंने इच्छा प्रकट की कि इस मामले में सी0 बी0 आई0 द्वारा जांच होनी चाहिए, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने इसको स्वीकार कर लिया है। इसके पूर्व भी मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि बाजरा कांड के सिलसिले में विरोधी दलों के नेताओं की तरफ से यह मांग की गयी कि

[श्री रामायण राय]

तत्सम्बन्धी पत्रावली उन्हें दिखायी जाय। मान्यवर, शासन ने वह भी उनके समक्ष पेश कर दी। तो अनेकों अवसर ऐसे आए हैं जब कि सरकार ने विरोध पक्ष की राय का आदर किया है। इसलिए माननीय नेता, विरोधी दल का यह आरोप गलत है कि उनकी राय की कोई कद्र नहीं की जाती है। उनका सारा आज का भाषण सुनने के पश्चात् मुझे ऐसा लगा कि आज जो लोग भी प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं, चाहे वे प्रधान मन्त्री जी हों, चाहे मुख्य मंत्री जी हों, चाहे चीफ सेक्रेटरी हों, चाहे आई० जी० पुलिस हों, कोई ऐसा व्यक्ति उनकी निगाह में नहीं रहा जिसके प्रति उन्होंने ऐसे आरोपों को प्रकट न किया हो जिससे कि लोगों के मन में निराशा न फैले और उनके व्यक्तित्व के प्रति अनादर उत्पन्न हो।

मैं इसी सदन में इस बात को कहता रहा हूं कि माननीय चौधरी साहब जिस तरह की राजनीति इस प्रदेश में चलाना चाहते हैं उसी के तहत उन्होंने अविश्वास की राजनीति का सृजन करने के लिए इस तरह की बातें कीं। 3-4 बातें उनकी ऐसी हैं जिनके बारे में कहीं किसी विधायक का पत्र पढ़ दिया, कहीं उन्नाव के किसी विधायक का पत्र पढ़ा, कहीं समाचार-पत्र का हवाला दिया, मुनासिब तो यह होता कि वे इस सारे उद्धरणों को, शिकायती-पत्रों को शासन के पास उचित कार्यवाही के लिए भेज देते, और 3 घंटे का समय जो उन्होंने लिया, वे न लेते। अगर शासन उन पर कोई कार्यवाही न करता, तब उनका उसके बारे में यहां जिक्र करना ठीक होता। (व्यवधान) मैं यह नहीं कहता कि इस सरकार के जमाने में अपराध नहीं होते। मगर उनके पीछे कारण क्या है? उन कारणों पर यदि माननीय नेता, विरोधी दल, ने कुछ प्रकाश डाला होता तो अच्छा होता। जिस प्रकार के सामाजिक परिवर्तन का संकल्प इधर के लोगों ने लिया है, वैसा सामाजिक परिवर्तन आज तक जिन समाजवादी देशों ने लिया है, वहां की डेमोक्रेसी की जो शक्ति वहां रही है, वह शक्ति यहां की डेमोक्रेसी को नहीं है। साथ ही यह भी सही है कि बहुत से हमारे यहां ऐसे भी लोग हैं जिनका इस डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं है।

इसी कारण वांछित प्रगति नहीं हो पा रही है। मैं आपकी आज्ञा से कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। सरकार ने भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं, वह मैं बताना चाहता हूं। और नेता विरोधी दल जब स्वयं मुख्य मन्त्री थे, उस जमाने में जो स्थिति रही, सदन से मैं आग्रह करूंगा कि वह धैर्य के साथ इन आंकड़ों को सुनने की कृपा करें। मान्यवर, जब नेता विरोधी दल के हाथ में हुकूमत थी, मेरा मतलब है 1970 के जमाने से। मौजूदा सरकार ने 32 अधिकारियों को सस्पेंड किया और उन्होंने 29 को सस्पेन्ड किया था। विजिलेंस इस्टैब्लिशमेंट को चौधरी साहब ने 189 मामले भेजे थे और मौजूदा सरकार ने 866 मामले भेजे। इन 866 मामले में से 535 मामले में फाइनलाइजेशन हो चुका है और उन पर बड़ी ही तीव्र गति से ऐक्शन लिया गया। चौधरी साहब के जमाने में 189 मामले जो भेजे गये थे, बड़ी शीघ्रता बरतने के बाद भी केवल 44 मामले पर निर्णय लिए जा सके। मान्यवर, 39 मामले आज की सरकार ने ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को भेजे जब कि चौधरी साहब जो कि स्वच्छ प्रशासन के हामी हैं महज 17 मामले ही एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को भेजे।

मैं आपके माध्यम से इस सदन से आग्रह करना चाहता हूं कि अपराध अगर बढ़ रहे हैं तो हमें उसके कारणों में भी जाना होगा और साथ ही साथ अपराधों के रोकने की जो मशीनरी है, अपराधों को कम करने के लिए जो अस्त्र हैं शासन के पास, उसके सम्बन्ध में कुछ तथ्यों पर दृष्टिपात रखना होगा। उन तथ्यों के सिलसिले में कुछ आंकड़े मैं इस सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। गुजरात स्टेट में 1000 आदमी के ऊपर 1.53 पुलिस है और इस प्रदेश में 1.11 है। ऐसे ही मान्यवर, देश के सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश से अधिक पुलिस, सशस्त्र पुलिस, सिविल पुलिस की व्यवस्था है और वे अपने संगठनों

द्वारा अपराधों के रोकथाम करने की चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के निकट के राज्यों की तरफ आप दृष्टिपात करें, तो हम बिहार के बगल के ही रहने वाले हैं, मैं इस बात को सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि इन तमाम कमियों के बावजूद उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों की तुलना में अपराध कम बढ़े हैं।

लेकिन हमारा खर्चा कितना है? पूरे बजट का 6.75 खर्च होता है गुजरात में, राजस्थान में 5.94 खर्च होता है और बिहार में 4.90 खर्च होता है, मध्य प्रदेश में 5.39 खर्च होता है और इस राज्य में पुलिस फोर्स पर केवल 4.8 खर्च किया जाता है। इतना कम व्यय करने के बाद जो नए आदेश मुख्य मन्त्री जी ने निकाले कि हरिजनों को भूमि मिलनी चाहिए, समाज के जो दलित वर्ग के लोग हैं, उनको सामाजिक न्याय प्राप्त होना चाहिए और वर्षों से हरिजनों का जो शोषण किया जाता रहा है उनकी आवश्यक समृद्धि के आधार पर उनका अन्तर कम होना चाहिये, उपरोक्त तथ्यों को उद्धृत कर मैं सदन से यह आग्रह करना चाहता हूं कि अगर सदन राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप सामाजिक परिवर्तनों में विश्वास करता ह तो पूरे शासन तन्त्र को शासन और व्यवस्था से चलाने के लिए राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप ही उनको पूरी तरह के नये आधुनिक साधनों से समृद्ध करना पड़ेगा। मान्यवर, आज मौजूदा सरकार ने इस प्रदेश में सबसे बड़ा काम जो मेरी समझ में आता है, किया है और जिसके चलते मान्यवर, आप स्वयं जानते हैं कि पिछले दिनों की ओर जब हम दृष्टिपात करते हैं और खासकर माननीय नेता विरोधी दल के जमाने की याद आती है कि मजदूरों और विद्यार्थियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर किस तरह के अत्याचार हुए हैं। आज उस तरह की बात हमको नहीं दिखायी देती है। जनतन्त्र की यह मान्यता है कि विरोधी दलों को सभायें करने, प्रदर्शन करने, और अपनी सीमा में रहते हुए, अपने विचारों का प्रतिपादन करने का पूरा अधिकार है। मैं तो ऐसा समझा कि माननीय नेता विरोधी दल आज सदन के समक्ष इस बात को कहेंगे कि अमुक स्थान पर हमें सभा नहीं करने दी गयी। और अगर वह चाहेंगे तो मान्यवर, मैं व्योरा सदन के समक्ष प्रस्तुत करूंगा कि उनके जमाने में कितनी सभायें भंग की गयीं और मैं कहना चाहता हूं कि उनके जमाने में विधान सभा के समक्ष राज्य कर्मचारी सभा करना चाहते थे। लेकिन उन्हें सभा करने नहीं दिया गया था। तो आज की सरकार ने जो सभायें होती हैं, प्रदर्शन होते हैं उचित तरीके के होते हैं उनके ऊपर लाठी गोली नहीं चलायी जाती है। मान्यवर, कालागढ़ मुझे नहीं भूलता है। मोदी का मामला मुझे नहीं भूलता है।

मान्यवर, मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अगर दृष्टिपात करेंगे और विभिन्न राज्यों की स्थिति को देखेंगे तो बरबस आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि आज की सरकार ने अपने सीमित साधनों के अन्दर इस प्रदेश में शान्ति और व्यवस्था को कायम रखने में कितनी कामयाबी हासिल की है।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें)

इसलिए मैं आपके माध्यम से उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूं कि इस बजट का समर्थन करने की कृपा करें।

अन्त में, मैं मान्यवर, एक बात जिसका सम्बन्ध आपसे भी है, उसकी तरफ संकेत करना चाहता हूं, मैं अपने लोभ का संवरण नहीं कर पा रहा हूं। हिन्दी की जो सेवा आज की इस सरकार ने की है आज के पहले किसी सरकार ने इतनी सेवा नहीं की थी। मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं कि इसी सरकार के जमाने में सबार्डिनेट सर्विसेज में अंग्रेजी में इम्तहान देना आवश्यक नहीं समझा गया।

[श्री रामायण राय]

मान्यवर, मेरे पास थोड़ा सा समय है। मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रदेश के थानों के सम्बन्ध में उन्होंने बजट प्रस्तुत करते समय कहा था कि इतने थाना को बढ़ाना चाहते हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि थानों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ उनका पुनर्गठन की अत्यन्त आवश्यक है। मैंने पढ़ा था कि अमेरिका में कैसी कैसी कांस्टीट्एंसीज होती हैं। ठीक उसी प्रकार से थानों के आकार पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बहुत लम्बे-लम्बे थाने होते हैं। ठीक से देखभाल नहीं हो पाती। इसलिए थानों की संख्या बढ़ायी जानी चाहिए और साथ-साथ उनका पुनर्गठन भी होना चाहिए। इस सम्बन्ध में आपको आदेश देने चाहिये।

अन्त में, मैं पर्वतीय इलाकों में होम गार्ड्स के बारें में कहना चाहता हूं। मान्यवर, 7 जिले जो हैं--अल्मोड़ा, नैनीताल, चमोली, उत्तर काशी, पिथौरागढ़, टेहरी, इन जिलों में होम गार्ड्स का जो संगठन था वह समाप्त कर दिया गया है। मेरी जहां तक जानकारी है कि होम गार्ड्स संगठन वहां पर जनता की बहुत बड़ी सेवा कर रहा था। मैं आग्रह करता हूं कि इस संगठन की उन जिलों में फिर से स्थापना की जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय नेता विरोधी दल से आग्रह करूंगा कि चरित्र-हनन की राजनीति को समाप्त करके कुछ रचनात्मक सुझाव इस विभाग के बारे में देने की कृपा करें।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें)

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)--

अध्यक्ष महोदय, आज सामान्य प्रशासन और पुलिस का बजट पेश है और उसी के सम्बन्ध में मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। यद्यपि मुझे इस बात का अहसास है कि इस सदन में जो स्पीचेज होती हैं चाहे वह विरोधी पक्ष के या सरकारी पक्ष के माननीय सदस्य बोलें लेकिन वह खाली एक रस्म जैसी बनकर रह गयी है। इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता है कि कोई क्या कह रहा है, यदि अच्छी बात है तो उसका फायदा उठाया जाय इसका ध्यान नहीं रखते हैं। स्पीचेज की पहले स्क्रुटनी होती थी, अब वह भी नहीं होती है। पहले अच्छी बात का स्क्रुटनी करके फायदा उठाते थे और जवाब देते थे लेकिन अब वह परम्परा भी खत्म कर दी गयी है।

मान्यवर, मुझे एक बात का ताज्जुब हुआ कि श्री रामायण राय जैसे अनुभवी सदस्य की सारी बहस की बुनियाद यह बन गयी कि चूंकि विरोधी दल के नेता ने बुरे काम किए थे उतने तो इस सरकार को भी कर लेना ही चाहिए। इस सम्बन्ध में मुझे एक शेर याद आती है :--

सुन तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या,
कहती है तुझ को खलके खुदा गायवाना क्या।

इन बातों से अपने आप श्री काशी नाथ जी तथा उनके साथी इससे बहुत खुश हैं कि राज्य अच्छा चल रहा है। लेकिन मेरा कहना है कि आज राज्य तो जिस स्टेज को पहुंच गया उसका यदि बयान करने लगूं तो हफ्तों उसमें कई दिन लग जायेंगे। सामान्य प्रशासन द्वारा सम्पन्न किया जाता। राज्य वह अच्छा है जिसमें कम से कम हुकुमत की जाय और मुल्क में ऐसा वातावरण बनाया जाय कि सर्वसाधारण को अहसास हो कि यदि तकलीफ होती है तो उसे कहां सहायता मिल सकती है। अध्यक्ष महोदय, श्री काशी नाथ, श्री रामायण राय और श्री ओम प्रकाश जी पढ़े लिखे और प्रगतिशील सदस्य हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज कोई भी ऐसी जगह है जहां कमजोर आदमी कुछ कहे और उसकी सुन ली जाय? बिना सहारे के साधारण आदमी कहीं भी नहीं पहुंच सकता है। या फिर उसकी जेब भारी हो, यदि नहीं है तो बड़ा आदमी जब तक उसका साथ नहीं देगा उसकी कोई सुनने वाला नहीं

है। अध्यक्ष महोदय, मैं 1946 से इस सदन का सदस्य हूं अगर 10 बार भी टेलीफोन करूं तो मालूम नहीं कि क्या खिचाव हो गया है इन परवानों में कि हर अफसर बाथ रूम में बैठा रहता है। बाथ रूम से हटे तो पूजा है। यदि दफ्तर में हैं तो वहां कोई कमेटी हो रही है। कहीं आप मिल नहीं सकते हैं। अब चाहे कत्ल हो या डकैती, कुछ भी हो, एक चिट्ठी लिखकर मुख्य मन्त्री जी के पास भेज दिया करते हैं। एक जवाब आ जाता है कि आपकी चिट्ठी मिल गई और उसको दिखलवा रहे हैं, मगर फैसला नहीं होता। आज लोगों में खिद्मत करने का माद्दा नहीं है और जब सरकारी अफसरों के दिमाग में यह बैठ जाता है कि नेताओं का क्या रुख है तो उनका रुख भी सवाया हो जाता है। अगर सरकारी अफसरों को उनकी कान्सेंस के मुताबिक काम करने का मौका नहीं मिलेगा तो कोई आदमी नहीं हो सकता। आज कल होता यह है कि अफसर लोग खुशामद में लगे रहते हैं क्यों कि वह भी खुशामद पसन्द होते हैं और जिनकी पहुंच होती है सरकार से तो एक्सटेंन्सन भी ले लेते हैं और ज्यादा से ज्यादा सहूलियत भी लेने की कोशिश करते हैं। और जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, वह डिमोरलाइज हो जाते हैं क्योंकि वह यह समझते हैं कि अधिक काम करने से कोई फायदा नहीं है।

आज सरकारी अधिकारियों को चाहे वह चपरासी ही क्यों न हो, उनको भी ज्यादा से ज्यादा सहूलियत मिल रही है—डालडा हो सरकारी कर्मचारियों के लिए, राशन कार्ड हो तो उनके लिए, स्कूटर, मोटर हो, वह भी उनको मिलेगी। लेकिन पब्लिक का आदमी है तो उसके नसीब में कहां है? आज सरकारी नौकरी इन्डस्ट्री बन कर रह गई है। लेकिन जहां काम का प्रश्न आता है वह 7 घन्टे में से 2 घन्टे ही काम करते हैं मुश्किल से। सारा प्रशासन गिरता चला जा रहा है। पिछले साल जब वित्त मन्त्री जी ने बजट पेश किया था तो बड़ी अच्छी-अच्छी बातें बताई थीं और सारा बजट नौकरी की तनख्वाह में चला गया, लेकिन कोई डेवलपमेंट का काम नहीं है। आज प्रदेश की फाइनेन्स की बहुत ही दुर्दशा है। अगर कोई कमेटी या सेल बना भी दिया जाता है और बड़ी मेहनत के साथ रिपोर्ट बनकर आती भी है तो उस रिपोर्ट की कोई स्क्रुटिनी नहीं होती बजाय इसके कि एक कैबिनेट की सब कमेटी बैठे और हर एक प्वाइन्ट पर उसको देखे और फैसला करे। लेकिन ऐसा नहीं होता। वह फिर सरकारी अफसर के पास चली जाती है और उन्हें उसमें कोई इन्ट्रेस्ट नहीं होता और कमेटी की रिपोर्ट के साथ जो जस्टिस होनी चाहिये, वह नहीं हो पाती। जब तक इस सदन के मेम्बर शक्तिशाली नहीं होंगे तो यह पंचायती राज कैसे मजबूत होगा। आपने कारपोरेशन बनाये हैं। मैं ये समझता हूं कि यह अच्छा कदम है। इसको बैंकों से रुपया मिल सकता है जबकि सरकार इतना रुपया नहीं दे सकती। लेकिन कारपोरेशंस पर किसका कन्ट्रोल है? उनमें सरकार के अफसर बैठते हैं। जो रुपया मिलता है उसकी सिक्योरिटी सरकार देती है। लेकिन क्या इस सदन की कोई कमेटी है जो किसी कारपोरेशन को देख ले? कारपोरेशन बनने की देर नहीं कि एयर-कंडीशनिंग हो गया, कार आने लगी। क्या उनके फाइनेन्सज पर कोई कन्ट्रोल करने वाला है?

यह सरकार के देखने की चीज है या नहीं। जब तक इस सदन की गरिमा और ताकत नहीं बढ़ेगी तब तक पंचायती राज मजबूत नहीं हो सकता। पंचायती राज के चार खम्भे हैं। पहला, हर आदमी पढ़ा लिखा होना चाहिए ताकि वह समझ बूझ सके। यहां करोड़ों आदमी बगैर पढ़ा लिखा हैं और उसकी जिहालत का फायदा उठाते हैं। दूसरी बात यह कि मिनीमम स्टेन्डर्ड आफ लिविंग होना चाहिए।

यहां 40 फीसदी लोग बिलो स्टैन्डर्ड हैं। उनको अपनी रोटी-रोजी की ही फिक्र रहती है, राजनीति और पंचायती राज से उनको क्या? तीसरी बात वह कि पंचायती राज

[श्री राममूर्ति]

वहीं फला फूला जहां होमोजीनियस सोसाइटी है। हमारे यहां धर्म का धर्म से, बिरादरी का बिरादरी से, समुदाय का समुदाय से झगड़ा है। हर एक दूसरे से टकरा रहा है। (लाल बत्ती होने पर) अध्यक्ष महोदय, हमारे लीडर नहीं बोल रहे हैं, मैंने उनसे बात की है। मैं उनकी जगह बोल रहा हूं। अगर आप इजाजत दें तो थोड़ा समय और ले लूं। चौथी बात यह है कि पंचायती राज वहीं सफल हुआ जहां लोग कानून को मानते हैं। लेकिन हमारे यहां कानून बनता नहीं कि तोड़ना पहले से शुरू हो जाता है। अब इस हालत में यहां पंचायती राज चल रहा है तो जो चलाने वाले हैं उनको विजीलेंट होना पड़ेगा।

जब तक हमारे दिल में यह दर्द नहीं होगा कि जो बेसहारा इन्सान है उसकी मदद कैसे की जाय तब तक यह सफल नहीं होगा। मुझे रामायण राय जी की बात को सुनकर ताज्जुब हुआ। वह भले ही अपने दिल में खुश हों लेकिन आज हर जिले में हालत यह है कि अफसरों पर आपकी पार्टी के लोग सवार हैं। मैंने अपने यहां अफसरों से पूछा कि आप लोगों के साथ क्यों अन्याय करते हैं तो उन्होंने कहा कि हम बतला नहीं सकते कि कितने प्रेसर में काम कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि भाई हुकूमत की थोड़ी बहुत झलक हमने भी देखी है। माननीय पन्त जी के जमाने में हम लोगों की यही शिकायत रहती थी कि हमारी कोई सुनता ही नहीं और विरोधी लोगों की बात चलती है। लेकिन आज का बिल्कुल ही उल्टा माहौल है। अब यह क्या प्रशासन है? बहुगुणा जी को तो काफी तजुर्बा है। यहां के एडमनिस्ट्रेशन का भी है और केन्द्र का भी है। अगर यही समझते रहे कि कुर्सी सम्भली रहे तो क्या काम होगा? जब वैस्टेड इन्टेरेस्ट हो गए तो फिर इस प्रशासन की, चाहे पुलिस का हो या सामान्य प्रशासन का हो, कौन रक्षा करेगा, जब मुख्य मन्त्री इन मामलों को नहीं देखेंगे, तो कैसे काम चलेगा? जब तक सरकार नियत नहीं बदलेगी, कैसे काम होगा?

मान्यवर, आज कल सोशलिज्म का बहुत नाम लिया जाता है। लेकिन जितने इस हुकूमत ने सोशलिज्म को मिट्टी पलीद की, दुनिया के किसी मुल्क ने नहीं की। हमारे यहां सोशलिज्म का एक जीता जागता मिसाल चपरासी है। मोटर खोलने के लिए चपरासी, सलाम करने के लिए चपरासी, दूध पिलाने के लिए चपरासी, हर काम के लिए चपरासी। दुनिया में कोई मुल्क नहीं, जहां इस तरह के चपरासी हों। मैं मुख्य मन्त्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि कम से कम अब आगे के लिये इनकी भर्ती बन्द करें। यह सोशलिज्म कैसे चलेगी? जब यही नहीं कर पायेंगे, जो बुनियादी चीज है, तो आगे क्या करेंगे? 2, 3 और 4 साल तक फिजूलखर्ची बन्द कीजिये। आज करोड़ों रुपये तनख्वाह में बंटता है, कर्ज की किश्तों में, पेंशन में बटता है। इससे पंचायती राज को मजबूत करने में क्या खर्च हो रहा है?

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने कानून बनाया है कि औरतों की रक्षा की जाए। इम्मोरेल बिहैवियर से बचाया जाय। आपने यहां स्त्रियों के लिए कुछ सेंटर्स बनाए हैं जहां उनकी रक्षा हो। हम एक मिसाल मुरादाबाद की आपकी नोटिस में लाना चाहते हैं। करीब डेढ़ महीने पहले की बात है। पूना से एक लड़की को कुछ बदमाश ले आए, यह कह कर कि उसके साथ शादी की जाएगी। जब वह लड़की मुरादाबाद में आ गयी, तो उससे गलत काम किए जाने के लिए मजबूर किया गया, जिसका उसने विरोध किया और फलस्वरूप उसको उन्होंने काफी मारा-पीटा। फिर उसको अस्पताल में लाया गया। उस लड़की ने डरते हुए डाक्टर से कहा कि ये बदमाश मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहते हैं। डाक्टर ने इसकी रिपोर्ट पुलिस वालों को दी। पुलिस ने, बजाय उसको सुरक्षित स्थान में पहुंचाने के, उन्हीं बदमाशों को फिर उसको दे दिया। इसका पता हमारे एक माननीय साथी को हुआ और उन्होंने बड़ी कोशिश से उसको गिरफ्तार कराया। जब उस लड़की से बहुत आग्रह किया तो बहुत डरते हुए उसने बयान दिया और कहा कि मेरी यह दुर्दशा हुयी है। तब

जाकर वह छूटी। मुझे मालूम हुआ, जो अफसर उसमें फंसे थे, वे यहां सेक्रेटेरियट आए, यह कोशिश करने के लिये कि उनका मामला कहीं ऊपर न जाय। मुझसे तो उनकी कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। अगर मुझसे कहते तो मैं जरूर मुख्य मन्त्री जी को बता देता जो आज औरतों के साथ यह बर्ताव हो रहा है।

इसी तरह, बरेली के अन्दर एक डी0 आई0 जी0 साहब हैं। पहले ये डी0 एस0 पी0 रहे हैं, फिर एस0 पी0 और अब डी0 आई0 जी0 हैं। इनके पहले बरेली में कोई बदमाश टिक नहीं पाता था। लेकिन आज रात दिन चोरी, डकैती और लूट हो रही है। बदमाश कहते सुने जा रहे हैं कि अच्छी ठंडी हवा आयी है और आज जब वही डी0 आई0 जी0 होकर आ गए तो आए दिन लूट है, कोई दिन नहीं जाता जब डकैती नहीं होती, कत्ल नहीं होते, चोरियां नहीं होती। जब मैंने कहा तो वह हंसने लगे यह कह कर कि हालात को देख कर काम करना पड़ता है। मैंने पूछा क्या सरकार की तरफ से कोई हुकुम आ गया है कि गलत काम को मत रोकिये? हुआ क्या? उस औरत को रेस्क्यू होम में भेज दिया गया और बड़ा गुल गपाड़ा हुआ तो कोतवाल का ट्रान्सफर हो गया। सुजाता कांड के बारे में अभी रामायण राय जी ने कहा कि माधव प्रसाद त्रिपाठी ने कहा कि इस केस को सी0 बी0 आई0 के पास भेज दिया जाय तो हमारे मुख्य मन्त्री जी फौरन राजी हो गये।

एक सदस्य—

कितना समय माननीय सदस्य लेंगे? हमको भी समय मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

नेता की तरफ से बोल रहे हैं।

श्री राम मूर्ति—

मुख्य मन्त्री जी राजी हो गये बहुत अच्छी बात है और उसके लिए उनको मुबारकबाद है। लेकिन दूसरा पहलू भी देखिये। कितने दिन हो गए इस केस को हुए लखनऊ में? सरकार की नाक के नीचे केस हुआ है। कोई अखबार नहीं जिसमें आये दिन इसके बारे में छपा न हो? कितने बड़े-बड़े आदमियों का जिक्र है मिनिस्टर्स, बड़े-बड़े अफसरान, जुडीशियल आफिसर्स, प्रोफेसर्स तथा बड़े-बड़े रईस। इतना बड़ा कांड, इतनी चर्चा लेकिन आज तक सी0 आई0 डी0 ने कुछ नहीं किया। अगर इतने बड़े आदमियों की बात न होती तो अब तक कुछ से कुछ हो गया होता। सरकार की तरफ से अगर साफ्ट कार्नर न होता तो यह केस ऐसे ही न पड़ा रहता। हम महज उस लड़की का जिक्र नहीं करते। जैसे औरों की बेटी वैसे हमारी बेटी। सवाल यह है कि उनके खिलाफ क्या हुआ है, फिर यह बात केवल लखनऊ तक महदूद थोड़े ही है, उत्तर प्रदेश में जितने जिले हैं कोई ऐसी जगह नहीं है जहां इस तरह की बातें न होती हों। मासूम बच्चों को बहला-फुसला कर लें जाया जाते है और उनकी जिन्दगी बरबाद की जाती है। जब तक बड़े अफसरों का हाथ नहीं होता तब तक ये बातें नहीं हो सकतीं। मुझे कहना अच्छा नहीं लगता। आज हालात यहां तक बिगड़ गये हैं अगर कोई अफसर चाहे कि बगैर शराब पिए रह जाय तो उसको रहने नहीं दिया जायगा, उसका जीना दुश्वार कर दिया जायगा। ऐसा माहौल हमारे देश व प्रदेश में हो गया है। जब तक सरकार इस शिकंजे को ढीला नहीं करेगी इस पर विशेष ध्यान नहीं देगी और जब तक सरकारी पक्ष के लोग पार्टी मीटिंग में सरकार को मजबूर नहीं करेंगे तब तक ये चीजें रुक नहीं सकतीं। मुखालिफ पार्टीज तो कह कर अपनी फर्ज अदायगी कर लेती हैं। रामायण राय जी खुद बतलायें कितने दफा उन्होंने पार्टी मीटिंग में इस तरह के सवाल

[श्री राम मूर्ति]

उठाए, कितना पार्टी बासेज को मजबूर किया? सिर्फ यह कह देने से काम चलने वाला नहीं है कि चौधरी साहब ने यह नहीं किया, वह नहीं किया। ऐसी बातें कहना मुनासिब नहीं है। मैं बुनियादी बातों को रखना चाहता हूं। चौधरी साहब ने क्या किया और क्या नहीं किया, उन बातों में मैं जाना नहीं चाहता। एडमिनिस्ट्रेशन जो पुलिस का है, चाहे इस मुल्क में हो अथवा किसी अन्य मुल्क में जब तक सरकार विशेष तरीके से ध्यान नहीं देगी, जनता की परेशानियां दूर नहीं होगी। रूस से खुश्चेव साहब आए थे तो कहा कि ब्यूरोक्रेसी का ऐसा शिकंजा है जिसे कि बावजूद इसके कि रूस में सरकार है जरा हमारी सूझ है ब्यूरोक्रेसी हावी रहती है। जब तक हम सब लोग विजिलेन्ट नहीं होंगे और जब तक इन चीजों पर हमारा कन्ट्रोल नहीं होगा तब तक हमारा सारा प्रशासन ढीला रहेगा। इसलिए सदन के कन्ट्रोल की नितान्त आवश्यकता है। इन शब्दों के साथ मैं सरकार से कहता हू कि जो बातें मैंने कहीं हैं, उन पर वह ध्यान दे।

*श्री प्रेमदत्त---

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं आगे कुछ कहूं, उसके पहले मैं आपके माध्यम से चौधरी साहब से क्षमा चाहूंगा कि मैं बीच में खड़ा हो गया और उसका कारण केवल एक ही था कि चौधरी साहब का स्वभाव जो 67 में उसके बाद था वह पहले कभी नहीं रहा। सदन में और बाहर उन पर राजनारायण जी का प्रभाव आ गया। वे सदन में वही भाषा बोल रहे थे जो राजनारायण जी सदन में बोला करते थे। जितनी भी बातें उन्होंने कहीं, उन्हें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। उन्होंने हमारे देश के उस महान नेता उमा शंकर दीक्षित, जो इस सदन के सदस्य भी नहीं हैं, का नाम लिया और उन्नाव के बारे में बताया कि उमाशंकर दीक्षित के भतीजे गोपीनाथ दीक्षित ने ये-ये किया। गोपीनाथ जी दीक्षित उनके खानदानी भतीजे हो सकते हैं लेकिन जो चौधरी साहब का इम्प्रेशन है, वैसे भतीजे वे नहीं हैं।

उन्नाव के सम्बन्ध में सदन में चर्चा हुई और बार-बार कहा गया कि बी0 एल0 डी0 के विधायकों के साथ यह-यह किया गया, उसमें दीक्षित जी का नाम विशेषरूप से लिया गया। तभी मुझे बोलने की उत्कंठा हुई। जब सदन में इस बारे में चर्चायें हुईं तो गोपीनाथ जी दीक्षित ने एक पत्र चौधरी साहब को लिखा जिसे पढ़कर मैं आपको सुनाना चाहता हूं। वे इस सदन के सदस्य भी नहीं हैं। उन्होंने लिखा है ---

आदरणीय चौधरी साहब, "पिछले दिनो विधान सभा की बैठकों के समय निरन्तर चार दिनों तक आपने श्री शिवपाल सिंह जी, एम0 एल0 ए0 के सन्दर्भ में मेरा नाम उल्लेख किया है। मुझे अत्यन्त दुख है कि विधान सभा में मेरी अनुपस्थिति में आप जैसे वरिष्ठ नेता द्वारा समस्त मूल्य और मान्यताओं की अवहेलना कर निराधार एवं सत्य से परे बातें कहीं गई है। सबसे आश्चर्य और अफसोस की बात यह है कि परिस्थितियों की पूरी जानकारी किये बिना ही एक छोटे से उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक सार्वजनिक कार्यकर्ता को इस प्रकार बदनाम करने की चेष्टा की गई है।

कांग्रेस में रहते हुए आपके साथ और संविद सरकार में आपके मन्त्रि-मन्डल में मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सम्भवत: यह पहला अवसर है जब कि मेरे द्वारा किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन का खतरा होने की बात आपके शब्दों में प्रकट हुई है। यदि श्री शिवपाल सिंह जी को अंगरक्षक की आवश्यकता थी तो वह आप जैसे वरिष्ठ नेता का उपयोग किये बिना ही अपनी मांग पर बल दे सकते थे। मेरा न तो श्री शिवपाल सिंह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जी के साथ चुनाव हुआ है और न ही मेरी उनकी दो चार-बार के अतिरिक्त भेंट या वार्ता हुई है। मेरा उनका मनोमालिन्य किसी प्रकार का भी नहीं रहा है और न है। अचानक विधान सभा में जो कुछ कहा गया है उससे मैं आश्चर्य में पड़ गया हूं और ऐसा अनुभव करता हूं कि इसके पीछेकोई षड्यन्त्र की दुर्गन्ध आ रही है। अन्यथा इस प्रकार की बातें आप जैसे उत्तरदायी नेता के मुख से निकलनी आवश्यक न थी।

विधान सभा में कही गई प्रत्येक बात का मैं जोरदार खंडन करता हूं और आप जैसे वयोवृद्ध नेता को उन बातों की सत्यता सिद्ध करने की चुनौती तो नहीं देना चाहता हूं किन्तु आपके माध्यम से उन व्यक्तियों को अवश्य चुनौती देता हूं जिन्होंने आपके व्यक्तित्व का उपयोग किया है। मुझे प्रसन्नता होगी कि यदि आप व्यस्त जीवन के कुछ क्षण निकालकर उक्त घटना क्रम की सत्यता की जानकारी स्वयं करने की चेष्टा करें।"

तो मान्यवर, दीक्षित जी के इस पत्र को जो उन्होंने दिनांक 4 जनवरी, 1975 को लिखा था, चौधरी साहब की हिम्मत नहीं हुई कि उसका उत्तर दें। उसके बाद दीक्षित जी ने रिमाइन्डर भेजा दिनांक 23 मार्च, 1975 को जिसमें उन्होंने लिखा—"आदरणीय चौधरी साहब, मैं आपका ध्यान अपने पत्र दिनांक 4 जनवरी, 1975 की ओर आकर्षित करते हुए स्मरण दिलाना चाहता हूं कि डेढ़ माह से अधिक व्यतीत हो जाने के बाद भी आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया है। मैं नहीं जानता कि आपने उक्त पत्र में दी गई प्रार्थनानुसार तथ्यों को जांच की अथवा नहीं, क्योंकि मुझे उसका कोई आभास या संकेत प्राप्त नहीं हुआ। मुझे अत्यंत दुख है कि 14 मार्च को विधान सभा में आपने पुन: मुझ पर कुछ ऐसे आरोप लगाये हैं जो न केवल आधारहीन और मिथ्या हैं वरन् परिस्थितियों को तोड़-मरोड़ कर सर्वथा भ्रमोत्पादक और सुनियोजित षड्यन्त्र की भूमिका है।

आपने अपने दल और अपने विधायकों को दूध का धोया समझ कर उनके लिए खतरे की संभावना पर बहुत जोर दिया है। मैं गंभीरतापूर्वक आपके दल के पदाधिकारियों और विधायकों के सम्बन्ध में केवल यही कह सकता हूं कि उनको किसी से खतरा नहीं है वरन् वह स्वयं जनपद के लिए खतरा बने हुए हैं। तो मान्यवर उसका उत्तर भी उन्होंने नहीं दिया जो रिमाइन्डर भेजा था उसका भी उत्तर नहीं दिया। तो मैं इस पत्र का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि जो चुनौतियां उन्होंने दी हैं या जो चार्जेज उन्होंने लगाये हैं उनका जवाब देना चाहिये था।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

चिट्ठी तो आपके पास है वह कैसे जवाब देते।

श्री प्रेम दत्त—

यह पत्र चौधरी साहब के पास गये हैं उनकी प्रतिलिपि यह है। तो इसके बावजूद भी कोई जवाब नहीं जाता। तो जो उनके तीन साथी हैं जिनको आप साथ रखते हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी है। आपके विधायकों के ऊपर जो चार्जेज हैं भगवान करे वह गलत हों। चौधरी साहब जैसे उदित नारायण शर्मा को मन्त्रि-मन्डल में लेने के लिए जो आपने किया और फिर आपको पछताना पड़ा। तो मान्यवर, तमाम बातें हैं समय कम है। श्री शिवपाल सिंह जी पर 7 मुकदमें चले हैं 302, 307 आदि कोई बाकी नहीं है जो ताजीरात हिन्द की धारायें हैं वह लगी हैं जिसमें वह मुजरिम रहे हैं। इनके एक कोई भतीजे साहब हैं जो शहर की दुकानों पर हमला करते हैं और साथ ही साथ लोगों को आतंकित करते हैं। इसी प्रकार उन्होंने 50 बीघे जमीन पर कब्जा किया हुआ है उसमें तमाम रास्ते हैं।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

तो फिर आपका क्या ऐडमिनिस्ट्रेशन है ?

श्री प्रेमदत्त—

इसके अतिरिक्त और भी कई बातें उनके खिलाफ मुझको सुनने को मिली हैं। इस समय ज्यादा टाइम नहीं है इसलिए थोड़ी ही बातें कहूंगा। इसी तरह से एक हरिजन कल्याण अधिकारी को मारा है। तो शासन हमारा और हुकुम आपका चले यह उल्टी गाड़ी कैसी। तो इस प्रकार के कई कारनामे हैं जिसमें लोगों को वह लोग परेशान कर रहे हैं। यह बात आज की नहीं है 1970 से यह चली आ रही है। जब गोपीनाथ जो आपकी मिनिस्ट्री में मन्त्री थे। आज कोई नई बात नहीं है।

फिर राजेन्द्र सिंह हैं जो अंग्रेजों के वफादार थे जिससे उनको ताल्लुकेदारी मिल गई जिसमें उनको काफी गांव मिल गए उसके बाद उनके पिता को आनरेरी मैजिस्ट्रेट बना दिया गया क्योंकि वह अंग्रेजों की वफादारी किया करते थे। उसके बाद उनके बाबा वह भी बनाए गए। तो यह अंग्रेजों के वफादार पुराने हैं और जो अंग्रेजी राज्य के लोगों का तरीका है, वह आप जानते हैं, क्योंकि आप पुराने समाजवादी हैं, वहीं ये लोग अपना रहे हैं। इसी तरीके से अभी हाल का किस्सा है। बांगरमऊ में एक लक्ष्मी नारायण नाम का आदमी है, उसका मकान था। उस पर इन्होंने जबरन कब्जा कर लिया। मुकदमा चला, उसमें लक्ष्मी नारायण जीता। उसने उस पर अपना कब्जा प्राप्त किया। उसको हमारे नेता विरोधी दल ने कहा कि गोपीनाथ जी ने कब्जा कराकर स्वयं कब्जा कर लिया। जबकि यह तो एक कोर्ट का फैसला था, जिस पर अमल हुआ।

यह सब कुछ है, लेकिन चौधरी साहब बड़े आदमी हैं, भाषण भी अच्छा दे लेते हैं। देखिये अभी चौधरी साहब ने मुझे डांट दिया, मुझे चुप रह जाना पड़ा। इसीलिए उनसे डरता रहता हूं और कुछ कहना न चाहकर मजबूरी में थोड़ा बहुत कहना पड़ता है, क्योंकि इनके कार्य सीमा पार करते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, श्रीमन्, जिस किस्से का जिक्र है, उस मुकदमे के गवाह को गायब कर दिया गया, जिसका आज तक कोई पता नहीं है। अभी एक किस्सा और 17 सितम्बर, 1974 को हुआ, बांगरमऊ में एक सुभाष इन्टर कालेज है, वहां पर इनके सहयोगियों ने एक बड़ा हिंसक हमला किया और दो हरिजन छात्रों को मार डाला। इस सम्बन्ध में वहां की जनता और छात्रों की तरफ से खुले पर्चे बटे हैं, जिनका इनके पास जवाब नहीं है।

पर्चा इस प्रकार है --"उन्नाव जिले के बांगरमऊ कस्बे में भालोद विधायक चौ० राघवेन्द्र सिंह के इशारे पर गुण्डों द्वारा कालेज में घुसकर 2 हरिजन छात्रों की निर्मम हत्या और दर्जनों छात्रों पर घातक हमला। गरीबों और दलितों के ठेकेदार चौधरी चरण सिंह की चुप्पी क्यों ? यह पर्चा खुला बंटा है, इस पर प्रेस का नाम लिखा हुआ है। आगे है—सन् 1857 के स्वाधीनता संग्राम के महान योद्धा ठाकुर जसासिंह को जिस परिवार ने फांसी पर चढ़वाया था उसी ताल्लुकेदार कलवार परिवार की साजिश पर पिछले दिनों सुभाष इन्टर कालेज, बांगरमऊ, जिला उन्नाव में दिन दहाड़े घुसकर कालेज के दो हरिजन छात्रों की अमानुषिक, बर्बर और जघन्य हत्या तथा दर्जनों छात्रों को घायल करके गुन्डों ने अपना आतंक जमा रखा है।

इस प्रकार का अत्याचार पराधीन भारत में भी कभी नहीं हुआ था जिसमें असहाय बच्चों पर निर्दयता पूर्वक हमला हो। इस घटना के बाद बड़े-बड़े अफसर आए, मन्त्री आये, नेतागण आए, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई परन्तु मुख्य मंत्री अभियुक्त बेबी जो विधायक का भाई बताया जाता है और चार्जशीट में जिसका नाम है, उसकी गिरफ्तारी न होना एक रहस्य बन गया है। ये लोग और चौधरी यह बात ठीक कह रहे हैं कि हमारे मुख्य मन्त्री

का प्रशासन ढीला है, ढीला न होता तो ऐसा कैसे होता। फिर हैं—"सुना जाता है कि भालोद विधायक के प्रभाव में आकर जिले के अधिकारी किं कर्तव्यविमूढ़ हो गए हैं और गिरफ्तार अभियुक्त छूटकर पुनः आतंक फैलाकर गवाहों पर दबाव डाल रहे हैं। इससे भी बडे शर्म की बात यह है कि ऐसे अपराधियों के बचाव के लिए कुछ लोग और भी प्रयत्नशील हैं और एक बचाव कमेटी भी प्रकाश में आई है, "इस भयंकर घटना के सम्बन्ध में भालोद अध्यक्ष, श्री चरण सिंह ने अपनी जबान नहीं खोली। क्या यही उनका चरित्र है? और क्या यही उनकी ईमानदारी है। अपने दल के विधायक की मदद करने के लिये क्या चौधरी साहब इस सीमा तक नीचे उतर सकते हैं? हम लोग उन्नाव जिले के युवक और छात्र चौधरी साहब से मांग करते हैं कि वह छात्र-भक्ति का परिचय दें और बांगरमऊ कांड के विषय में अपनी जबान खोलें, जिसमें दलित-शोषित तथा पिछड़े वर्ग के बेगुनाह छात्र पर बेमिसाल अत्याचार हुआ है।"

तो मान्यवर, यह खुला पर्चा बंटा है। चौधरी साहब जी से निवेदन करूंगा कि वह इसका जवाब दें, क्योंकि यह उनको चुनौती है। वह एक बड़े नेता हैं, उनका हम और हमारे मुख्य मन्त्री जी आदर करते हैं इसलिए उन्हें चाहिए कि वह इस चीज को प्रकाश में लाएं।

श्री मधुकर दिघे—

ढीले प्रशासन में कुछ नहीं होने वाला है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

इधर से भी ढीला है और उधर से भी ढीला है।

(हंसी)

श्री प्रेम दत्त—

दूसरे इनके विधायक सुन्दर लाल हैं। इनके यहां तीन विधायक हैं और तीनों ही गडबड़ कर बैठे हैं। इन विधायक के एक श्री छंगा प्रधान, रिश्तेदार हैं, जिनसे सुन्दर लाल ने 70 बीघा जमीन अपने परिवार में पट्टे पर कराई है। छंगा और सुन्दर लाल के पिता मामा फूफी के भाई-भाई हैं। छंगा को पहले बैल का अनुदान मिला। अब मकान का मिल रहा है। छंगा के बहनोई, सुखलाल प्रधान ब्रजपालपुर हैं। उन्हें पहले मकान के लिए और उनके भाई को मशीन के लिये अनुदान मिला था। तीसरे भाई थन्ना को मकान के लिए अनुदान का प्रस्ताव है। चौथे भाई धर्म को 150 रुपये की खाद मिली। हल का अनुदान बैंक से मिला। यह इस तरह से अपने परिवार की सेवा कर रहे हैं। इनके फूफा दिब्बा निवासी, ग्राम मुन्डा हैं, इनको बैलों के लिए अनुदान मिला तथा लड़के रामप्यारे को मकान के लिए अनुदान दिलाया। बुद्धी लाल, सुन्दरलाल के चचा हैं उन्हें अनुदान दिलाया।

गुरू महेश प्रसाद, प्रधान रानीपुर गन्ठ, भालोद के पदाधिकारी ने हरिजनों के बजाय पार्टी के लोगों को सैकड़ों पट्टे कर दिये हैं जिसकी जांच हो रही है। प्रतापसिंह बसमना वालों पर कड़हरों को लूट लेने के कारण डकैती का केस चल रहा है। जमानत पर हैं कत्ल तथा 307 का मुकदमा पहले से चल चुका है। इस पर भी चौधरी साहब कहते हैं कि हमारा दल साफ है। हम जजों के फैसले से यहां बैठे हैं। उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है कि वह जजों को बेईमान कह सकें। मैं उन्नाव की बात कह रहा हूं। दूसरों की भी बताऊंगा। एक श्री फतेहबहादुर सिंह, ब्लाक प्रमुख; सफीपुर हैं। यह आतंक, और जबर्दस्ती और कई प्रधानों को गायब करके ब्लाक प्रमुख चुने गये थे। अधिकारियों तथा संभ्रान्त नागरिकों को गाली देना, झगड़ा करना तथा उन्हें बेइज्जत करना, यह शिकायतें इनके बारे में हैं और

[श्री प्रेम दत्त]

कइयों की रिपोर्ट स भी दर्ज हुई हैं। इनके पिता, श्री नन्हें सिंह हैं इनके द्वारा तथाकथित दो हरिजनों की हत्या का रहस्य अभी खुलना बाकी है। उन मृत हरिजनों की विधवाओं ने मुख्य मंत्री को इस घटना की जांच गुप्तचर विभाग से कराने की प्रार्थना की है, जो दबाई जा रही है। प्रशासन ढीला है जब ही उनकी यह कहने की हिम्मत हो गई। यह बड़े दुख की बात है। मैं चाहूंगा कि उनको ऐसा मौका न दिया जाये जिससे हरिजनों पर अत्याचार हो। एक बद्री-प्रसाद अवस्थी हैं जो मालोद के मंत्री हैं।

इन्होंने अपने ग्राम पंडित खेरा में ग्राम समाज की जमीन हड़प ली है जिसका मुकदमा चल रहा है। अपने ग्राम के हरिजनों पर इनके अत्याचार इस हद तक बढ़ गये हैं कि अनेक हरिजन अपना मकान छोड़ कर भाग रहे हैं। हरिजनों की जमीन हड़प ली गई है। इनके विरुद्ध मुकदमा चल रहा है जो कि शासन के विचाराधीन है।

मान्यवर, लिस्ट बहुत बड़ी है और तमाम नाम हैं। लेकिन समय नहीं है। यदि मुझे फिर समय मिलेगा तो मैं बताऊंगा। अगर आप मौका दें तो दो घंटे में बता सकता हूं। मैं उनको चुनौती दे सकता हूं। मैं उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं। मैं इनसे प्रार्थना करूंगा कि वह बी0ए0ल0डी0 के नेता न होकर कांग्रेस में होकर निष्पक्ष रूप से जांच करें। अगर वह कह देंगे कि यह सब गलत है तो मैं उनकी बात मान लूंगा। हमारे नेताओं पर जो करेक्टर असेसिनेशन का उन्होंने कदम उठाया है, उसको वह बन्द करें। चौधरी साहब का जन-तंत्र में अब विश्वास नहीं रह गया है। अब वह प्रदेश में कैआस लाना चाहते हैं। हमारे देश के नेता, माननीय जयप्रकाश नारायण जी को हमारी बहुगुणा सरकार में बहुत विश्वास है और उन्होंने कहा है कि बहुगुणा सरकार बहुत अच्छी है। जितना उनकी सरकार कर सकती है, कर रही है। लेकिन जहां तक देश और प्रदेश के कल्याण करने का सवाल है तो हमारे नेता बहुगुणा जी और दीक्षित जी से जानकारी की जाय। लेकिन उन्हीं पर आश्रित जो लोग बैठे हुए हैं, इस तरह के जो करेक्टर की बात कहते हैं, तो मुझे बड़ा दुःख होता है। मैं अपने मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे जिले में फसल में आग लग जाती है और फसल का नुकसान होता है। मैं आग्रह करूंगा कि वहां पर फायरब्रिगेड की नियुक्ति कर दें, तो वहां की फसल बच जायगी। एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों का करेक्टर रोल तीन बार खराब हो गया हो, उन अधिकारियों को दूसरे अधिकारी या दूसरे अधीनस्थ कर्मचारी का करेक्टर रोल लिखने का अधिकार न दिया जाय। मैं अध्यक्ष महोदय, आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं चौधरी साहब से यह कहूंगा कि वह जनता को गुमराह न करें। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री दिनेश चन्द्र रस्तोगी (जिला मुरादाबाद)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो चौधरी चरण सिंह जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसके समर्थन के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। हमारे रामायण राय जी ने यह दिखाने की कोशिश की कि प्रदेश में ला ऐण्ड आर्डर की क्या पोजीशन है। ला ऐण्ड आर्डर की पोजीशन हम दिखायेंगे कि यह प्रशासन पहले से अच्छा है या खराब है। इसमें खर्च का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि सामान्य नागरिकों के जीवन की सुरक्षा या महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा पहले से अच्छी है या खराब है। उसमें सही स्थिति तो यह है कि आज राहजनी की स्थिति, बलात्कार की स्थिति पहले से खराब है और ये घटनाएं होने के बावजूद भी एग्रीव्ड पार्टी को न्याय नहीं मिलता। इसका कारण यह है कि इसमें राजनैतिक हस्तक्षेप होता है। उदाहरणार्थ जैसे हमारे यहां एस0ओ0, मुगलपुरा के श्री हाकिम राय थे, उनका चुनाव से 15 दिन पहले ट्रान्सफर कर दिया गया, जब कि उनकी पिछली सर्विसेज में कहीं भी कोई खिलाफ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शिकायत नहीं है। हमेशा सरकार ने उनको प्रशंसापत्र दिया है। जिले का सबसे अच्छा एस0 ओ0 होने के कारण उसका अभिनन्दन किया गया था। दूसरे उसी का ट्रान्सफर कर दिया गया। हमारे यहां सीता देवी नाम की एक लड़की थी। वहां महाराष्ट्र के बदमाश शादी के बहाने बुलाकर ले आये और वहां उसने एक अनैतिक कार्य करने वाले अड्डे पर बेंच दिया और वहां उसे जबरदस्ती की कार्य करने के लिये कहा, उस पर वह राजी नहीं हुई। जब वह राजी नहीं हुई तो उसके साथ मारपीट की और जब उसको ज्यादा चोट आ गई तो उसे अस्पताल ले आया गया। मौका पाकर उसने डाक्टर से अपनी तकलीफ कही। डाक्टर ने उसे कोतवाली भेजवा दिया। हमारे यहां एक अच्छे लाल तिवारी थे। माननीय राम मूर्ति जी पूरी घटना को कह नहीं पाये। मेरे नगर की वह घटना है। श्री तिवारी हमारे यहां कोतवाल थे। उन्होंने, उसे जैसा कहा जाता है कि 700 रु0 लेकर बदकार के हाथ बेच दिया। उससे वेश्यावृत्ति कराना चाहते थे। 18–19 साल की वह लड़की थी। उसे मजबूर किया गया। वह अस्पताल लायी गयी, उसने डाक्टर से अपनी बिनती सुनायी। डाक्टर ने साहस करके उसे कोतवाली भेज दिया। वहां से उसको दूसरे बदमाशों के हाथ बेच दिया गया। हमारे नगर में राज्यपाल महोदय गये थे उनसे भी इस बात की चर्चा की गयी। उन्होंने डी0 एम0 और एस0 पी0 के सामने कहा कि इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिये, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। हम लोग सी0 ओ0, सिटी से मिले और काफी गरमागरमी के बाद मैंने उनसे यह कहा कि अगर लड़की वापस सुबह तक प्राप्त करके हमें नहीं दी तो आपके खिलाफ प्रचार करेंगे। लड़की सुबह उपलब्ध हो गयी। उस लड़की को ए0 डी0 एम0, सिटी की अदालत में पेश किया गया।

वह लड़की बहुत डरी हुई थी। उस लड़की ने ए0 डी0 एम0, सिटी की अदालत में बयान दिया कि कोतवाली के बड़े साहेब ने मेरी मर्जी के खिलाफ यह कार्य किया है। यह उसका बयान अदालत में है। इन सब चीजों के होते हुए भी आज तक उस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैं कहना चाहता हूं कि उस अधिकारी का इतिहास भी ऐसा ही है। पहले जब वह अल्मोड़ा में तैनात थे तो वहां पर भी इसी तरह का कार्य किया था जिससे उनको पीटा भी गया था और उनको माफी मांगनी पड़ी थी।

पत्रकारों ने, राजनैतिक लोगों ने राज्यपाल से इस बात की शिकायत की, उन्होंने भी पुलिस कप्तान से कहा लेकिन पुलिस प्रशासन निष्क्रिय रहा। उसका इतना ही हुआ कि वह छुट्टी लेकर चला गया। तो इस प्रकार से अच्छे अधिकारियों को कई प्रोत्साहन नहीं मिलता है और भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होती है। पुलिस की हालत ऐसी है कि किसी घटना के घटने पर जब टेलीफोन किया जाता है तो पुलिस के अधिकारी मिलते नहीं है और न उनकी जीप ही मिलती है। देखा गया है कि किसी साहूकार के दरवाजे पर जीप खड़ी हैं। वहां पर वह लोग दावतें खाते हैं। और उनके परिवार के लोग सिनेमा उन जीपों पर जाते हैं। लेकिन जनता के कार्य के लिये वह उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। उनके अभाव में कोई अधिकारी किसी मौके का निरीक्षण नहीं कर पाता है।

एक घटना की ओर मैं आपका ध्यान और आकृष्ट करना चाहता हूं। पुलिस ने एक गरीब सोनार के यहां छापा मारा। और महिलाओं की बेइज्जती की। इस कारण उस दिन शहर बन्द हो गया और बाजार बन्द हो गया। वहां बलदेव सिंह आर्य जी गये तो वे लोग उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन आर्य जी घबड़ा रहे थे तो मैंने कहा कि ये लोग अपनी बात कहने आये हैं। मैं कहता हूं कि थाने में क्यों नहीं छापे मारे जाते हैं जहां पर एफ0 आई0 आर0 नहीं लिखी जाती है और जहां पर पुलिस अधिकारी मौजूद नहीं रहते हैं। मैं कहता हूं कि पुलिस जनता की सुविधा के लिये नहीं है बल्कि सरकार की सुविधा के लिये है। मान्यवर,

[श्री दिनेश चन्द्र रस्तोगी]

मैसौलोनी ने सी० आई० डी० द्वारा प्रशासन चलाया। सी० आई० डी० के आदमी विद्यार्थियों में होते थे, अध्यापकों में होते थे और किसानों में होते थे। हमारे लोग जब कहीं झगड़े में होते हैं तो उनकी पिटाई होती है और जब दूसरे लोग होते हैं तो पुलिस नहीं आती है। हमारे यहां कटघर में होली के अवसर से झगड़ा चल रहा है। पिछली बार मैंने वह झगड़ा समाप्त कर दिया था परन्तु इस बार चूंकि मैं बाहर गया हुआ था वहां पर लोगों के नानबेले-बिल वारन्ट ईशु कराने के कोशिश की हालांकि ऊपर के अधिकारी ने ऐसा नहीं होने दिया। तो जो वहां पर जानबूझकर झगड़ा कराना चाहते हैं, वह एस० ओ० वहां पर क्यों मौजूद है? जब एक मामला समाप्त हो गया था तो फिर लोगों को उभारना कहां तक मुनासिब है? प्रशासक इसलिये नहीं होता है कि लोगों में आपस में झगड़े कराये जायं।

आज जनता का आपके ऊपर से विश्वास उठ चुका है। भस्मासुर के जमाने में जिसने उस के सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखा था, उसने पहले उसको ही भस्म करने का प्रयास किया था। इसी प्रकार से कहीं ये लोग हमारे लिए ही नहीं, आपके लिये भी भस्मासुर का काम न करें। दरोगा के खिलाफ शिकायत होने पर, इन्क्वायरी हुई और उसके परिणाम स्वरूप उसका वहां से ट्रान्सफर कर दिया। हमारे मंत्री जी वहां पर पहुंचे, उसके ट्रान्सफर को रोक दिया गया। फिर दुबारा उसका ट्रान्सफर हुआ तो इस प्रकार से एक ही महीने के अन्दर 3 आर्डर्स हो गये हैं। किस आधार पर सरकार ने उसके 3 तबादले किए और फिर उनको कैन्सिल किया? तो इस प्रकार की कार्यवाहियों से आज जनता का विश्वास उठता जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जनता का अगर एक बार इस प्रकार से विश्वास उठ गया तो आपको प्रशासन करना मुश्किल हो जायगा। इस शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी (जिला प्रतापगढ़)—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान पर बोलने का अवसर दिया।

माननीय चौधरी साहब ने बड़ी लम्बी स्पीच दी। उनकी सब बातों पर न जाकर केवल कुछ मुद्दों पर ही नजर डालूंगा। उन्होंने लगभग आधा घंटा केवल उन्नाव के सम्बन्ध में लिया। मैं चाहूंगा कि वहां के सम्बन्ध में मेरे 2-3 प्रश्नों का वे उत्तर दे दें। क्या यह सही नहीं है कि हमारे जिले के बांगरमऊ इन्टरमीडिएट कालेज में घुस कर बी० एल० डी० के लोगों ने 2 हरिजन-छात्रों को मारा? दूसरे, जिले के हरिजन अधिकारी को क्या उनके एक विधायक ने बस में नहीं पीटा, उस पर हमारे चौधरी साहब क्यों खामोश हैं? वे उनके दल के विधायक थे। इसके अतिरिक्त बी० एल० डी० के जो मंत्री हैं, उनके आतंक से हरिजन लोग गांव छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। कहा गया कि मुख्य मंत्री एक कमिटेड ब्युरोक्रेसी की बात करते हैं। हमारा प्रशासन हमारे जीवन में सुदृढ़ता, सामाजिक और राजनैतिक चेतना लाने का और सब को समान अवसर देने का एक माध्यम है। हमारे चौधरी साहब केवल कुछ खास खास मुद्दों पर ही बोले। इसके पहले जो हमारे साथी बोले उन्होंने भी खाली एक मुद्दे को, जिस पर हमारे कुछ साथियों ने कहा था, दोहराया। सामान्य प्रशासन का जहां तक सम्बन्ध है जबसे हमारे मुख्य मंत्री माननीय बहुगुणा जी ने शासन की बागडोर संभाली 1974 में तबसे उनकी उपलब्धियों के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। हमारे चौधरी साहब तो यहां तक चले गये कि प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी झूठ बोल गयीं रायबरेली में, मुख्य मंत्री जी झूठ बोल गये। जिस प्रधान मंत्री ने बंगला देश को जीता, जिस प्रधान मंत्री ने बैंकों का राष्ट्रीय करण किया, जिस प्रधान मंत्री ने पूंजीपतियों को समाप्त करने और समाजवाद को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लाने का दृढ़ संकल्प किया है, जिस प्रधान मंत्री ने देश में राजाओं और महाराजाओं की प्रीवी पर्स को समाप्त किया वह तो झूठी हैं।

चौधरी साहब मुख्य मंत्री बनने के लिये दल को छोड़कर चले जाते हैं वह सच हैं। हमारे मुख्य मंत्री जो हमारे दल की पालिसीज से कमिटेड हैं उनके लिये वह कहते हैं कि झूठे हैं। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के कमिटेड होने की बात कही। हमारी नीतियों और घोषणा-पत्र के प्रति जो ब्युरोक्रेसी कमिटेड न हो उसी के लिये मुख्य मंत्री ने स्पष्ट कहा कि कमिटेड होनी चाहिये। नौकरशाही को कमिटेड होने की बात नहीं की उन्होंने । आप हमारी उपलब्धियों को भी देखें। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर प्रान्त को बांटने का चार्ज लगाया जाता है। लेकिन आखिर में आप बोल गये कि 3-4 टुकड़े हो जायं तो प्रशासन बहुत अच्छा चलेगा। आखिर में अपने दिल की बात रोक नहीं पाये। आपको और चीजें भी देखनी चाहिये। सरकार ने हरिजनों की प्रगति के लिये सतर्कता आयोग कायम किया। सतर्कता आयोग को उन्होंने कन्फर्म किया। जिन जगहों में हरिजन 48 परसेंट नहीं हैं वहां उनको जाने का अवसर दिया। हम यह नहीं कहते कि हमारा प्रशासन बहुत स्मार्ट है। कहां से होगा स्मार्ट जब आप लोग उधर से गलत बयानी करेंगे, गलत आंकड़े देंगे, केवल व्यक्तियों पर छींटाकशी करेंगे। विरोधी दल शासक दल का चाबुक है। अगर चाबुक सड़ा गला और निकम्मा हो जायगा तो प्रशासन कहां से स्मार्ट होगा। आज विरोधी दल को समझना चाहिये कि किस तरह से हेल्दी आलोचना करें। आलोचना केवल आलोचना करने के लिये नहीं करनी चाहिये। हमने अपने यहां अंग्रेजी को समाप्त किया और हिन्दी को तरक्की दी।

हमारे राम मूर्ति जी ने कहा कि चपरासी खड़ा रहता है दरवाजा खोलने के लिये। जब वह इतने दिन तक प्रशासन में थे तो क्या चपरासी नहीं खोलता था? सामान्य प्रशासन का जहां तक सम्बन्ध है, वह अपने को हमारी स्थिति में रखकर बात करें और हम उनकी स्थिति में रख कर बात करें तब दोनों की समझ में आयेगा। हम लोगों के पास आप लोग बैठा कीजिये और समझिये, हम समझाने को तैयार हैं। हम यह नहीं कहते कि हमारा प्रशासन बड़ा सुन्दर है, बड़ा सुदृढ़ है, उसमें कुछ कमियां नहीं हैं, मगर हम इतना जरूर कहेंगे कि हमारे मुख्य मंत्री जी कमिटेड हैं, वह इसमें यकीन करते हैं कि हमारा प्रशासन स्वच्छ रहे। भ्रष्टाचार की जो बात कही गयी, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय राममूर्ति जी के जमाने में भ्रष्टाचार नहीं था? चौधरी साहब के जमाने में भ्रष्टाचार नहीं था? भ्रष्टाचार केवल बहुगुणा जी के जमाने में है? कभी विरोधी दल के नेता ने यह नहीं कहा कि नयी कच्ची मिट्टी के विद्यार्थियों को रेल में बिना टिकट नहीं चलना चाहिये, उन्हें कभी रेलें नहीं रोकना चाहिये।

मान्यवर, इस सामान्य प्रशासन को डैमेज करने की जो प्रक्रिया होती है, वह सारी विरोध पक्ष ने अपनायी है। जो इस सदन में मौजूद नहीं है उसका यहां नाम नहीं लेना चाहिये। माननीय उमा शंकर दीक्षित और माननीय गोपीनाथ दीक्षित का यहां नाम लिया गया। वे यहां नहीं हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहिये था . . (व्यवधान) जिस तरह से पांचों उंगलियां बराबर नहीं हैं, उसी तरह से हम यह नहीं कहते कि कहीं दोष नहीं है। पुलिस प्रशासन में कहीं गलत लोग भी होंगे। कहीं गड़बड़ी हो सकती है। जिस तरह का प्रशासन आज हम चलाना चाहते हैं और नहीं चला पा रहे हैं उसके लिये विरोधी पक्ष की कृपा है। अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष जहां हमारी खराबियों पर नजर डालता है, उसे हमारी उपलब्धियां नजर नहीं आतीं। आज सुबह अंतरिक्ष वाले विषय पर जिस तरह से हमारे चौधरी साहब ने उनकी वकालत की. . . . . (व्यवधान) आज मैं कहना चाहता हूं कि इन्दिरा गांधी को सारा हिन्दुस्तान ही नहीं, सारा विश्व बधाई दे रहा है। (व्यवधान) इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

(श्री ऊदल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, यह तो कांग्रेसी ही हैं, इन्हें क्यों समय दिया ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप इधर हैं या उधर, दूसरे के बारे में आप क्या कह सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

सबसे पहले मान्यवर, मैं अपने पुराने साथी जो सन् 57 में हमारे साथ आये थे, गंगवार जी, उनकी बात का जवाब देना चाहता हूं । सन् 71 में जिस प्रकार का यहां गठबन्धन हुआ था और जिस प्रकार का आज हो रहा है कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुनबा जोड़ा, यह कुनबा बनने वाला नहीं है । मैं यह कहना चाहता हूं और मुझे इसमें कोई (शंका) शुबहा नहीं है कि आपके दल के मुकाबले में तथा महा गठबन्धन के खिलाफ कांग्रेस की मदद के लिये हम हमेशा तैयार रहेंगे । अब मैं आता हूं सामान्य प्रशासन के बारे में । आज की मौजूदा परिस्थिति और स्थिति में सामान्य प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गयी है । आज प्लानिंग का युग है । और इस युग में अगर प्रशासक लोगों के दिल और दिमाग आज के युग के मुताबिक, प्लानिंग के मुताबिक और आज की आबोहवा के मुताबिक हम बदलने में कामयाब हो जांय तो मैं समझता हूं कि इस प्रदेश और देश की अच्छी सेवा हो सकती है । लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिनको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, उनका दिल व दिमाग इस परिवर्तनशील युग के मुताबिक आज तक नहीं बन पाया है । मैं चाहता हूं कि अगर माननीय मुख्य मंत्री जी उनकी ट्रेनिंग की भी व्यवस्था जो हो सकती हो, कर दें तो मैं समझता हूं कि बहुत कुछ इस प्रदेश और देश की सेवा हो सकती है ।

दूसरी बात यह है कि आज हम बड़े आर्थिक संकट में हैं । लेकिन हमारे जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं, चाहे वे जिले के स्तर के हों या सूबे के स्तर के हों, उनके दिल व दिमाग पर इस कमी का कोई भी अहसास आज नहीं है और फजूलखर्ची बड़े पैमाने पर कर रहे हैं । आज एक-एक पैसे के लिये तबाही है, एक-एक पैसे के लिये हम तरस रहे हैं लेकिन उनकी गाड़ी एयर कंडिशन, ट्रेन में एयर कंडिशन, हवाई जहाज और बिना वजह इतने महंगे पेट्रोल का इस्तेमाल सब्जी तक लाने के लिये तथा अपने बच्चों को स्कूल लाने ले जाने के लिये कुछ इने गिने हमारे अधिकारी करते हैं । कुछ इने गिने अधिकारी नहीं करते । इसलिये मैं चाहता हूं कि इस युग में सामान्य प्रशासन की मुख्य जिम्मेदारी होनी चाहिये कि इस तरह की जो फजूलखर्ची है उसको रोका जाय । सरकार का यह आदेश होना चाहिये कि इस तरह की फजूलखर्ची बन्द होनी चाहिये । यहां तक कि सिनेमा तक लोग जाते हैं सरकारी गाड़ी लेकर, बड़ा दुख होता है ।

अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं । लाल फीताशाही बहुत चलती है । 57–58 में एक प्रशासनिक सुधार कमेटी दास साहब की बनी थी । उसने प्रशासनिक सुधार के लिये जांच करके अपनी रिपोर्ट भी दी थी कि एक-एक आफिसर को कितनी फाइल डिस्पोज आफ रोजाना करनी चाहिये लेकिन आज तक उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ है । फाइलें दबी पड़ी रहती हैं । जो काम चार 5 दिन में हो जाने चाहिये उसमें 6–6 महीने और साल साल भर तक लग जाता है और फैसला केस का नहीं हो पाता । इसलिये सरकार का ध्यान इस तरफ बड़े पैमाने पर होना चाहिये कि काम में तेजी आ जाय और फाइलों का निबटारा जल्दी हो जाय और लाल फीताशाही न रहे । मैं समझता हूं कि इससे जनता को काफी राहत मिल सकती है ।

जहां तक पुलिस प्रशासन की बात है, मैंने आज ही एक सवाल किया था। एक कांग्रेस के ही कार्यकर्ता हैं जिनको वाराणसी में गोली मारी गयी और 367 का मुकदमा दर्ज है। मैंने पूछा था लेकिन आपने उसे एलाऊ नहीं किया और इधर से माननीय काशीनाथ मिश्र ने डिस्टर्ब किया। मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी वाराणसी के दो साल पहले के आंकड़े अपराधों के मंगवायें कि इस बीच कितने कत्ल हुए हैं, जब से हमारे ये एस0 एस0 पी0 साहब गये हैं, नाम मैं नहीं लेता, तब से कितने अपराध और कत्ल बढ़े हैं। दिन दहाड़े जगह-जगह लोगों की हत्यायें की जा रही हैं। अपराधों में बहुत बड़ी वृद्धि हुई है जिनको रोका जा सकता है। आज गुन्डे खुले खेल रहे हैं। श्री महेश प्रसाद जी जब वहां डी0 एम0 थे और जो आज कल यहां सेक्रेटरी हैं, उन्होंने सैकड़ों गुंडों को जिले से बदल कर दूसरी जगह भेज दिया था और बहुत को जेलखाने भेज दिया था। आज बनारस में गुंडे दिन दहाड़े घूम रहे हैं। पुलिस वाले जहां कहीं मीटिंग होती है या जलसा होता है, उस काम के लिये हैं। गुन्डे और अपराधी तत्व जो हैं आज चारों तरफ घूम रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि और सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। राम उजागर शर्मा बस्ती के एक कांग्रेसी कार्यकर्ता थे। उनकी श्रीमती जी विधायक हैं। सन् 73 में शाम को उनका कत्ल कर दिया गया। मुझे पता चला है कि सी0 आई0 डी0 ने केस की रिपोर्ट भी दे दी है। पर श्रीमन्, जो अपराधी हैं उनके लिये सरकार की तरफ से सिक्योरिटी गार्ड दिया गया है, अपराधियों के बचाव के लिये। अगर इस तरह की बात है तो मैं समझता हूं कि पुलिस प्रशासन ठीक से नहीं चलेगा और अपराधी जो हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। इस तरह से जो मर्डरर हैं उनका मनोबल ऊंचा उठता जायगा। यह छोटी-छोटी बातें हैं। अभी लखनऊ का ही मामला विस्तार में नहीं जाना चाहता।

मान्यवर, मैं तो कहता हूं कि आज भी प्रदेश के अन्दर जनता का विश्वास सी0 आई0 डी0 में है। सी0 आई0 डी0 को आपको मजबूत करना चाहिये। जो डी0 वाई0 एस0 पी0 हैं उनको गार्ड नहीं मिलता है, उनको रहने के लिये मकान की सुविधा नहीं है। तो आप सी0 आई0 डी0 को मजबूत बनाइये। क्यों नहीं मजबूत बनाते? आपने जांच के लिये, अधिकारियों की जांच के लिये, विभागों की जांच के लिये सतर्कता आयोग का गठन किया है। इस आयोग को मजबूत करने की जरूरत है ताकि जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, उन्हें जल्दी निपटाया जाय। पी0 डब्लू0 डी0 में सेल बनाये हैं इनको सतर्कता आयोग से मिला दिया जाय और जो कोआपरेटिव तथा सिंचाई विभाग, एकनामिक तथा पोलीटेक्नीकल विभाग, सी0 आई0 डी0 की है उसको भी सतर्कता आयोग में मिलाया जाय ताकि जल्दी से कार्य हो। इसके लिये जरूरत यह भी है कि इस आयोग के अन्दर हर एक जिले में शाखायें खोली जायं। सर्तकता आयोग में एस0 पी0 तथा डी वाई0 एस0 पी0 5-7 रखे गये हैं तो फिर कैसे आप भ्रष्टाचार को घटाना चाहते हैं। इसलिये मैं कहता हूं कि सी0 आई0 डी0 और सतर्कता आयोग को आज मजबूत बनाने की जरूरत है।

आपको ताज्जुब होगा। तमाम कलेक्टर्स, कप्तान और कमिश्नरों एवं अफसरों के जो बंगले हैं, इन अधिकारियों को छूट दे दी गयी है वह बंगले में खेती करके पैदा करें और पैदावार ले लें। अध्यक्ष महोदय, मैंने सवाल भी किया था कि बनारस में पिछले दिनों एग्रीकल्चर के महकमे के लोग जाकर खुद खेती कराते हैं। तो पैदावार होती है गेहूं और आलू की, उसको सरकारी रेट, पानी, सीड्स के रेट पर खरीदा जाता है। खाद, बीज और दवायें एग्रीकल्चर विभाग देता है। तो मैं चाहता हूं कि छूट तो आपने इन अधिकारियों को दे दी है लेकिन आप इस पर रोक लगाइये कि एग्रीकल्चर विभाग के लोग खाद और दवायें बीज आदि न दें। इन छोटी-छोटी बातों का बड़ा असर पड़ता है। इस तरफ आपको देखना चाहिये।

[श्री ऊदल]

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि रेणुकूट में बिड़ला साहब के जो जनरल मैनेजर थे, उनको जो डी0 आई0 आर0 का अधिकार दिया गया था। जब उसकी तरफ ध्यान दिलाया गया तो वह अधिकार ले लिया गया। कोठारी साहब को डी0 आई0 आर0 का अधिकार दिया गया था। जब चाहे लोगों को बंद कर दें। मैं धन्यवाद देता हूं कि जब मा0 मुख्य मंत्री की नालेज में 3–4 महीने पहले यह लाया गया तो उन्होंने इस अधिकार को ले लिया। लेकिन अभी हाल में जो कार्यवाही वहां हुयी, उस तरफ मैं कहना चाहता हूं। दफा 144 वहां लागू थी। सांस्कृतिक कार्यक्रम की परमीशन प्रशासन ने दे दी। मान्यवर, बीच में एक घंटे तक कार्यक्रम हुआ और कार्यक्रम के बाद फिर कोठारी साहब ने प्रशासन के ऊपर दबाव डाला और प्रशासन ने परमीशन को वापस ले ली। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बहाने वहां काफी भीड़ हो गयी। नतीजा यह हुआ कि डी० वाई0 एस0 पी0 साहब की हत्या भीड़ में हो गयी। सिक्योरिटी गार्ड जो बिड़ला के उन्होंने ही ये सारी वारदातें मारपीट की कीं। और काफी बाधाएं उत्पन्न कीं। लेकिन प्रशासन को इस मामले में सतर्क होना चाहिये। जब एक बार आदेश दे दिये गये तो बीच में उसको खत्म क्यों किया जाता है? इस तरह डाला सीमेन्ट के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने पुलिस से सांठ गांठ करके मजदूरों को गोली वर्षा से और लाठियों से पीटा। डाला में पुलिस प्रशासन बड़े बड़े अधिकारियों से मिला हुआ है? इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिये।

मान्यवर, थानों के पुनर्गठन की बात है तो जैसा रामायण राय जी ने कहा है कि सीमांकन ठीक से होना चाहिये तो वह सही है। एक थाने के पास का क्षेत्र दूसरे थाने के अन्तर्गत लिखा होता है तो उसमें कोई सुनवाई नहीं होती है। इसलिये सीमांकन ठीक से करना चाहिये और तभी थानों का पुनर्गठन किया जाय। तभी सही मानों में हम शांति और व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं।

मान्यवर, अंत में इस बात को मैं पुनः दोहराता हूं कि आज के युग में जब समाज के दुश्मन, प्रगति के दुश्मन जो कि आज किसी भी प्रकार की प्रगति होना नहीं देखना चाहते हैं, तो मेरा कहना है कि आज ऐसे तत्वों को मिटाने के लिये जरूरी हो गया है कि प्रशासनिक अधिकारियों के दिल और दिमाग को बदला जाय और उनके समाजवाद, धर्म निर्पेक्षता एवं प्रगति के मुताबिक ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाय जिससे प्रदेश और देश की वे सेवा कर सकें और समाजवादी और प्रगति के दुश्मनों को मिटा सकें।

श्री गंगा स्वरूप (जिला सीतापुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का समय दिया। मान्यवर, आज मैंने शुरू-शुरू में दो भूतपूर्व मंत्रियों के भाषण सुने—एक तो चौधरी साहब का और दूसरा श्री राममूर्ति का। चौधरी साहब की बात जहां तक मेरी समझ में आयी वह यह कि चाहे उधर के विधायक हों या इधर के विधायक, सब एक हैं और सब जीत कर आये हैं। फर्क इतना है कि इधर जो बैठे हैं उनको शासन करने का मौका मिला और उनको नहीं। तो यह शिकायत तो उनको कुदरत से होनी चाहिये। जैसे कि एक पिता के दो लड़के होते हैं—एक बादशाह होता है और दूसरा भीख मांगता है। एक "सहाक" के दो मोती—एक खरल में पिसता है और एक ताज में जड़ा जाता है। श्री राममूर्ति जी की तो एक शेर सुनने में आयी—

सुन तो सही जहान में तेरा फसाना क्या,

कहती है तुझे खलके खुलके गायबाना क्या।

इसमें मैं दो और शेर अर्ज करना चाहता हूं और वह यह है कि--

हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम,
वह कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती।

दूसरा शेर यह है कि "फरिश्ते मुफ्तिलाये आजमाइश हो तो कांप उठे, यह इंसां है जो देता जा रहा है इम्तिहा अपना"।

यहां मैं इन्सां की जगह पर कांग्रेस पार्टी को जोड़ना चाहता हूं। यह कांग्रेस पार्टी ही है जो इम्तिहान पर इम्तिहान देती चली जा रही है और ऐसे कठिन वक्त भी आये हैं जब देश में नहीं, दुनिया में नाम हो गया। इतना तो आप भी समझते हैं कि जो फैसला होता है वह वक्त के अनुसार होता है। आपने भी फैसला लिया जब कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो उस वक्त भी एक थे और हम समझते हैं जब कभी भी ऐसा वक्त आयेगा तो फिर एक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने संसद में कहा था कि इस समय हम सौ और पांच नहीं बल्कि एक सौ पांच हैं। "एक दिल के टुकड़े हजार हुये" यहां हजार न होकर दो किरचें ही हुयी हैं--एक तो राममूर्ति की तरफ जाकर गिरी और दूसरी चौधरी साहब की तरफ। यह सब कांग्रेस से ही निकल कर आपके यहां नेता बने हैं। हां जनसंघ वाले यह कह सकते हैं कि उनके नेतृत्व पर उनका काबू है। मान्यवर, इसी सम्बन्ध में मुझे एक किस्सा याद आता है। एक बार 3 मुसाफिर चले और दरिया के किनारे जब पहुंचे तो शाम होने लगी, तो वह परेशान हो गये क्योंकि दो आदमी के पास तो चादरें थी लेकिन एक के पास कुछ नहीं था। जब परेशान होने लगे तो उसने कहा कि मैं एक सलाह देता हूं और अगर आप वह सलाह मानेंगे तो सब मामला ठीक हो जायेगा। सलाह यह है कि चादरें आपके पास हैं और सुई डोरा मेरे पास। मैं उसे सी देता हूं। आप इधर उधर लेट जाइये और मैं जहां डोरा सिया है उसके नीचे लेट जाता हूं। जब रात को एक चादर वाला करवट लेता था तो वह कहता था मैं डोरा तोड़े देता हूं और जब दूसरी तरफ का करवट लेता था तो भी वह कहता था कि मैं डोरा तोड़े देता हूं। इस तरह उस डोरे वाले ने रात भर दोनों चादर वालों को परेशान किया। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिनको कोई मतलब नहीं है आज वह वैसे ही परेशान कर रहे हैं। क्या चौधरी साहब का वक्त नहीं मालूम, उनके वक्त में भी डण्डे औरतों पर पड़े थे। खैर, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब अच्छाई इसी में है कि हम सब मिलकर यह सोचें कि किस तरह से प्रशासन को ताकत दी जाय, और किस तरह से तरक्की हो।

अब रहा पुलिस के बारे में। जहां पुलिस खराब है, वहां पुलिस अच्छी भी है। जिस तरह से एक बड़ा खानदान होता है उसमें सब अच्छे ही जगह पर नहीं होते। लेकिन यह नियंत्रण किस प्रकार हो इसमें आपके सहयोग की जरूरत है, विरोध पक्ष के लोगों का भी और इस पक्ष के लोगों का भी। क्योंकि जो जिम्मेदारी है वह हमारी आपकी अलग अलग नहीं है। वह जिम्मेदारी यह है कि जब जनता सुख पावेगी, अवाम सुख पायेगा तो आपका भी कल्याण हो सकता है और हमारा भी। आप समझ लें कि प्रदेश की 9/10 करोड़ की आबादी है। दस करोड़ आबादी पर पुलिस कर्मचारी लाखों में ही हैं। उनकी भी दिक्कतें हैं। 12 या 15 कांस्टेबुल एक थाने पर हैं और तो तीन दरोगा हैं। कंट्रोल कैसे हो? और फिर न ही आप पाक साफ हैं और न हम ही लोग पाक साफ हैं। मुकामी दिक्कतें हमारे सबके सामने आती हैं। असलहा देने की बात आती है। उसमें मेरा सुझाव है कि अगर किसी को लाइसेंस देना है किसी असलहा का तो व्यक्तिगत सिफारिशों पर नहीं देना चाहिये। प्रधान सिफारिश

[श्री गंगा स्वरूप]

करे और उसके बाद बी0 डी0 सी0 सिफारिश करे कि इन-इन गांवों में असलहा नहीं हैं और दिये जांय। जब हम आप मिलकर इस दिशा में चलेंगे तभी कुछ हो सकता है। दूसरी पुलिस की दिक्कत यह है कि आधी फोर्स तो आप की हाय हाय में लगा दी जाती है और फिर बाकी का पूरा भार आधी फोर्स पर पड़ जाता है। बाकी प्रशासन के खिलाफ आपका कुछ कहना अपने मुंह मियां मिठ्ठू बनना है। प्रशासन मजबूत है। अगर एकदम मजबूत नहीं है तो रफ्ता-रफ्ता मजबूती आ जायगी। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का. . . .

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)--

कटौती के प्रस्ताव का ?

श्री गंगा स्वरूप --

वह एक रुपया आपको ही मुबारक रहे क्योंकि आपकी हैसियत ही उतनी है। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री राम जनम राय (जिला गाजीपुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोल रहा हूं। हमारा प्रदेश बहुत बड़ा है और आबादी में दुनिया का सातवां देश है। जितने बड़े-बड़े देश हैं वहां टुकड़ों में, प्रशासनिक इकाइयों में बांटकर प्रशासन चलाया जाता है। जब हमारा प्रदेश इतना बड़ा है और दुनिया का सातवां देश है आबादी के हिसाब से तो यहां प्रशासनिक कठिनाइयां हैं। आये दिन चाहे सरकार के उच्च अधिकारी हों या विधायक, अक्सर परेशान रहते हैं स्थानान्तरण के लिये प्रयास करने वालों से। विधायक, निवास में लोगों की भीड़ लगी रहती है। विधायक उच्च अधिकारियों से सिफारिश करते परेशान रहते हैं और मंत्रियों से भी सिफारिश करनी पड़ती है। सरकार के निर्देश भी समय-समय पर प्रसारित होते हैं लेकिन उनका पालन नहीं होता। मेरा इस सन्दर्भ में यह सुझाव है कि 500 रुपया से कम वेतन पाने वालों को उनकी कमिश्नरी में रखा जाय और तीन सौ, चार सौ किलोमीटर से दूर न रखा जाय। साथ ही छोटे कर्मचारी जिले में ही रखे जांय तो अति उत्तम होगा। लेकिन इसमें यह ख्याल रखना होगा कि लेखपाल, सेक्रेटरी, ग्राम सेवक या स्कूल के छोटे-छोटे मास्टर्स अगर 20 किलो मीटर के अन्दर रहते हैं तो प्रशासनिक कठिनाइयां बढ़ जाती हैं और काम ठीक नहीं होता। इसलिये सरकार के निश्चित निर्देश होने चाहिये कि छोटे कर्मचारी या फोर्थ क्लास कर्मचारी 20/25 किलोमीटर की दूरी पर प्रशासनिक हित में रखे जायं। दूसरा सुझाव यह है कि आम-तौर से जितने भी सदस्य इधर से या उधर से बोले उससे यही निकला कि सी0 आई0 डी0 में पुलिस की अपेक्षा ज्यादा विश्वास है। मैं मुख्य मंत्री जी से, मान्यवर, आपके माध्यम से, निवेदन करना चाहूंगा कि सी0 आई0 डी0 विभाग को पुलिस के हाथ से अलग कर दिया जाय। इसको एक स्वतन्त्र विभाग बनाकर इसका एक स्वतंत्र डायरेक्टर या जो कोई अफसर हो, बनाकर अलग कर दिया जाय। पुलिस के अण्डर में होने के कारण यह सी0 आई0 डी0 विभाग अभी उतना निष्पक्ष नहीं हो सकता, जितना कि होना चाहिये।

इसी संदर्भ में मैं गाजीपुर की छोटी सी घटना का जिक्र करना चाहूंगा। रेवतीपुर विद्यालय के विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया था, खाद की स्मगलिंग के खिलाफ। इसके खिलाफ पुलिस ने उत्तेजनापूर्ण कार्यवाही की। विद्यार्थियों ने ब्लाक के कार्यालय के सामने उपद्रव किया था। वहां के ब्लाक के लोग चाहते थे कि उनका रिकार्ड नष्ट कर दिया जाय, क्योंकि जिलाधिकारी ने रिकार्ड के बारे में कुछ छानबीन के आदेश दे रखे थे। अतः ब्लाक के अधिकारियों ने उस रिकार्ड को विद्यार्थियों के सुपुर्द कर दिया और विद्यार्थियों ने उसको नष्ट कर दिया। 12 बजे के बाद विद्यार्थी वापस हो गये। शाम को एस0 पी0 महोदय सैकड़ों पुलिस के साथ गांव में पहुंचे और सोते हुये बच्चों को पकड़ मंगाया गया। पुलिस चौकी पर उन बच्चों

की पिटाई की गयी। उनके मुंह में रुमाल रखकर पिटायी की गयी और 500 रुपये की डैकती के जुर्म में उनका चालान कर दिया और गांव में 144 धारा लागू कर आतंक पैदा कर दिया गया। आतंक के कारण 20 वर्ष से कम उम्र के अधिकाश बच्चे गांव छोड़ दिये। 5/6 दिन के बाद जब हमारे कुछ साथी और भी गांव पहुंचे, उसका विरोध किया और कलक्टर से और एस0 पी0 से कहा, तो किसी तरह से एक महीने बाद शान्ति स्थापित हुयी। विद्यालय खुला लेकिन इन लोगों ने पुलिस के खिलाफ आवाज उठायी थी, अतः उनको डी0 आई0 आर0 में बंद कर दिया, एल0 आई0 पु0 इन्सपेक्टर से फिजूल की रिपोर्ट लेकर उनमें एक त्रिबेनी राय हैं, जिनको डी0 आई0 आर0 में बंद किया। एक राम बचन राय हैं, जिन पर वारंट है। एक धीरेन्द्र श्रीवास्तव हैं, जो अभी भी बंद हैं, जोकि बी0ए0 में पढ़ते हैं। इसके अलावा जनसंघ के दो साथी, शम्भू नाथ राय और रमाकान्त राय हैं, जिन पर डी0 आई0 आर0 में कार्यवाही की गयी। यह कार्यवाही इसलिये की गयी, क्योंकि इन लोगों ने पुलिस के खिलाफ आवाज उठायी थी। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को इस वाकये को लिखा था और उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन इन लोगों के मुकदमें वापस नहीं हुये और इन्हें नहीं छोड़ा गया।

इसी संदर्भ में, मान्यवर, मुझे कहना है कि गाजीपुर जनपद लखनऊ से करीब 300 मील या 500 कि0 मी0 दूर है जो बिहार की सीमा से मिलता है। जैसा सर्वविदित है बिहार में प्रशासन पंगु हो चुका है। हमारा गाजीपुर, बिहार का सरहद होने के कारण, स्मगलिंग का केन्द्र बना हुआ है और अधिकारीगण स्वेच्छाचारी हो गये हैं। शासन का ध्यान इस ओर बार-बार आकृष्ट किया जाता है, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगता। पता नहीं, शासन वहां के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ क्यों कार्यवाही नहीं करता। वहां पर खाद की लम्बे स्केल पर स्मगलिंग हो रही है, चाहे इसके लिये एग्रो रिस्पान्सिबिल हो या कृषि विभाग। इसी तरह से सीमेन्ट और दूसरी चीजों की स्मगलिंग हो रही है। इसके विरोध में वहां सभी विधायकों ने खाद्य परामर्शदात्री बैठक में भाग लेने से इन्कार कर दिया और शासन को इसके बारे में सूचित किया, लेकिन फिर भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। शासन की इस उदासीनता के कारण वहां के अधिकारी स्वेच्छाचारी हो गये हैं और 400 टन बाजरे को खुले आम ब्लैक मार्केट में बेंच लिया। जब शोर-शराबा हुआ, तो कुछ दूकानदारों के खिलाफ कार्यवाही की गयी। वहां महमूदाबाद के संबंधित परगनाधिकारी ने पांच-पांच सौ या एक-एक हजार रुपये उनसे लेकर उनके ऊपर से मुकदमा हटाने की रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं। इस बात की चर्चा वहां के कांग्रेस के जिम्मेदार व्यक्तियों ने की है। मुख्य मंत्री तथा खाद्य मंत्री के पास पत्र भेजा है लेकिन आज तक उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। वह अधिकारी खुले आम शराब पीता है, दुराचार करता है और व्यवसाइयों को दबा कर शराब के कारखाने के शेअर्स बेचता है। गाजीपुर में लोहे व सीमेन्ट पाइप का कारखाना खोलने के लिये 5 वर्ष पहले जमनिया के पास जमीन दी गयी जिसे उसने 5, 6 लाख रुपये मुनाफा लेकर बेच दी। लाखों रुपये के शेयर इस प्रशासनिक अधिकारी ने शराब के शेयर सर्टिफिकेट्स बिकवा दिये लेकिन किसी को वह शेयर सर्टिफिकेट्स अब तक नहीं दिये गये। जनता प्रदर्शन कर रही है।

दूसरी बात यह है बतलाऊंगा कि बलिया और गाजीपुर को 50 किलोमीटर लम्बी एक पट्टी बिहार के सरहद से मिलाती है और गंगा नदी उसे अलग करती है। बिहार राज्य में नक्सलवादी उत्पात बहुत हो रहा है जैसा कि 8 अप्रैल के इन्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित है। दो कांस्टेबिल भी मारे गये वहां 35 आदिमयों को जान से मारा गया। काफी लोगों की जमीन छीन ली गयी। पुलिस और नक्सल बंदियों से भिड़ंत में चार नक्सली जान से मारे

[श्री राम जनम राय]

गये। बिहार सरकार ने 5 आदमियों पर 5 हजार रुपये तथा 5 आदमियों पर 500 रुपये के इनाम घोषित किये हैं। इसी प्रकार पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी नक्सलवादी उत्पात बढ़ रहे हैं लेकिन कुछ विशेष राजनीतिक लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण उसे हमारी सरकार नक्सलवादी उत्पात नहीं मानती बल्कि हरिजन, भूमिहार उत्पात कह कर अथवा किसान मजदूर उत्पात कह कर उस पर परदा डाल देती है। जब सदन में इसकी चर्चा हुई कि चार आदमियों की हत्या हो गयी है लेकिन सरकार ने उन मामलों पर फाइनल रिपोर्ट लगवा दी। किसी मामले पर मुकदमा न चलने पर जब दो तीन मामलों में इस्तगासे दायर हुए तो उन आदमियों पर सम्मन ही तामील नहीं हो पाते। इन बातों को मुख्य मंत्री के सामने इस अनुदान के समय रख कर मेरा यह निवेदन है कि देर होने के पहले वह इन मामलों पर जांच करा लें अन्यथा समय चूक जाने पर निश्चित रूप से पछताना होगा। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, जो अनुदान इस समय पेश है, उसके सम्बन्ध में मैं दो शब्द कह सकूं, इसके लिये जो समय आपने दिया है, उसके लिये मैं आपका कृतज्ञ हूं। जिस समय यह अनुदान पेश किया गया उसी समय से नेता विरोधी दल ने इसके सम्बन्ध में जो कुछ कहा उसको सुनता रहा और सारा सदन यह जानना चाहता था कि वह सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में क्या रचनात्मक सुझाव देना चाहते हैं। हम लोगों ने बड़े गौर से उनके भाषण को सुना और यह जान कर दुख हुआ कि जितनी भी बातें उन्होंने कहीं वे या तो व्यक्तिगत आरोप थे अथवा किसी पत्र के उद्धरण थे और वे सारी बातें ऐसी थीं जिनको स्वयं बनाया जा सकता है, जिन पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता और उनका मकसद एक ही था कि सामान्य प्रशासन से देश और प्रदेश में जो सम्मानित व्यक्ति हैं उनके चरित्र का हनन किया जाय और उनका भाषण आज भी उनकी उसी नीति का एक अंश था जिसके सम्बन्ध में उनके भाषण चौराहे पर होते हैं, अथवा मीटिंग में हम सुना करते हैं और अखबारों में देखते हैं। अगर वह समीक्षा करके वर्तमान प्रशासन की, जबसे बहुगुणा जी प्रशासन में आये हैं तब से लेकर आज तक क्या सुधार हुआ, क्या अच्छाइयां रहीं, क्या बुराइयां रहीं, इससब की समीक्षा करते, कुछ रचनात्मक सुझाव देते तब तो मैं मानता कि उनकी ओर से कुछ बातें आ रही हैं—जनता के हित में आ रही हैं, सरकार के हित में आ रही हैं। लेकिन ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं कही। मैं समझता हूं कि जब तक वे मुख्यमंत्री रहे उस अवधि की अपेक्षा आज जब बहुगुणा जी मुख्य मंत्री हैं, इस अवधि में हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति बदतर रही जिनके कारण अन्तर्व्यवस्था की सामान्य अधिक रही। चौधरी साहब ने कालागढ़ में गोली चलवाई, बनारस और सुल्तानपुर में लाठी चलवाई, इसी सेक्रेटेरियट के सामने औरतों के ऊपर लाठी चार्ज करवाया। क्या आप इस चीज को सुनकर शर्म का नारा नहीं लगा सकते? आज इस प्रशासन में कभी ऐसा नहीं हुआ है, इस तरह का कोई उदाहरण देते वे तो मैं मानता कि चौधरी साहब नीति सम्बन्धी और प्रशासन सम्बन्धी व्याख्यान करने के लिये आये हैं।

माननीय बहुगुणा जी की सरकार नवम्बर, 73 में बनी थी उस समय विरोधी पार्टी के लोग कहा करते थे कि वे सदन की बैठक नहीं बुला रहे हैं, सदन से भाग रहे हैं। 74 के चुनाव के बाद सदन की बैठक होने लगी तो अब विधायक कहते हैं कि बहुत हो गयी, फिर दूसरे वक्त बैठेंगे। हम तो सदन को अधिक से अधिक चलाना चाहते हैं, हमारी पार्टी यही चाहती है, हमारे नेता सदन यही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि प्रदेश के बारे में जो सुझाव आयें वे प्रश्नों के रूप में सरकार के सामने आयें, जिन पर हम विचार करें और फिर ऐसी व्यवस्था करें जिससे इस प्रदेश की जनता का लाभ हो सके।

जितने भी आरोप विरोधी पार्टी के नेता लगाये हैं, मैं समझता हूं कि यदि वे उन सब को माननीय मुख्य मंत्री जी के पास भेज देते तो उन पर समुचित कार्यवाही हो जाती और जिससे वे संतुष्ट भी हो जाते लेकिन ऐसा करना वे ठीक नहीं समझते। वे राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं और उन चीजों को फाइलों में ही रखे रहना चाहते हैं। इस तरह से हम उनकी मदद नहीं दे सकते हैं। प्रदेश में क्या अच्छाइयां हुई हैं, इस तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जो पत्रिका निकली है सरकारी तरफ से, उसमें लिखा है कि एक साल की अवधि के अन्दर सरकार ने क्या-क्या किया। सतर्कता आयोग का गठन किया गया जो कि भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच करता है और सरकार को प्रतिवेदन देता है। उसके परिणाम स्वरूप एक अधिकारी को पदच्युत, 3 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सेवा से पृथक, 2 की सेवा समाप्ति, 15 की अनिवार्य सेवा निवृत्ति, 1 की पेंशन में कटौती, 1 की न्यून वेतनमान में पदावनति तथा 3 का प्रत्यावर्तन किया गया। इसके अलावा न्यायालयों में 1 साल की सजा पानेवाले फैसलों को हिन्दी में लिखा जायेगा। इसके साथ ही उर्दू के बारे में, शिक्षा के बारे में, प्रशासन के बारे में यदि माननीय नेता विरोधी दल एक शब्द भी कहे होते तो हम समझते कि उन्होंने समीक्षा सन्तुलित ढंग से की है। हम पिछली बार से देखते आ रहे हैं। सबसे बड़ी कमी थानों में कांस्टेबुलों और सब इन्सपेक्टरों की थी। इसी वजह से इस वर्ष 8000 कांस्टेबुल और 500 सब इन्सपेक्टरों की भरती की गई है। इन बातों से पता चलता है कि सरकार प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिये कितनी कृत संकल्प है।

इसके अलावा एक सुझाव में माननीय मुख्य मंत्री जी को यह देना चाहता हूं कि यहां पर आये दिन उद्योग धंधों की चर्चा होती है कि वे सफल नहीं हो पाते। वे इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि किसी विशेष अधिकारी के ऊपर उसका उत्तरदायित्व नहीं दिया गया है। कोई भी अधिकारी किसी अपूर्ण काम के लिये उत्तरदायित्व लेने को तैयार नहीं होता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि किसी भी काम के लिये, किसी भी उद्योग के लिये, या योजना को पूरा करने के लिये जब तक आप किसी अधिकारी को उत्तरदायित्व नहीं देंगे तब तक उत्तर प्रदेश में हमारी जो योजनायें हैं, उनका कार्यान्वयन ठीक से नहीं हो सकता है।

एक और सुझाव दूंगा मान्यवर, यह जो हमारे पब्लिक प्रासीक्यूटर हैं, पहले यह एस० पी० के अधीन रहते थे और उन्हीं के माध्यम से पुलिस के केसेज होते थे। आज वह पब्लिक प्रोसीक्यूटर जी हैं वह एस० पी० से सम्बन्धित नहीं हैं। जहां तक न्याय की बात है उस दृष्टि से यह व्यवस्था अच्छी लगती है लेकिन पुलिस विभाग जिसका केस वे प्लीड करते हैं और उनसे फीस लेते हैं उनसे संबंध न रख कर केसेज के प्रोडेक्शन में कमी आ गई है। तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस पर सोचें और ऐसा उपाय करें जिससे यह दोष दूर हो सके।

एक बात और कहूंगा जो जिला स्तर और तहसील स्तर तक जो प्रशासन की रूपरेखा है और जिस प्रकार उसका निर्वहन हो रहा है, उसको तो मैं प्रशंसा करूंगा। लेकिन एस० डी० एम० स्तर पर जो नैतिक पतन हुआ है उसमें जब तक सुधार नहीं होगा तब तक सामान्य जनजीवन को राहत नहीं मिल सकेगी। मैं व्यक्तिगत सुझाव भी देना चाहूंगा। हमारे यहां नैनीताल जिले में रुद्रपुर में एस० डी० एम० का कोर्ट खोला गया है। यदि मुंसिफ मैजिस्ट्रेट और रेवेन्यू आफिसर की कोर्ट भी रुद्रपुर में स्थापित कर दी जाय। वहां के लोगों को काफी सुविधा होगी। इन शब्दों के साथ जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

*श्री राम प्रकाश त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)--

अध्यक्ष जी, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे सामान्य प्रशासन की मांगों पर विचार प्रकट करने का अवसर दिया। मैं माननीय नेता विरोधी दल द्वारा जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं उनका समर्थन करता हूं। मान्यवर सबसे पहले इस पुलिस प्रशासन पर तमाम चर्चा हुई उसके बारे में कहूंगा। हम लोगों को एक रिपोर्ट दी गई है उसमें बड़ा विरोधाभाष देखने को मिलता है। कुछ ऐसी बातें हैं जिसको हमारे उधर बैठने वाले सदस्य भी जानते होंगे कि इस रिपोर्ट में किस तरह से विरोधाभाष दिखाया गया है। यह जो इसमें अपराधों की स्थिति दी गई है उसमें डकैती जो हुई है वह 1972, 73 और 1974 में क्रमशः 3676, 4912 और 6329 है इस तरह से लूट राहजनी 6595, 8490 और 10,070 हत्यायें 3651, 4065, और 4577, नकबजनी 45 हजार से बढ़कर 52 हजार हो गई है। तो यह अपराधों की स्थिति है और सरकार ने जो रिपोर्ट दी है उसमें कहा गया है कि पूरे वर्ष प्रदेश पुलिस की नैतिकता तथा अनुशासन उच्च कोटि का रहा है।

पुलिस के कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने अपने उत्तरदायित्वों को सहर्ष एवं गौरवपूर्ण ढंग से निभाया तो मान्यवर यह गौरवपूर्ण शब्द इन्होंने प्रयोग किया है। हिंसायें और अपराधों की संख्या अधिक हो गई है फिर भी गौरवपूर्ण यह कहते हैं। मैं मानता हूं कि पुलिस की कठिनाइयां बढ़ गई हैं। अनेक प्रकार की नई-नई कार्यवाहियां होने लगी हैं। लेकिन प्रदेश में अपराधों की भयंकर स्थिति आज है। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि हमारे यहां एक नया थाना खुला था उसका उद्घाटन मंत्री जी ने किया था तो उन्होंने जब भाषण दिया था तो कहा था कि मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आपका थाना फले और फूले और भी लोगों ने तमाम मांगें कीं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रयत्नशील है और हम अधिक से अधिक थाने और चौकियां खोलना चाहते हैं। किन्तु मैं जानना चाहता हूं कि जितने थाने खुलते जायं और जितनी चौकियां बढ़ती जायं, उतने ही अपराध बढ़ते जाएं, तो कब तक ऐसा चलेगा। मैं समझता हूं कि मनुष्य जीवन और पुलिस जीवन का लक्ष्य करीब एक समान है, इसको इस दृष्टि से देखना चाहिये। जिस प्रकार मनुष्य जीवन का लक्ष्य उस दिन पूरा समझा जाता है भारतीय संस्कृति के अनुसार जिस दिन मनुष्य आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाए, तो उसी तरह से पुलिस जीवन उस दिन सार्थक माना जाएगा, जिस दिन एक भी थाना उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगा।

पुलिस के एक साल काम करने के बाद अपराध बढ़ें और थाने व चौकियां बढ़ाई जाएं, और उसके बाद हम समझें कि हमारी पुलिस ने गौरवपूर्ण ढंग से काम किया है, तो यह बिलकुल उचित बात नहीं है। पुलिस में भी ईमानदार कर्मचारी हैं फिर भी अपराध के असीमित बढ़ने का एक बड़ा कारण यह है कि पुलिस में जरूरत से ज्यादा राजनैतिक हस्तक्षेप बढ़ गया है। इसके पहले जैसा हमारे वयोवृद्ध सदस्य कह रहे थे इसमें दोनों ओर के लोग जिम्मेदार हैं, मैं उससे सहमत हूं। इसमें कोई शक नहीं किन्तु शासक दल पर जरा ज्यादा जिम्मेदारी आती है, क्योंकि तमाम जांच पड़ताल आदि के बाद यह देखने को मिलता है, प्रश्नोत्तर और कटौती प्रस्ताओं आदि के माध्यम से हम लोगों को कि उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। नतीजा यह होता है कि भ्रष्टाचार अधिकारियों का बढ़ता जाता है, जब वह देखते हैं कि हमारे ऊपर कोई अंकुश नहीं रहा।

ऊदल जी कह रहे थे कि हमारी नौकरशाही अभी कमखर्ची का मूड नहीं बना पायी है, वह मितव्ययिता नहीं करती। मैं उनको बताना चाहता हूं कि इस ब्यूरोक्रेसी पर कन्ट्रोल तबतक नहीं होगा, जबतक उसके ऊपर बैठे हुए शासक वर्ग के लोग स्वयं उस आदर्श को नहीं ग्रहण करेंगे। जबतक वह स्वयं दिनरात धड़ल्ले से कार पर घूमते रहेंगे, हेलीकाप्टर्स पर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उड़ते रहेंगे तब तक उन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। आज राजनैतिक जीवन में नैतिक मूल्यों का अवमूल्यन होता जा रहा है। मैं आपके द्वारा बताना चाहता हूं कि इनके मंत्रिमंडल में एक वरिष्ठ सदस्य हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनके बारे में एक जिलाधिकारी ने मुख्य मंत्री को एक बहुत बड़ा डी0 ओ0 लिखा है। वह चाहेंगे तो उन्हें उसकी कापी भेज दूंगा। उसमें उन्होंने लिखा है कि फलां हिस्ट्रीशीटर के बारे में रिवाल्वर हेतु इन्होंने सिफारिश मुझसे की है। हमीरपुर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने यह लिखा है। उसमें लिखा है कि डकैत और गुण्डों को लाइसेंस के लिये इन्होंने मुझसे सिफारिश की है और मैं नहीं दे पा रहा हूं, इसलिये माननीय नेता मेरी बार-बार शिकायत करते हैं। उनका सम्बन्ध मेरे जिले फर्रूखाबाद से भी थोड़ा है। वहां पर एक बड़ी अच्छी इमारत थी, जिसमें 17–18 कमरे और 17–18 एकड़ जमीन है। वह इमारत--अफीम कोठी, मिल्कियत सरकार केशरे-हिन्द के नाम से थी।

वहां पर भ्रष्टाचार के मामले में उनके खिलाफ एक शिकायत हुई थी, उसमें वर्तमान मुख्य सचिव और तत्कालीन चेयरमैन, रेवेन्यू बोर्ड उसकी जांच में गये थे। उन्होंने लिखा था रिपोर्ट में कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का ट्रांस्फर कर दिया जाए। किन्तु उनके रिश्तेदार ने मुख्य मंत्री को घेरा और उसका नतीजा यह हुआ कि पूरी फाईल दबा दी गई। उस कोठी अफीम पर रिस्तेदार साहब ने दावा किया और सिविल कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। किन्तु फिर वहां के तहसीलदार से मिलकर एक अप्लीकेशन लगाई गई और कहा गया कि इस तरीके से पेपर्स कलेक्ट कर लिए जाएं। इसकी सूचना किसी को नहीं दी गई। तहसीलदार ने जांच की और हाकिम परगना ने आदेश कर दिया और उस पर से मिल्कियत केशरे हिन्द का नाम काट कर उनका नाम हो गया और उस पर कब्जा हो गया। उस पर भी असेम्बली में क्वैश्चन किया तो वह कई बार से लटकता आ रहा है। उसका उत्तर नहीं आ रहा है। मेरे पास जवाब आया कि सूचना एकत्रित की जा रही है। सिविल सूट दायर कर दिया गया है। जब तक हम अपना दामन साफ नहीं करेंगे तब तक ब्यूरोक्रेसी ठीक नहीं हो सकती है।

मान्यवर, एक जालौन का केस है। वहां के एक बी0 डी0 ओ0 करप्शन की जांच कर रहे थे। जांच करते करते वे एक ऐसे नतीजे पर आये और उन्होंने 3/4 मामले कई लाख के गबन के पकड़े, एक कांग्रेसी नेता का नाम आया कि उन्होंने 100 बोरी यूरिया उठा ली। जब जांच यहां आई तो लोगों के प्रेसर डाला गया और उनका ट्रांस्फर कर दिया गया। लेकिन लोगों के कहने से वह तबादला रोक दिया गया। लेकिन वहां डी0 एम0 और ए0 डी0 एम0 प्लानिंग पर दबाब डाला गया कि इसको यहां से हटा कर जिले में कर दिया जाय। उनको वहां से हटा दिया गया। जब तक हमारा दामन साफ नहीं होगा तब तक ये अधिकारी कैसे ईमानदार हो सकते हैं? यदि हम लोग इस बात के लिये तैयार हो जायं कि अगर चार विधायक कह देंगे कि हमें इस मंत्री में विश्वास नहीं है तो वह इस्तीफा दे देंगे। इसी तरह से हम लोगों के क्षेत्र में यदि दस आदमी यह कह दें कि इस विधायक के ऊपर जनता का विश्वास नहीं रह गया है तो वह फौरन इस्तीफा दे दे। यदि ऐसा हो जाये तो आपकी ब्यूरोक्रेसी दो मिनट में ठीक हो जायेगी।

हमारे देश में चीनी यात्री ह्वानसांग आया था। वह चाणक्य से मिलने के लिये उनकी कुटी पर गया। चाणक्य दीपक जलाकर कुछ काम कर रहे थे। उनसे बातचीत करते समय उन्होंने दीपक बुझा दिया। दीपक बुझाने का कारण पूछने पर उन्होंने कहा कि यह दीपक सरकारी तेल से जल रहा था और हमारी आपकी बात सरकारी नहीं है। लेकिन यदि विधायकों के लड़के तथा लड़कियों की शादी में यदि सरकारी कार, हैलीकाप्टर

[श्री राम प्रकाश त्रिपाठी]

तथा सरकारी सामान जायेगा और सरकारी खर्चे का दुरुपयोग किया जायेगा तो ब्यूरोक्रेसी कैसे हमारी ठीक हो जायेगी ? यह हमारी केवल हवाई कल्पना होगी । मैं अधिक कहना नहीं चाहता हूं । आपने जो मुझे इस अनुदान पर बोलने का अवसर प्रदान किया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

*श्रीमती रामरती देवी (जिला फैजाबाद)—

माननीय अध्यक्ष जी, आज देश में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये सब से पहली जिम्मेदारी देश के नागरिकों की होती है । कोई देश तभी तरक्की कर सकता है जब उस देश में पूर्ण रूप से शान्ति व्यवस्था हो। अशान्ति पैदा होने पर पुलिस की जिम्मेदारी होती है और जब यह जिम्मेदारी उनके कंधों पर आती है तो उनको चाहिये जब ऐसी समस्यायें आये तो वह मामलों में इस बात का पूरा-पूरा ध्यान रखें कि गरीब और मजदूरों को उनकी तरफ से उचित न्याय मिल सके ।

देश में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये चाहे वह अशान्ति साम्प्रदायिक दंगों के कारण हुई हो या किन्हीं अन्य कारणों से हुई हो तो इस विभाग के द्वारा काफी हद्द तक शान्ति व्यवस्था शीघ्र से शीघ्र स्थापित होती है ।

आज इस विभाग के द्वारा महिला वर्ग को जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है, सचमुच में वह आज के इस युग में इस विभाग के लिये बड़ा सराहनीय काम है । महिलाओं के भी दिमाग में आज के युग में इस तरह की भावना आ गई है कि हम भी किसी भी विभाग में या किन्हीं भी स्थानों पर रह कर देश की सेवा कर सकती हैं और यह बात सही है कि हमारी महिलायें देश के लिये समय समय पर चाहे वह स्वतंत्रता संग्राम का समय रहा हो या इसके पूर्व का कभी जब भी देश के ऊपर आपत्ति आई है, उस समय ये महिलायें अपने कर्त्तव्यों का पालन पूरा किये हैं। आज भी हमारी ये महिलायें जासूसों के कार्य से लेकर अन्य सभी तरह का कार्य भली भांति कर सकती हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी ये महिलायें आत्मबल को लेकर देश में सेवा भावना के साथ साथ अपने कार्य में सफल होंगी। ये बातें जहां तक सही हैं, वहां आज इस विभाग के द्वारा गरीब वर्ग चाहे वह किसी जाति का क्यों न हो, उसके अन्दर एक भावना इस विभाग के द्वारा पैदा हो रही है कि हमें इस मोहकमें के द्वारा हमारी गरीबी के कारण संरक्षण नहीं मिल पाता है ।

गरीब चाहता है सहायता। गरीब इस विभाग के द्वारा उचित न्याय चाहता है और इस दिशा में अब उसका दिमाग जाता है अपने मसले को लेकर तो वहां उसके दिमाग में शंका इस विभाग की तरफ पैदा होती है । आज के परिवर्तन को देखते हुए कि हम निर्दोष हैं और हम कमजोर हैं और बिना पैसा दिये हुए बिना हमको कुछ पैसा दिये हुए इस मोहकमें के द्वारा उचित न्याय नहीं मिलेगा तो इस दिशा में मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगी कि प्रशासन को इतना कड़ा रखिये कि इस गरीब तबके के अन्दर जहां ये भावना जम गई है, दर पकड़ ली है कि बिना पैसा दिये हुए काम नहीं बनेगा, इस कमजोर तबके के अन्दर में भी यह विश्वास पैदा हो सके कि आप पुलिस विभाग भी अपने कर्त्तव्यों से इतना इस मोहकमे के प्रति उदासीन हो रहा है, वह भी धड़ल्ले से नहीं कह सकता है कि तुम बिना रुपया दिये हुए, बिना पैसा दिये हुए, अगर सही रूप में अपनी रिपोर्ट लिखाओ और यह विभाग सही रूप में आपकी मदद करेगा। आज समाज में यह जो भावना जड़ पकड़ लिये है, धनी, गरीब की भावना, जाति भेद की भावना, इस भावना से यह विभाग भी परे नहीं है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जब ये बातें आती हैं तो यह विभाग ऐसे ही धनी लोगों को अपने पक्ष में करके जबरदस्ती लोगों से साजिश करके और इस गरीब तबके को परेशान करता है और जब गरीब तबका इस मोहकमे के इस बड़े लोगों की साजिश से परेशान होता है, उचित न्याय नहीं मिलता है, तो उसके भी दिमाग में तरह-तरह की भावनायें आती हैं। मान्यवर, जहां यह भावना पैदा हो वहां प्रशासन को इतना कड़ा होना चाहिये कि गरीब वर्ग को भी इस मोहकमें का पूरा-पूरा विश्वास हो सके। यदि इस तरह की भावना उनके प्रति न बरती गई तो उस गरीब के हृदय में वही आग पैदा होगी, तो फिर आगे चल कर इस मोहकमे के लिये सिर का दर्द बन जायगा। मिशाल के तौर पर हमारे पूर्वी जिले के गाजीपुर का है। मान्यवर, जहां तक गांव से हमारे वह थाने जो जिला कार्यालय से काफी दूर पर स्थित हैं, मैदानी इलाके में होने के कारण कभी कभी साम्प्रदायिक झगड़े या घरेलू झगड़े या आपसी झगड़े के कारण इतनी घटनाएं, छोटी छोटी घटनाएं, वह बड़े रूप को धारण कर लेती हैं। परिणाम यह होता है कि उस थाने का वह गांव, वह क्षेत्र जो कार्यालय से काफी दूर हो जाता है उचित समय पर यदि यह मोहकमा या उस गांव के लोगों की सहायता भी करना चाहता है तो दूरी के कारण सूचना देर में मिलने के कारण कभी कभी यह होता है कि विभाग से मन होते हुए भी ऐसे गांव वालों को उचित फायदा नहीं होती है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहती हूं कि जिन थानों की दूरी अधिक है उनको टेलीफोन से जोड़ा जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करती हूं।

*श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

अध्यक्ष महोदय, आज सूबे की कानून और व्यवस्था बिगड़ी हुई है, उसका मुख्य कारण यह है कि सरकार की नीतियां गलत हैं और मंत्री जो सरकार के हैं उनका आचरण भी इसका एक कारण है। जो फैसले और जो निर्णय सरकार करती है अपनी ही जबान से वायदा खिलाफी करती है। आज बेरोजगारी की समस्या, पढ़ाई की समस्या और परीक्षा प्रणाली की समस्या और किसान विरोधी नीतियां यह तमाम चीजें हैं जिसके कारण लोग सरकार के विरोध में आवाज बुलन्द करते हैं। इसका प्रभाव कानून और व्यवस्था पर भी पड़ता है। मिसाल के तौर पर पुलिस अपराधों के रोकने में अधिक समय नहीं दे पा रही है उसका अधिक समय शिक्षण संस्थाओं में चलने वाली परीक्षाओं को दिलाने में व्यतीत हो रहा है।

आज परीक्षा पुलिस दिलाती है। इस कारण सारी कानून व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गयी है। सरकार के कुछ ऐसे मंत्री हैं जो वादा खिलाफी करते हैं जिसके कारण उनके कर्मचारी अच्छी तरह से कार्य नहीं करते हैं। मंत्रियों के आचरण का यह स्पष्ट परिणाम है। उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि यह नियम बना हुआ है कि किसी स्टेडियम को खेल कूद के अलावा और किसी काम के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब 8 फरवरी को प्रधान मंत्री वाराणसी में आयी थीं तो वहां के स्टेडियम में मीटिंग की गयी। तो मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार खुद कानून बनाती है और खुद उनको तोड़ती है। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि उनके खाने पर जो खर्चा किया वह किसी पार्टी के मेम्बर के घर से खर्च नहीं किया गया क्लार्क होटल में उनका खाना बना। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश की प्रधान मंत्री और प्रदेश के मुख्य मंत्री यदि इन सारे कामों में लिप्त रहेंगे तो निश्चित रूप से इसका असर हमारे आई0 जी0 और डी0 आई0 जी, स्टेशन आफिसर और सिपाहियों तक पर अवश्य पड़ेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

नेता विरोधी दल की रक्षा पर भी रुपया खर्च होता है। ये यहां पर प्रधान मंत्री की सुरक्षा के सम्बन्ध में सवाल उठा रहे हैं।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

मान्यवर, मैं फिर अपनी बात को दुहराता हूं। जब हमारे मुख्य मंत्री, देश की प्रधान मंत्री और मंत्रि परिषद् के अन्य सदस्य अपनी निजी जिन्दगी, अपनी पारिवारिक जिन्दगी, अपने रिश्तेदारों की जिन्दगी पर जनता के पैसे का दुरुपयोग करेंगे तो उसका असर पुलिस कप्तान, थानेदारों पर अवश्य पड़ेगा। जिस प्रकार से जनता के पैसे का दुरुपयोग माननीय मंत्री लोग कर रहे हैं, उसी प्रकार से जिले के अधिकारी भी कर रहे हैं। मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि जो सरकारी पैसे और साधन का दुरुपयोग मंत्रियों से लेकर अफसर तक उनका इस्तेमाल अपनी बीवियों, अपने परिवार के बेटों के लिये जो सरकारी गाड़ियों को इस्तेमाल कर रहे हैं और जो पी0 ए0 सी0 और पुलिस कर्मचारियों द्वारा अपने घरों पर कपड़ों की सफाई और अन्य घरेलू कार्य कराये जाते हैं, उनको तुरन्त बन्द कराना चाहिये।

आज उत्तर प्रदेश में जितने भी श्री जयप्रकाश के समर्थकों ने, छात्र संघर्ष समिति या जन संघर्ष समिति ने जिन मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाये हैं, उनके विरुद्ध तुरन्त जांच होनी चाहिये। इतना ही नहीं मान्यवर, हमारे मंत्री लोग जो अपनी सम्पत्ति बढ़ा रहे हैं, आज ही मुख्य मंत्री को इस बात की घोषणा करनी चाहिये कि वे लोग इसका ब्योरा दें। श्री जगन्नाथ मिश्रा जो बिहार के नव निर्वाचित मुख्य मंत्री हैं, बल्कि केन्द्र द्वारा एप्वाइन्टेड हैं, उन्होंने कहा है कि बिहार के जितने भी मंत्री हैं, सब को अपनी-अपनी सम्पत्ति के ब्योरे की घोषणा करवाई जायेगी। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस मामले में पहल करें कि मंत्री बनने के पूर्व उनकी कितनी कितनी सम्पत्ति थी और बाद में कितनी हुई है। जब वे अपने आचरण में, निजी जिन्दगी में इसका पालन करेंगे तो इसका औफिसर्स पर अवश्य ही असर पड़ेगा।

एक बहुत ही जीता जागता उदाहरण भ्रष्टाचार का बताना चाहता हूं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चुनाव हो रहा है। श्री स्वामी प्रसाद सिंह, जो कि मंत्रि मंडल के एक सदस्य हैं, के द्वारा श्री राकेश त्रिपाठी जो कि महामंत्री पद के लिये उम्मीदवार हैं, उनको एक चिट्ठी लिखी गई है।

श्री अध्यक्ष--

उसका जिक्र आज सबेरे हुआ था।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

मान्यवर, जो चिट्ठी लिखी गई है उसमें कहा गया है कि वहां पर सी0 आई0 डी0 के एस0 एस0 पी0 श्री राय हैं, उनसे सम्पर्क कर लें। इसके अलावा वहां पर 10,000 रुपये जो भेजे गये हैं, उसका दुरुपयोग किस प्रकार से हो रहा है। वहां पर एक पर्चा छापा गया है। मान्यवर, मैं आज ही सबेरे इलाहाबाद से आया हूं। वहां पर 2 ग्रुप हैं। एक माननीया राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी द्वारा समर्थित श्री राकेश त्रिपाठी हैं। उन्होंने एक पर्चा छपवाया है। उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी छात्र नेता को कुछ रुपया दे रहे हैं। तो अध्यक्ष महोदय, माननीय जय प्रकाश के अन्दोलन के दबाने के लिये कांग्रेस के उम्मीदवार को देकर पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है और इस प्रकार के पर्चे छपवाकर किया जा रहा है।

अब मैं, मान्यवर, बनारस के सम्बन्ध में 2 बातें कहना चाहता हूं। आज बनारस में कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है। दो-दो मंत्री बनारस से मंत्रि-परिषद् के सदस्य हैं और पूरा पुलिस प्रशासन मंत्रियों के प्रभाव में आकर न केवल कानून और व्यवस्था की हिफाजत कर रहा है बल्कि पक्षपात कर रहा है और साफ तौर पर एस0एस0पी0 और एस0पी0 सिटी, दोनों एक मंत्री के साये में कानून और व्यवस्था का प्रबन्ध करते हैं। आखिर में बनारस के सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहता हूं कि बनारस में आये दिन हर मिनट पर पांच अपराध हो रहे हैं। पिछले 6 महीने में अगर कानून और व्यवस्था की स्थिति वहां पर देखी जाय तो कोई व्यक्ति दिन में भी सुरक्षित नहीं रह गया है, रात की बात तो छोड़ दीजिये। डकैती, राहजनी, हत्या, चोरबाजारी और सरे आम किसी व्यापारी की दुकान में घुस कर पिस्तौल की नोक पर उसको लूट लेना एक साधारण बात हो गयी है। पुलिस अधिकारियों को जब सूचना दी जाती है तो साफ तौर पर वह अपनी कर्त्तव्य हीनता का परिचय देते हैं क्योंकि उनको संरक्षण कांग्रेस सरकार के मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों का है।

इलाहाबाद में एक सी० ओ0 हैं। मुख्य मंत्री जी की पत्नी के इशारे पर वह काम करते हैं और चार साल से वहीं पर बने हुये हैं। जब उनके ट्रांसफर की मांग की जाती है तो यह जवाब दिया जाता है कि प्रशासनिक कारणों से उनका स्थानान्तरण नहीं किया जा रहा है। प्रशासकीय कारणों का दुरुपयोग साफ तौर पर यह कांग्रेसी सरकार कर रही है। इस दुरुपयोग को रोकना चाहिये। आखिर में मैं इतनी बात कह कर कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

अध्यक्ष जी, सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। हमारे नौजवान मित्र शत्रुघ्न प्रकाश जी को अच्छा लगता है कुछ मेरा नाम लेना। मैं उनका अनुगृहीत हूं, किसी न किसी तरह घुमा कर वह मेरा नाम ले आते हैं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि प्रयाग विश्वविद्यालय का प्रश्न ही नहीं, न तो मैं वहां किसी लड़के की माफिकत में किसी मंत्री के द्वारा या किसी के जरिये से कोई मदद कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि यह गलत बात फैले। और न ही मैं उसमें कोई दिलचस्पी ले रहा हूं।

जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि कांग्रेस में कितने गुट हैं, मेरे ख्याल से उनको बहुत गलतफहमी है। बार-बार इस सदन में कहा गया है कि हमारे दल में सब एकता है।

श्री मुलायम सिंह यादव--

रोज मीटिंगें हो रही हैं आपके खिलाफ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

हमारे खिलाफ मीटिंग हो रही है तो आप क्यों चिन्ता कर रहे हैं? चौधरी चरण सिंह जी के सम्बन्ध में भी अलग बैठ कर विधायक सोचा करते हैं।

(व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मैं बैठ नहीं रहा हूं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

[* * *]

श्री अध्यक्ष---

(श्री सत्य प्रकाश मालवीय द्वारा व्यवस्था के प्रश्न पर बोलने के लिये बार-बार आग्रह करने पर।) आप अव्यवस्थित हैं। मैं आपसे कहता हूं कि आप बैठ जायं। मैं इजाजत नहीं देता। यह तरीका ठीक नहीं है। (श्री मालवीय के न बैठने पर) इनका कुछ लिखा नहीं जायगा। अगर इधर से यह होता तो चौधरी साहब न मालूम क्या करते। मैं इजाजत नहीं देता।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय---

[* * *]

श्री अध्यक्ष---

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। पहले आप सीखें कि व्यवस्था क्या होती है।

श्री मलखान सिंह सैनी (जिला मुजफ्फरनगर)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े दुःख की बात है कि हमारा विरोध पक्ष कोई प्रैक्टिकल सजेशन देने के बजाय व्यक्तिगत कीचड़ उछालने की बात कर रहा है। प्रधान मंत्री, इन्दिरा गांधी से ले कर हमारे मुख्य मंत्री तक की आपने चर्चा की, लेकिन आप यह भूल जाते हैं कि जहां तक प्रधान मंत्री का सम्बन्ध है मेरे ख्याल में अमरीका की नीति को जो लोग पसन्द करते हैं वे समझते हैं कि निक्सन के मामले में वाटरगेट स्कैन्डल कितना जबरदस्त हुआ।

यह बड़ा सौभाग्य रहा है कि हमारे यहां पं० जवाहरलाल नेहरू से लेकर लाल बहादुर शास्त्री तथा मौजूदा प्रधान मंत्री तक किसी के भी चरित्र पर इस तरह का धब्बा नहीं लगने पाया। (व्यवधान) . . . चाणक्य की मिसाल यहां पर दी गयी, मैं कहना चाहता हूं कि वह बड़ा ही तपस्वी था, वह किस तरह कुटिया में बैठ कर इन्साफ किया करता था। मैं इतना ही कह सकता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जी भी एक किस्म के चाणक्य हैं। वे किराये के मकान में रहते हैं, उनका निजी कोई मकान नहीं है, कोई उनका आदमी सरकारी सेवा में भी नहीं है। इसी से अन्दाज लगा लीजिये कि वे किस प्रकार के व्यक्ति हैं। इलाहाबाद में जो उनका किराये का मकान है वह भी साधारण ही है।

माननीय चौधरी साहब ने एक बात यह कही कि आप लोगों का डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं है और कुछ उन्होंने इलेक्शन की भी बात कही। मैं चौधरी साहब से पूछना चाहता हूं कि 1969 में मुजफ्फरनगर में जब इलेक्शन हुआ तो बी० के० डी० के आदमियों ने जिस तरह से शलेख चन्द का मर्डर करवाया वह क्या है? क्या वह प्रजातंत्र का खून नहीं है? (शेम शेम) उस समय वहां पर आदमी यह देख रहे थे कि किस तरह से प्रशासन खत्म हो रहा है, प्रजातंत्र खत्म हो रहा है। आपके लोग गरीब आदमियों को वोट नहीं डालने देते थे। यह है आपका डेमोक्रेसी में विश्वास। इधर लाबी के अन्दर हमने देखा कि जो लोग आपके विचारों से सहमत नहीं थे आपने किस तरह से उनको मारा। सन् 70 का इलेक्शन भी देखा चौधरी चरण सिंह के लिये मुजफ्फरनगर एक वाटरलू बन गया।

माननीय चौधरी साहब ने डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से प्रदेश के डिवीजन की बात कही और यह कहा कि प्रदेश में डिवीजन की जरूरत है। प्रशासनिक दृष्टि से आप कुछ भी सोच लें, मगर आज प्रदेश के अन्दर दो प्रकार के वर्ग हैं---एक वह जो लट्ठवाली में

[* * *] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

विश्वास करता है, दूसरा वह जो इन्टेलेक्चुअल्स में विश्वास करता है तथा एक गरीब वर्ग है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गरीब वर्ग हरिजन-कुम्हार, जोगी, सोनी आदि यह कभी नहीं चाहता कि उत्तर प्रदेश का डिवीजन हो. ..... (मेजे थपथपायी गयीं)....

(व्यवधान)

माननीय चौधरी साहब ने इंगलैंड की मिसाल दी। कहा कि ब्रिटिश पार्लियामेन्ट के अन्दर ऐसा है, वैसा है आदि, मगर जो पढ़े लिखे लोग हैं वे समझते हैं कि वहां पर भी, जो मदर आफ पार्लियामेन्ट्स है, डेमोक्रेसी की जन्मदाता है, करप्शन है। जहां डेमोक्रेसी है वहां लोगों को डिक्टेटरशिप की तरह हैंग नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र में समझने के लिये दोनों तरफ से एविडेंसेज होते हैं, फिर उन पर विचार होता है, पुनर्विचार होता है और तब कोई निर्णय लिया जाता है। अगर चीन की तरह से या जो देश कि डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करते हैं उनके यहां यह हो सकता है कि साथ ही साथ हैंग कर दिया जाय। लेकिन जिन्होंने बर्नाड्शा को पढ़ा है वे जानते हैं कि इंगलैंड के अन्दर भी जो कि इतनी स्वच्छ डेमोक्रेसी के अन्दर मानी जाती है, वहां भी कितना गड़बड़ घोटाला है।

परफ्यूमो जो मिनिस्टर थे, जो कीलर कांड हुआ उससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि जहां इन्सान रहता है, मानव मस्तिष्क ऐसा है कि उसके अन्दर कुछ कमजोरी भी होती है, कुछ उंचाई भी होती है। तो मैं भी यही कहना चाहता हूं कि जहां इंसान है वहां कुछ न कुछ करप्शन जरूर है लेकिन ज्यों-ज्यों दिन बीतता जायेगा और आदमी समझता जायेगा, हमारी डेमोक्रेसी और स्वच्छ होती जायेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही आदमी पर यह भार नहीं डाला जा सकता है। करप्शन के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि अगर नेशन का कैरेक्टर अच्छा हो, इनडिविजुअल का कैरेक्टर अच्छा हो तो डेमोक्रेसी भी रन करेगी और ज्यादा अच्छी तरह से वह चलेगी।

कोई आदमी जब भी स्टुडेंट्स से खिलवाड़ करता है तो वह अपने स्वार्थ सिद्धि की बात ही सोचता है, फिर कैसे हमारे प्रदेश का सुधार हो सकता है। किसी को भी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिये स्टूडेंट्स को नहीं भड़काना चाहिये। मैं समझता हूं कि सबके लिये डेमोक्रेसी का रास्ता पूर्णतया खुला हुआ है। हमारे कांस्टीट्यूशन में साफ तौर पर यह दिया हुआ है कि सब लोग अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं लेकिन स्टुडेंट्स के जरिये प्रशासन को ठप्प कर देना या किसी और तरीके से जबरदस्ती विधायकों को इस्तीफा देने के लिये बाध्य करना अच्छा नहीं होता है। इसलिये मैं इस बात के लिये सबको आह्वान करता हूं कि डेमोक्रेसी में विश्वास करने से और उस पर अमल करने से ही देश का प्रशासन अच्छी तरह से चल सकता है। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

नियम 51 के अन्तर्गत की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत 8 सूचनायें प्राप्त हुई हैं लेकिन जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया कि 28 तक का काम लगा हुआ है। इसलिये भी मैंने किसी को स्वीकार नहीं किया है। शासन के पास अगर समय रहा तो सर्वश्री मोहन लाल कपूर, श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी और श्री बाबूलाल वर्मा का जो है "हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्रोटेक्टिव होम, बलिया में तीन बालिकाओं के साथ तथाकथित घोर अत्याचार किये जाने की दुर्घटना।" को लिया जायेगा।

अब कार्य सूची 15 पर स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य होगा।

तकमिल उत्तिब कालज, लखनऊ के छात्रों के साथ वहां की प्रबन्ध समिति के सचिव द्वारा अभद्र व्यवहार किए जाने से छात्रों में उत्पन्न क्षोभ के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

स्वास्थ्य मंत्री (श्री प्रभु नारायण सिंह)--

लखनऊ का तकमिल उत्तिब कालेज, कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध एक सहायता प्राप्त गैर सरकारी संस्था है, जिसको शासन द्वारा 50 प्रतिशत अनुमोदित व्यय के आधार पर अनुदान दिया जाता है। इस कालेज में यूनानी का पंच वर्षीय पाठ्यक्रम प्रचलित है। यह संस्था निजी प्रबन्ध समिति द्वारा संचालित है।

2--वर्तमान शिक्षा सत्र में इस कालेज में इस कालेज के छात्र संघ का चुनाव कराया गया। छात्र संघ के विभिन्न पदों पर चुनाव के लिये दिनांक 25 जनवरी, 1975 को नामांकन पत्र दाखिल हुए। छात्र यूनियन के पैट्रन श्री अब्दुल रऊफ खां ने, जो कालेज में लेक्चरर भी हैं छात्रों के नामांकन पत्रों में से प्रत्येक पद के लिये एक-एक नामांकन पत्र स्वीकार करके शेष नामांकन पत्र अस्वीकृत कर दिये और इस प्रकार दिनांक 29-1-1975 को छात्र संघ के पदाधिकारियों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया। इस पर कुछ छात्रों ने आपत्ति की और 7 फरवरी, 1975 को इन छात्रों ने मुन्सिफ, उत्तर लखनऊ की अदालत में मुकदमा दायर कर दिया जिस पर अभी निर्णय नहीं हुआ है। इस प्रकार छात्र यूनियन के चुनाव का मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

3--उपर्युक्त विषय को लेकर यद्पि छात्रों में आपसी तनाव बना रहा किन्तु शिक्षण कार्य बराबर चलता रहा और दिनांक 19-3-1975 तक किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई। दिनांक 19-3-1975 को सायंकाल कालेज के एक छात्र श्री सगीर अहमद पर चाकू से हमला किया गया। इस सम्बन्ध में छात्र यूनियन के पदाधिकारियों का यह कथन है कि उक्त छात्र पर कालेज की प्रबन्ध समिति के अवैतनिक सचिव के घर के अन्दर किसी व्यक्ति ने उस समय चाकू से आक्रमण किया जब कुछ छात्र नेता अपनी मांगों के प्रति, जिनमें मुख्यतः कालेज में समुचित शिक्षण व्यवस्था न होने, स्थायी प्रिंसिपल की नियुक्ति तथा संस्था को अल्प संख्यक संस्था घोषित न कराना सम्मिलित है, के सम्बन्ध में ज्ञापन देने के लिये उनके घर गये थे। छात्रों का कथन है कि संस्था के प्रधानाचार्य भी उस समय प्रबन्ध समिति के सचिव के घर में उपस्थित थे। इस प्रकार छात्रों का आरोप है कि संस्था के सचिव एवं प्रधानाचार्य ने चाकू द्वारा हमला कराया, किन्तु संस्था के अधिकारियों का कथन है कि 19-3-75 को सचिव के घर के सामने, जो कालेज के समीप है, छात्रों के दो गुटों में झगड़ा हुआ तथा उक्त घटना से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। उक्त घटना के सम्बन्ध में छात्रों द्वारा सआदतगंज पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस स्थल पर पहुंची और उसके द्वारा उचित कार्यवाही की गई। इस प्रकार यह मामला पुलिस के सुपुर्द है। उक्त घटना से सम्बन्धित मुकदमें की उचित एवं शीघ्र जांच किये जाने के लिये शासन द्वारा सहायक पुलिस महा निरीक्षक को आवश्यक निर्देश दे दिया गया है।

4--उक्त घटना के कारण छात्रों में उत्पन्न तनाव को दृष्टि में रखते हुए संस्था के पदाधिकारियों द्वारा 30 मार्च, 1975 तक के लिये कालेज बन्द कर दिया गया था और छात्रों को छात्रावास खाली करने के लिये आदेश दिया गया किन्तु छात्रावास में खाली कराने के लिये कोई बल प्रयोग नहीं किया गया तथा कुछ छात्र छात्रावास में रहते रहे। इसके पश्चात् भी स्थिति में सुधार न होने के कारण कालेज अनिश्चित काल के लिये बन्द कर दिया गया था।

5--अब स्थिति सामान्य है और दिनांक 10 अप्रैल, 1975 से कालेज खुल गया है और कक्षाएं भलीभांति चल रही हैं तथा स्थिति शान्तिपूर्ण होने के कारण पुलिस हटा ली गई

है। जिन छात्रों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी थी, उनके विरुद्ध संस्था के पदाधिकारियों ने उक्त कार्यवाही समाप्त कर दी है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि किसी छात्र के विरुद्ध कोई प्रतिशोधात्मक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

6--जहां तक छात्रों की मुख्य मांगों का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि उक्त कालेज को एक अल्प संख्यक संस्था घोषित करने के सम्बन्ध में शासन को कोई प्रस्ताव संस्था की ओर से प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त प्रधानाचार्य के पद पर स्थायी नियमित नियुक्ति तथा संस्था की प्रबन्ध समिति से सम्बन्धित मांगों के विषय में यह कहना है कि चूंकि संस्था पर शैक्षिक नियंत्रण कानपुर विश्वविद्यालय का है, अतएव विश्वविद्यालय के परिनियमों के अधीन तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करने के लिये कुलपति, कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर से अनुरोध किया गया है। साथ ही साथ विश्वविद्यालय से यह भी निवेदन किया जा चुका है कि वे संस्था में समुचित शिक्षण एवं प्रशिक्षण सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के लिये संस्था के पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दें।

श्री अध्यक्ष---

(श्री नियाज हसन खां का नाम पुकारने तथा कुछ सदस्यों के साथ-साथ बोलने पर)

मैंने उनको अवसर दिया है।

श्री नियाज हसन खां (जिला प्रतापगढ़)--

अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सिलसिले में आपको नियम 52 में लिखा था पर नियम 51 में आप ने उसको जोड़ दिया। आप इस चीज को भूल गये।

श्री अध्यक्ष---

ऐसा है तो आपका नाम जोड़ दिया जायगा।

श्री नियाज हसन खां--

जोड़े या न जोड़े इसकी मुझे परवाह नहीं है। मैंने सवाल किया था कि अध्यक्ष महोदय कि तिविया कालेज सेक्रेटरी और प्रिंसिपल के घर के कमरे में लड़कों के ऊपर चाकू से हमला किया गया। मंत्री महोदय बतायें कि उनके खिलाफ सरकार ने कौन कार्यवाही की ?

आज तक यह देखा गया है और कहा जाता है कि लड़के वाइस चान्सलर पर या प्रिंसिपल पर हमला करते हैं, लेकिन यह पहली घटना है कि लड़कों के ऊपर प्रिंसिपल या सेक्रेटरी हमला कराये। इस पर कोई चर्चा नहीं है। इनको इलेक्शन में जोड़ दिया और यह नहीं बताया कि उनके खिलाफ उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राजबहादुर चन्द्र (जिला बस्ती)---

मान्यवर, कोरम नहीं है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)---

अध्यक्ष महोदय, क्या इनकी जिम्मेदारी कोरम पूरा रखने की है ?

श्री मोहम्मद शकील अहमद (जिला लखनऊ)--

आप इस तरह से क्यों बोलते हैं ? आप भी मेम्बर हैं और हम भी मेम्बर हैं। आप कोई मेम्बरों से अलग नहीं हैं। 1947 में जब पाकिस्तान बनवाया और जो इस सदन में कहा वह प्रोसीडिंग में मौजूद है. . ।

श्री अध्यक्ष--

कोरम नहीं है, यह इतनी जोरों से उठा है। इसलिये इस पर प्रश्न करने की अनुमति दूसरे दिन दी जायेगी। अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 5 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
21 अप्रैल, 1975।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी "क"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 393 पर)

दिनांक 1 अप्रैल, 1973 से जनवरी, 1975 की अवधि में बदायूं को सम्पूर्ति हुई वनस्पति की मात्रा

मास	प्रतिमास आवंटन	प्राप्ति
	टन	टन
अप्रैल, 1973	..	169.17
मई, 1973	..	127 50
जून, 1973	..	158.66
जुलाई, 1973	..	147.28
अगस्त, 1973	..	67.95
सितम्बर, 1973	..	97.61
अक्तूबर, 1973	..	16.25
नवम्बर, 1973	..	66.93
दिसम्बर, 1973	..	92.42
जनवरी, 1974	..	26.97
फरवरी, 1974	..	28.53
मार्च, 1974	100	89.90
अप्रैल, 1974	100	104.65
मई, 1974	100	47.75
जून, 1974	100	19.95
जुलाई, 1974	100	37.22
अगस्त, 1974	100	48.60
सितम्बर, 1974	100	18.66
अक्तूबर, 1974	100	10.48
नवम्बर, 1974	100	23.05
दिसम्बर, 1974	100	23.34
जनवरी, 1975	100	27.28

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ख"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 407 पर)

(14 अप्रैल, 1974 व 14 अप्रैल, 1975 तक चावल के लक्ष्य व खरीद के आंकड़े—कुन्तल में)।

क्रम-सं0	फैजाबाद खाद्य क्षेत्र के जिलों का नाम		खरीद का निर्धारित लक्ष्य 1973–74 व 1974-75	वर्ष 1973–74 में हुई कुल खरीद	वर्ष 1974–75 में हुई कुल खरीद
1	2		3	4	5
1	फैजाबाद	..	1000	50	1860
2	सुल्तानपुर	..	900	1020	3230
3	बाराबंकी	..	2900	100	3770
4	प्रतापगढ़	..	200	470	1010
5	बहराइच	..	69000	10590	8190
6	गोंडा	..	75000	24960	19320
	योग	..	1,9,000	37,190	37,380

उपरोक्त वर्ष 1973-74 व 1974-75 में दिखाई गई कुल खरीद में धान में सरकारी लेवी की मात्रा सम्मिलित नहीं है।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी "ग"।

(देखिए पीछे पृष्ठ 409 पर)

उत्तर प्रदेश लोकवन (देयों की वसूली) (संशोधन) विधेयक, 1975 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 147 के अन्तर्गत किए गए आनुषंगिक संशोधन का विवरण :—

खंड 5 की प्रथम पंक्ति में शब्द "धारा 5 की उपधारा (3)" के स्थान पर शब्द "धारा 3 की उपधारा (5)" रख दिए गए हैं।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी "ब"

(देखिए पीछे पृष्ठ 425 पर)

संयुक्त प्रान्त बद्रीनाथ (स्वच्छता तथा सुधार) (निरसन) विधेयक, 1975

संयुक्त प्रान्त बद्रीनाथ (स्वच्छता तथा सुधार) अधिनियम, 1945 का निरसन करने तथा पारिणामिक उपबन्ध बनाने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम संयुक्त प्रान्त बद्रीनाथ (स्वच्छता तथा सुधार) (निरसन) अधिनियम, 1975 कहलाएगा।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 5, 1945 का निरसन तथा पारिणामिक उपबन्ध

2—(1) संयुक्त प्रान्त बद्रीनाथ (स्वच्छता तथा सुधार) अधिनियम, 1945, जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से —

(क) उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर अधिनियम, 1939 के अधीन संघटित श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर समिति (जिसे आगे उक्त समिति कहा गया है) की उक्त अधिनियम के अधीन समस्त शक्तियां, कृत्य तथा कर्तव्य नोटीफाइड एरिया कमेटी बद्रीनाथ पुरी (जिसे आगे नोटीफाइड एरिया कमेटी कहा गया है) में अन्तरित हो जायेंगे और उनका प्रयोग, निर्वहन तथा पालन उसके द्वारा किया जाएगा ;

(ख) उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अथवा उसके अनुसरण में, उक्त समिति द्वारा अर्जित, प्रोद्भूत अथवा उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता अथवा दायित्व नोटीफाइड एरिया कमेटी को अन्तरित हो जाएगा और अन्तरित हुआ समझा जाएगा।

उद्देश्य और कारण

चूंकि बद्रीनाथपुरी के लिए एक नोटीफाइड एरिया कमेटी का गठन हो गया है, अतः यह प्रस्तावित है कि उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर अधिनियम, 1939 के अधीन संघटित श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदार नाथ मन्दिर समिति की संयुक्त प्रान्त बद्रीनाथ (स्वच्छता तथा सुधार) अधिनियम, 1945 के अधीन समस्त शक्तियां, कृत्य तथा कर्त्तव्य उक्त नोटीफाइड एरिया कमेटी को अन्तरित कर दिये जायें तथा पश्चात् वर्ती अधिनियम को निरस्त कर दिया जाय।

तद्नुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

हेमवती नन्दन बहुगुणा,
मुख्य मन्त्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0—एल0 129 विधान सभा (544)—1976—8401

उत्तर प्रदेश विधान सभा